सत्यमेव जयते

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA

ग्रामीण क्षेत्र के लिए खंड और जिला विकास योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा

(मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के विशेष संदर्भ के साथ)

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

नरेन्द्र सिंह तोमर
NARENDRA SINGH TOMAR

कृषि एवं किसान कल्याण,
ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली

सत्यमेव जयते

MINISTER OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE,
RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI

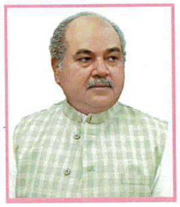

संदेश

हमें अपनी सतत पंचायती राज प्रणाली पर गर्व है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग रही है।राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि "पंचायतों की शक्ति जितनी अधिक होगी, लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा।" भारत के संविधान के 73 वें संशोधन ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को औपचारिक रूप दिया और देश में (i) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, (ii) ब्लॉक/ तालुका/ मण्डल स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत, और (iii) जिला स्तर पर जिला पंचायत अस्तित्व में आई। पंचायती राज मंत्रालय के सतत प्रयासों और चौदहवें वित आयोग के माध्यम से प्राप्त अनुदानों, 2018 में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश बनाए जाने, दो लगातार जन अभियानों और इन अभियानों में सभी संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी से कुल मिलाकर सभी ग्राम पंचायतें सफलतापूर्वक जीपीडीपी तैयार कर रही हैं। हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना की तैयारी के लिए मध्यवर्ती और जिला पंचायतों को व्यापक सहायता-समर्थन दिए जाने की आवश्यकता है।

मुझे प्रसन्नता है कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा मध्यवर्ती / ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए नियोजन हेतु एक विस्तृत फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। यह फ्रेमवर्क योजना तैयार करने के कार्य में ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए कदम-दर-कदम मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा और उपयुक्त स्तर पर योजनाकारों व संबंधित हितधारकों को सहायता देगा। मुझे आशा है कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों, व चिन्हित अंतरालों को दृष्टि में रखकर तथा स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर यह फ्रेमवर्क निश्चित रूप से ब्लॉक और जिला स्तर पर समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। नियोजन-प्रक्रिया संबंधी विस्तृत विश्लेषण, राज्य सरकारों व अन्य एजेंसियों की भूमिका और विभिन्न स्तरों पर अभिसरण एवं सामूहिक गतिविधि पर बल दिए जाने से न केवल इसमें शामिल एजेंसियों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी, बल्कि मानव-कल्याण पर आधारित नियोजन की स्थितियों को मजबूती मिलने से लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में विकेन्द्रीकृत नियोजन से जुड़े सभी संसाधन व्यक्तियों और हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में साबित होगा और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित, सहभागितापूर्ण एवं समावेशी विकास के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।

(नरेन्द्र सिंह तोमर)

Office: 'G' Wing, Ground Floor, Krishi Bhawan, New Delhi- 110001, Tel.: 011-23782373, 23782327 Fax: 011-23385876
Resi.: 3 Krishna Menon Marg, New Delhi-110001, Ph.: 011-23794697 / 98, Fax: 011-23794696

सुनील कुमार, आई.ए.एस.
SUNIL KUMAR, IAS

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

प्राक्कथन

पंचायतें स्थानीय स्वसरकारों के संस्थानों के रूप में देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों, ब्लॉक / तालुका स्तर पर मध्यवर्ती पंचायतों और जिला स्तर पर जिला पंचायतों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं की तैयारी हेतु अधिदेश का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित बढ़े हुए अनुदान के आलोक में नए सिरे से नियोजन पर ध्यान केंद्रित करके पिछले कुछ वर्षों से ***जन योजना अभियान*** संचालित किया जा रहा है और वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किया गए हैं। इससे पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए क्षेत्रीय जरूरतों को पूर्ण करने वाली समावेशी एवं सम्मिलित ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में मदद मिली है।

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग (एफएफसी) को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत के लिए भी अनुदान देने की सिफारिश करने का अनुरोध किया था। मुझे खुशी है कि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पंचायतों के तीनों स्तरों के लिए 60,750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस हालिया विकास के मद्देनजर सभी पक्षकारों द्वारा ब्लॉक और जिला पंचायत स्तरों पर योजनाओं को तैयार करने के लिए एक ढांचे को विकसित करने की जरूरत महसूस की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज मंत्रालय ने मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के विशेष संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के लिए ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं की तैयारी हेतु ढांचा तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है जिसमें संबंधित सहयोगी मंत्रालयों के प्रतिनिधि, एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडी , केआईएलए के प्रतिनिधि, विषय विशेषज्ञ, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, जिला और ब्लॉक पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं।

मुझे खुशी है कि समिति ने इस ढांचे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में शामिल हितधारकों के साथ विस्तृत रूप से बातचीत की और योजना प्रक्रिया और प्रणालियों का विस्तृत ब्यौरा दिया है। इसमें

कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली–110001, KRISHI BHAWAN, DR. RAJENDRA PRASAD ROAD, NEW DELHI-110001
Tel.: 011-23389008, 23074309 • Fax: 011-23389028 • E-mail: secy-mopr@nic.in

जिला और ब्लॉक स्तरों पर विकासात्मक आवश्यकताओं की पहचान के लिए एक प्रणाली की परिकल्पना की गई है। मिशन अंत्योदय आंकड़ों और जीपीडीपी आंकड़ों को इन क्षेत्रों में विकासात्मक आवश्यकताओं की पहचान के लिए ब्लॉक और जिला स्तरों पर समेकित किया जा सकता है। ब्लॉक स्तर पर इन जरूरतों को समेकित जीपीडीपी आंकड़ों के साथ समायोजित करके तथा ज़िला विकास योजना के लिए ब्लॉक विकास योजना के साथ आगे समायोजित करके अभी भी समाधान की जाने वाली विकासात्मक आवश्यकताओं की पहचान की जा सकती है। इस ढांचे में प्रतिनिधि योजना समिति और क्षेत्रीय कार्य समूह, पर्यावरण सृजन एवं सामुदायिक गतिशीलता, मिशन अंत्योदय और जीपीडीपी आंकड़ों का समेकन, स्थानिक विश्लेषण, स्थिति विश्लेषण, आवश्यक मूल्यांकन और अंतरालों की पहचान, भावी योजना संबंधी कार्य, संसाधनों और संगत गतिविधियों की पहचान, योजना विकास, प्राथमिकता एवं प्राक्कलन तथा योजना की मंजूरी शामिल है।

मुझे आशा है यह नया ढांचा ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए विभिन्न स्तरों अर्थात मध्यवर्ती और ज़िला पंचायतों, राज्य सरकारों, सहयोगी मंत्रालयों में सभी हितधारकों के लिए लाभकारी होगा। यह एक प्रमुख ज्ञान उत्पाद के रूप में विभिन्न संस्थानों / संगठनों के इच्छित उपयोगकर्ताओं, विशेषज्ञों, प्रशिक्षकों की भी मदद करेगा। मैं डॉ० बाला प्रसाद, अध्यक्ष और इस समिति के सभी सदस्यों को इस उत्कृष्ट ढांचे को अंतिम रूप देने में उनके योगदान और प्रतिबद्ध प्रयास के लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों, एनआईआरडीपीआर, एसआईआरडी, एसआईआरडीपीआर और पंचायत प्रतिनिधियों का भी इस ढांचे को अंतिम रूप देने में समिति को सहयोग देने हेतु धन्यवाद देता हूं।

मुझे विश्वास है कि यह ढांचा देश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक विकास के लिए ब्लॉक और जिला स्तरों पर समावेशी, आवश्यकता आधारित और व्यापक योजनाओं की तैयारी एवं पंचायतों के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर तालमेल कायम करने की दिशा में सफल होगा।

13.10.20

(सुनील कुमार)

डॉ बाला प्रसाद
पूर्व विशेष सचिव
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

Dr. Bala Prasad
Ex. SPECIAL SECRETARY
Ministry of Panchayati Raj
Government of India

प्रस्तावना

भारत की सतत पंचायती राज प्रणाली विशिष्ट उपलब्धि है और यह देश की सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अनूठा स्थानीय स्वशासन और विकासपरक संस्था उपलब्ध कराती हैं। भारत के संविधान के 73 वें संशोधन के द्वारा पंचायत के त्रिस्तरीय एकरूपीय ढांचे अर्थात - (i) गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, (ii) खंड/सब/डिविजन-तालुक मंडल स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत और (iii) जिला स्तर पर जिला पंचायत की शुरूआत की गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी पंचायतों को केन्द्र और राज्य सरकारों की सभी योजनायें एकीकृत कर अपने भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए ऐसी योजनायें बनाने और लागू करने का अनिवार्य दायित्व उन विषयों के सम्बन्ध में देता है जो संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल विषयों सहित उन्हें सौंपे गए हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायतें, मध्यवर्ती पंचायतें और जिला पंचायतों को अपने अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), खंड विकास योजना (बीडीपी) और जिला विकास योजना (डीडीपी) तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।

भारत सरकार के सक्रिय अभियान, 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित अनुदान, 2018 में जीपीडीपी की तैयारी के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों, 2018 और 2019 में दो लगातार जन योजना अभियानों, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों एवं जीपीडीपी बनाने के लिए अभियान और क्षमता निर्माण में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन मिला। कुल मिलाकर सभी ग्राम पंचायतें अपने संबंधित क्षेत्र की जीपीडीपी तैयार कर रही हैं और योजना की गुणवत्ता पिछले दो वर्ष में काफी बढ़ी है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्र के लिए मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत द्वारा क्रमश: क्षेत्र की खंड विकास योजना और जिला विकास योजना की तैयारी में सुधार की जरूरत है।

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने 15 वें वित्त आयोग को सौंपे ज्ञापन में ग्राम पंचायत के अलावा मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत के लिए भी अनुदानों की सिफारिश की थी। 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने पंचायत के तीनों स्तरों अर्थात ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत के लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 60,750 करोड़ रूपए आवंटित किए हैं। मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के विशेष संदर्भ सहित खंड और जिला विकास योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा तय करने के लिए संबंधित केंद्र सरकारी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर; केआईएलए महानिदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान निदेशक तथा एसआईआरडी, आईपी और डीपी के कुछ निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक समिति पंचायती राज मंत्रालय द्वारा

गठित की गई थी। समिति की कई बैठकों, राज्य सरकारों, मंत्रालयों एनआईआरडी पीआर, एसआईआरडीपीआर, एसआईआरडी और विभिन्न राज्यों की मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूनिसेफ, विश्व बैंक और यूएनडीपी के प्रतिनिधियों सहित यूएनडीपी विमर्श के बाद समिति विभिन्न हितधारकों के साथ गहन और व्यापक विचार विमर्श से समिति ने अपेक्षित रूपरेखा तैयार की।

योजना की रूपरेखा में समावेशी और सहभागी प्रक्रियाओं का उल्लेख है। इसमें योजना के लिए प्रतिनिधित्व पर आधारित प्रखंड सभा और जिला सभा की तीन बैठकों का प्रावधान है जिनमें एक एक बैठक प्रक्रिया की शुरूआत और अन्त में होगी। रूपरेखा में माहौल तैयार करने और समिति और क्षेत्रीय कार्य समूहों के गठन को गतिशील करने मिशन अंत्योदय और जीपीडीपी डेटा के एकत्रीकरण, स्थिति विश्लेषण, व्यापक विश्लेषण, आवश्यकताओं के आकलन और विकास अंतरालों का पता लगाने, संसाधनों के आकलन तथा सम्बन्धित कार्य योजना बनाने, प्राथमिकता, योजना विकास और संबंधित गतिविधियां निश्चित करने तथा योजना का अनुमोदन शामिल हैं। स्थिति विश्लेषण पूरा होने और विकास स्थिति रिपोर्ट की तैयारी के बाद विशेष प्रखंड सभा/ जिला सभा आयोजित की जाती है। जिसमें योजना बजट के साथ अन्य गतिविधयों का फैसला किया जाता है। रूपरेखा के दायरे में बीडीपी और डीडीपी तथा संभावित चुनौतियों को शामिल किया जाता है। रूपरेखा में राज्य सरकारों और विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों तथा बीडीपी और डीडीपी के अन्य मुद्दों का विवरण है। मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रखंड विकास और जिला विकास योजना की तैयारी के लिए संस्थागत व्यवस्था की रूपरेखा, प्रणाली, द्वितीयक डेटा स्त्रोत की व्यापक व्याख्या रूपरेखा में है। इसमें बीडीपी और डीडीपी की तैयारी के लिए पृथक क्षमता निर्माण ढांचा भी उपलब्ध है। रूपरेखा में संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुरूप जिला योजना समिति द्वारा मसौदा जिला विकास योजना की तैयारी और गैर- भाग IX क्षेत्र में बीडीपी और डीडीपी की तैयारी से संबंधित मुद्दों का भी उल्लेख है। इसमें बीडीपी और डीडीपी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया और निगरानी तथा ई-ग्राम स्वराज से संबंधित कार्य बिन्दुओं तथा बीडीपी और डीडीपी के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आर.एस.) भी शामिल हैं। बीडीपी और डीडीपी को केवल योजनाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी बदलाव की दिशा में त्वरित, बहुआयामी और आवश्यकता केन्द्रित एकीकृत विकास योजनाओं के रूप में देखे जाने की जरूरत है। व्यापक रूपरेखा में कई नवाचारी पहल शामिल की गई हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि मिशन अंत्योदय डेटा और जीपीडीपी डेटा खंड और जिला स्तरों पर संकलित की जानी चाहिए ताकि इन क्षेत्रों में विकास की आवश्यकताओं का पता लगाया जा सके। बीडीपी के लिए ब्लॉक स्तर पर जीपीडीपी डेटा से इन आवश्यकताओं को समायोजित कर और बाद में जिला विकास योजना के लिए खंड विकास योजना से समायोजित कर जिला विकास योजना के लिए शेष विकास आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा, स्थानीय विश्लेषण के माध्यम से इन आवश्यकताओं से जुड़े स्थानों की पहचान में भी मदद मिलती है। प्रतिनिधि खंड और जिला योजना समिति और स्वंय कार्य समूह के गठन; संबंधित विभागों, महिला

समूहों और सीबीओ से तालमेल और सामूहिक कार्य योजना पर विशेष जोर दिया गया है। पंचायतों की भूमिका रेखांकित की गई है और आर्थिक विकास के लिए परामर्श दिया गया है कि इन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम एक ग्रामीण उद्योग समुदाय समूह स्थापित करना चाहिए। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को बढ़ावा देना, कृषि सहयोगी और कृषि प्रसंस्करण, खराब होने वाले उत्पादों के लिए निजी-प्रशीतन श्रृंखला विकसित करना और मजबूत पंचायत निजी भागीदारी विकसित करने का सुझाव विशेष रूप से दिया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आकलन, सभी हितधारकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण और प्रमुख समूहों के लिए क्षमता आधारित प्रशिक्षण का प्रावधान भी शामिल है।

यह रूपरेखा योजना प्रक्रिया को सुगम बनाने में मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में राज्यों का सहयोग करेगी। इसके अलावा, यह खंड विकास योजना और जिला विकास योजना की तैयारी में आईपी और डीपी के लिए एक संदर्भ दस्तावेज भी साबित हो सकती है। इसके अलावा, पंचायत के ऊपरी स्तरों का यथा आवश्यक पुनरूद्धार होगा और देश की ग्रामीण स्थिति के बदलाव में इनका योगदान बढ़ेगा। आशा है कि राज्य सरकारें इस विस्तृत रूपरेखा का अनुसरण करेगीं और अपने अधिनियमों और विनियमों तथा नियमों, परंपरा के अनुसार कार्य करते हुए खंड और जिला विकास योजनाओं की सफल तैयारी और क्रियान्वयन के लिए सक्षम माहौल तैयार करेंगी। अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक खंड और जिला पंचायत अपने सहयोगी विभागों और उनकी योजनाओं तथा स्व: सहायता समूहों के सामूहिक प्रयासों के तालमेल से विकास योजनाएं तैयार करेंगी। सम्मिलित और सामूहिक कार्ययोजना पर आधारित खंड और जिला विकास योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प कर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

बाला प्रसाद

डॉ बाला प्रसाद
पूर्व विशेष सचिव, पंचायती राज मंत्रालय एवं
समिति अध्यक्ष

आलोक प्रेम नागर
ALOK PREM NAGAR

सत्यमेव जयते

संयुक्त सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
JOINT SECRETARY
Government of India
Ministry of Panchayati Raj
11th Floor, Jeevan Prakash Building
25, Kasturba Gandhi Marg,
New Delhi-110001
Tel.: +91-11-23356556, Fax: +91-11-23354816
E-mail: ap.nagar@gov.in
Mob.: 9418007426

आभारोक्ति

पंचायत भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत की पंचायत राज प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का एक अनूठा उदाहरण है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंचायतों के सभी तीन स्तरों और पारंपरिक स्थानीय निकायों के लिए अनुदान देने का निर्णय लिया। मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के लिए विशेष संदर्भ के साथ खंड और जिला विकास योजनाओं की तैयारी के लिए एक रुपरेखा तय करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए पंचायती राज मंत्रालय ने जिला और खंड विकास योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा तय करने के लिए समिति गठित की है। समिति ने अनेक मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान- राज्यों के पंचायती राज विभागों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद रूपरेखा तैयार की है। मैं समिति के सभी सदस्यों के अनवरत सहयोग और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने समिति के साथ विचार-विमर्श में विकेन्द्रीकृत योजना और पंचायती राज क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का योगदान किया।

माननीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के मार्ग-दर्शन और प्रोत्साहन के बिना यह कार्य सम्भव नहीं था। इस रूपरेखा को तैयार करने में समर्थन के लिए मैं माननीय मन्त्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ।

सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, श्री सुनील कुमार का आभार व्यक्त करने में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है जिन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान अपना सक्रिय सहयोग-समर्थन और प्रोत्साहन उपलब्ध कराया।

रूपरेखा को अंतिम रूप देने में पंचायती राज मंत्रालय के पूर्व विशेष सचिव और समिति के अध्यक्ष डॉ. बाला प्रसाद के दूरदर्शी योगदान और समर्पण के प्रति विशेष रूप से आभार संप्रेषित करते हैं।

समिति के सभी विशिष्ट सदस्यों के प्रति भी पूरी प्रक्रिया के दौरान उनकी सक्रिय भागीदारी और महत्वपूर्ण योगदान के लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद की महानिदेशक सुश्री अलका उपाध्याय; पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार; ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री बिस्वजीत बनर्जी; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री छवि झा; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री विकास शील; पंचायती राज मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री खुशवंत सिंह सेठी; संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय श्री संतोष कुमार यादव; संयुक्त सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्‌यम मंत्रालय श्री सुधीर गर्ग; संयुक्त सचिव जनजातीय कार्य मंत्रालय डॉ. नवलजीत कपूर; संयुक्त सचिव, कौशल विकास और उद्‌यमिता मंत्रालय श्री के.सी. गुप्ता; आर्थिक सलाहकार खाद्‌य प्रसंस्करण मंत्रालय बिजय कुमार बेहरा और आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री रोशन जग्गी भी विशेष आभार के पात्र हैं।

समिति की ओर से मैं राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, असम के निदेशक श्री खगेश्वर पेगु; महानिदेशक केरल श्री जॉय एलेमॉन; महानिदेशक, डीडीयू-एसआईआरडी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश स्थानीय प्रशासन संस्थान (केआईएलए), केरल श्री एल. वेंकेटेशवरलु; सुश्री शिल्पा नाग, निदेशक, अब्दुल नाजिर राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, कर्नाटक; निदेशक एसआईआरडी, मिजोरम श्री ललमुनसंगा हन्मते; श्री दिब्येन्दु दास, विशेष सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार और सुश्री प्रवीणा चौधरी, उपनिदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के प्रति भी सक्रिय सहयोग के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं श्रीमती भोजवंती सिंह, अध्यक्ष उदयपुर प्रखंड पंचायत, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़; श्री उदय सदाशिव काबुले, अध्यक्ष, जिला पंचायत, सतारा, महाराष्ट्र और श्रीमती मधु चौहान, अध्यक्ष, जिला पंचायत, देहरादून, उत्तराखंड के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। योजना रूपरेखा

की तैयारी में सक्रिय सहयोग और महत्वपूर्ण योगदान के लिए आप सबका धन्यवाद।

एनआईसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, श्री वारिंदर सेठ; पंचायती राज केंद्र, विकेन्द्रीकृत, योजना और समाजसेवा, एनआईआरडीपीआर के एसोशियट प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. सी काथिरसन; एनआईआरडीपीआर के परियोजना परामर्शदाता श्री दिलीप पाल; एसआईपीआरडी, असम के पूर्व निदेशक श्री ए.एम.एम. जाकिर; अब्दुल नाजिर राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, कर्नाटक के फैकल्टी सदस्य श्री गणेश प्रसाद; एसटीएआरपीएआरडी, पश्चिम बंगाल सरकार के मास्टर ट्रेनर सुश्री पियाली रॉय चौधरी; एनआईआरडीपीआर के कन्सलटेंट मो. तकीउद्दीन का भी उनके मूल्यवान सहयोग के लिए आभार !

समिति को बहुमूल्य सुझाव देने के लिए श्री सुजॉय मजुमदार, यूएनडीपी, यूनिसेफ और विश्वबैंक के प्रतिनिधियों के प्रति भी समिति कृतज्ञता व्यक्त करती है। हम राज्य सरकार के प्रतिनिधियों तथा राज्यों के जिला और खंड पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का भी योजना रूपरेखा की तैयारी में समिति को सुझाव देने के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं।

हम पंचायती राज मंत्रालय के श्री सुधांशु कुमार महापात्रा, पंचायत इनफॉरमेटिक्स डिविजन, एनआईसी के श्री राहुल शर्मा, पंचायती राज मंत्रालय में परामर्शदाता श्री सुबोध गुर्जर की टीम के प्रति भी दस्तावेज को अंतिम रूप देने में योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं। पंचायती राज मंत्रालय में परामर्शदाता श्री कुणाल बंदोपाध्याय और सुश्री प्रियंका दत्ता का भी उनके सक्रिय योगदान के लिए आभार।

आलोक

आलोक प्रेम नागर

संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय और

सदस्य सचिव, समिति।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए खंड और जिला विकास योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा

(मध्यवर्ती और जिला पंचायतों के विशेष संदर्भ के साथ)

विषय सूची

क्रमांक	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
I	संदेश	i
II	प्राक्कथन	ii
III	प्रस्तावना	iv
IV	आभारोक्ति	vii
अध्याय-1 : खंड और जिला विकास योजना संदर्भ		1
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	खंड और जिला स्तर पर योजना के लिए संवैधानिक प्रावधान	3
1.3	भारत में विकेन्द्रीकृत योजना	5
1.4	ग्राम पंचायत विकास योजना	7
1.4.1	जीपीडीपी की प्रक्रियाएँ	9
1.4.2	जीपीडीपी के लिए जनयोजना अभियान	15
1.4.3	जीपीडीपी की स्थिति	21
1.5	मध्यवर्ती और जिला पंचायतों द्वारा योजना तैयारी	22
1.6	स्थानीय भागीदारी योजना को समर्थ बनाना	24
1.7	उभरते मुद्दे और चुनौतियां	24

1.8	प्रखंड और जिला विकास योजनाओं की तैयारी के लिए रूपरेखा की आवश्यकता	25
1.9	रूपरेखा की संरचना	27
अध्याय-2 : खंड और जिला स्तरों पर योजना का महत्व		29
2.1	व्यापक विकेन्द्रीकृत योजना की आवश्यकता	30
2.2	खंड और जिला विकास योजनाओं का महत्व	32
2.3	पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में खंड और जिला विकास योजनाओं के लिए विशेष प्रक्रिया	33
2.4	खंड और जिला स्तरों पर भागीदारी योजना के लिए पंचायत-स्व सहायता समूह तालमेल	34
अध्याय-3 : खंड और जिला विकास योजनाओं के लिए राज सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय		37
3.1	खंड और जिला स्तरीय योजना के संचालन पर नीतिगत निर्णय	37
3.1.1	खंड और जिला विकास योजना की प्रकृति और कार्यक्षेत्र संबंधी निर्णय	37
3.2	राज्य स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति का गठन	39
3.3	खंड और जिलास्तर योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों का निर्धारण	40
3.4	राज्य स्तर पर सक्षम परिवेश का निर्माण	41
3.5	सहयोगी प्रणालियां	42
3.5.1	संसाधन संचय और कोष प्रवाह	42
3.5.2	जिला और खंड स्तर पर समन्वय व्यवस्था	43

3.5.3	मानव संसाधन सहयोग	43
3.5.4	प्रौद्योगिकी और तकनीकी सहयोग	45
3.5.5	प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन	46
3.5.6	कार्यान्वयन प्रबंध	46
3.5.7	समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन	47
3.5.8	कार्य निष्पादन प्रोत्साहन	47
3.6	खंड और जिला विकास योजनाओं के लिए समयसीमा	48
अध्याय-4 : जिला और खंड विकास योजना एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण स्कीम, क्षेत्र, विषय और मुद्दे		51
4.1	जीपीडीपी, मिशन अंत्योदय डेटा सुदृढीकरण और विकासात्मक आवश्यकताओं की पहचान और प्राथमिकताक्रम का निर्धारण	51
4.2	पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए वित्त आयोग के अनुदान	53
4.3	पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट गतिविधियों का संचालन	57
4.4	केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना	59
4.5	राष्ट्रीय, राज्य, आपात स्थितियों, अभियानों और मिशन में केंद्र और राज्य सरकार की सहायता।	84
4.6	राज्य योजनाओं का क्रियान्वयन	86
4.7	पीआरआई-सीबीओ सामंजस्य	86
4.8	केंद्र और राज्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रदत्त गतिविधियों का संचालन	88
4.9	आपदा जोखिम प्रबंधन	89

4.10	सूचना,संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग	90
4.11	स्वच्छता, पेयजल, आजीविका, आर्थिक विकास और आय वृद्धि, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल विकास तथा कुपोषण	91
4.12	आर्थिक विकास और आय वृद्धि	95
4.12.1	किसानों की आय दोगुनी करना	96
4.12.2	गरीबी उन्मूलन	97
4.13	समुदाय संचालित विकास प्रक्रिया	97
4.14	सुदृढ़ पंचायत-निजी भागीदारी विकसित करना	98
4.15	पर्यावरण संरक्षा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	99
4.15.1	हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग	100
4.15.2	जलवायु परिवर्तन का असर कम करना और अनुकूलन स्थापित करना	101
4.15.3	कचरे से संपदा	103
4.16	सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करना	104
4.17	सामाजिक न्याय	106
4.18	सामाजिक लेखा	116
4.18.1	पंचायतों में सामाजिक लेखा के लाभ	116
4.18.2	आईपी और डीपी योजनाओं और कार्यक्रमों का सामाजिक लेखा	117
4.19	संसाधनों और लाभों तक पहुंच में स्त्री-पुरुष समानता स्थापित करना	118
4.20	पारदर्शिता और जनसूचना बोर्ड	120

4.21	लेखांकन	122
4.22	ई-ग्राम स्वराज	124
4.23	भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित योजना	125
अध्याय-5 : मध्यवर्ती पंचायत द्वारा खंड विकास योजना की तैयारी		128
5.1	खंड विकास योजना प्रक्रिया	129
5.2	मध्यवर्ती पंचायत योजना समिति (आईपीपीसी) और क्षेत्रीय कार्य समूह (एसडब्ल्यूजी) का गठन।	132
5.3	आईपीपीसी और एसडब्ल्यूजी के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण	137
5.4	खंड विकास योजना की तैयारी के लिए माहौल सृजन	138
5.5	जीपीडीपी सुदृढीकरण और विकास आवश्यकताओं की पहचान और प्राथमिकता क्रम का निर्धारण	139
5.6	स्थिति विश्लेषण और विकास स्थिति रिपोर्ट	142
5.7	पूर्व अवलोकन	144
5.8	मध्यवर्ती पंचायत योजना के लिए संसाधन	145
5.9	खंड स्तर पर योजना के प्रमुख क्षेत्र	147
5.9.1	आर्थिक विकास और आय सृजन	147
5.9.2	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	153
5.9.3	आपदा जोखिम प्रबंधन	154
5.9.4	सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना	155
5.9.5	शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल	156
5.9.6	बुनियादी सेवाएं	157
5.9.7	स्वच्छता	158

5.9.8	पेयजल	160
5.10	विशेष खंड सभा और संबंधित विभागों की भूमिका	161
5.11	संबंधित विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों से सामंजस्य	162
5.12	परियोजना विकास	163
5.13	योजना तैयारी और खंड विकास योजना अनुमोदन	163
5.14	योजना कार्यान्वयन	164
5.15	बीडीपी की निगरानी प्रणाली और संशोधन	165
अध्याय-6 : जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास योजना की तैयारी		168
6.1	जिला विकास योजना प्रक्रिया	170
6.2	जिला पंचायत योजना समिति (डीपीपीसी) और क्षेत्रीय कार्यसमूह (एसडब्ल्यूजी) का गठन	173
6.3	डीपीपीसी और एसडब्ल्यूजी का अनुकूलन प्रशिक्षण	178
6.4	जिला विकास योजना के लिए माहौल सृजन	179
6.5	जीपीडीपी और आईपीडीपी सुदृढीकरण तथा विकास आवश्यकताओं की पहचान और प्राथमिकता क्रम	180
6.6	स्थिति विश्लेषण और विकास स्थिति रिपोर्ट	184
6.7	विजनिंग या योजना पूर्व परिकल्पना	187
6.8	जिला पंचायत स्तर पर योजना संसाधन	188
6.9	जिला स्तर पर योजना के प्रमुख क्षेत्र	190
6.10	विशेष जिलासभा और संबंधित विभाग की भागीदारी	191
6.11	जिला विकास योजना के लिए संबंधित विभागों की योजनाओं	192

	और कार्यक्रमों से सामंजस्य	
6.12	परियोजना विकास	192
6.13	जिला विकास योजना की तैयारी और अनुमोदन	194
6.14	योजना कार्यान्वयन	195
6.15	डीडीपी की निगरानी प्रणाली और संशोधन	196
अध्याय-7 खंड और जिला विकास योजनाओं के लिए क्षमता निर्माण रूपरेखा		201
7.1	क्षमता निर्माण रूपरेखा के उद्देश्य	201
7.2	प्रशिक्षण के लिए प्रमुख पक्षों और संस्थानों की पहचान	203
7.2.1	संस्थागत सहयोग	203
7.2.2	राष्ट्रीय नोडल संस्थान	204
7.2.3	राज्य नोडल संस्थान	205
7.2.4	खंड और जिला विकास योजना के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थान	206
7.2.5	राष्ट्रीय और राज्य संसाधन संस्थानों को सूचीबद्ध करना	206
7.3	सीबीएंडटी के लिए प्रशिक्षकों/रिसोर्स पर्सन टीम तथा जिला और खंड विकास योजना सुगमता में सहयोग	207
7.3.1	राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर टीम	207
7.3.2	खंड और जिला विकास योजना के लिए जिला संसाधन समूह	208
7.3.3	अभिप्रमाणित रिसोर्स पर्सन	209
7.4	खंड और जिला विकास योजना के लिए सीबीएंडटी माध्यम	209
7.4.1	संयुक्त प्रशिक्षण और गैर प्रशिक्षण हस्तक्षेप प्रयास	210
7.4.2	जिला और खंड विकास योजना के लिए सीबीएंडटी कार्ययोजना	211

7.5	जिला और खंड विकास योजना के लिए मानक अध्ययन सामग्री	212
7.6	प्रशिक्षण का उच्चक्रम	213
7.7	ऑनलाईन प्रशिक्षण	213
7.8	पंचायत कार्यकर्ताओं की क्रॉस लर्निंग और एक्सपोजर विजिट	214
7.9	अनुरूप विभागों से सामंजस्य	214
7.10	खंड और जिला विकास योजनाओं के लिए 'सफलता के द्वीप' सृजित करना	215
7.11	खंड और जिला विकास योजना के लिए सीबीएंडटी गतिविधियोंकी निगरानी	215
अध्याय-8 गैर-भाग IX क्षेत्र में खंड और जिला विकास योजनाओं की तैयारी		**216**
8.1	गैर-भाग IX क्षेत्र में खंड विकास योजना की तैयारी	217
8.2	गैर-भाग IX क्षेत्र में जिला विकास योजना की तैयारी	219
अध्याय-9 जिला योजना समिति द्वारा मसौदा विकास योजना की तैयारी		222
9.1	जिला योजना समिति के लिए संवैधानिक प्रावधान	222
9.2	डीपीसी द्वारा मसौदा विकास योजना की तैयारी	224
अध्याय-10 खंड और जिला विकास योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी		228
10.1	जिला विकास योजना के लिए जिला स्तर पर समन्वय समिति	229
10.2	खंड विकास योजना के लिए खंड स्तर पर समन्वय समिति	230
10.3	समुदाय आधारित निगारनी	230
10.4	खंड और जिला विकास योजनाओं के लिए सामाजिक जवाबदेही	231

10.4.1	खंड और जिला विकास योजनाओं के लिए सामाजिक लेखांकन	233
अध्याय-11 ई-ग्राम स्वराज और जीआईएस के माध्यम से खंड और जिला विकास योजना		234
11.1	जिला और खंड विकास योजना : ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से	236
11.2	ई-ग्राम स्वराज ऑनलाईन भुगतान मॉड्यूल	238
11.3	प्रखंड और जिला विकास योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन में जीआईएस सहयोग	243
संदर्भ-		246
तालिका सूची		
तालिका 1	पिछले छह वर्ष में जीपीडीपी में हुई प्रगति	22
तालिका 2	खंड विकास योजना के लिए अनुमानित समय-सीमा	48
तालिका 3	जिला विकास योजना के लिए अनुमानित समय	49
तालिका 4	दसवें से बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार से स्थानीय ग्रामीण निकायों को अधिकार अंतरण	54
तालिका 5	ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का मंत्रालयों और संबंधित उपायों के जरिए समाधान	60
तालिका 6	संबंधित विभागों / मंत्रालयों के प्रयास और स्कीम	70
तालिका 7	सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)	105
तालिका 8	बच्चों की आवश्यकताओं के समाधान के लिए कार्यक्रम और स्कीम	110
रेखाचित्र सूची		
रेखाचित्र 1	जीपीडीपी की तैयारी और क्रियान्वयन	8

रेखाचित्र 2	जीपीडीपी का योजना चक्र	10
रेखाचित्र 3	क्षेत्रवार डेटा संग्रह और संकलन	12
रेखाचित्र 4	प्लान प्लस पर वर्ष 2019-20 के जीपीडीपी की राज्यवार अपलोडिंग	19
रेखाचित्र 5	ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष 2020-21 के जीपीडीपी की राज्यवार अपलोडिंग (पूर्व प्लान प्लस)	20
रेखाचित्र 6	पीपीसी-2018 और पीपीसी 2019 के निष्कर्ष के अनुरूप क्षेत्रवार नियोजित गतिविधियां	20
रेखाचित्र 7	मिशन अंत्योदय सर्वे के माध्यम से चिन्हित विकास अंतर और प्लान प्लस में अपलोड किए गए जीपीडीपी के माध्यम से समाधान	52
रेखाचित्र 8	प्रखंड विकास योजना का योजना चक्र	132
रेखाचित्र 9	प्रखंड स्तर पर अंतरालों की पहचान के लिए मिशन अंत्योदय डेटा का उपयोग	141
रेखाचित्र 10	ब्लॉक अंबाला में पाईप जल कनेक्शन के बारे में निर्णय के लिए जीआईएस का उपयोग	142
रेखाचित्र 11	जिला विकास योजना का योजना चक्र	173
रेखाचित्र 12	मिशन अंत्योदय- जिलास्तर पर अंतराल	182
रेखाचित्र 13	योजना के लिए संसाधन	188
रेखाचित्र 14	डीपीसी द्वारा मसौदा विकास योजना की तैयारी	225
रेखाचित्र 15	ई-ग्राम स्वराज की रूपरेखा	235
रेखाचित्र 16	योजना कार्यप्रवाह	238
रेखाचित्र 17	ऑनलाईन भुगतान मॉड्यूल का कार्यप्रवाह	240

बॉक्स सूची		
बॉक्स 1	संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय	3
बॉक्स 2	मध्यवर्ती पंचायत योजना समिति की सांकेतिक संरचना	134
बॉक्स 3	नेदुमंगद खंड पंचायत, तिरुवनंतपुरम, केरल में अपनाए गए सर्वोत्तम अभ्यास	166
बॉक्स 4	जिला पंचायत योजना समिति की सांकेतिक संरचना	174
बॉक्स 5	जिला पंचायत में क्षेत्रीय कार्य समूहों की सांकेतिक सूची	176
बॉक्स 6	प्लास्टिक कचरा पुनःचक्रण केंद्र : उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की सफल पहल	197
बॉक्स 7	मुर्शिदाबाद जिला, पश्चिम बंगाल की खुले में शौच से मुक्ति संबंधी उपलब्धि	198
बॉक्स 8	सुल्तानपुर जिला पंचायत उत्तर प्रदेश द्वारा गाय देखभाल केंद्र (गौशाला) प्रबंधन	200
बॉक्स 9	केरल के त्रिशूर जिले में योजना सामंजस्य	226

अनुलग्नक सूची		
अनुलग्नक I:	जिला और खंड विकास योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा तय करने के लिए समिति से गठन संबंदी पंचायती राज मंत्रालय का आदेश	249
अनुलग्नक II	अतिरिक्त सदस्यों के साथ समिति के गठन संबंधी आदेश	251
अनुलग्नक III	मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली	253
अनुलग्नक IV	राज्यस्तर पर अधिरकार प्राप्त समिति की संरचना और कार्य	254

अनुलग्नक V	जिला स्तर पर समन्वय समिति के कार्य	256
अनुलग्नक VI	खंड स्तरीय समन्वय समिति के कार्य	258
अनुलग्नक VII A	बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख स्कीम	259
अनुलग्नक VII B	बीडीबी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की महत्वपूर्ण स्कीम	281
अनुलग्नक VII C	बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीम	283
अनुलग्नक VII D	बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए आयुष मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीम	301
अनुलग्नक VII E	बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग की महत्वपूर्ण स्कीम	304
अनुलग्नक VII F	बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए कृषि और कल्याण मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीम	321
अनुलग्नक VII G	बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग की महत्वपूर्ण स्कीम	332
अनुलग्नक VII H	बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीम	335
अनुलग्नक VII I	बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए जनजातीय विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीम	348
अनुलग्नक VII J	बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की महत्वपूर्ण	351

	स्कीम	
अनुलग्नक VII K	बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की महत्वपूर्ण स्कीम	355
अनुलग्नक VIII	मध्यवर्ती और जिला पंचायत स्तरों पर माहौल सृजन के लिए गतिविधियों की सूची	359
अनुलग्नक IX	समस्याओं की पहचान और विकासपरक विकल्पों के लिए स्थिति विश्लेषण	361
अनुलग्नक X	विकास स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर) की सांकेतिक रूपरेखा	363
अनुलग्नक XI	विशेष खंड सभा और जिला सभा में संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा मॉडल रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण	365
अनुलग्नक XII	गतिविधि मैपिंग प्रारूप	367
अनुलग्नक XIII	योजना गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए मॉडल प्रारूप	368
अनुलग्नक XIV	खंड विकास योजना की रूपरेखा	369
अनुलग्नक XV	खंड स्तर पर जन सूचना बोर्ड का डिजायन	373
अनुलग्नक XVI	जिला विकास योजना की रूपरेखा	374
अनुलग्नक XVII	जिलास्तर पर जनसूचना बोर्ड का डिजायन	378
संक्षिप्त पदक्रम (एव्रेविएशन)		**379**

अध्याय 1

खंड और जिला विकास योजना संदर्भ

"पंचायतें जितनी सशक्त होंगी, जनहित के लिये उतना ही अच्छा होगा।"

- महात्मा गांधी

1.1 पृष्ठभूमि

पंचायतें भारत की सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रही हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में अनूठा स्थानीय स्व-शासन उपलब्ध कराती है। संविधान के 73वें संशोधन से पंचायतों को एक समान रूपरेखा प्रदान की गयी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर स्व-शासन की संस्था के रूप में काम करने, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजना बनाने तथा केंद्र और राज्य सरकारों की योजनायें क्रियान्वित करने का अधिदेश लागू किया गया। यह संशोधन पंचायतों की तीन स्तर की व्यवस्था करता है - (i) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, (ii) खंड / सब-डिविजन / तालुक / मंडल स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत और (iii) जिला स्तर पर जिला पंचायत। इसके अलावा इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और एकसमान प्रशासनिक रूपरेखा प्रदान की। समय के साथ पंचायतें गतिशील संगठन के रूप में विकसित हुई हैं तथा ग्रामीण प्रशासन और विकास में महत्वपूर्ण य़ोगदान कर रहीं हैं। ये ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं हैं, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों ने अपने संबंधित क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी हैं।

ग्राम पंचायतें वर्ष 2015 से ही अपने संबंधित क्षेत्र के विकास के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना- जीपीडीपी बना रही हैं। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने वर्ष 2015 में ग्राम पंचायत स्तर की विकास योजना की तैयारी के लिये दिशा-निर्देश जारी किये। इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी राज्यों ने ग्राम पंचायत द्वारा जीपीडीपी की तैयारी के लिये अपने दिशा निर्देश तैयार किये। चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर

केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 से ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में बुनियादी सुविधांए उपलब्ध कराने के लिये अधिक अनुदान दिया। इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित जीपीडी के अनुसार किया जाना था। 2018 में पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों, सीआईआरडी और अन्य पक्षों के परामर्श से 'ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश' तय किए। व्यापक जीपीडीपी की तैयारी के लिए पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीम विकास मंत्रालय ने 2018 और 2019 में संयुक्त रूप से जन योजना अभियान-पीपीसी, 'सबकी योजना सबका विकास' (यानि हर एक की योजना और हर एक का विकास) थीम के तहत जारी किया। इन अभियानों ने जीपीडीपी की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किए।

पंचायती राज मंत्रालय ने पांचवें वित्त आयोग (एफएफसी) को सौंपे ज्ञापन में ग्राम पंचायतों के अलावा मध्यवर्ती पंचायत (आईपी) और जिला पंचायत (डीपी) के लिए भी अनुदानों की सिफारिश की थी। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने आईपी और डीपी को भी वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान का फैसला किया। पंचायती राज मंत्रालय ने आईपी और डीपी को मिले अनुदान के उपयोग के लिए मध्यवर्ती और जिला पंचायत योजना 2020 की तैयारी के दिशा-निर्देश जारी किए। हालांकि आईपी और डीपी द्वारा खंड विकास योजना और जिला विकास योजना की तैयारी के लिए व्यापक रूपरेखा तय करने की जरूरत समझी गई। इस संदर्भ में पंचायती राज मंत्रालय ने पत्र संख्या- M-11015/139/2020-CB, दिनांक 27 जुलाई 2020 (अनुलग्लक-I) द्वारा एक समिति गठित की। व्यापक विचार-विमर्श के उद्देश्य से समिति ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के अलावा राज्य सरकार, एसआईआरडी के कुछ प्रतिनिधियों के अलावा पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी सदस्य रूप में शामिल किया, ब्यौरा अनुलग्नक-II में उपलब्ध है। यह संभव हो सकता है कि खंड और मध्यवर्ती पंचायत के क्षेत्र समान न हों। हालांकि इस रूपरेखा में खंड, मध्यवर्ती पंचायत क्षेत्र के लिए है।

1.2 खंड और जिला स्तर पर योजना के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

‘243 जी. पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और दायित्व- संविधान के इन प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य की विधायिका कानून द्वारा पंचायतों को ऐसे अधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकती हैं जो उन्हें स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों और इन कानूनों में समुचित स्तर पर स्थितियों को स्पष्ट करने के आधार पर पंचायतों को शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का प्रावधान हो सकता है-

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी;

(ख) 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित योजनाओं सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन।”

इन प्रावधानों का उद्देश्य पंचायतों को अपने क्षेत्र में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायत के तीनों स्तरों को सशक्त बनाने में राज्य सरकारों को सक्षम करना है। इनमें कर लगाने के अधिकार और पंचायतों के लिए कोष के प्रावधान भी शामिल होंगे। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

बॉक्स 1 : संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय

1. कृषि, कृषि विस्तार सहित 2. भूमि सुधार, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, भूमि सुदृढीकरण और मृदा संरक्षण 3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और वॉटर शेड	11. पेयजल 12. ईंधन और चारा 13. सड़क, पुलिया, पुल, घाट, नौका सेवा जलमार्ग और संचार के अन्य साधन 14. ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजली वितरण सहित 15. ऊर्जा के गैर-पारंपरिक	21. सांस्कृतिक गतिविधियां 22. बाजार और मेले 23. स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद और औषधायल सहित

विकास 4. पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन 5. मत्स्य पालन 6. सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी 7. लघु वन उत्पाद 8. लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित 9. खादी, ग्रामीण और कुटीर उद्योग 10. ग्रामीण आवास	स्रोत 16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 17. शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित 18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा 19. वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा 20. पुस्तकालय	24. परिवार कल्यान 25. महिला और बाल विकास 26. सामाजिक कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से अशक्तों के कल्याण सहित 27. कमजोर वर्गों का कल्याण, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली 29. सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव

पंचायत के सभी तीन स्तरों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना का दायित्व अनिवार्य रूप से सौंपा गया है। योजना प्रक्रिया व्यापक और भागीदारी प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए जिसमें अन्य बातों के अलावा

संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/ संबंधित विभागों की योजनाओं के साथ पूरा तालमेल हो। पंचायतें ग्रामीण भारत में सार्थक बदलाव के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित योजनाओं के प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 243जी के माध्यम से ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्रमश: जीपीडीपी, बीडीपी और डीडीपी तैयार करने का दायित्व दिया गया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 डब्ल्यू राज्य सरकारों को अधिदेश देता है कि वे नगर-निगमों को 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों सहित अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजना बनाने और लागू करने की शक्तियां और अधिकार प्रदान करें। अध्याय-9, अनुच्छेद 243जेडडी राज्य सरकारों के लिए जिला योजना समितियों का गठन अनिवार्य बनाता है। इन समितियों को सभी पंचायतों और नगर निगमों द्वारा तैयार योजनाओं को समाहित कर मसौदा जिला विकास योजना तैयार करने का दायित्व दिया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान ने गांव से जिलास्तर तक विकेन्द्रीकृत योजना की ठोस रूपरेखा का प्रावधान किया है।

1.3 भारत में विकेन्द्रीकृत योजना

विकेन्द्रीकृत योजना, ऐसी योजना प्रक्रिया है जिसमें कुछ कार्य और निर्णय लेने का दायित्व प्रशासन की निचले स्तर की इकाईयों को सौंपा जाता है। इसके तहत योजना तैयार करने और क्रियान्वित करने के दोनों स्तरों पर समुदाय की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। यह जमीनी स्तर की योजना के रूप में भी जानी जाती है। योजना और विकास में सामुदायिक भागीदारी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मूल दर्शन था और यह स्वराज (स्व शासन) शब्द में सर्वोत्तम ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों के रूप में अभिव्यक्त है। अनुच्छेद

प्रावधान करता है कि **" राज्य, ग्राम पंचायत गठित करने के उपाय करेंगे तथा उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाईयों के रूप में काम करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों"।**

भारत में विकेन्द्रीकृत योजना कुछ क्षेत्रों में लंबे समय से लागू रही हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 में सुझाव दिया गया था कि योजना प्रक्रियाएं राज्य और जिला स्तर पर शुरू की जानी चाहिए। इसके बाद स्थानीय समुदायों को शामिल करने और खंड स्तर तक योजना लागू करने के लिए सामुदायिक विकास खंड स्थापित किए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण योजना की तैयारी और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के लिए जिला विकास परिषद गठित की गई। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कई राज्यों में ग्राम, खंड, जिला पंचायतें गठित की गई। इसके बाद 1969 में योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों को जिला योजना बनाने में सक्षम करने के लिए पहला जिला योजना दिशा-निर्देश जारी किया। (योजना आयोग 2008)

जैसा कि खंड 1.2 में उल्लेख किया जा चुका है कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय तथा योजना क्रियान्वयन के लिए विकेन्द्रीकृत योजना की औपचारिक रूपरेखा उपलब्ध कराई। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के तीनों स्तरों और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका स्तर पर विकेन्द्रीकृत योजना तथा जिला योजना समिति द्वारा इन योजनाओं के सुदृढीकरण के लिए मसौदा विकास योजना आरंभ की गई। इसके बाद पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठति श्री वी रामचंद्रण की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर तत्कालीन योजना आयोग ने 25-08-2006 को 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिला योजनाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। (योजना आयोग 2008)

2018 में "ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश" और 2018-19 में सबकी योजना, सबका विकास थीम के अंतर्गत जन योजना अभियान से जीपीडीपी की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। 15वें वित्त आयोग द्वारा आईपी और डीपी को धन उपलब्ध कराने के साथ

विकेन्द्रीकृत योजना और भी सुदृढ होगी और विशाल ग्रामीण भारत के हित में इसकी क्षमताओं का उपयोग किया जा सकेगा। इस संदर्भ में यह रूपरेखा आईपी और डीपी को अपने क्षेत्र में बीडीपी और डीडीपी के लिए आवश्यकता आधारित व्यापक योजना की तैयारी में सहयोग देगी।

1.4 ग्राम पंचायत विकास योजना

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243जी ग्राम पंचायतों को अपने भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए पंचायत, राज्य और केंद्र के सभी कार्यक्रमों को एकीकृत कर जीपीडीपी तैयार करने और लागू करने का अनिवार्य दायित्व सौंपता है। स्थानीय सरकार के रूप में ग्राम पंचायतें स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा आबादी के निर्धन और वंचित वर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार और राज्य सरकारों से अनुदान, जीपीडीपी 2018 की तैयारी से संबंधित व्यापक दिशा-निर्देश तथा 2018 और 2019 में दो लगातार जन योजना अभियानों तथा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान से इस उद्देश्य को और बल मिला है। अभियानों में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने, जीपीडीपी को अधिक व्यापक बनाने के लिए क्षमता निर्माण तथा समानता और समावेशीकरण से इसकी गुणवत्ता बढाया जाना भी इस उद्देश्य की पूर्ति में सहयोगी रहा है।

ग्राम पंचायत विकास योजना लोगों की आवश्यकताओं, बुनियादी सेवाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप होनी चाहिए। इन आकांक्षाओं की पूर्ति आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप प्राथमिकता क्रम से होनी चाहिए। जीपीडीपी की तैयारी जन-भागीदारी तथा समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए हो। योजना दीर्घावधि (संदर्शी योजना) (आदर्श रूप से पांच वर्ष की) होनी चाहिए। इसका क्रियान्वयन वार्षिक आधार पर संचालन योजना (वार्षिक कार्य योजना) के माध्यम से ग्राम सभा में तय प्राथमिकताओं के अनुसार होना चाहिए। वार्षिक योजना के क्रियान्वयन के बाद संदर्शी योजना की समीक्षा प्रदर्शन/फीडबैक/वार्षिक योजना लागू करने के परिणामों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए और

अगले वित्त वर्ष के लिए गतिविधियों/योजनाओं का प्राथमिकता क्रम फिर से तय करते हुए बदलाव किए जाने चाहिए। ग्राम पंचायत और उसकी समिति जीपीडीपी लागू करने की शुरूआत से इसके पूरा होने तक और फिर इसकी निगरानी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायतों को अपने संबंधित क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय का लक्ष्य हासिल करने के लिए योजना तैयार करने और लागू करने का अनिवार्य दायित्व सौंपा गया है, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है।

चित्र 1 : जीपीडीपी की तैयारी और क्रियान्वयन

(स्रोत : पंचायती राज मंत्रालय, 2018)

जीपीडीपी (पंचायती राज मंत्रालय-2018) की तैयारी के लिए निम्नलिखित कदम:

I. ग्राम पंचायत योजना सुविधा टीम (जीपीपीएफटी) का गठन। प्रत्येक ग्राम पंचायत को समूचे योजना प्रक्रिया की साझा समझ और सहूलियत तथा जीपीडीपी की प्रक्रिया शुरु करने और आगे ले जाने के लिए सक्रिय करना।

II. माहौल सृजन और समुदाय को गतिशील बनाना

III. प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संग्रह

IV. स्थिति विश्लेषण, आवश्यकता आकलन और अंतरालों का पता लगाना तथा विकास स्थिति रिपोर्ट तैयार करना।

V. लक्ष्य निर्धारित करने के लिए विचार-मंथन

VI. संसाधन और संबंधित गतिविधियों की पहचान/आकलन - विशेष ग्राम सभा

VII. योजना विकास, प्राथमिकता निर्धारण और अनुमान-आकलन

VIII. जीपीडीपी का अनुमोदन

IX. क्रियान्वयन, निगरानी और परिणाम विश्लेषण

1.4.1 जीपीडीपी की प्रक्रियाएं

जीपीडीपी योजना प्रक्रिया व्यापक और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए। इसका 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों (बॉक्स-1) से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के साथ पूरा सामंजस्य होना चाहिए। ग्रामीण भारत के सार्थक बदलाव के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित योजनाओं के प्रभावी और कुशल क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जीपीडीपी का योजना चक्र चित्र 2 में दर्शाया गया है।

चित्र 2 : जीपीडीपी योजना चक्र

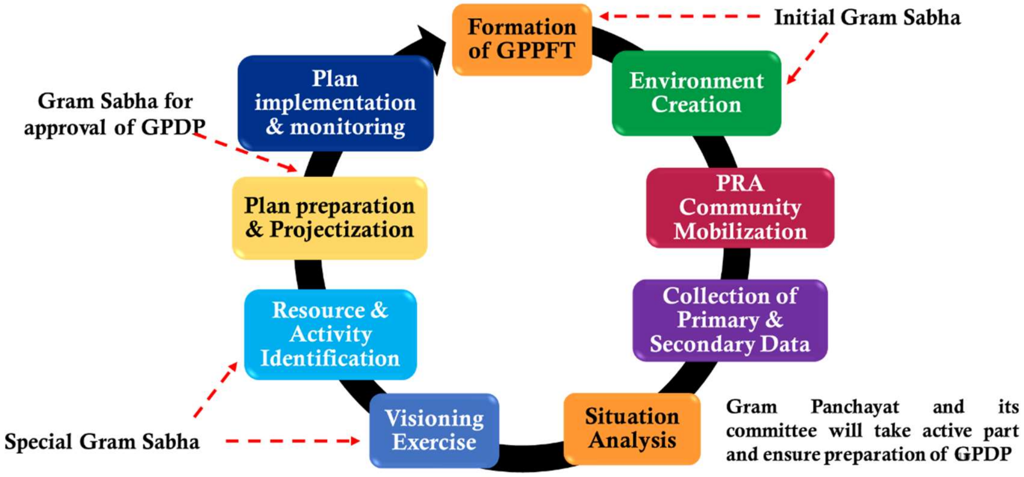

(स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय, 2018)

ग्राम पंचायत योजना सुविधा टीम (जीपीपीएफटी) का गठन- व्यापक भागीदारी, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और अधिकतम विकास लाभ प्राप्त करने के लिए लोक हितैषी/समर्पित/स्वैच्छिक मानव संसाधनों की सेवाएं ली जानी चाहिए जो ग्राम पंचायतों को एक समग्र और दूरदर्शी योजना की तैयारी में सहयोग दे सके। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान/सरपंच/ग्राम पंचायत प्रमुख की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत योजना सुविधा टीम गठित की जा सकती है। **यह टीम माहौल सृजन से लेकर योजना अनुमोदन के अंतिम चरण तक और बाद में इसके क्रियान्वयन और निगरानी तक सभी चरणों में सहयोग करेगी।** ग्राम पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय/संबंधित विभागों के प्रतिनिधि इस टीम के सदस्य होने चाहिए। इसके अलावा ग्राम पंचायत के नागरिक जो देश में या देश के बाहर कहीं अन्यत्र काम कर रहे हों/रह रहे हों उन्हें भी इस टीम का सदस्य बनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के सतत विकास के लिए ऐसे लोगों के ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। जिला/पड़ोसी जिले/राज्य/अन्य राज्य की ग्राम पंचायतों के जाने-माने और 'नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं' को भी टीम के विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में लिया जा सकता है। मौजूदा स्थायी समितियों और उपलब्ध मानव

संसाधनों का उपयोग करते हुए आवश्यकताओं के आधार पर जीपीपीएफटी को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कार्य समूह गठित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) जीपीपीएफटी का अनुदेशक होना चाहिए। सीआरपी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्राम रोजगार सेवक (जीआरएस) अनुदेशक के रूप में नामित किए जा सकते हैं।

माहौल सृजन- समुचित वातावरण तैयार करना और सामाजिक गतिशीलता लाना आवश्यक है। समुदाय के दृष्टिकोण में बदलाव लाने और उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए तत्पर करने में सामुदायिक और प्रशासन प्रणाली स्तर पर बदलाव महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जीपीडीपी प्रक्रिया की पहली गतिविधि ग्राम सभा के आयोजन की होनी चाहिए ताकि ग्रामवासियों में जागरुकता लाकर योजना प्रक्रिया शुरू की जा सके। जीपीपीएफटी को समुचित माहौल बनाने और ग्राम सभा में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए। ग्राम सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में पंचायत के सभी नागरिकों को शामिल करने के लिए महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ लोगों के लिए अलग ग्राम सभा, मुख्य ग्रामसभा की बैठक से पहले आयोजित की जा सकती है ताकि जीपीडीपी में उनके मुद्दे भी बेहतर ढंग से शामिल किए जा सके।

डेटा संग्रह- जीपीडीपी की तैयारी का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम पंचायत की विकास जरूरतों की पहचान और उन्हें पूरा करने के उपाय करना है। इसलिए ग्राम पंचायत में पहले से संकलित और उपलब्ध या अन्य द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त डेटा, जैसे जनगणना, सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (सीईसीसी), मिशन अंत्योदय, संबंधित विभागों और पूर्व जीपीडीपी सर्वे के प्रकाशित आंकड़े प्लानप्लस सॉफ्टवेयर (ई-ग्राम स्वराज में शामिल) में उपलब्ध हैं। ग्राम पंचायत, योजना की बेहतर तैयारी के लिए सत्यापन के बाद इनका उपयोग कर सकती है। प्राथमिक डेटा संग्रह भी, द्वितीयक डेटा की पुष्टि और इसे अद्यतन करने, अंतरालों को भरने और प्रत्येक परिवार के समग्र कवरेज के लिए जरुरी है ताकि परिवार के हर सदस्य की क्षमता के आधार पर व्यक्तिगत

परिवार विकास योजना बनाई जा सके। क्षेत्रवार डेटा संग्रह और संकलन रेखाचित्र 3 में दर्शाया गया है।

स्थिति आधारित विश्लेषण- स्थिति विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके जरिए समुदाय के मुद्दे और आवश्यकता तथा अंतराल, जहां कि हस्तक्षेप जरूरी है, की पहचान की जा सके। यह विश्लेषण ग्राम पंचायत की विकास स्थिति के आकलन से संबंधित है। यह बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं के अंतर के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, जो सुविधाएं वर्तमान में मौजूद हैं और जिनमें विकास की संभावना है। यह विश्लेषण जीपीडीपी में शामिल किए जाने वाले विषयों की प्राथमिकता तय करने का आधार बन सकता है। विश्लेषण, डेटा आधारित और लोगों की जानकारी से सत्यापित होना चाहिए।

रेखाचित्र 3 : क्षेत्रवार डेटा संग्रह और संकलन

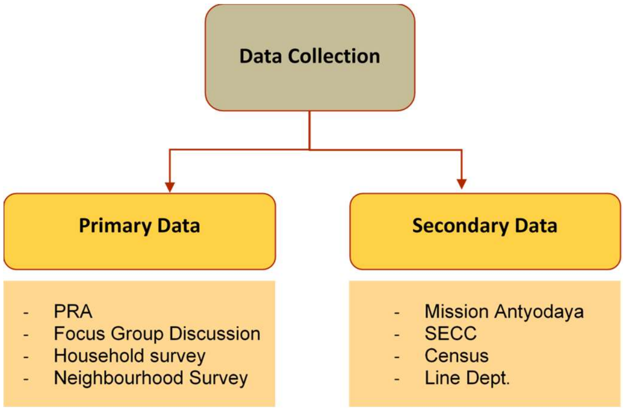

(स्रोत- पंचायती राज मंत्रालय, 2018)

विकास स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर)- स्थिति विश्लेषण पूरा हो जाने के बाद जीपीपीएफटी को ग्राम पंचायत की विकास स्थिति रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जिसे ग्राम सभा के समक्ष रखा जा सके ताकि लोग विशेष ध्यान वाले क्षेत्रों में समुदाय की वास्तविक स्थिति से परिचित हो सकें। डीएसआर ग्रामवासियों को निम्नलिखित मुद्दों की पहचान में मदद करता है:

- विभिन्न क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के विकास की स्थिति, उपलब्धियों, सीमाओं और विकास प्रयासों के अंतरालों के संदर्भ में।

- ग्राम पंचायत के विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सामंजस्य रणनीतियां
- अगले पंच वर्ष तक, वार्षिक आधार पर लिए जाने वाले विकास एजेंडा के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण
- वे मुद्दे जिनका समाधान ग्राम पंचायत सहित विभिन्न प्राधिकरणों और संस्थाओं के माध्यम से होना है।

योजना पूर्व विचार-विमर्श- विकास स्थिति रिपोर्ट-डीएसआर के निष्कर्षों के आधार पर योजना पूर्व विचार-विमर्श के लिए ग्राम सभा आयोजित की जाती है। यह विचार मंथन आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के संदर्भ में ग्राम पंचायत का विकास एजेंडा तय करने की प्रक्रिया है। यह इस बात का आकलन है कि स्थानीय लोग अगले पांच वर्ष और बाद के वर्षों के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या कार्य चाहते हैं। यह विचार विमर्श योजना की तैयारी में व्यावहारिकता लाता है और लोगों को योजना प्रक्रिया में भागीदारी की अनुभूति कराता है।

योजना के लिए संसाधन- संसाधन केवल वित्तीय संसाधनों तक ही सीमित नहीं है। ग्राम पंचायत को सभी प्रकार के संसाधनों की जानकारी होनी चाहिए और जीपीडीपी के माध्यम से इनके उपयोग से अवगत होना चाहिए। इसलिए इन प्रमुख संसाधनों की पहचान योजना प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है। व्यापक रूप से इन संसाधनों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में रखा जा सकता है :

I. **सामाजिक संसाधन-** समुदाय में संस्थागत क्षमता, शांति, सामाजिक मेल मिलाप/एकता
II. **प्राकृतिक संसाधन-**भूमि, वन, जल, वायु और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध अन्य सभी संसाधन
III. **मानव संसाधन-** ग्राम पंचायत क्षेत्र में रह रहे लोग, क्षेत्र से किसी अन्य रूप में, जीपीपीएफटी, महिला स्वसहायता समूह से जुड़े लोग
IV. **वित्तीय संसाधन-** ग्राम पंचायत के वित्तीय संसाधन का निर्धारण राज्य द्वारा किया जा सकता है, सांकेतिक सूची इस प्रकार है:

i. अपना राजस्व स्रोत (ओएसआर)- पिछले तीन वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत ii. एफएफसी अनुदान iii. एसएफसी अनुदान iv. मनरेगा v. ग्राम पंचायत को सौंपी गई अन्य सीएसएस और राज्य योजनाएं	vi. वे योजनाएं जिनके लिए राशि अंतरित नहीं होने के बावजूद ग्राम पंचायत निर्णय लेती है। vii. स्वैच्छिक अंशदान (नकद, वस्तु और श्रम के रूप में)-राज्य समुचित आंकड़ा निर्धारित कर सकते हैं। viii. सीएसआर निधि, यदि ग्राम पंचायत को उपलब्ध हो। ix. बैंकिंग क्षेत्र/ समान बैंक वित्त उपलब्धता के माध्यम से उपलब्ध राशि।

विशेष ग्राम सभा और संबंधित विभाग के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की भागीदारी- प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संकलन, अंतराल विश्लेषण, योजना पूर्व विचार, संसाधनों के आकलन और संबंधित गतिविधियों की पहचान के बाद निर्धारित रूपरेखा में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जा सकती है। इस विशेष ग्राम सभा में विकास संबंधी सभी आवश्यकताओं और अंतरालों के बारे में विचार-विमर्श होना है। अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता मौजूदा वर्ष में लागू की जाने वाली गतिविधियों की प्रगति के बारे में ग्रामसभा के समक्ष, विभाग की गतिविधियों और सार्वजनिक प्रतिक्रिया से संबंधित संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण देंगे। इस दौरान प्राप्त कोष के उपयोग और योजनावधि के लिए प्रस्तावित गतिविधियों और इनके लिए जीपीडीपी में आवंटित राशि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद ग्राम संगठनों/स्व सहायता समूहों को ग्राम सभा के समक्ष गरीबी में कमी लाने की योजना के बारे में प्रस्तुतिकरण के लिए कहा जाएगा। विचार-विमर्श के बाद यह योजना जीपीडीपी में शामिल की जा सकती है।

मसौदा जीपीडीपी की तैयारी- डीएसआर पर ग्रामसभा में विचार-विमर्श के बाद प्राथमिकता क्रम के निर्धारण और संसाधनों पर विचार करते हुए मसौदा जीपीडीपी तैयार किया जाएगा। योजना का मसौदा सभी प्रमुख क्षेत्रों में चिन्हित कार्यों, कोष आवंटन, कार्य पूरा करने की समयसीमा पर ध्यान देते हुए तैयार किया जाएगा। विकास योजना तैयार करते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मसौदा योजना में पंचायती क्षेत्र में लागू की जाने वाली गतिविधियों के प्राथमिकता क्रम का निर्धारण और अनुमानित लागत भी शामिल होनी चाहिए। विकास संगोष्ठी में मसौदा योजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। विकास संगोष्ठी से प्राप्त प्रतिक्रियाओं और सुझावों को शामिल करने के बाद ग्राम सभा की विशेष बैठक जीपीडीपी पर विचार-विमर्श और इसे अंतिम रूप देने के लिए बुलाई जाती है। (पंचायती राज मंत्रालय, 2018)

1.4.2 जीपीडीपी के लिए जनयोजना अभियान

भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए 2018 और 2019 में "सबकी योजना, सबका विकास" थीम के अंतर्गत संयुक्त रूप से जन योजना अभियान (पीपीसी) का शुभारंभ किया। जीपीडीपी योजना प्रक्रिया का लक्ष्य ग्रामीण भारत के समक्ष इन अंतर्संबंधित आयामों में आने वाली विकास चुनौतियों का समाधान करना है:

- **आर्थिक आयाम :** गरीबी हटाना और रोजगार के अवसर सृजित करना। निर्धन और कम आय वाले ग्रामीण परिवारों को देश की आर्थिक विकास प्रक्रिया में भागीदारी और लाभ उठाने का अवसर प्रदान करना और क्षमता निर्माण उपलब्ध कराना।
- **सामाजिक आयाम :** निर्धन और कम आयवर्ग के परिवारों तथा सुविधा वंचित समूहों का सामाजिक विकास, समाजिक संकेतकों में असमानताओं को दूर करना, स्त्री-पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

देना तथा कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सहित निर्धन और कम आय वर्ग के लोगों को ग्राम स्तर पर पंचायत प्रक्रिया में समान भागीदारी का अवसर उपलब्ध कराना।

इस अभियान ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन-डीएवाई-एनआरएलएम के तहत 31 लाख निर्वाचित पंचायत सदस्यों और 5 करोड़ 25 लाख स्व-सहायता समूह की महिलाओं की ग्राम सभा में भूमिका मजबूत की है। ग्राम पंचायतो में लगाए गए जन-सूचना बोर्ड से ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विकास के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के उपयोग के बारे में पारदर्शिता आई है। सामाजिक और आर्थिक विकास के आधार पर ग्राम पंचायत की रैंकिंग से, जैसा कि मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों के लिए किया गया, गांवों और ग्राम पंचायत के स्तर पर अंतरालों की पहचान करने और प्रणालीबद्ध समुचित योजना लागू करने में मदद मिली है। “सबकी योजना, सबका विकास” के अंतर्गत शुरू किया गया अभियान पंचायती राज संस्थाओं और संबंधित विभागों के बीच सामंजस्य के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर योजना लागू करने में एक सुविचारित प्रयास साबित हुआ। जन योजना अभियान-पीपीसी-II 2019 में 2 अक्तूबर से 31 दिसंबर तक लागू किया गया। इसका उद्देश्य था वर्ष 2020-21 के लिए व्यापक जीपीडीपी की तैयारी। अभियान का ठोस परिणाम रहा कि देश की अधिकांश ग्राम पंचायतों ने समयबद्ध ढंग से जीपीडीपी की तैयारी कर ली। यह अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया गया। पीपीसी के महत्व का संज्ञान लेते हुए दो अभियानों (पीपीसी-I और पीपीसी-II) के दौरान इसकी प्रगति का विश्लेषण उचित है।

तैयारी संबंधी गतिविधियां : पीपीसी-I ने “सबकी योजना, सबका विकास” अभियान की आधारशिला रखी।

- अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए एक केंद्रीय पोर्टल (www.gpdp.nic.in) शुरू किया गया।

- राज्य, जिला और खंड स्तर पर ग्राम सभा की सहायता के लिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुदेशकों के साथ, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
- 29 विषयों से संबंधित सभी विभागों के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को निर्धारित दिवसों पर ग्राम सभा की बैठकों में संबंधित प्रस्तुतिकरण के लिए कहा जाएगा।
- आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने और किसी की तकनीकी मुद्दे के समाधान के लिए पंचायती राज मंत्रालय में विशेष पीएमयू की स्थापना की गई।
- जीपीडीपी के लिए विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन।
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से समुचित माहौल सृजन।

पीपीसी-I और पीपीसी-II के अनुभवों के आधार पर बाद में ये बिंदु शामिल किए गए:

- मंत्रालयों और विभागों की भूमिका और दायित्वों का समुचित निर्धारण।
- अनुदेशकों की भूमिका और दायित्व भी स्पष्ट किए गए।
- केंद्र, राज्य और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न गतिविधियों की समय-सीमा भी निश्चित की गई।
- अभियान की निगरानी के लिए प्रभावी संचार प्रणाली की व्यवस्था की गई।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों को "बदलाव के एजेंट" के रूप में शामिल कर और जागरूक बनाकर माहौल सृजित करने पर विशेष बल दिया गया।

मिशन अंत्योदय (एमए) सर्वेक्षण- दोनों पीपीसी अभियानों में मिशन अंत्योदय सर्वे के जरिए अंतरालों की पहचान और आकलन जीपीडीपी की तैयारी में महत्वपूर्ण साबित हुआ। पीपीसी-II में मिशन अंत्योदय सर्वे का दायरा बढ़ाकर मापक पैमानों की संख्या 146 (अनुलग्नक- III) कर दी गई। इस प्रकार 29 विषयों से संबंधित बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास और आर्थिक विकास

से संबंधित अंतरालों को कवर किया गया। तैयार जीपीडीपी और पीपीसी-I में, अंत्योदय सर्वे निष्कर्षों के आधार पर मिले अंतरालों के बीच संपर्क न रहने के कारणों पर विचार करते हुए, प्लान प्लस को पुनर्गठित किया गया। पीपीसी-II में ग्राम पंचायतों द्वारा जीपीडीपी की तैयारी के लिए अंत्योदय सर्वे के आकलन को आधारभूत डेटा के रूप में इस्तेमाल किया गया। प्रत्येक पंचायतों को अनिवार्य रूप से जीपीडीपी में शामिल की जाने वाली गतिविधियों को अंत्योदय सर्वे से मिले अंतरालों से जोड़ने को कहा गया।

पीपीसी 2018 और 2019 की उपलब्धियां- 2018 में पीपीसी अभियान 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक चलाया गया। इसका परिणाम 2 लाख 40 हजार, दो सौ बीस ग्राम पंचायतों द्वारा जीपीडीपी की तैयारी के रूप में सामने आया। प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- आयोजित विशेष ग्रामसभाएं - 2,45,588
- शामिल अनुदेशकों की संख्या- 3,35,370
- मिशन अंत्योदय सर्वे- 2,47,910
- ग्राम सभाओं में भाग लेने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की संख्या- 10,83,541
- जनसूचना बोर्डों की संख्या- 1,94,730

2019 में भी यह अभियान 28 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों में सफलता पूर्वक लागू किया गया। इसका परिणाम दो लाख 29 हजार एक सौ 89 ग्राम पंचायतों की जीपीडीपी तैयारी के रूप में सामने आया। 23 जुलाई तक की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है।

- आयोजित विशेष ग्रामसभाएं - 2,79,827
- शामिल अनुदेशकों की संख्या- 2,89,110
- मिशन अंत्योदय सर्वे- 2,38,854

- ग्राम सभाओं में भाग लेने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की संख्या- 13,20,297
- जनसूचना बोर्डों की संख्या- 2,02,187

वर्ष 2019 के दौरान पीपीसी में विभागीय कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी और योजनाओं के संबंध में संबंधित विवरण साझा करने का परिणाम वर्ष 2020-21 के लिए जीपीडीपी की तैयारी में नियोजित गतिविधियों के बेहतर आवंटन के रूप में सामने आया। इसमें जन योजना अभियान से पहले तैयार जीपीडीपी की तुलना में, 29 क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियां शामिल की गई। विशेष रूप से स्वच्छता, पेयजल, कृषि क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां।

रेखाचित्र 4 : प्लान प्लस पर वर्ष 2019-20 के जीपीडीपी की राज्यवार अपलोडिंग

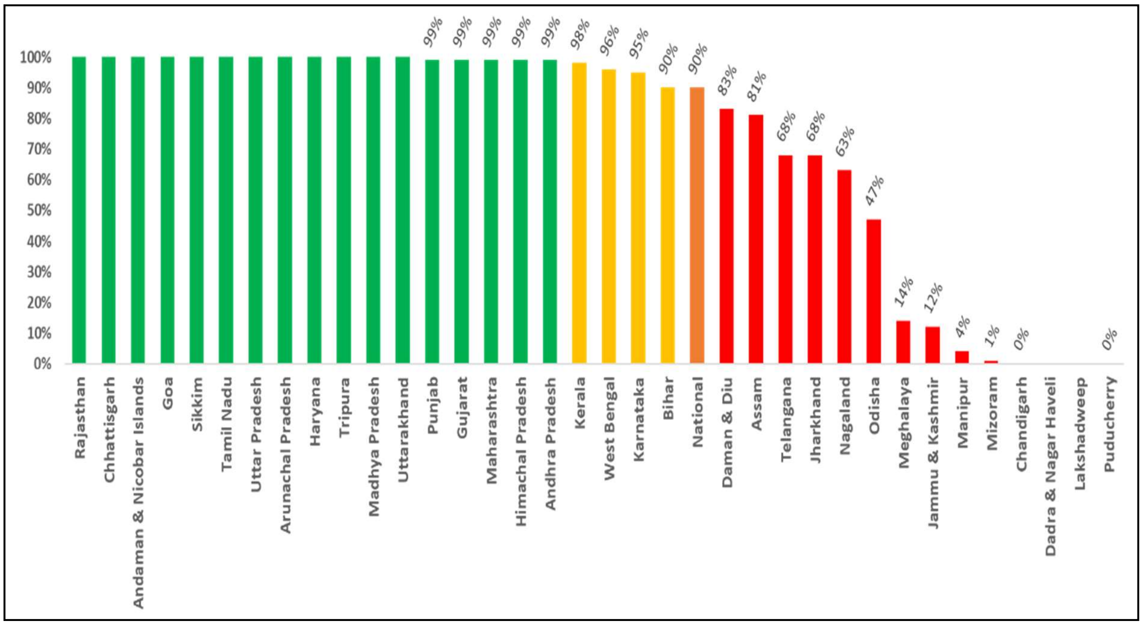

रेखाचित्र 5 : ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष 2020-21 के जीपीडीपी की राज्यवार अपलोडिंग (पूर्व प्लान प्लस)

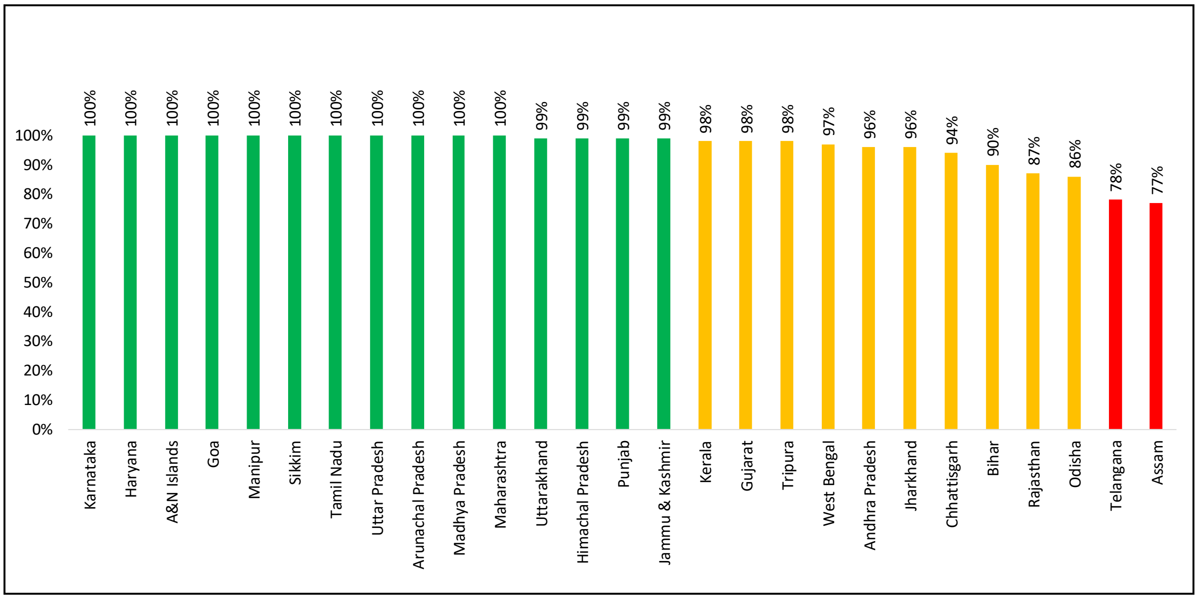

रेखाचित्र 6 : पीपीसी-2018 और पीपीसी 2019 के निष्कर्ष के अनुरूप क्षेत्रवार नियोजित गतिविधियां

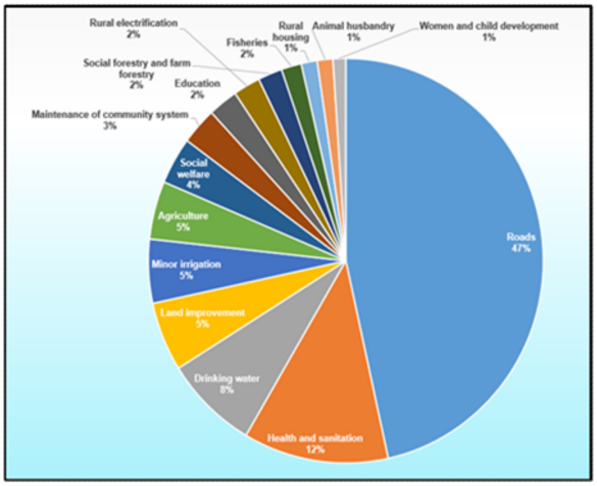

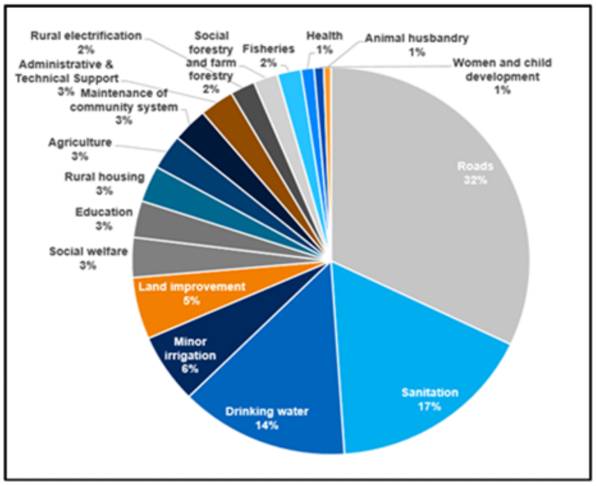

1.4.3 जीपीडीपी की स्थिति

जैसा कि पूर्व के खंड में उल्लेख किया जा चुका है कि देश की सभी ग्राम पंचायतों ने जीपीडीपी की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन जीपीडीपी की गुणवत्ता में अंतर है। जीपीडीपी दिशा-निर्देश 2018, मिशन अंत्योदय पर विशेष ध्यान, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए आरजीएसए से सहयोग-समर्थन, दो लगातार पीपीसी, पुरस्कारों के जरिए प्रोत्साहन और पंचायती राज मंत्रालय और राज्यों की सतत निगरानी के संयुक्त प्रभाव से पिछले दो वर्ष के दौरान जीपीडीपी की तैयारी में संख्या और गुणवत्ता दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। वर्ष 2019-20 में 2 लाख 40 हजार दो सौ 20 ग्राम पंचायतों ने (कई राज्यों में शत-प्रतिशत, जैसा कि रेखाचित्र-4 में दर्शाया गया है।) प्लान प्लस पर तैयार जीपीडीपी अपलोड की। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दो लाख 29 हजार 189 तैयार जीपीडीपी, 23 जुलाई 2020 तक ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की गई है।

यह स्पष्ट है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान पंचायती राज मंत्रालय के सॉफ्टवेयर पर अपलोड जीपीडीपी की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्ष में गतिविधियों और संसाधनों की संख्या तीन गुणा बढ़ी है (तालिका-1)। क्षेत्रीय आवंटन में भी महत्वपूर्ण सुधार है (रेखाचित्र-5)। सामूहिक और सम्मिलित प्रयासों से जीपीडीपी केंद्रित विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रामीण औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक विकास और आय में वृद्धि तथा किसानों की आय दोगुनी करना और निर्धनता उन्मूलन, सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करना, खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा बनाए रखना, जल प्रबंधन इत्यादि ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनका समाधान पंचायतों के जरिए किया जाना है।

तालिका 1: पिछले छह वर्ष में जीपीडीपी में हुई प्रगति

वर्ष	प्लान प्लस पर जीपीडीपी	कुल गतिविधियां	कुल संसाधन (करोड़ रुपए में)	औसत गतिविधि	औसत निधि (लाख रूपए में)
2015-16	59,491	4,65,713	10,680.28	7.83	17.95
2016-17	1,95,215	21,02,668	42,509.79	10.77	21.78
2017-18	2,17,542	41,82,923	86,660.70	19.23	39.84
2018-19	2,14,871	40,50,601	83,560.00	18.85	38.89
2019-20	2,40,195	57,47,951	1,32,877.00	23.93	55.32
2020-21	2,43,869	68,43,106	1,35,662.45	28.06	55.62

1.5 मध्यवर्ती और जिला पंचायतों द्वारा योजना तैयारी

जैसा कि खंड 1.2 में विस्तार से स्पष्ट किया गया है, पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना की तैयारी तथा अपने क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का अनिवार्य दायित्व दिया गया है। इसलिए खंड और जिला स्तर पर योजना की तैयारी मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायतों को भागीदारी प्रक्रिया से करनी चाहिए। इसमें संविधान की 11वीं सूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित योजनाओं सहित केंद्र और राज्य सरकारों की विकास योजनाओं को पूरी तरह शामिल किया जाएगा। इसलिए आईपी और डीपी को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श कर उनकी तैयारी और क्रियान्वयन का दायित्व पूरा करना चाहिए, जैसा कि रेखाचित्र-1 में दर्शाया गया है। विभिन्न राज्यों ने आईपी और डीपी को अपनी योजनाएं तैयार करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनकी प्रक्रिया, रूपरेखा और प्रणाली में व्यापक अंतर है। कुछ राज्यों के पास खंड और जिला स्तर पर योजना की सुव्यवस्थित प्रणाली है। लेकिन अधिकांश राज्यों को प्रणालीबद्ध ढंग से खंड और जिलास्तरों पर योजना को मजबूत किए जाने की जरूरत है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति के बाद भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने "मध्यवर्ती और जिला पंचायत योजनाओं की तैयारी संबंधी दिशा-निर्देश" जारी किए हैं (पंचायती राज मंत्रालय 2020)। इसके अनुसार राज्यों ने भी अपने दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं। पंचायती राज मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं (पंचायती राज मंत्रालय 2020) :

i. मध्यवर्ती पंचायतों में सभी खंड/मध्यवर्ती पंचायत सदस्यों, खंड पंचायत क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्यों, संबंधित खंड में सभी ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों/सरपंचों की बैठक/संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। इस बैठक को ब्लॉक सभा कहा जाएगा।
ii. ब्लॉक सभा की बैठक में निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा ब्लॉक स्तर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, अनुदेशक स्व-सहायता समूह परिसंघों के नेता भी भाग लेंगे।
iii. जिला पंचायतों में सभी जिला पंचायत सदस्यों, खंड पंचायत अध्यक्षों, ग्राम पंचायत अध्यक्षों/सरपंचों और संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक, जिला योजना में शामिल प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के लिए, बुलाई जाएगी।
iv. खंड पंचायत और जिला पंचायतों के परियोजनागत प्रस्ताव, जिन्हें योजना में शामिल किया जाना है, निर्धारित रूपरेखा में तैयार किए जाएंगे और विचार-विमर्श के लिए संबंधित पक्षों को वितरित किए जाएंगे। खंड पंचायतों के मसौदा प्रस्तावों पर ग्राम पंचायत आधार और जिला पंचायत के प्रस्तावों पर खंड पंचायत आधार पर विचार-विमर्श होगा और विचार-विमर्श के बाद इन पर निर्णय लिया जाएगा।
v. आईपी और डीपी के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार प्रस्ताव संबंधित आईपी और डीपी में आयोजित बैठक/संगोष्ठी/कार्यशाला में रखे जाएंगे और इन पर विचार-विमर्श होगा।

vi. महत्वपूर्ण स्कीमों को शामिल करने को समुचित प्राथमिकता दी जाएगी।

1.6 स्थानीय भागीदारी योजना को समर्थ बनाना

पिछले 25 वर्षों में भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पंचायतों को विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजनाएं तैयार करने में समर्थ बनाने के संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के कई उपाय किए हैं। जैसा कि खंड 1.4 में स्पष्ट किया गया है। ग्राम पंचायत विकास योजनाएं भागीदारी के आधार पर तैयार की जा रही हैं। जीपीडीपी ने भागीदारी योजना के लिए ठोस आधारशिला रखी है। आई और डीपी को सभी पक्षों की सक्रिय भागीदारी, विशेष रूप से वंचित और कमजोर वर्गों की भागीदारी के साथ जीपीडीपी पहल में शामिल होने की जरूरत है। आईपी और डीपी को अनुदान देने की 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और 2020-21 से बीडीपी और डीडीपी तैयार करने की भारत सरकार के निर्णय इस दिशा में प्रभावी कदम साबित हुए हैं।

1.7 उभरते मुद्दे और चुनौतियां

वर्तमान समय में देश में कुछ ऐसे खंड और जिले हैं जिनमें व्यापक और एकीकृत योजनाएं तैयार की जा रही हैं। आईपी और डीपी द्वारा व्यापक ढंग से बीडीपी और डीडीपी तैयारी की नई पहल को गहन क्षमता निर्माण और एकजुटता से बढ़ावा देना होगा। इसलिए बीडीपी और डीडीपी के जरिए ग्रामीण बदलाव का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों की पहचान और समाधान जरुरी है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे और चुनौतियां इस प्रकार हैं:

I. बुनियादी ढांचा निवेश पर अत्यधिक बल।

II. पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और स्व सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच तालमेल से सामाजिक पूंजी जुटाने की गुंजाईश बढ़ाना।

III. स्त्री-पुरुष समानता, बाल समस्याएं, वंचित वर्गों, वरिष्ठजन और दिव्यांगजन की जरूरतों की पूर्ति।
IV. कुपोषण की रोकथाम।
V. मजबूत निगरानी प्रणाली की आवश्यकता, एमआईएस तथा योजना और क्रियान्वयन में पारदर्शिता ।
VI. योजना प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाना।
VII. व्यापक और एकीकृत योजनाओं की तैयारी में ईआर तथा आईपी और डीपी कार्यकर्ताओं का अनुभव और क्षमता निर्माण।
VIII. पंचायती राज संस्थाओं की संस्थागत क्षमता तथा ईआर और कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता बढाना।
IX. संबंधित विभाग के कर्मचारियों के तटस्थ दृष्टिकोण में सुधार लाना।
X. पीआरआई और संबंधित विभागों की पहलों के बीच तालमेल बिठाना।
XI. सार्थक योजना के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना।
XII. पंचायत के तीनों स्तरों के बीच समन्वय बढाना।
XIII. सामाजिक लेखांकन की व्यवस्था।
XIV. कोविड-19 के कारण गतिशीलता पर अंकुश से विभिन्न पक्षों की बैठक और पंचायत के तीनों स्तरों की संगोष्ठियों में भागीदारी पर असर।

आईपी और डीपी को अपनी योजनाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत है, ताकि प्रभावी विकेन्द्रीकृत भागीदारी योजना के माध्यम से ग्रामीणों की विकास आकांक्षाएं पूरी की जा सकें।

1.8 प्रखंड और जिला विकास योजनाओं की तैयारी के लिए रूपरेखा की आवश्यकता

बीडीपी और डीडीपी की तैयारी और प्रबंधन के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वर्तमान में इन योजनाओं में निम्नलिखित कारणों से सुधार की जरूरत है।

- क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं का सही पता लगाने की सटीक प्रणाली उपलब्ध नहीं है।
- आर्थिक विकास और आय वृद्धि, कृषि, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, पशुपालन, कौशल इत्यादि प्रमुख क्षेत्रों की अल्प भागीदारी।
- अधिकांश राज्यों में केंद्र और राज्यो सरकार की योजनाओं के बीच कोई तालमेल नहीं।
- खंड और जिला पंचायतों ने 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में से केवल कुछ विषयों पर ध्यान दिया है।
- क्षेत्र में अन्य पंचायतों द्वारा विकास गतिविधियों की संचालन प्रणाली शुरु किया जाना।
- पंचायत के तीनों स्तर अलग-थलग काम कर रहे हैं। खंड और जिला विकास योजनाओं में जीपीडीपी की समीक्षा नहीं।
- ई-ग्राम स्वराज पर जिला और खंड योजनाओं को अपलोड किया जाना और पीएफएमएस के जरिए व्यय सुनिश्चित किया जाना होगा।

इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि प्रत्येक राज्य ने दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं/जारी कर दिए हैं, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को पिछले खंड में उल्लिखित नई चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक उपाए सुझाने और सहयोग देने की जरूरत समझी है। सभी ग्राम पंचायतें जीपीडीपी की तैयारी में सक्षम हो चुकी हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि पंचायत के अन्य दोनों स्तरों- मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत तक योजना प्रक्रिया बढाई जाए तथा जिला योजना समिति द्वारा जिला विकास योजना का मसौदा तैयार किया जाए। इसलिए आईपी और डीपी द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में बीडीपी और डीडीपी के लिए एकीकृत योजना प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए एक समुचित रूपरेखा आवश्यक है।

ग्राम पंचायतें मानव संसाधन, बुनियादी और संस्थागत क्षमता की सीमाओं के कारण केवल उन्हीं गतिविधियों की योजना बना सकती हैं और लागू कर सकती हैं जिनका क्रियान्वयन और निगरानी उनके लिए संभव हो। मध्यवर्ती पंचायत मानव शक्ति, बुनियादी और संस्थागत क्षमता की सामान्य स्थिति के कारण मध्यम प्रकार की गतिविधियां संचालित कर सकती हैं। जिला पंचायत मानव शक्ति और ढांचागत क्षमता में अपनी बेहतर स्थिति से मध्यम से लेकर बड़ी गतिविधियां क्रियान्वित कर सकती हैं। तकनीकी और निवेश दृष्टिकोण से आईपी और डीपी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसी गतिविधियां आरंभ की जाएं जिनके लिए उच्च तकनीकी विशेषज्ञता और निवेश उपलब्ध हों।

1.9 रूपरेखा की संरचना

महानिदेशक (एनआईआरडी&पीआर), महानिदेशक (केआईएलए) तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और एसआईआरडी के चुने हुए प्रतिनिधियों सहित अनेक विशेषज्ञों के सहयोग से बीडीपी और डीडीपी की रूपरेखा तैयार करने के प्रयास किए गए। इसका उद्देश्य संबंधित स्तरों पर व्यापक और एकीकृत योजना पर ध्यान केंद्रित करना है। इस रूपरेखा में 11 अध्याय शामिल हैं। संवैधानिक प्रावधान, जीपीडीपी प्रक्रियाएं, स्थिति और जन योजना अभियान, उभरती चुनौतियां तथा बीडीपी और डीडीपी की तैयारी के लिए इस रूपरेखा की आवश्यकता पहले अध्याय में वर्णित की गई है। बीडीपी और डीडीपी के महत्व की व्याख्या दूसरे अध्याय में की गई है। इस अध्याय में पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में बीडीपी और डीडीपी के लिए विशेष प्रक्रियाओं तथा जिला और खंड स्तरों पर भागीदारी योजना के लिए पंचायत और स्व सहायता समूहों के बीच तालमेल की आवश्यकता का भी उल्लेख है। तीसरे अध्याय में खंड और जिला स्तरों पर योजना की सुविधा के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए जरूरी उपायों को रेखांकित किया गया है। चौथा अध्याय रूपरेखा की अवधारणा में बीडीपी और डीडीपी के एकीकरण से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों, थीम और मुद्दों के बारे में है। यह विकास आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए

जीपीडीपी और अंत्योदय मिशन डेटा के मिलान और सामूहिक प्रयासों से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों की महत्वपूर्ण योजनाओं का भी वर्णन करता है। पांचवे अध्याय में मध्यवर्ती पंचायतों द्वारा खंड विकास योजना की तैयारी के लिए संस्थागत प्रबंध, प्रणाली, प्रारूप, द्वितीयक डेटा स्रोत इत्यादि शामिल हैं। इसी प्रकार छठे अध्याय में जिला पंचायत द्वारा जिला विकास योजना की तैयारी के लिए संस्थागत प्रबंध, प्रणाली, प्रारूप और द्वितीयक डेटा स्रोत इत्यादि सम्मिलित हैं। सातवां अध्याय बीडीपी और डीडीपी की तैयारी के लिए क्षमता निर्माण रूपरेखा उपलब्ध कराता है। गैर-भाग नौ क्षेत्र में बीडीपी और डीडीपी की तैयारी से संबंधित मुद्दे आठवें अध्याय में लिए गए हैं। जिला योजना समिति द्वारा अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुरूप मसौदा विकास योजना की तैयारी की व्याख्या नौवें अध्याय में की गई है। दसवां अध्याय बीडीपी और डीडीपी के क्रियान्वयन और निगरानी प्रक्रिया का वर्णन करता है। बीडीपी और डीडीपी के लिए ई-ग्राम स्वराज और जीआईएस से जुड़े बिन्दुओं की व्याख्या 11वें अध्याय में की गई है।

अध्याय-2

खंड और जिला स्तरों पर आयोजना का महत्व

केंद्र सरकार द्वारा 1952 में पायलट आधार पर सामुदायिक विकास खंडों के शुभारंभ के साथ खंड विकास की अवधारणा लागू की गई। 1956 में इसका विस्तार पूरे देश में कर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) ने भी सुझाव दिया था कि आयोजना कार्य राज्य और जिला स्तरों पर भी लागू किया जाना चाहिए। आरंभ में कृषि गतिविधियों को मजबूत करने और साठ के दशक में हरित क्रांति पहल की आरंभिक भूमिका के लिए एक मंच के तौर पर इसके उपयोग पर जोर दिया गया। हालांकि, कृषि के अलावा जिन अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण संचार क्षेत्र में प्रणालीबद्ध सुधार तथा गांव के आर्थिक विकास से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल थे। 1964 तक पूरे देश में यह योजना लागू हो गई और इसके बाद से खंड विकास की अवधारणा को महत्व दिया जाने लगा। मध्यवर्ती स्तर पर एकीकरण प्रक्रिया जारी रखने के लिए खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) का पद प्रखंड स्तर पर सृजित किया गया, जो उप जिलास्तर पर प्रशासन का द्वितीय स्तर था। बीडीओ को तकनीकी कर्मचारी भी उपलब्ध कराए गए जैसे कि कृषि विकास अधिकारी और पंचायत विकास अधिकारी जिन्होंने खंड स्तर पर ग्रामीण विकास गतिविधियों में तालमेल स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई।

पहले प्रशासनिक सुधार आयोग (1967) ने जिलास्तर पर सार्थक योजना की आवश्यकता पर बल दिया, विशेषकर विकास की रूपरेखा में स्थानीय विभिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। देश में तकनीकी सहयोग सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुविधाओं से जिलास्तर पर योजना की तैयारी और क्रियान्वयन की स्थिति बेहतर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना ने विकासात्मक आयोजना के महत्वपूर्ण चरण में जिला योजना की अवधारणा सामने रखी (योजना आयोग, 2008)।

संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों ने जिला योजना समितियों द्वारा एकीकरण के साथ-साथ पंचायतों और नगरपालिका द्वारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने को अनिवार्य कर दिया। इन पहलों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर योजनाओं की तैयारी में समुदायों को शामिल करना था ताकि वास्तविक जरुरतों और मांगों का पता लगाने के साथ-साथ सभी प्रकार के स्थानीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सके। इन पहलों ने वंचित और कमजोर वर्गों तथा महिलाओं और बच्चों सहित समाज के व्यापक हिस्से की जरूरतों की पूर्ति के लिए साधन उपलब्ध कराये। भारत सरकार विकेन्द्रीकृत योजना के आधार पर स्कीमों को लागू कर रही है, जैसे क्षेत्रीय असंतुलन कम करने, पिछड़े जिलों में गरीबी उन्मूलन में योगदान तथा जवाबदेह और जिम्मेदार पंचायत और नगरपालिका को बढावा देने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (पंचायती राज मंत्रालय-2007)। ग्राम पंचायतों को अधिक अनुदान उपलब्ध कराने की 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद देशभर की ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अनिवार्य कर दी गई। इस प्रकार ग्राम पंचायत के लिए अधिक राशि के साथ बिल्कुल निचले स्तर से उपर तक की आयोजना प्रक्रिया सुनिश्चित हुई। एक प्रकार से इस व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत आयोजना प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने का अवसर प्रदान किया। हालांकि देश के कई राज्यों में खंड और जिला स्तरों पर योजना प्रक्रिया में कई कमजोरियां मौजूद हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकेन्द्रीकृत योजना को और मजबूत किए जाने की जरूरत है।

2.1 व्यापक विकेन्द्रीकृत योजना की आवश्यकता

भारतीय संविधान और राज्य पंचायती राज अधिनियमों ने पंचायतों द्वारा स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए विकेन्द्रीकृत योजना पर बल दिया है। जैसा कि पहले के खंड में उल्लेख किया गया है कि संविधान के 73वें संशोधन और 14वें वित्त आयोग ने व्यापक विकेन्द्रीकृत योजना को गति

और स्वीकार्यता प्रदान की। विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया से निम्नलिखित महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। (पंचायती राज मंत्रालय, 2018)

- स्थानीय जरूरतों का पता लगाना
- स्थानीय क्षमताओँ का उपयोग
- स्थानीय जरुरतों और मांग के आधार पर जमीनी स्तर पर तालमेल उपाय लागू करना।
- पंचायत क्षेत्र में जिन तक पहुंच नहीं हो सकी है/जो शामिल नहीं हो सके हैं उनका आकलन करना।
- विभिन्न समूहों की अलग-अलग आवश्यकताओं की पूर्ति।
- शासन और विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों को शामिल करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- स्थानीय विकास प्रयासों में लोगों की जानकारी और विवेक को शामिल करने के माध्यम उपलब्ध कराना।
- नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विकास अवधारणा को समझना।
- संसाधनों/प्रदत्त अधिकारों/ सेवाओं तक पहुंच बनाना।
- विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कोष का उपयोग, विशेषकर केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) से।
- पंचायत और स्थानीय नागरिकों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना।
- उत्तरदायी प्रशासन लागू करना।
- स्थानीय संसाधनों के उपयोग को बढावा देना।
- स्थानीय प्रशासन की अपने नागरिकों के प्रति सीधी जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- स्थानीय संस्थाओं और संगठनों को क्रियाशील निकायों के रूप में सक्रिय करना।
- अग्रिम पंक्ति स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाना।
- लोकतंत्र और स्थानीय स्वामित्व को बढ़ावा देना।

2.2 खंड और जिला विकास योजनाओं का महत्व

ग्राम पंचायतें मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा सुविधा और संस्थागत क्षमता की दृष्टि से अपनी सीमाओं के कारण केवल छोटी गतिविधियों की योजना बना सकती हैं और लागू कर सकती हैं, जिनका क्रियान्वयन और निगरानी उनके लिए संभव हो। मध्यवर्ती पंचायतें मानव शक्ति, बुनियादी ढांचा और संस्थागत क्षमता की दृष्टि से अपनी मध्यम स्थिति के कारण अपने क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने की योजना तैयार कर सकती हैं। योजना बनाते समय वे उन जरूरतों को नजरअंदाज कर सकती हैं जिनका समाधान उनके क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है। जिला पंचायत मानव शक्ति और संस्थागत क्षमता की दृष्टि से अपनी बेहतर स्थिति के कारण मध्यम से बड़ी गतिविधियों को लागू कर सकती हैं, जिनका क्रियान्वयन और निगरानी उनके स्तर पर संभव हो। योजना बनाते समय वे जिले की उन जरूरतों की भी पूर्ति कर सकती हैं जिनका समाधान ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र की योजना में नहीं किया जाना है। इसके अलावा प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत के लिए उन गतिविधियों की योजना बनाना और लागू करना आवश्यक हो जाता है जो क्षेत्रीय रूप से दो या अधिक ग्राम पंचायतों को कवर करती हैं क्योंकि ऐसे मामलों में मध्यवर्ती पंचायत उन गतिविधियों का प्रभार लेने की बेहतर स्थिति में होती हैं। इसी प्रकार जिला पंचायत के लिए उन योजना गतिविधियों का क्रियान्वयन आवश्यक हो जाता है जो क्षेत्रीय रूप से दो या अधिक खंडों को कवर करती हैं क्योंकि इन मामलों में क्षेत्रीय, स्थानीय प्रशासन के लिए इन गतिविधियों का प्रभार लेना सही होगा। तकनीकी दृष्टि से भी आईपी और डीपी के लिए उन विकास गतिविधियों को शुरू करना आवश्यक हो जाता है जिनके लिए उच्च तकनीकी विशेषज्ञता जरूरी है, जो उनके पास उपलब्ध है। (पंचायती राज मंत्रालय 2020)

खंड विकास योजना (बीडीपी), खंड स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के सुदृढीकरण के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। इसी प्रकार बीडीपी का सुदृढीकरण जिलास्तर पर हो सकता है। इस तरह जिला विकास योजना

जिला स्तर पर उप जिला स्तरीय योजनाओं के एकीकरण और सुदृढीकरण का अवसर उपलब्ध कराती हैं। बीड़ीपी और डीडीपी, संबंधित विभागों के साथ संसाधनों, पहलों और गतिविधियों के एकीकरण के लिए बड़ी गुंजाईश उपलब्ध कराते हैं। निश्चित रूप से खंड और जिला स्तरों पर 29 विषयों में से अधिकांश से संबंधित विभाग उपलब्ध रहते हैं। इस प्रकार बीडीपी और डीडीपी के माध्यम से अनुरूप विभागों की गतिविधियों में सामंजस्य के जरिए समग्र और सतत विकास के लक्ष्य तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचा जा सकता है। यह पंचायत के विभिन्न स्तरों पर तैयार योजनाओं की बेहतर निगरानी और निरीक्षण तथा योजना लक्ष्यों को प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराता है। जैसा कि पूर्व के खंडों में वर्णन किया जा चुका है यह मानव, प्राकृतिक और अन्य संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग में भी मदद करता है। यह प्रक्रिया विकास गतिविधियों की क्षैतिज और लंबवत एकीकरण और सामंजस्य सुनिश्चित करती है।

2.3 पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में खंड और जिला विकास योजनाओं के लिए विशेष प्रक्रिया

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 (पीईएसए) के प्रावधान पंचायती राज प्रणाली को कुछ बदलाव और संशोधनों के साथ पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करते हैं और इन क्षेत्रों के स्थानीय समुदायों को विकास क्रार्यक्रमों की योजना और क्रियान्वयन में ग्राम सभाओं के जरिए सशक्त बनाते हैं। विशेषकर भूमि अधिग्रहण, पुनःस्थापन और पुनर्वास, भूमि बहाली (हस्तांतरण के मामले में), लघु खनिजों का खनन, मादक पदार्थों का उपयोग, लघु वन उत्पादों का स्वामित्व, ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, जल निकायों का प्रबंधन और उधार देने पर नियंत्रण इत्यादि मामलों में लोगों की भागीदारी और सहमति सुनिश्चित की गई है। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में जीपीडीपी ने ग्रामीण स्तर पर समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित की है। बीडीपी और डीडीपी इन पहलों के बीच तालमेल और इनके सुदृढीकरण का माध्यम उपलब्ध कराते हैं। पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के लिए इन योजनाओं की तैयारी के

समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पीईएसए के प्रावधान प्रभावी ढंग से लागू किए गए हैं या नहीं।

पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में वनों और इन वनों पर आजीविका के लिए जनजातीय लोगों की निर्भरता की बहुलता है। पीईएसए अधिनियम के अंतर्गत लघु वन उत्पादों का स्वामित्व पंचायतों और ग्राम सभाओं को सौंप दिया गया है। वन अधिकार नियम 2006 के अंतर्गत भी ग्राम पंचायतों को जनजातीय लोगों और अन्य वनवासियों के लिए वन अधिकार पंजीकृत करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। इस संदर्भ में पांचवीं अनुसूची क्षेत्र के लिए योजना तैयार करते समय वन उत्पादों को इस क्षेत्र के लोगों की सतत आजीविका सृजित करने में महत्व देने, विशेष रूप से औषधीय पौधों और बांस सहित लघु वन उत्पादों को समुचित महत्व दिए जाने की जरूरत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण योजनाएं-प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमवीडीवाई) और लघु वन उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री वनधन योजना के अंतर्गत वनधन केंद्र की स्थापना का प्रावधान है। खंड विकास योजना के अंतर्गत खंड के विभिन्न भागों में पीईएसए क्षेत्रों में वनधन केंद्र की स्थापना को शामिल किया जाना चाहिए ताकि जनजातीय लोगों की सतत आजीविका के लिए लघु वन उत्पादों के संग्रह और प्रसंस्करण की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। औषधीय पौधे लगाने और इनके प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना तथा संसाधनों में वृद्धि और औषधीय पौधों के विपणन के लिए केंद्रीय योजना एनएमपीबी का भी उपयोग किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का उपयोग बांस प्रसंस्करण और संसाधन वृद्धि में किया जा सकता है। ये गतिविधियां संबंधित योजनाओं के साथ बीडीपी और डीडीपी में शामिल की जा सकती हैं।

2.4 खंड और जिला स्तरों पर भागीदारी योजना के लिये पंचायत - स्व-सहायता समूह तालमेल

भारत की पंचायती राज प्रणाली पूरे विश्व में अनूठी प्रणाली है जो महिलाओं को पंचायत के सभी तीन स्तरों में सदस्य और अध्यक्ष दोनों रूप में

एक तिहाई आरक्षण उपलब्ध कराती है। बीस राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत तक आरक्षण दिया है। स्त्री-पुरूष समानता के इस कदम ने पंचायती राज प्रणाली को प्रचुर शक्ति दी है। इस प्रकार पंचायतें महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे उठा रही हैं और सामाजिक न्याय स्थापित कर रही हैं। जीपीडीपी दिशा-निर्देशों (पंचायती राज मंत्रालय,2018) में ग्राम पंचायत योजना सुविधा टीम (जीपीपीएफटी) गठित करने का प्रावधान किया गया और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समुदाय संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) को जीपीपीएफटी का संयोजक बनाने की सिफारिश की गयी। इस प्रकार स्त्री-पुरूष समानता लाने का एक और प्रयास किया गया जिससे जीपीडीपी में, संख्या और गुणवत्ता दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण सुधार लाने में मदद मिली।

जीपीडीपी की तैयारी में एसएचजी के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिये जाने से भागीदारी योजना के लिये पीआरआई- एसएचजी तालमेल ने पिछले पांच वर्ष में पर्याप्त महत्व हासिल किया है। इससे ग्राम पंचायतों की विकास गतिविधियों में एसएचजी की भागीदारी बढ़ी है और बदले में ग्राम पंचायतें एसएचजी की गतिविधियों को सहयोग-समर्थन उपलब्ध करा रही हैं। इस प्रकार यह तालमेल ग्राम पंचायतों और स्व-सहायता समूहों के बीच आदर्श समन्वय के रूप में उभरा है, जो परस्पर दोनों के लिये लाभकारी है। तालमेल के इस मॉडल से विकेंद्रीकृत प्रणालियों के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है और इस पहल को मजबूत करने की मांग बढ़ी है। बीडीपी और डीडीपी की आयोजना में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी पर भी बल देने की आवश्यकता है।

खंड और जिला स्तर पर भागीदारी योजना प्रक्रिया से योजनाओं की तैयारी में पीआरआई-एसएचजी का तालमेल भी मजबूत होगा क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में इन योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में एसएचजी की भागीदारी बढ़ायेगी। खंड और जिला स्तर पर एसएचजी परिसंघ अपने संबंधित स्तरों पर इस पहल का समर्थन करेंगे। तालमेल की इस पहल की सराहना की जानी चाहिये। यह पाया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूह सुसंगठित हुए हैं। हालांकि उनके लिये कम लागत

पर या बिना लागत पूंजी और बाजार समर्थन की जरूरत है। आईपी और डीपी के लिये भी सुनियोजित समूह की जरूरत है जो उन्हें अपनी गतिविधियों के संचालन मे मदद कर सके। इसलिये बीडीपी और डीडीपी की आयोजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिये एसएचजी के सामूहिक प्रयासों की जरूरत है।

अध्याय 3

खंड और जिला विकास योजनाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदम

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान किया गया। चूंकि पंचायतें, राज्य सूची के तहत आती हैं और राज्य अधिनियम और विनियमों से संचालित होती हैं, राज्यों को अपने क्षेत्र में खंड विकास योजना (बीडीपी) और जिला विकास योजना (डीडीपी) की व्यापक ढंग से तैयारी के लिये विभिन्न उपाय करने होंगे। राज्य सरकारों ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण उपाय किये हैं और देश भर में ये योजनाएं ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की जा रही हैं। राज्यों को मध्यवर्ती पंचायत(आईपी) और जिला पंचायत(डीपी) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये बीडीपी और डीडीपी की तैयारी के लिये ऐसे ही उपाय करने होंगे। बाद के खंडों में इसका विवरण दिया गया है।

3.1 खंड और जिला स्तरीय योजना के संचालन पर नीतिगत निर्णय

राज्यों को आईपी और डीपी का मार्गदर्शन करने, उन्हें अपेक्षित समितियों का गठन करने में सक्षम बनाने और अपने संबंधित विभागों का पूर्ण सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बीडीपी और डीडीपी समन्वय और सामूहिक कार्रवाई के आधार पर अपने-अपने संबंधित क्षेत्र में व्यापक विकास में योगदान कर सकते हैं। साथ ही, विभिन्न हितधारकों के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं के लिए आवश्यक संसाधन, केंद्र सरकार द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग (एफएफसी) की सिफारिश के अनुसार वित्तपोषण के अलावा राज्य सरकार द्वारा भी प्रदान किए जा सकते हैं।

3.1.1 खंड और जिला विकास योजना की प्रकृति और कार्यक्षेत्र संबंधी निर्णय

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ आईपी और डीपी को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने और

उसके कार्यान्वयन के लिए अधिकृत करता है। इन पंचायतों को अपने अधिकार में सक्षम नीति और संसाधनों तथा संबंधित विभागों के साथ समन्वय की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, भागीदारी और समावेशी नियोजन प्रक्रिया आवश्यक है। एफएफसी ने वर्ष 2020-21 के लिए भी आईपी और डीपी को अनुदान देने की सिफारिश की है। इसके अलावा, उन्हें राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर, अनुदान के रूप में धन मिलता है। कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत वित्त पोषण (सीएसआर फंडिंग) के लिए भी सक्षम वातावरण की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र में अधिक व्यापक विकास के लिए अपने संसाधन दायरे को बढ़ाने के लिए आईपी और डीपी को अन्य स्रोतों से भी धन प्रदान किया जा सकता है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईपी और डीपी पेयजल और स्वच्छता के लिए धन निर्धारित करने में पंद्रहवें वित्त आयोग के निर्देश का पालन करें। राज्य, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के किसी भी विषय की गतिविधियों के एक समूह के लिए 25% से अधिक धन निर्धारित न करने की सलाह आईपी और डीपी को देने पर भी विचार कर सकता है। इसके अलावा, आईपी और डीपी अपनी विकास योजना तैयार करते समय निम्नलिखित क्षेत्रों/ विषयों को प्राथमिकता दे सकते हैं:

- विकासात्मक आवश्यकताओं पर केंद्रित योजना
- दो से अधिक ग्राम पंचायत को लाभ पहुंचाने वाले कार्य
- सामाजिक योजना को परियोजना का अनिवार्य हिस्सा बनाना
- समन्वय या समाभिरूपता
- स्त्री-पुरुष समानता के प्रति जिम्मेदार योजना
- एसडीजीज (सतत विकास लक्ष्यों) का स्थानीयकरण
- आयोजना में स्वच्छता, जल आपूर्ति (कई ग्राम पंचायतों को सम्मलित करते हुए), खेल के मैदान, पार्क (एक से अधिक ग्राम पंचायत को लाभ पहुंचाते हुए) जैसी बुनियादी सेवाओं पर जोर देना।
- जिला और खंड पंचायतों को सौंपे गए बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव

- आर्थिक विकास, आय में वृद्धि और गरीबी उपशमन
- ई-सक्षमता
- नवीकरणीय ऊर्जा

बीडीपी और डीडीपी आयोजना में भागीदारीपूर्ण योजना प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिसमें सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए सबसे कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा सके। आईपी और डीपी को विकास योजना इस तरह से तैयार करनी चाहिए कि यह न केवल आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के संवैधानिक जनादेश की प्राप्ति की दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करे बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों का व्यापक विकास करने के लिए और इस तरह धीरे-धीरे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। इसके अलावा, विभिन्न हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

3.2 राज्य स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति का गठन

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी "ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए दिशानिर्देशों" में यह प्रावधान किया गया था कि योजना के अभिसरण और अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक अधिकारिता समिति का गठन किया जाए। एक ही समिति आईपी और डीपी के स्तर पर नियोजन में उचित सहायता सुनिश्चित कर सकती है और बीडीपी एवं डीडीपी की पूरी प्रक्रिया पर और बाद में उनके कार्यान्वयन और निगरानी पर नज़र रख सकती है। अधिकारिता समिति के संकेतात्मक संरचना और कार्यों का प्रारूप अनुलग्लग-**IV** में दिया गया है। कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने और आईपी एवं डीपी

के लिए सुचारू कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए समिति की बैठक के लिए महीने की एक तारीख नियत की जा सकती है, ताकि वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावी और व्यापक योजना तैयार कर सकें।

3.3 खंड और जिला स्तर की योजना के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों का निर्धारण

आईपी और डीपी को व्यापक तरीके से संदर्श योजना और वार्षिक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। उन्हें आयोजना के लिए भागीदारी और समावेशी प्रक्रिया का पालन भी करना होगा। यह फ्रेमवर्क और विशेष रूप से अध्याय 5 और अध्याय 6 आईपी और डीपी के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करने में मदद करेंगे ताकि वे क्रमशः बीडीपी और डीडीपी तैयार कर सकें। मौजूदा प्रक्रिया को संशोधित करते हुए, विशेष रूप से एफएफसी अनुदान, एसएफसी अनुदान, एमजीएनआरईजीएस, स्वास्थ्य, शिक्षा, एनआरएलएम/ एसआरएलएम, यूएनडीपी/यूनिसेफ/विश्व बैंक समर्थित विकेंद्रीकृत परियोजनाओं और अन्य राज्य विशिष्ट परियोजनाओं के संदर्भ में शामिल अधिकारियों के साथ परामर्श के माध्यम से पिछले अनुभव का त्वरित मूल्यांकन किया जा सकता है। राज्य, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर प्रदान किये गए दस्तावेज और राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं भी देख सकते हैं। राज्य बीडीपी और डीडीपी को दिशानिर्देशों में शामिल करने के लिए आवश्यक सुझाव दे सकते हैं, जिनमें आर्थिक विकास, स्थानीकृत एसडीजी के साथ सामाजिक न्याय, निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के लिए लक्ष्य और संकेतक निर्दिष्ट करना शामिल है।

कुछ राज्यों ने संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में तीन स्तरीय पंचायतों के लिए अपनी गतिविधि मानचित्रण तैयार किया है। इस बात की आवश्यकता है कि सभी राज्य इन पंचायतों के लिए उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं, शक्ति और सब्सिडी के सिद्धांतों के अनुसार गतिविधि मानचित्रण का कार्य कर सकते हैं। इस गतिविधि मानचित्रण को बीडीपी और डीडीपी की तैयारी के लिए राज्य सरकार के दिशानिर्देशों का एक अभिन्न अंग

बनाया जा सकता है। इसके अलावा, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में इन पंचायतों की भूमिका का सीमांकन किया जाना चाहिए।

आईपी और डीपी को व्यापक योजना शुरू करनी होगी। जैसा कि पंद्रहवें वित्त आयोग ने इन पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश की है, उनकी क्षमता निर्माण एक मिशन मोड में किया जाना है। राज्य सरकारों की खंड और जिला पंचायत, उनके अध्यक्ष और सदस्यों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य आईपी और डीपी में नियोजन प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए बहु-स्तरीय हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए रणनीति विकसित कर सकता है।

3.4 राज्य स्तर पर सक्षम परिवेश का निर्माण

कई राज्यों में, व्यापक बीडीपी और डीडीपी तैयार करने के लिए उचित तंत्र और प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, राज्य द्वारा हितधारकों को उचित परिप्रेक्ष्य प्रदान करना आवश्यक है। इन योजनाओं को मिशन मोड विकासात्मक दृष्टिकोण में तैयार करने की आवश्यकता है। इसलिए, बीडीपी और डीडीपी को तैयार करने का कार्यक्रम एक अभियान मोड में शुरू किया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले में राज्य स्तर पर किसी गणमान्य व्यक्ति द्वारा शुरू होना चाहिए। आईपी और डीपी द्वारा नियोजन के बारे में प्रतिभागियों को सूचित करने के लिए राज्य, जिला और खंड स्तरों पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जा सकती है। बैठक में निर्वाचित प्रतिनिधि, संबंधित विभागों के अधिकारी, एनआरएलएम प्रतिनिधि, सीबीओ, मीडिया आदि उपस्थित हो सकते हैं।

3.5 सहयोगी प्रणालियां

3.5.1 संसाधन संचय और कोष प्रवाह

वास्तविक योजना के लिए मध्यवर्ती और जिला पंचायत को धन की उपलब्धता के बारे में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 30 नवंबर तक आईपी और डीपी को धन के प्रवाह की जानकारी दे सकती है। यदि संसाधन आधार के बारे में आईपी और डीपी को सूचित नहीं किया जाता है, तो वे उतनी राशि की योजना बना सकते हैं जो पिछले वर्ष में प्राप्त हुई थी।

राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईपी और डीपी के लिए धन सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के जरिए किया जाये। संसाधन आधार में उल्लिखित धन की सभी श्रेणियों के लिए स्पष्ट निधि प्रवाह तंत्र को राज्य द्वारा विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें वह निर्धारित समयावधि शामिल होगी जिसके भीतर धन उन तक पहुंच जाएगा। राज्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन प्रणाली को सार्वभौमिक रूप से अपनाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए, जो आईपी और डीपी द्वारा धन की प्राप्तियों और व्यय दोनों की निगरानी में मदद करेंगे।

3.5.2 जिला और खंड स्तर पर समन्वय व्यवस्था

राज्य सरकार एक जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन कर सकती है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष/जिला मजिस्ट्रेट या समकक्ष रैंक के अधिकारी को अध्यक्ष, सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) (या राज्य की स्थिति के अनुसार पंचायत/ग्रामीण विकास विभाग के जिला अधिकारी) को संयोजक और एसआईआरडी/ईटीसी से किसी शिक्षक तथा सभी संबंधित विभागों के जिला स्तर के अधिकारी और खंड पंचायत के चुने हुए अध्यक्ष (बारी-बारी से) को सदस्यों के रूप में (रोटेशन से हो सकता है) शामिल किया जा सकता है। इन समितियों में अन्य शैक्षणिक संस्थानों और / या स्वैच्छिक संगठनों का प्रतिनिधित्व शामिल हो सकता है। जिला स्तरीय समन्वय समिति के सांकेतिक कार्य अनुलग्नक -V में दिए गए हैं। जीपीडीपी के लिए गठित एक ही समिति को खंड स्तर पर समन्वय के लिए बीडीपी के लिए काम सौंपा जा सकता है। खंड स्तरीय समन्वय समिति के सांकेतिक कार्य अनुबंध- VI में दिए गए हैं।

3.5.3 मानव संसाधन सहयोग

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए मानव संसाधन सहायता की आवश्यकता हो सकती है:

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
- स्थिति विश्लेषण
- तकनीकी और प्रशासनिक मूल्यांकन और अनुमोदन
- कार्यान्वयन
- निगरानी

मानव संसाधन की तैनाती के लिए व्यापक श्रेणियों में निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे:

- तकनीकी मूल्यांकन और सहायता दल
- राज्य स्तरीय प्रमुख संसाधन टीम, जिला संसाधन समूह
- सुविधा प्रदाता
- योजना के लिए जिला और खंड स्तरीय कोर समूह
- प्रभारी अधिकारी।
- सूचना और प्रलेखन विशेषज्ञ।

राज्य कार्य व्यवस्था, प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त प्रभार के आधार पर मानव संसाधन जुटाने के लिए नीतियां और तंत्र विकसित कर सकता है। इसके अलावा, ऐसे अंशकालिक/पूर्णकालिक स्वयंसेवकों का चयन किया जा सकता है जो केवल उनके द्वारा वास्तव में किए गए व्यय की अदायगी पर काम करने को तैयार हों। वे कॉलेजों और शैक्षणिक/तकनीकी संस्थानों से प्रशिक्षुओं की संभावनाओं का भी पता लगा सकते हैं। बीडीपी और डीडीपी के लिए उपर्युक्त मानव संसाधन सहायता के अलावा, राज्य में व्यापक बीडीपी और डीडीपी की प्रभावी तैयारी और प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है:

- बीडीपी और डीडीपी के निर्माण में आदर्श पंचायत-समूहों की सफलता की कहानियों का सृजन: नवाचारों, नए विचारों और स्थानीय नियोजन में सर्वोत्तम प्रथाओं का इस्तेमाल इस पहल की प्रमुख विशेषता और एक महत्वपूर्ण रणनीति होनी चाहिए। बीडीपी और डीडीपी के संदर्भ में, सफल मॉडल बनाने के लिए एक सुविचारित गहन क्षमता निर्माण कार्यक्रम के साथ-साथ ठोस सहायता प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है।

- **नियमावली:** राज्य आईपी और डीपी द्वारा क्रमशः प्रभावी बीडीपी और डीडीपी के लिए उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम के विवरण के साथ नियमावली तैयार कर सकते हैं। इस तरह की नियमावली में सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजीज के स्थानीयकरण और कार्यान्वयन एवं निगरानी के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण सामग्री शामिल होनी चाहिए।

3.5.4 प्रौद्योगिकी और तकनीकी सहयोग

किसी भी वैज्ञानिक योजना की तैयारी के लिए आधारभूत स्थिति या डेटा की आवश्यकता होती है। जीआईएस आधारित संसाधन आईपी और डीपी को वैज्ञानिक आवश्यकता-आधारित योजनाएं तैयार करने में मदद करेंगे। "एक प्लेटफ़ॉर्म सिस्टम" पर अनेक मानदंड सक्षम बनाने की दिशा में व्यापक प्रयास किए गए हैं और योजनाओं के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्तियों का ब्यौरा तैयार करने का भी प्रयास किया गया है। सभी जीआईएस लेयरों और ब्लॉक एवं जिले में उपलब्ध प्राथमिक और माध्यमिक डेटा के साथ एक जीआईएस संसाधन पुस्तिका तैयार करने और ऑनलाइन उपलब्ध कराने और उसे समय-समय पर नियमित रूप से अपडेट करने के लिए एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता है।

राज्य, निरंतर सलाह और ठोस सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यनीति अपना सकता है। एक कार्यनीति यह हो सकती है कि संबंधित क्षेत्रों के पेशेवरों के साथ राज्य और जिला स्तर के संसाधनों का पूल तैयार किया जाये और उनके नाम सूची में सम्मिलित किये जायें। इन विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग विभिन्न हितधारकों के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण और इस पूरी प्रक्रिया में सलाह और निगरानी सहयोग के लिए किया जा सकता है। तैयार योजना को

ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड किया जाना चाहिए और योजनाओं की प्रगति निर्धारित सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जानी चाहिए।

3.5.5 प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन

प्रशासनिक और तकनीकी अनुमोदन दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाने चाहिए और आईपी तथा डीपी को सूचित किए जाने चाहिए, ताकि वे तदनुसार निर्णय ले सकें। आईपी और डीपी को स्पष्ट रूप से विभिन्न श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए अनुमान और तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और पदनाम की जानकारी दी जानी चाहिए।

3.5.6 कार्यान्वयन प्रबंध

एक बार बीडीपी और डीडीपी को मंजूरी मिलने के बाद, योजनाओं के समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नियमित कर्मचारियों की कमी के कारण कई खंडों और जिलों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र स्तर पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ खंड और जिले का स्पष्ट जुड़ाव होना चाहिए। बीडीपी और डीडीपी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं:

- विभिन्न विभागों, एजेंसियों और अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां, विशेष रूप से निर्धारित समय-सीमा के भीतर सार्वजनिक कार्यों के कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए और अधिकारियों को विशिष्ट कार्य सौंपे जाने चाहिए।
- बीडीपी और डीडीपी की विभिन्न प्रक्रियाओं में संबंधित विभागों के अधिकारियों की भूमिका अनिवार्य की जा सकती है।

- कड़ी समय-सीमा का अनुपालन किया जाये और इसे उचित स्तर से जारी किया जाना चाहिए।

- खंड और जिला स्तर की योजनाओं को ई-ग्राम स्वराज पर अपलोड किया जाना चाहिए और इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी के लिए और उचित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- सिविल कार्यों की जियो-टैगिंग को अनिवार्य बनाया जाए।
- सामाजिक योजना से संबंधित कार्यों के दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाने चाहिए।

3.5.7 समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन

- खंड 5.16 और खंड 6.16 में क्रमश: वर्णित अनुसार, बीडीपी और डीडीपी की निगरानी और उनमें संशोधन का सुझाव देने के लिए निगरानी समिति का गठन किया जाएगा।

- खंड और जिला पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से कम से कम 20% कार्यों की सामाजिक लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए।
- राज्य और जिला स्तर के कुछ मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन।

3.5.8 कार्य निष्पादन प्रोत्साहन

- योजना की तैयारी और कार्यान्वयन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खंड और जिले के लिए पुरस्कार
- सामाजिक आयोजना के तहत सामाजिक रूप से प्रासंगिक कार्यों को शामिल करने के लिए आईपी और डीपी को विशेष प्रोत्साहन

- महिला और बच्चों के लिए सर्वाधिक अनुकूल आईपी और डीपी के लिए विशेष पुरस्कार
- अभिनव प्रयोगों के लिए विशेष पुरस्कार।

3.6 खंड और जिला विकास योजनाओं के लिए समय सीमा

- हर साल योजना तैयार करने का अभियान शीर्ष स्तर यानी राज्य सरकार के स्तर से शुरू किया जाएगा।
- अभियान की शुरुआत में एक विस्तृत समय-सीमा निर्दिष्ट की जाएगी।
- राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अभियान के दौरान प्रत्येक गतिविधि को समय के भीतर पूरा किया जाए।
- गतिविधियां जैसे परिकल्पना करना, स्थिति का विश्लेषण करना, भागीदारी योजना, विकास संबंधी वस्तु-स्थिति रिपोर्ट तैयार करना, जरूरतों की प्राथमिकता और योजनाओं की मंजूरी को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है।
- खंड विकास योजना की अनुमानित समय-सीमा इस प्रकार हो सकती है:

तालिका 2: खंड विकास योजना के लिए अनुमानित समय-सीमा

क्र. सं.	गतिविधियां/उपाय	समय सारणी
1	खंड सभा बैठकों में योजना प्रक्रिया की शुरूआत	नवंबर के महीने में
2	क्षेत्रवार डेटा संग्रह, संकलन और स्थितिगत विश्लेषण	दिसंबर तक
3	क्षेत्रवार प्राथमिकता और क्षेत्रगत कार्यकारी समूह को	7 जनवरी तक

क्र. सं.	गतिविधियां/उपाय	समय सारणी
	निधि आवंटन	
4	क्षेत्रवार मसौदा योजना और बजट तैयार करना और मसौदा खंड विकास योजना और खंड पंचायत का बजट मध्यवर्ती पंचायत योजना समिति/स्थायी समिति की बैठकों में प्रस्तुत करना	10 जनवरी तक
5	खंड पंचायत की मसौदा योजना और बजट विशेष खंड सभा में प्रस्तुत करना	15 जनवरी तक
6	मसौदा योजना और मध्यवर्ती पंचायत का बजट अनुमोदन के लिए खंड सभा की बैठक में प्रस्तुत करना	31 जनवरी तक

जिला विकास योजना के लिए अनुमानित समय-सीमा निम्नानुसार हो सकती है:

तालिका 3: जिला विकास योजना के लिए अनुमानित समय-सीमा

क्र.सं.	गतिविधियां / उपाय	समय सारणी
1	जिला सभा की बैठक में योजना प्रक्रिया की शुरूआत	दिसंबर के महीने में
2	क्षेत्रवार डेटा संग्रह, संकलन और स्थितिगत विश्लेषण	जनवरी तक
3	क्षेत्रवार प्राथमिकता और क्षेत्रगत कार्यकारी समूह को निधि आवंटन	7 फरवरी तक
4	क्षेत्रवार मसौदा योजना और बजट तैयार करना और	10 फरवरी तक

क्र.सं.	गतिविधियां / उपाय	समय सारणी
	मसौदा खंड विकास योजना और खंड पंचायत का बजट मध्यवर्ती जिला पंचायत योजना समिति/स्थायी समिति की बैठकों में प्रस्तुत करना	
5	जिला पंचायत की मसौदा योजना और बजट विशेष जिला सभा में प्रस्तुत करना	15 फरवरी तक
6	मसौदा योजना और जिला पंचायत का बजट अनुमोदन के लिए जिला सभा की बैठक में प्रस्तुत करना	फरवरी के अंत तक

अध्याय-4

जिला और खंड विकास योजना में एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम, क्षेत्र, विषय और मुद्दे

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खंड विकास योजना (बीडीपी) और जिला विकास योजना (डीडीपी) क्रमशः ब्लॉक पंचायत (आईपी) और जिला पंचायत (डीपी) द्वारा अपने अपने क्षेत्र के लिए तैयार किए जाने की आवश्यकता है ताकि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय अभियान चलाए जा सकें और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा सके। बीडीपी और डीडीपी को योजनाएं मात्र नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि क्षेत्र के त्वरित बहु-आयामी एकीकृत विकास के लिए जरूरत केंद्रित व्यापक विकास योजनाएं समझी जानी चाहिए। अतः यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख कार्यक्रमों, क्षेत्रों और मुद्दों को बीडीपी और डीडीपी में एकीकृत किया जाए। इसके अतिरिक्त संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित जरूरतें अनुकूलतम तरीके से इन योजनाओं के जरिए पूरी की जानी चाहिए। गरीबी, ग्रामीण औद्योगीकरण, किसानों का आय में वृद्धि, पेयजल स्वच्छता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, योजनाओं के लाभ की पहुंच में स्त्री पुरुष समानता, बच्चों और कमजोर समूहों की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने को आयोजना में उच्चतर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त विकासात्मक जरूरतों की पहचान के लिए, मिशन अंत्योदय डेटा और जीपीडीपी को बीडीपी तथा डीडीपी के साथ समेकित किया जाना चाहिए।

4.1 जीपीडीपी, मिशन अंत्योदय डेटा का समेकन और विकास संबंधी जरूरतों की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) सम्बद्ध ग्राम पंचायत क्षेत्र के बहु-आयामी और एकीकृत विकास के लिए एक व्यापक जरूरत आधारित विकास योजना है (एमओपीआर, 2018)। इस फ्रेमवर्क की धारा 4.1.3 में यह बात रेखांकित की गई है कि जीपीडीपी के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। मिशन अंत्योदय (एमए) डेटा का इस्तेमाल संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संदर्भ में विकासात्मक अंतराल तलाश करने के लिए किया जाता है। यह कवायद व्यापक

जीपीडीपी तैयार करने के लिए जन योजना अभियान के हिस्से के रूप में हर वर्ष की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय पिछले तीन वर्षों से गांवों और ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय (एमए) सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है। एमए सर्वेक्षण के जरिए पहचान किए गए विकास संबंधी अंतराल जीपीडीपी तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। यह सर्वेक्षण अनुलग्नक-3 में दी गई प्रश्नावली पर आधारित है। आंकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक गांव और ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण अंतराल, सामान्य अंतराल और शक्ति के रूप में वर्गीकृत अंतरालों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इन अंतरालों को विकास संबंधी जरूरतें समझा जा सकता है और जीपीडीपी उन्हें दूर करने के लिए ध्यान केंद्रित करती है। इसे आरेख-7 में कार्यक्रमवार दर्शाया गया है।

रेखाचित्र 7- मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण के जरिए पहचान किए गए विकास संबंधी अंतराल और प्लान प्लस में अपलोड की गई जीपीडीपी के जरिए उन्हें दूर करना।

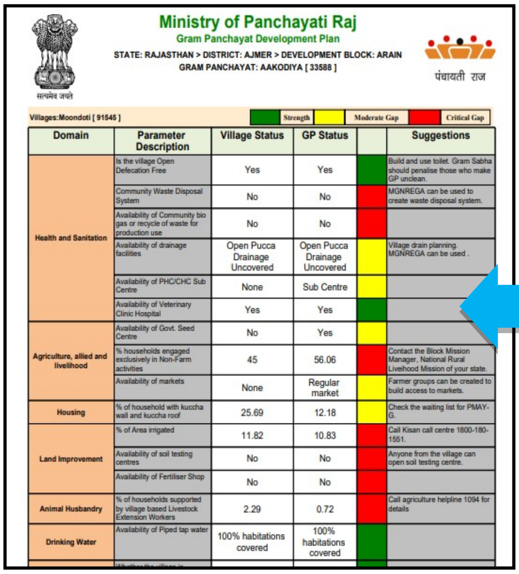

Ministry of Panchayati Raj
Gram Panchayat Development Plan
STATE: RAJASTHAN > DISTRICT: AJMER > DEVELOPMENT BLOCK: ARAIN
GRAM PANCHAYAT: AAKODIYA [33588]

सत्यमेव जयते

पंचायती राज

Villages:Moondoti [91545]

Strength | Moderate Gap | Critical Gap

Domain	Parameter Description	Village Status	GP Status		Suggestions
Health and Sanitation	Is the village Open Defecation Free	Yes	Yes		Build and use toilet. Gram Sabha should penalise those who make GP unclean.
	Community Waste Disposal System	No	No		MGNREGA can be used to create waste disposal system.
	Availability of Community bio gas or recycle of waste for production use	No	No		
	Availability of drainage facilities	Open Pucca Drainage Uncovered	Open Pucca Drainage Uncovered		Village drain planning. MGNREGA can be used .
	Availability of PHC/CHC Sub Centre	None	Sub Centre		
	Availability of Veterinary Clinic Hospital	Yes	Yes		
Agriculture, allied and livelihood	Availability of Govt. Seed Centre	No	Yes		
	% households engaged exclusively in Non-Farm activities	45	56.06		Contact the Block Mission Manager, National Rural Liveihood Mission of your state.
	Availability of markets	None	Regular market		Farmer groups can be created to build access to markets.
Housing	% of household with kuccha wall and kuccha roof	25.69	12.18		Check the waiting list for PMAY-G.
Land Improvement	% of Area irrigated	11.82	10.83		Call Kisan call centre 1800-180-1551.
	Availability of soil testing centres	No	No		Anyone from the village can open soil testing centre.
	Availability of Fertiliser Shop	No	No		
Animal Husbandry	% of households supported by village based Livestock Extension Workers	2.29	0.72		Call agriculture helpline 1094 for details
Drinking Water	Availability of Piped tap water	100% habitations covered	100% habitations covered		

एमए पोर्टल द्वारा सृजित अंतराल रिपोर्ट

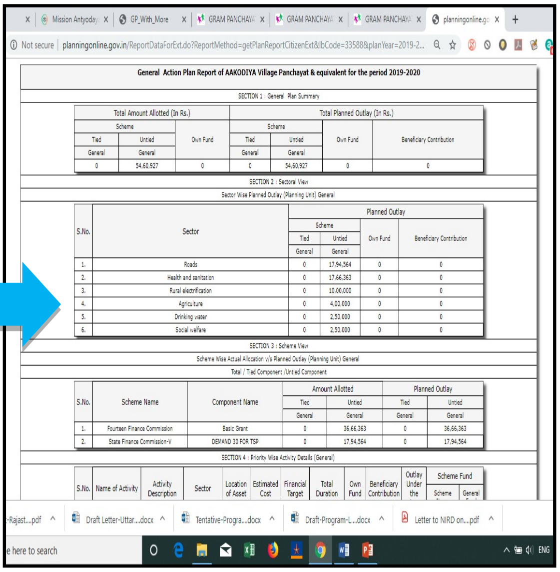

Not secure | planningonline.gov.in/ReportDataForExt.do?ReportMethod=getPlanReportCitizenExt&lbCode=33588&planYear=2019-2...

General Action Plan Report of AAKODIYA Village Panchayat & equivalent for the period 2019-2020

SECTION 1 : General Plan Summary

Total Amount Allotted (In Rs.)			Total Planned Outlay (In Rs.)			
Scheme		Own Fund	Scheme		Own Fund	Beneficiary Contribution
Tied	Untied		Tied	Untied		
General	General		General	General		
0	54,60,927	0	0	54,60,927	0	0

SECTION 2 : Sectoral View

Sector Wise Planned Outlay (Planning Unit) General

S.No.	Sector	Planned Outlay			
		Scheme		Own Fund	Beneficiary Contribution
		Tied	Untied		
		General	General		
1.	Roads	0	17,94,564	0	0
2.	Health and sanitation	0	17,66,363	0	0
3.	Rural electrification	0	10,00,000	0	0
4.	Agriculture	0	4,00,000	0	0
5.	Drinking water	0	2,50,000	0	0
6.	Social welfare	0	2,50,000	0	0

SECTION 3 : Scheme View

Scheme Wise Actual Allocation v/s Planned Outlay (Planning Unit) General

Total / Tied Component /Untied Component

S.No.	Scheme Name	Component Name	Amount Allotted		Planned Outlay	
			Tied	Untied	Tied	Untied
			General	General	General	General
1.	Fourteen Finance Commission	Basic Grant	0	36,66,363	0	36,66,363
2.	State Finance Commission-V	DEMAND 30 FOR TSP	0	17,94,564	0	17,94,564

SECTION 4 : Priority Wise Activity Details (General)

S.No.	Name of Activity	Activity Description	Sector	Location of Asset	Estimated Cost	Financial Target	Total Duration	Own Fund	Beneficiary Contribution	Outlay Under the	Scheme Fund	
											Scheme	General

प्लान प्लस में अपलोड की गई जीपीडीपी योजना

मिशन अंत्योदय डेटा को ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत स्तरों पर समेकित किए जाने की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने अपने क्षेत्रों की विकास संबंधी जरूरतों की पहचान कर सकें। जीपीडीपीज़ को समेकित करने की आवश्यकता है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि बीडीपी और डीडीपी द्वारा विकास संबंधी किन जरूरतों को

अभी पूरा किया जाना है। खंड स्तर पर विकास संबंधी अंतरालों के समेकन से विकास संबंधी जरूरतों की पहचान होगी और इन जरूरतों को बीडीपी में प्रस्तावित गतिविधियों के साथ समायोजित किया जाएगा ताकि बीडीपी द्वारा उनका समाधान किया जा सके। इनमें से ऐसी जरूरतें, जिनका समाधान बीडीपी की प्रस्तावित गतिविधियों से नहीं किया जा सका हो, को डीडीपी की जरूरतें समझा जाएगा। इसके अलावा, स्थानिक विश्लेषण के जरिए जरूरतों के स्थानों की तलाश करने में भी मदद मिलेगी। यह पता लगाना कि जरूरतें एक ग्राम पंचायत अथवा एक से अधिक ग्राम पंचायतों से संबंधित हैं और साथ ही जरूरतों की अनिवार्यता का आकलन करना भी महत्वपूर्ण है।

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, खंड और जिला स्तरों पर जीपीडीपी और मिशन अंत्योदय डेटा अपने अपने सम्बद्ध क्षेत्र में जरूरतों की पहचान करने में मदद करेंगे। इन जरूरतों में कार्यों की अनिवार्यता और उन पंचायतों की संख्या, जिनके लिए जरूरतों की पहचान की गई है, के आधार पर वरीयता तय की जा सकती है। इसलिए, सम्बद्ध सॉफ्टवेयर और जीआईएस प्लेटफार्म पर डेटा समेकित करने से प्रस्तावित गतिविधियों के स्थान का पता लगाने और संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इससे स्थिति के विश्लेषण में शुद्धता लाने और बीडीपी और डीडीपी में प्रस्तावित गतिविधि/परियोजना की वरीयता तय की जा सकेगी। जीआईएस प्लेटफार्म पर डेटा से सामयिक विश्लेषण अर्थात् पिछले वर्षों में हुई घटनाओं के विश्लेषण में भी मदद मिलेगी।

4.2 पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए वित्त आयोग अनुदान

संविधान के 73वें संशोधन के तहत अनुच्छेद 280(3) (खख) शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग को किसी राज्य की समेकित निधि में बढ़ोतरी के लिए अनुशंसा करनी होती है ताकि वह राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर अपनी पंचायतों के लिए संसाधनों में पूरक मदद कर सके। ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबीज़) को हस्तांतरण के लिए अनुशंसाएं 10वें वित्त आयोग (1995-2000) से प्रारंभ हुईं। 12वें वित्त आयोग (2005-10) तक आरएलबीज को एकमुश्त आधार पर मामूली राशि हस्तांतरित की गई थी (तालिका-4)।

तालिका-4 : 10वें से लेकर 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार से ग्रामीण स्थानीय निकायों को धन हस्तांतरण

वित्त आयोग	समयावधि	आवंटित (रु. करोड़ में)	जारी (रु. करोड़ में)
X	1995-2000	4,380.93	3,576.35
XI	2000-2005	8000.00	6601.85
XII	2005-2010	20,000.00	18,926.79

13वें वित्त आयोग (तेरहवें एफसी) ने लीक से हटकर एक मौलिक सिफारिश की। इसने तीनों स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक छोटी सी एकमुश्त राशि देने की बजाय, विभाज्य पूल का एक निश्चित प्रतिशत राशि देने की अनुशंसा की, अर्थात, (क) विभाज्य पूल का 1.5 प्रतिशत बुनियादी अनुदान और (ख) कार्य निष्पादन अनुदान, जिनका भुगतान 2011-12 से प्रारंभ करते हुए 4 वर्ष की अवधि के लिए किया गया। इसमें पहले वर्ष विभाज्य पूल का 0.5 प्रतिशत और शेष 3 वर्षों के लिए हर वर्ष विभाज्य पूल का 1 प्रतिशत अनुदान दिया गया। आयोग ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से एक पृथक विशेष क्षेत्र बुनियादी अनुदान की भी सिफारिश की थी, जिसकी गणना 5वीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों और संविधान के भाग IX और IXए के दायरे से मुक्त क्षेत्रों के लिए अवार्ड अवधि में प्रत्येक वर्ष हेतु कुल बुनियादी अनुदान के आधार पर की गई। आयोग ने इन क्षेत्रों के लिए 2011-12 के वास्ते कुल बुनियादी अनुदान का 10 रुपये प्रति व्यक्ति और उसके बाद के वर्षों के लिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति विशेष क्षेत्र निष्पादन अनुदान की भी अनुशंसा की थी। 13वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित कुल राशि 65,160.76 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से, पंचायतों को देने के लिए राज्यों को 58,256.63 करोड़ रुपये जारी किए गए।

चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) ने संविधान के भाग IX के तहत गठित देश की ग्राम पंचायतों (जीपीज़) के लिए, 2,00,292.20 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की जो 488 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। इस राशि में से 1,80,262.98 करोड़

रुपये (90 प्रतिशत) 26 राज्यों के लिए बुनियादी अनुदान और 20,029.22 करोड़ रुपये (10 प्रतिशत) निष्पादन अनुदान था। भाग IX से इतर क्षेत्रों, जहां पंचायतें विद्यमान नहीं हैं (मिजोरम, मेघालय, नगालैंड और छठी अनुसूची में आने वाले असम (बोडोलैंड, उत्तरी कछार और कार्बी अलोंग जिले), त्रिपुरा और मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, जिनके लिए जिला परिषदें हैं), के लिए अनुदान की सिफारिश नहीं की गई। परंतु, भारत सरकार ने इन क्षेत्रों के लिए कुछ अनुदान प्रदान किया। इससे अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए 14वें वित्त आयोग ने विश्वास पर आधारित दृष्टि अपनायी और यह सिफारिश की कि धन का हस्तांतरण, अन्य स्तरों को शामिल किये बिना, सीधे ग्राम पंचायतों को किया जाए, क्योंकि वे मूल रूप से ग्रामीण नागरिकों के लिए बुनियादी सेवाओं के प्रावधान के लिए जिम्मेदार हैं। उपलब्ध कराए गए अनुदान का उपयोग जल आपूर्ति, स्वच्छता प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव, सड़कों, फुटपाथों और सड़क-प्रकाश के रखरखाव सहित स्वच्छता, और बुनियादी सेवाओं की स्थिति में सुधार, अंत्येष्टि और श्मशान और संबंधित विधानों के तहत, ग्राम पंचायतों को सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत, कोई अन्य बुनियादी सेवा इत्यादि को करने के लिए किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों को आवंटित राशि का 10 प्रतिशत प्रचालन और रख-रखाव के प्रशासनिक और तकनीकी घटकों तथा पूंजी व्यय पर खर्च करने की भी अनुमति दी गई थी। 14वें वित्त आयोग की अवधि, 2015-16 से 2019-20 में राज्यों को 180237.06 करोड़ रुपये जारी किए गए, जो 13वें वित्त आयोग की अवधि में जारी धनराशि से तीन गुना अधिक थे।

15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपनी प्रथम रिपोर्ट पेश कर दी है और भारत सरकार ने स्थानीय निकायों के संदर्भ में आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए बुनियादी (मुक्त) और आबद्ध (टाइड) अनुदानों की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग का सहायता अनुदान गैर भाग - IX राज्यों और पांचवीं तथा छठी अनुसूची क्षेत्रों के परंपरागत निकायों सहित पंचायती राज के सभी स्तरों के लिए दो भागों में आवंटित किया गया है, अर्थात् (i) 50 प्रतिशत बुनियादी (मुक्त) अनुदान और (ii) 50 प्रतिशत आबद्ध (टाइड) अनुदान। बुनियादी अनुदान मुक्त हैं और ग्रामीण स्थानीय

निकाय, वेतन और प्रशासनिक व्यय के सिवाए, स्थानीय रूप से आवश्यक समझी गई जरूरतों के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आबद्ध अनुदानों का इस्तेमाल बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाएगा, जैसे (क) स्वच्छता और खुले में शौच जाने से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने संबंधी कार्य और (ख) पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संरक्षण और जल पुनश्चक्रण। परंतु यदि किसी ग्रामीण स्थानीय निकाय ने प्रथम श्रेणी की जरूरतें पूरी कर ली हैं, तो वह अन्य श्रेणी के लिए शेष धन का इस्तेमाल कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए 15वें वित्त आयोग का कुल अनुदान 60,750 करोड़ रुपये होगा।

केंद्र द्वारा जारी 15वें वित्त आयोग के बुनियादी और आबद्ध अनुदानों का वितरण राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) की अद्यतन स्वीकृत अनुशंसाओं और 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित निम्नांकित कार्यों के अनुरूप किया जा सकता हैः

- ग्राम/गांव पंचायतों के लिए 70-85 प्रतिशत
- खंड/मध्यवर्ती पंचायतों के लिए 10-25 प्रतिशत
- जिला पंचायतों के लिए 5-15 प्रतिशत
- ऐसे राज्यों में जहां केवल गांव और जिला स्तर पर दो स्तरीय पंचायत प्रणाली है, वहां 70-85 प्रतिशत आवंटन गांव/ग्राम पंचायतों के लिए और 15-30 प्रतिशत आवंटन जिला पंचायतों के लिए किया जाएगा।

किसी राज्य में एक श्रेणी में संबंधित संस्थाओं के बीच अंतर-स्तरीय वितरण 90:10 के अनुपात में या नवीनतम एसएफसी की स्वीकृत सिफारिशों के अनुसार जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए। गैर-भाग-9 क्षेत्रों में परंपरागत निकायों के लिए, राज्यों को 90-10 के अनुपात में जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर अनुदान आवंटित करना होगा।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में एफएफसी अनुदान दो किस्तों में, जून और अक्तूबर के महीने में जारी किए जाएंगे। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उनके खाते में राशि क्रेडिट करने से 10 कार्य दिवसों के भीतर स्थानीय ग्रामीण निकायों को अनुदान जारी करने होंगे। ग्रामीण स्थानीय निकायों को देय अनुदानों में से स्रोत पर कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। विलम्ब के मामले में राज्य सरकार को ब्याज के साथ किस्त जारी करनी होगी, जिस पर ब्याज की दर राज्य की स्वयं की निधियों से पिछले वर्ष बाजार

उधारी/राज्य विकास ऋणों पर लागू दर के समान होगी। एफएफसी अनुदानों के कारगर उपयोग पर निगरानी और मूल्यांकन के लिए, राज्यों से कहा गया है कि वे मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय निगरानी समितियों का गठन करें। पंचायती राज मंत्रालय इन उच्च स्तरीय समितियों की कार्य प्रणाली पर नजर रखेगा और प्रभावकारी कार्य प्रणाली के लिए समय समय पर राज्यों को सहायता प्रदान करेगा।

वित्त आयोग अनुदानों के कारगर इस्तेमाल के लिए पंचायती राज संस्थाओं में सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है ताकि आरएलबीज़ की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस दिशा में पंचायती राज मंत्रालय ने प्रियासॉफ्ट-सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) इंटरफेस की व्यवस्था की है, जिसमें वित्त आयोग अनुदानों में से विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को सभी भुगतान इस प्रणाली से करना अनिवार्य बनाया गया है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त इन अनुदानों से निर्मित सभी भौतिक परिसम्पत्तियों की मोबाइल ऐप-एमएक्शन सॉफ्ट के साथ जिओ टैगिंग का प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के आनलाइन लेखा परीक्षित खाते तैयार करने की अनुशंसा की है। इस दिशा में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के खातों की आनलाइन लेखा परीक्षा के लिए "ऑडिट ऑनलाइन" नाम का अप्लीकेशन तैयार और विकसित किया है। इससे न केवल खातों का लेखा परीक्षण किया जा सकता है, बल्कि इसमें किए गए लेखा परीक्षण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने का भी प्रावधान है। इस अप्लीकेशन में लेखा परीक्षा संबंधी जांच की प्रक्रिया को सुचारू बनाने, स्थानीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने, ऑडिट पैरा तैयार करने आदि की व्यवस्था है।

4.3 पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई गतिविधियों को अंजाम देना

पंचायत स्थानीय निकाय होने के नाते राज्य सूची के अंतर्गत आती है और पंचायती राज संस्थाएं राज्य अधिनियमों और नियमों द्वारा शासित हैं। कई राज्य सरकारों ने पंचायत के विभिन्न स्तरों को कुछ गतिविधियां सौंप रखी हैं। अतः ऐसे राज्यों में खंड

पंचायत (आईपी) और जिला पंचायत (डीपी) को अपनी योजनाएं तैयार करते समय राज्य सरकारों द्‌वारा दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करना होता है। इसके अतिरिक्त अनेक राज्य सरकारों ने संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्‌ध 29 विषयों के संदर्भ में 3 स्तरीय पंचायतों के लिए गतिविधि मानचित्रण करने का निर्णय किया है। आईपी और डीपी द्‌वारा योजनाएं बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी योजनाओं में वर्णित गतिविधियां राज्य सरकार द्‌वारा तय किए गए गतिविधि मानचित्रण के अनुरूप हैं। ऐसे में आईपी और डीपी द्‌वारा योजना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। इसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप योजना तैयार करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बीडीपी और डीडीपी ग्रामीण भारत को रूपांतरित करने वाली व्यवस्थाएं हैं। इस प्रक्रिया में आईपी और डीपी को मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि संविधान के 73वें संशोधन में वर्णित अनुसार भारत में पंचायती राज प्रणाली को समग्र रूप से मजबूत बनाया जा सके। इसलिए, इन योजनाओं में स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को शामिल किया जाना चाहिए और वे सम्बद्‌ध क्षेत्र के त्वरित बहुआयामी समेकित विकास के लिए व्यापक जरूरत आधारित विकास योजना होनी चाहिए। जीपीडीपी और बीडीपी एवं डीडीपी के बीच अंतर यह होगा कि खंड स्तरीय और जिला स्तरीय योजनाएं अधिक व्यापक क्षेत्र को कवर करेंगी, ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को एकीकृत और समेकित करेंगी तथा अपने क्षेत्र की समग्र वृद्‌धि और विकास में प्रेरक और पूरक उपायों के रूप में काम करेंगी। इसी प्रकार ये योजनाएं राज्य विकास संदर्श के साथ तैयार किए गए राज्य सरकार के विभिन्न उपायों के लिए भी प्रेरक और पूरक होनी चाहिए, जहां राज्य सरकार द्‌वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए शासन के सभी स्तरों को अपनी भूमिका अदा करनी होती है। अंततः इन सभी प्रयासों को स्थायी विकास लक्ष्यों (एसडीजी) सहित बृहत्तर राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को हासिल करने में योगदान करना चाहिए।

अनेक राज्यों ने अभी तक आईपी और डीपी की जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है। फिर भी योजना बनाते समय आईपी और डीपी को 29 विषय क्षेत्रों पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि सरकार के अन्य स्तरों के क्षेत्रों में अतिक्रमण किए बिना वे कैसे अपना योगदान कर सकती हैं। इसके

अतिरिक्त उन्हें राज्य और केंद्र सरकारों के कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ समन्वय भी सुनिश्चित करना चाहिए।

4.4 केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित करना

11वीं अनुसूची के 29 विषयों के संदर्भ में समन्वय और सामूहिक कार्रवाई से जरूरतें पूरी करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के रूपांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 243(छ) में वर्णित अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अलावा उन्हें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित कार्यक्रमों सहित केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित भी करना है। अतः जैसा कि तालिका-5 में वर्णित है, पंचायतों को संबंधित विभागों के कार्यक्रमों और उपायों के साथ समन्वय स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। ये कार्यक्रम बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जा सकते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम; जल शक्ति मंत्रालय के कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, जल जीवन मिशन; स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रमों जैसे समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए), मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (एमडीएम), प्रौढ़ शिक्षा, बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन कार्यक्रम और राष्ट्रीय अर्थोपाय एवं योग्यता छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस); कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवी), एटीएमए; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और महिला और बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रम जैसे समेकित बाल विकास सेवाएं और पोषण अभियान, आदि कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय कार्यक्रम हैं, जिनके संचालनगत प्रबंधन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जैसा कि तालिका-5 में वर्णित किया गया है, पंचायतों को मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्रमों और उपायों के माध्यम से समन्वय स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए, जिन्हें वे बीडीपी और डीडीपी में शामिल कर सकती हैं।

तालिका 5: ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबद्ध मंत्रालयों के कार्यक्रम और उनके कार्यान्वयन की उपलब्धियां

क्र. सं.	11वीं अनुसूची के अनुसार एफएफसी में 29 विभाग	संबद्ध मंत्रालय	उपलब्धियां	योजनाएं / संस्था
1	कृषि विस्तार सहित कृषि	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय पशुपालन मंत्रालय	• सिंचित क्षेत्र में वृद्धि • सभी के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड और उर्वरकों का इष्टतम उपयोग • समय पर और गुणवत्ता निवेश- बीज, उर्वरक, कीटनाशक • जैविक कृषि • बागवानी संभावित उपयोग • फसल बीमा व्याप्ति • मूल्य श्रृंखला का विकास • विपणन सहायता के लिए टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति बनाना • डेरी, बकरी पालन,	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी मिशन, ई-नाम ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री किसान-धन योजना, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि,
2	भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मिट्टी संरक्षण			
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल संभर विकास			
4	पशुपालन, डेयरी और मुर्गी पालन			
5	मछली उद्योग			

क्र. सं.	11वीं अनुसूची के अनुसार एफएफसी में 29 विभाग	संबद्ध मंत्रालय	उपलब्धियां	योजनाएं / संस्था
			पोल्ट्री में पूर्ण संभावित उपयोग • पशु संसाधनों के लिए टीकाकरण सेवाएं और पशु चिकित्सा देखभाल • मछली उत्पादन बढ़ाना	पीएम-एएएसएचए, एसएमएएफ, एसएएमई, आईएसएएम, आरजीएम, एनपीडीडी, पीएमएमएसवाई
6	सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी	पर्यावरण, वानिकी, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी सी) ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	सामाजिक वानिकी वृक्षारोपण, नर्सरी निर्माण कृषि वानिकी वृक्षारोपण	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड, कृषि वानिकी उप-मिशन
7	लघु वनोपज	जनजातीय कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय	लघु वनोपज का रोपण न्यूनतम समर्थन मूल्य मूल्य संवर्धन क्षमता निर्माण	ग्रीन इंडिया मिशन, लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय औषधीय

क्र. सं.	11वीं अनुसूची के अनुसार एफएफसी में 29 विभाग	संबद्ध मंत्रालय	उपलब्धियां	योजनाएं / संस्था
				पौधे बोर्ड प्रधानमंत्री वन धन योजना
8	खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित लघु उद्योग	कपड़ा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय	• हथकरघा और हस्तशिल्प समूहों का विकास • एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास	Handloom Scheme, हथकरघा योजना, H, हस्तशिल्प योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना
9	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय	• गैर-कृषि रोजगार के अवसर सृजित • संकुल आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक संपर्क • हथकरघा और हस्तशिल्प समूहों का विकास	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, हथकरघा योजना, हस्तशिल्प योजना
10	ग्रामीण आवास	ग्रामीण विकास मंत्रालय	• सभी के लिए आवास	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
11	पीने का पानी	पेयजल और	• सभी घरों में पीने	जल जीवन मिशन,

क्र. सं.	11वीं अनुसूची के अनुसार एफएफसी में 29 विभाग	संबद्ध मंत्रालय	उपलब्धियां	योजनाएं / संस्था
		स्वच्छता विभाग	का पानी • सभी घरों के लिए आईएचएचएलएस • भूजल की निगरानी और भूजल डेटा के प्रकटीकरण में सुधार	पंद्रहवां वित्त आयोग
12	ईंधन और चारा	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एम ओ ई एफ एफ सी सी)	• सौर ऊर्जा / बायोगैस / अन्य नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने वाले परिवार • एलपीजी गैस • वृक्षारोपण • सतत संग्रह	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड
13	सड़क, पुलिया, पुल, नौकाएं, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन	ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय	• गाँव की सड़कें • सामुदायिक संपत्ति	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सासंद आदर्श ग्राम योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,

क्र. सं.	11वीं अनुसूची के अनुसार एफएफसी में 29 विभाग	संबद्ध मंत्रालय	उपलब्धियां	योजनाएं / संस्था
				परिवार परामर्श केन्द्र
14	बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण	विद्युत मंत्रालय	• सभी वंचित घरों के लिए बिजली कनेक्शन • न्यूनतम 12 घंटे बिजली की आपूर्ति	उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल अल ई डी फॉर आल, एकीकृत बिजली विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य योजना
15	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	• सौर ऊर्जा/बायो-गैस /अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने वाले परिवार	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यक्रम/ प्रौद्योगिकी
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	ग्रामीण विकास मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	• स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में सभी वंचित परिवारों का बैंक से जुड़ाव • मनरेगा के तहत मिशन जल संरक्षण • वृद्ध, विधवा और विकलांगों के लिए	मध्याहन भोजन योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय सामाजिक

क्र. सं.	11वीं अनुसूची के अनुसार एफएफसी में 29 विभाग	संबद्ध मंत्रालय	उपलब्धियां	योजनाएं / संस्था
			पेंशन • सभी पात्र युवाओं के लिए रोजगार आधारित और स्वरोजगार कौशल	सहायता कार्यक्रम
17	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	• 100% छात्र उपस्थिति और शिक्षण संबंधी परिणाम • लड़कियों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सुविधा • खेल सुविधाओं के साथ पर्याप्त स्कूली बुनियादी ढाँचा • कौशल विकास और साक्षरता मंत्रालय • सभी पात्र युवाओं के लिए रोजगार	समेकित बाल विकास सेवाएं, सर्वशिक्षा मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, मध्याह्न भोजन योजना,
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय		प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

क्र. सं.	11वीं अनुसूची के अनुसार एफएफसी में 29 विभाग	संबद्ध मंत्रालय	उपलब्धियां	योजनाएं / संस्था
			आधारित और स्वरोजगार कौशल सुविधा	
19	वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय	• वयस्कों को शिक्षित करना • अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना • लिंकेज सहित पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ स्कूल	सर्व शिक्षा अभियान,
20	पुस्तकालय			
21	सांस्कृतिक गतिविधियां	संस्कृति मंत्रालय	• ग्राम पंचायतों के स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियाँ	कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वितीय सहायता योजना
22	बाजार और मेले	ग्रामीण विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय	• ग्रामीण हाट • मूल्य श्रृंखला विकास • विपणन सहायता • न्यूनतम समर्थन मूल्य	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम,

क्र. सं.	11वीं अनुसूची के अनुसार एफएफसी में 29 विभाग	संबद्ध मंत्रालय	उपलब्धियां	योजनाएं / संस्था
23	अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	• वेलनेस सेंटर जैसे स्वास्थ्य उप-केंद्र • स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कवरेज • आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा • 100% टीकाकरण 100% • 100% संस्थागत प्रसव • मलेरिया, तपेदिक, फाइलेरिया, काला अजार के लिए 100% उपचार	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन / राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मिशन इन्द्रधनुष, समेकित बाल विकास सेवाएं, स्वच्छ भारत मिशन
24	परिवार कल्याण			
25	महिला बाल विकास	महिला और बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय	• आंगनवाड़ी • सामाजिक सुरक्षा • आजीविका • सभी सेवाओं के साथ 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की पक्की इमारतें	प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एल ई डी फॉर आल, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम,

क्र. सं.	11वीं अनुसूची के अनुसार एफएफसी में 29 विभाग	संबद्ध मंत्रालय	उपलब्धियां	योजनाएं / संस्था
26	विकलांगों और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित सामाजिक कल्याण	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग	• अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति • सभी दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण या सामाजिक सुरक्षा • सहायता और उपकरण • दिव्यांगजनों के लिए संयुक्त शौचालय	छात्रवृत्ति कार्यक्रम, हाथ से मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना
27	कमजोर वर्गों, और विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय	• अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति • पेंशन • न्यूनतम समर्थन मूल्य • अटल पेंशन योजना के तहत	अजा /अजजा/अपिव/ अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति, लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन

क्र. सं.	11वीं अनुसूची के अनुसार एफएफसी में 29 विभाग	संबद्ध मंत्रालय	उपलब्धियां	योजनाएं / संस्था
			पूर्ण कवरेज • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पूर्ण कवरेज • माइक्रो एटीएम के साथ बैंक मित्र	ज्योति बीमा योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	• पीडीएस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा • वंचित / जरूरतमंद लोगों को रियायती मूल्य पर अनाज	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29	सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव	पंचायती राज मंत्रालय	• सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव • सेवाओं का बेहतर वितरण	पंद्रहवां वित्त आयोग

नोट: राज्य अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाओं को संशोधित/संवर्धित सकते हैं।

ऊपर वर्णित प्रक्रिया में बीडीपी और डीडीपी के लिए गठित क्षेत्रगत कार्य समूहों और आयोजना समिति के लिए तालिका 6 देखी जा सकती है, ताकि समन्वय के लिए स्कीमों और वांछित परिणामों को पता लगाया जा सके। तालिका 6 का स्वरूप सुझावात्मक है और अनुबंध VII ए से VII के योजना का मंत्रालय वार विवरण प्रदान करते हैं। परन्तु अद्‌यतन जानकारी और विस्तृत ब्यौरे के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइट देखी जा सकती हैं।

तालिका 6: संबंधित विभागों/मंत्रालयों के वितरण और योजनाएं

क्र.सं.	**मंत्रालय का नाम**	प्रमुख उपलब्धियां	**भारत सरकार की लागू योजना**
1.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	• सर्व मौसम सड़क से जुड़ी सभी पात्र बस्तियां • मनरेगा के तहत दिहाड़ी रोजगार और सामुदायिक एवे व्यक्तिगत टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण • सभी के लिए आवास • स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में सभी वंचित परिवारों को बैंक संपर्क के साथ • मनरेगा के तहत मिशन जल संरक्षण • Pension for old, widow and disabled • वृद्‌ध, विधवा और दिव्यांग जनों के लिए पेंशन • सभी योग्य युवाओं के	➢ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ➢ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ➢ प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमऐवाई-जी) ➢ दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ➢ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ➢ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ➢ दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयूजीकवाई) ➢ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	भारत सरकार की लागू योजना
		लिए रोजगार आधारित और स्वरोजगार कौशल • मनरेगा के साथ गाँव की सड़कें • ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन	➢ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ➢ संसद आदर्श ग्राम योजना (एस ऐजीवाई) **विवरण अनुलग्नक VII A पर उपलब्ध हैं**
2.	पंचायत राज मंत्रालय (एमओपीआर)	• निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और कार्यप्रणाली का क्षमता विकास • पीईएस आधारित कार्यालय ऑटोमेशन अर्थात् आयोजना, निगरानी, लेखा, आदि और सार्वजनिक सेवा वितरण	➢ सबकी योजना और सबका विकास ➢ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) ➢ ई-गवर्नेंस: ई-ग्राम स्वराज, ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट - पंचायत एंटरप्राइज सूट।
3.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	• 100% छात्र उपस्थिति और सीखने के परिणाम • लड़कियों के लिए उच्चतर माध्यमिक सुविधा • खेल सुविधा के साथ पर्याप्त स्कूल ढांचा • प्रौढ़ शिक्षा	➢ समग्र शिक्षा ➢ दोपहर का भोजन ➢ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के वास्ते प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई) ➢ राष्ट्रीय अथोपाय छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएस) ➢ मदरसों / अल्पसंख्यकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) ➢ शिक्षा का अधिकार अधिनियम ➢ एकीकृत राष्ट्रीय कृषि मिशन

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	**भारत सरकार की लागू योजना**
			प्राधिकरण ➢ प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण के तहत) ➢ वयस्क शिक्षा और कौशल विकास के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता योजना **विवरण अनुलग्नक VII B पर उपलब्ध हैं**
4.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	• वेलनेस संटर के रूप में स्वास्थ्य उप-केंद्र • स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कवरेज • आपातकालीन एम्बुलेंस सुविधा • 100% टीकाकरण • 100% संस्थागत प्रसव • मलेरिया, तपेदिक, फाइलेरिया, काला अजार के लिए 100% उपचार • पीएचसी-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र • सीएचसी-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र • स्वास्थ्य बीमा	➢ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) ➢ आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ➢ कार्यक्रम हैं: • बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) • गरीब मरीजों की वित्तीय सहायता • प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) • प्रधानमंत्री बीमा योजना (पीएमबीवाई) ➢ बुनियादी ढांचा रखरखाव कार्यक्रम ➢ सबके लिए टीकाकरण (यूआईपी) ➢ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी) ➢ पल्स पोलियो कार्यक्रम ➢ जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम (जेएसएसके) ➢ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	भारत सरकार की लागू योजना
			(पीएमएसएमए) ➢ परिवार नियोजन ➢ नवजात और छोटे बच्चे के लिए घर पर देखभाल ➢ राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) ➢ अतिसार की रोकथाम और प्रबंधन ➢ राष्ट्रीय डीवोर्मिंग डे - वर्ष में दो बार नि: शुल्क डीवोर्मिंग अभियान आयोजित किया जाता है ➢ राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल ➢ पोषण पुनर्वास केंद्र ➢ कुष्ठ रोग - (राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम) ➢ गैर-संचारी रोगों की सार्वभौमिक जांच ➢ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ➢ राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम ➢ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और प्रारंभिक बाल विकास ➢ किशोर स्वास्थ्य • राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम • मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजना • किशोर के अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (एएफएचसी) -

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	भारत सरकार की लागू योजना
			• साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरक ➢ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का विस्तार: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के विवरण क्रमशः अनुलग्नक VII C और VII D पर उपलब्ध हैं
5.	जल शक्ति मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता विभाग	• सभी घरों के लिए पाइप के जरिए पेयजल • सभी घरों के लिए आईएचएचएलएस • ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता • जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन	➢ स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (द्वितीय चरण) ➢ जल जीवन मिशन **विवरण अनुलग्नक VII E पर उपलब्ध हैं**
6.	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	• सभी के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड और इष्टतम उर्वरक उपयोग • समय पर और गुणवत्ता निवेश - बीज, उर्वरक,	➢ प्रधानमंत्री किसान निधि योजना (पीएम-किसान) ➢ प्रधानमंत्री किसान-धन योजना (प्रधानमंत्री- केएमवाई) ➢ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) ➢ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्निर्मित मौसम

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	भारत सरकार की लागू योजना
		कीटनाशक कार्बनिक कृषि। • बागवानी • बागवानी संभावित उपयोग • फसल बीमा कवरेज • मूल्य श्रृंखला विकास • गुणवत्ता बीज • बीमा	आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूडब्ल्यूसीआईएस) ➢ प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना (पीएम केएसवाई) - प्रति बूंद अधिक फसल ➢ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य में फसल अवशेषों के "स्व स्थाने प्रबंधन" के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना ➢ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) ➢ बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएचएच) ➢ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कृषि और संबद्ध क्षेत्र कायाकल्प के लिए पारिश्रमिक स्वीकृतियां (आरकेवीवाई-रफ़्तार) ➢ परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) ➢ पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) ➢ वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) ➢ कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ) ➢ कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई) ➢ बीज और रोपण सामग्री उप मिशन

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	भारत सरकार की लागू योजना
			(एसएमएसपी) ➢ कृषि यांत्रिकीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) ➢ एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) ➢ राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) ➢ ग्रामीण कृषि बाजारों में ग्रामीण हाटों का विकास और उन्नयन (ग्राम) ➢ एकीकृत कृषि सहयोग कार्यक्रम **<u>विवरण अनुलग्नक VIIF पर उपलब्ध हैं</u>**
7.	पशुपालन और डेयरी विभाग	• डेयरी, बकरी पालन, पोल्ट्री में पूर्ण संभावित उपयोग • मत्स्य पालन का पूर्ण संभावित उपयोग • पशु संसाधनों और पशु चिकित्सा देखभाल के लिए टीकाकरण सेवाएं. • मूल्य श्रृंखला का विकास	➢ राष्ट्रीय गोकुल मिशन ➢ राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र (एन केबीसी) ➢ आरजीएम अवार्ड ➢ ई पशु हाट ➢ राष्ट्रीय पुरस्कार ➢ भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी **<u>वरण अनुलग्नक VII G पर उपलब्ध हैं</u>**
8.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	• एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति • सभी दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण	➢ **छात्रवृत्ति** • IX & X में अध्ययनरत अजजा छात्रों को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति • प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति उन माता-पिता के बच्चों को दी जाती है जो सफाई से जुड़े व्यवसायों में लगे रहते हैं और स्वास्थ्य के

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	भारत सरकार की लागू योजना
		या सामाजिक सुरक्षा • सहायता और उपकरण • दिव्यांगजनों के लिए उभयलिंगी शौचालय	लिए खतरा होते हैं • अजा छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति • अजा छात्रों के योग्यता उन्नयन का कार्य ➢ **मुफ्त कोचिंग** • अजा और अपिव विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना ➢ आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ • अनुसूचित जातियों (अनुसूचित जातियों) के लिए ऋण संवर्धन गारंटी योजना • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) • अनुसूचित जाति उप योजना में विशेष केंद्रीय सहायता (एससीएस से एससीएसपी) • अनुसूचित जाति विकास निगमों (एससीडीसी) की सहायता योजना • मैनुअल स्कैवेंजर्स (एसआरएमएस) के पुनर्वास के लिए स्व रोजगार योजना • अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी कोष
9.	वित्त मत्रांलय	• सुरक्षा बीमा योजना के	➢ प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	भारत सरकार की लागू योजना
		तहत पूर्ण कवरेज • अटल पेंशन योजना के तहत पूर्ण कवरेज • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पूर्ण कवरेज • माइक्रो एटीएम के साथ बैंक मित्र	➢ अटल पेंशन योजना ➢ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ➢ प्रधानमंत्री जन धन योजना
10	विद्युत मंत्रालय	सभी वंचित परिवारों के लिए बिजली कनेक्शन	➢ सौभाग्य ➢ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
11	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	• सभी वंचित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस	➢ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
12	खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	• खाद्य सुरक्षा	➢ ग्राम अनाज बैंक योजना ➢ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
13	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	• गैर-कृषि रोजगार के अवसरों का सृजन • समूह आर्थिक गतिविधि के लिए बैंक संपर्क • ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण	➢ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) ➢ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) ➢ ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी)

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	भारत सरकार की लागू योजना
		• ग्रामीण बाजारों का विकास • सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास	➢ विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना ➢ बाजार संवर्धन और विकास योजना (एमपीडीए) ➢ पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष योजना (स्फूर्ति) ➢ नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना (एस्पायर) ➢ खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) ➢ नारियल विकास योजना (सीवीवाई) ➢ नारियल उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (सीआईटीयूएस) ➢ नारियल के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) ➢ राष्ट्रीय अजा और अजजा केन्द्र ➢ कौशल उन्नयन और महिला सहयोग योजना (एमसीवाई) ➢ इनक्यूबेटर के माध्यम से एसएमई का उद्यमशील और प्रबंधकीय विकास ➢ नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्द्धन योजना (एस्पायर) ➢ उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) ➢ प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) **विवरण अनुलग्नक VII H पर उपलब्ध हैं**

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	भारत सरकार की लागू योजना
14	खेल विभाग	• ग्राम पंचायत स्तर पर खेल गतिविधियाँ • ग्राम पंचायत स्तर पर खेल केन्द्र की स्थापना	➢ खेल संबंधी मानव संसाधन विकास योजना
15	जनजातीय कार्य मंत्रालय	• 'मिशन अंत्योदय' के तहत शामिल जनजातीय ग्राम पंचायतों को केंद्रित संसाधन सहायता प्रदान करना • अजजा छात्रों को छात्रवृत्ति • लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य • जनजातीय युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र • जनजातीय उत्पादों के लिए विपणन सहायता	➢ अजजा विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति ➢ अजजा उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति ➢ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X) ➢ अजजा छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) ➢ एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय ➢ जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन ➢ लघु वनोपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ➢ अजजा के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान ➢ कम साक्षरता वाले जिलों में अजजा लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना ➢ प्रधानमंत्री वन धन योजना ➢ जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	**भारत सरकार की लागू योजना**
			प्रशिक्षण केंद्र ➢ आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना ➢ अजजा लड़कों और अजजा लड़कियों के लिए छात्रावास **<u>विवरण अनुलग्नक VII I पर उपलब्ध हैं</u>**
16	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	• प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर का विकास • पश्चवर्ती और परवर्ती संपर्क • कोल्ड चेन विकास • खाद्य प्रसंस्करण/ संरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार	➢ केंद्रीय क्षेत्र - प्रधानमंत्री किसान योजना (पीएमकेएसवाई) ➢ केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारीकरण (पीएम-एफएमई) **<u>विवरण अनुलग्नक VII J पर उपलब्ध हैं</u>**
17	महिला और बाल विकास मंत्रालय	• कुपोषण को दूर करने सहित सभी सेवाओं के साथ 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी की पक्की इमारतें • एसईसीसी के अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाले वंचित परिवारों को पर्याप्त आजीविका विकल्प या सामाजिक	➢ आंगनवाड़ी सेवा योजना ➢ पोषण अभियान ➢ किशोरियों के लिए योजना ➢ बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना ➢ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ➢ महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए समर्थन (एसटीईपी) ➢ समेकित बाल संरक्षण योजना

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	भारत सरकार की लागू योजना
		सुरक्षा प्रदान की जाती है	
18	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	• वनीकरण • कृषि वानिकी • सामाजिक वानिकी • लघु वनोपज	➢ राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम ➢ राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन ➢ राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम ➢ संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम
19	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	• सभी पात्र युवाओं के लिए रोजगार और स्व-रोजगार कौशल	➢ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) ➢ प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) ➢ राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) ➢ जन शिक्षण संस्थान ➢ क्षमता निर्माण कार्यक्रम ➢ उड़ान ➢ आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) ➢ मानक प्रशिक्षण मूल्यांकन और पुरस्कार (स्टार) ➢ कौशल ऋण योजना ➢ उद्यमिता पर पायलट प्रोजेक्ट ➢ शिल्पकार प्रशिक्षण योजना ➢ आधुनिक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम ➢ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	मंत्रालय का नाम	प्रमुख उपलब्धियां	**भारत सरकार की लागू योजना**
			➢ आईटीआई के उन्नयन के लिए योजनाएं **<u>विवरण अनुलग्नक VII K पर उपलब्ध हैं</u>**

4.5 राष्ट्रीय, राज्य, आपात स्थिति, अभियान और मिशन में केंद्र और राज्य सरकार का समर्थन करना

कुछ मामलों में उदाहरण के लिए बाढ़, चक्रवात, महामारी आदि के कारण केंद्र या राज्य सरकार के लिए हर घर के दरवाजे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पंचायतों को स्थानीय सरकार के साथ-साथ प्रमुख विकास साझेदारों में से एक के रूप में जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कुछ मामलों में केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं समस्याओं से निपटने में प्रशासनिक देरी के कारण होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप खराब जवाबदेही, स्थान विशेष की समस्याओं के प्रति ज्ञान की कमी आदि। इन अंतरालों को पाटने के लिए पंचायतों को आगे आना होगा। कुछ अभियानों में पंचायतें स्थानीय समुदाय के निकटता के कारण मिशन मोड योजना या अभियान को लागू करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। पंचायतों को गाँव के लोगों के लिए न केवल चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से, बल्कि आसान पहुँच और समुदाय के साथ लगातार बातचीत के लिए भी जिम्मेदार रहना होगा। वे स्थानीय मुद्दों के बारे में अधिक जानते हैं और किसी भी अन्य सरकार की तुलना में बेहतर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अंततः शासन में अधिक समावेशिता लाएंगी।

केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाएँ हैं जिनमें पंचायतों की इन योजनाओं के कार्यान्वयन में भूमिका है। पंचायतों द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के विकास भागीदारों के रूप में कार्य किए जाने की उम्मीद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243छ में पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए अधिदेशित किया गया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से पंचायतों को

स्थानीय स्वशासन के प्रभावी संस्थानों में विकसित होने की उम्मीद है। समयबद्ध तरीके से और मिशन मोड में कुछ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्यों के साथ, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें विभिन्न मुहिम, अभियान या मिशन शुरू करती हैं। संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, पल्स पोलियो अभियान, मिशन इन्द्रधनुष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जल शक्ति अभियान, जल जीवन मिशन, पोषण अभियान, पीपुल्स प्लान अभियान ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं।

परिणाम-आधारित हस्तक्षेपों के साथ परिणाम प्राप्त करने के लिए, लोगों की भागीदारी प्रमुख घटकों में से एक है और यह तभी संभव हो सकता है जब पंचायतें केंद्र और राज्य सरकारों के विकास भागीदार के रूप में आगे आएं। पंचायतें तालमेल और समन्वय कार्यों के लिए हस्तक्षेप और सामुदायिक एकत्रीकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ ज्ञान, सूचना और संसाधन साझा करने में भागीदार हो सकती हैं। विभिन्न चल रही विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन के अलावा, पंचायतों को आपातकालीन शमन और आपदा प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

आपात स्थितियों में पंचायतों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। रोग के प्रकोप, महामारी, वैश्विक महामारी, बाढ़, चक्रवात, भूकंप के मामले में पंचायतें केवल निष्क्रिय योजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नहीं रह सकतीं क्योंकि वे सरकारों की निकटतम संभावित संस्था हैं। पुनर्निर्माण, फसल सुरक्षा, पशुधन प्रबंधन और स्वास्थ्य और स्वच्छता उपायों के संदर्भ में आपातकालीन स्थिति के प्रबंधन में पंचायतों की सक्रिय भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान महामारी के संदर्भ में, पंचायतों को समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करने, अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने और दोषारोपण के मुद्दे को दूर करने के लिए पहल करनी चाहिए। समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों के साथ पंचायतों को कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। पंचायतें स्वास्थ्य कर्मियों और समुदाय के बीच एक अच्छी कड़ी हो सकती हैं। जरूरत आधारित सेवा वितरण के लिए उन्हें सरकारी विभागों के साथ संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें स्थानीय बाजारों के सुरक्षित संचालन और सार्वजनिक वितरण

प्रणाली के तहत गरीबों को खाद्यान्न वितरण को सुचारू रूप से संचालित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

इसके अलावा, वे राज्य स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्थानीय स्तर पर संगरोध केंद्र चला सकते हैं और समुदाय को एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए एक तंत्र विकसित करना होगा।

4.6 सरकारी योजनाओं को लागू करना

राज्य सरकारों की अनेक योजनाएं करगर ढंग से बनाने, लागू करने और उनकी निगरानी में पंचायतें प्रभावी भूमिका निभाती हैं। पंचायतों के माध्यम से कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राज्य सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें से हर योजना खास आयोजन, क्रियान्वयन और आकलन तंत्र के जरिये तैयार की जाती है। लाभार्थियों का चयनए जगह का चुनाव, आयोजना, क्रियान्वायन लाभ का वितरण, निगरानी, विभिन्न जवाबदेह मंचो की गतिविधियों की स्वीकृति और उनकी पक्की व्यवस्था, पहले से ही विवरण बताना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करके, कुशलता और जानकारी के स्तर के अनुसार उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, स्वसहायता समूहों और समुदाय आधारित संगठनों के समन्वय के लिए डिजाइन तैयार करना, गतिविधियों के परिणामों को सब लाभार्थियों तक पहुंचाने के वास्ते सूचना प्रौद्योगिकी की मदद लेना, पर्यावरण अनुकूल तंत्र की येाजना बनाना, राजस्व के संसाधन विकसित करने के लिए परिसंपत्तियां विकसित करना, परिणामों और जन सहयोग के माध्यम से दीर्घावधि विकास का खाका बनाना, ऐसे प्रमुख क्षेत्र है जिनमें पंचायते राज्य सरकारों के संबद्ध विभागों से तालमेल रखकर दीर्घावधि विकास के कार्यक्रम चला सकती हैं।

4.7 पंचायती राज संस्थाएं, समुदाय आधारित संगठनों मे समन्वय

स्वैच्छिक संगठनों, समुदायों/गैर सरकारी संगठनों/ स्वसहायता समूह/ स्थानीय कार्य समिति का सरकार के प्रयासों में सभी स्तरो पर सहयोग रहता है। स्थानीय समुदाय आधारित संगठन/गैर सरकारी संगठनों की सामाज की सक्रिय भागीदारी जुटाने, तथा आपस में तालमेल बनाने में भी

इनकी भूमिका अहम रहती है। इनमें हालात और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है ताकि गरीब और बेहद गरीब लोगों की खास मदद की जा सके ताकि उनका विकास हो। एनजीओ/स्थानीय क्लब/सीबीओ विभिन्न क्षे्त्रों के लोगों तक सेवा-सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सके और प्राकृतिक आपदा या आपातकाल जैसी स्थिति में उनकी कठिनाइयां दूर की जा सके। इससे इन संगठनों को स्थानीय लोगों और समुदाय के साथ निकट संपर्क बनाने में कामयाबी मिलती है, ताकि लोगों की जीवनशैली ने अनुरूप विकास योजनाएं बनायी जा सके।

विकास प्रक्रिया में स्वैच्छिक और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस वक्त पंचायतों और समुदाय आधारित संगठनों के बीच मजबूत संपर्क होना जरूरी है। जनसहयोग जुटाने और समुदाय को सशक्त बनाने में भी इनकी खास भूमिका है। समुदाय आधारित संगठनों और पंचायाती राज संस्थाओं में विकास के स्थाअनीय लक्ष्य प्राप्त करने के लिए से समन्वय कायम किया है। सीबीओ और पीआरआई के बीच तालमेल समुदाय को विकास प्रक्रिया में शामिल करने और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति और जागरूक बनाने के वास्ते यह जरूरी है। साथ ही पंचायत प्रणाली को अधिक जवाबदेह और सक्रिय बनाने तथा ग्राम स्तर पर लोकता्ंत्रिक व्यवस्थ्या बनाने के लिए भी इनका योगदान महत्वपूर्ण है। पंचायतों को सीबीओ और एनजीओं को अपना विकास भागीदार समझना होगा।

खंड विकास योजना और जिला विकास योजना बनाने के लिए सेक्शन 2.4 में स्वसहायता समूहों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया है। अनेक सीबीओ ग्राम बाल संरक्षण समिति, ग्राम पंचायत योजना निर्माण दल और पंचायतों के अन्य सक्रिय समूहों जैसे सामाजिक और मानवीय विकास मुददों से जुडी स्थानीय समिति के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि विकास के विभिन्न चरणों में तालमेल बना रहे। इस तरह समेकित प्रयास से पंयाचती राज संस्थाएं लक्षित समूहों और असल जरूरतमंद लोगों तक सेवाएं कारगर तरीके से पहुंच सकेंगी। समुदाय की स्थानीय आवश्यकताओं और मुददों का पता लगाकर

योजना तैयार ने में भी सीबीओ अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरह सबसे निचले स्तर तक लाभ पहुंचाने मे मदद मिलती है और उपयुक्त योजना बनायी जा सकती है। इससे पंचायतों की जवाब देही और उनके काम में पारदर्शिता बढाने में भी मदद मिलेगी। ऐसा वातावरण बनाने के भी सभी उपाय करने होंगे जिसमें पंचायते और सीबीओ/एनजीओ आपस में बेहतर समझ बनाकर संचालन प्रक्रिया को और प्रभावी बना सकें। लेकिन स्वैच्छिक/गैर सरकारी संगठनों को एनजीओ दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर कराया जा सकता है इस पोर्टल से क्षेत्रवार और राज्यवार संगठनों के बारे में सूचना उपलब्ध होती रहेगी।

4.8 केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत की गई गतिविधियां

राज्यों सरकारों ने संविधान के अनुछेद 243जी की शर्तों के अनुसार पंचायतों को अधिकार और दायित्य अपने हिसाब से तय कर दिये हैं। लेकिन उम्मीद है कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों से परामर्श करके सब्सिडी का सिद्धांत लागू करेगी ताकि त्रिस्तरीय पंचायतों की गतिविधियां स्पष्ट और सुनिश्चित हो जायं इसके लिए संविधान की 11वीं अधिसूची में शामिल विषयों के तहत आने वाले पंचायतों के कामकाज एकदम तय हो जायं और कोई भ्रम न रहे। राज्य सरकार के नियमों के तहत पंचायतों की कुछ स्थायी समितियां होती हैं और प्रत्येक स्थायी समिति के दायित्य भी संविधान की 11 सूची के अनुसार तय किये जाते है।

अनेक केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों के अंतर्गत पंचायातों को कुछ दायित्य सौंपे गये हैं, जैसे-जैविक विविधता अधिनियम 2002 में जन जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा स्थानीय निकायों को सौंपा गया है। इसी तरह वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम पंचायतों को अधिकार रजिस्टर करने का काम सौंपा गया है। साथ ही पंचायतख् अधिसूचित क्षेत्र विस्तार , अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्रामसभा और पंचायतों को कई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। योजना बनाते समय आईपी और डीपी को सुनिश्चित करना होगा कि केन्द्रीय और राज्य के

कानूनों का पूरी तरह पालन हो और योजना में शामिल कार्यो का जिम्मा किसका है यह साफ तौर पर तय किया जायं। इसके लिए सभी कानूनों, नियमों और अधिसूचनाओं का परिपालन होना चाहिए।

4.9 आपदा जोखिम प्रबंधन

लगातार चल रहे जलवायु परिवर्तन और मानव के प्रकृति में हस्तक्षेप के कारण बाढ, सूखे, समुंद्री तूफान और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं लोगों के सामने गंभीर चुनौतियां बनती जा रही है। बदलते परिवेश में इन मुददों से विभिन्न स्तरों पर निपटने और जोखिम कम करने तथा इनका असर कम रखने के प्रयास करने जरूरी हैं। इनमें से कई प्रयास स्थानीय स्तर पर करने होंगे जबकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्री य राज्य और जिला आपदा प्रबंधन योजनाएं भी जरूरी हैं। जो आपदा से निपटने के बारे में उन्हें रोकने या उनका असर कम करने के लिए है। आपदा जोखिम कम करना विकास गतिविधियों से जुडा रहता है और इसी लिए पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर लागू की जाने वाली योजनाओं और परियोजनाओं में भी इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिर, हर पंचायत की आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए जो जिला आपदा प्रबंधन योजना के हिसाब से तैयार की जायं। इसलिए हर आईपी और डीपी को अपनी आपदा प्रबंधन योजना बनाना जरूरी है जिसमें आपदा प्रबंधन के साथ साथ उनके जोखिम और असर को कम करने के उपाय भी शामिल हो। ग्रामीण इलाके लिए खंड और जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं में इन्हें शामिल किया जा सकता है-

- जिले/ खंड की बाधाएं और आशंकाओं का विवरण
- क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता और जरूरत
- खास तौर पर आईपी और डीपी दवारा चलाई जाने वाली कार्य योजना
- तैयारी, जोखिम घटाने और समुदायिक सहभागिता संबंधी योजना।

खतरों और आशंकाओं का विवरण तैयार करने में ग्राम मानचित्र उपयोगी हो सकता है। इसी विवरण के आधार पर परियाजनाएं बनाई जा सकती है। ऐसे

संस्थानांे का विकास करके वहां बुनियादी सुविधाएं जुटना जिन्हें आपदा पीडितों को रखने के लिए राहत शिविरों को के रूप में बदला जा सकता है, वहां जिला आपदा प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से पीडितों के लिए पीने का पानी, शौचालय सुविधाएं और रोशनी की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए सरकार और अन्य एजेंसियों दवारा चलाये जा रहे पुनर्वासं और कल्याण कार्यों की जानकारी पीडितों तक पहुंचाना भी जरूरी है। साथ ही जिन क्षेत्रों में खतरे की ज्यादा आशंका हो वहां खतरा कम रखने के विभिन्न उपाय किये जाने चाहिए। इन सभी कार्यों में बीडीपी और डीडीपी के बीच नजदीकी तालमेल होना जरूरी है।

हर पंचायत में आपदा प्रबंधन कार्यदल गठित किया जाना चाहिए जो आपदा प्रबंधन योजना में शामिल गतिविधियों में तालमेल सुनिश्चित करेगा। यह कार्यदल कृषि, सिंचाई, मृदा संरक्षण और अन्य क्षेत्रों के बारे में सुझावों पर भी विचार करेगा ताकि आपदा से निपटने की तैयारी और उसका प्रकोप कम रखने के उपाय ठीक से किये जा सकेंे। आपदा प्रबंधन कार्यदल अन्य संब़द्ध कार्यदलों को भी इन उपायों की जानकारी उपलब्ध करायेगा। उपलब्ध संसाधनो को ध्यान में रखते हुए आपदा निवारण और शमन परियोजनाएं भी खंड विकास योजना और जिला विकास योजना में शामिल की जा सकती है।

4.10 सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग

पंचायत योजना प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लोगों को राजी करने के लिए राज्य/क्षेत्रीय स्तर पर आईईसी अभियान चलाये जा सकते हैं। इनमें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस/सप्ताह और संबंधित राज्यों दवारा निर्धारित महत्वपूर्ण अवसरों पर विभिन्न मीडिया मंचों से और सोशल मीडिया के जरिये विशेष अभियान चलाये जा सकते हैं। राज्य सरकार स्थानीय लोगों को पूर्ण आयोजन प्रक्रिया और उसके लाभों के बारे में जागरूक बनाने के उदेश्य से व्यापाक संचार नीति विकसित कर सकती है। राज्य अपने स्तर पर ऐसे महत्वपूर्ण दिनों में पोस्टर पैम्फलेट, मैनुअल, बिलबोर्ड, सार्वजनिक घोषणा, कटपुतली शो, नुक्कड नाटक और अन्य तरीको से गांवों में जानकारी दे सकता है। साथ ही ये गतिविधियां भी शामिल की जा सकती है-

I. लोगों के लिए योनजा बनाने और पंचायतों के नवाचार के बारे में लघु चित्रों के जरिये अच्छे काम प्रदर्शित करना
II. ग्रामसभा को चुस्त और सक्रिय बना कर शामिल करना
III. सोशल मीडिया, श्रव्य दृश्य मीडिया, सामुदायिक रेडियो, टीवी चैनालों से विशेष कार्यक्रम/फीचर दिखाना
IV. योजना प्रक्रिया में शामिल होने की आवश्यकता और उसके लाभ समझाने के वास्ते सांस्कृतिक गतिविधियों, प्रदर्शनियों और मोबाइल वैन की मदद से लोगों तक जानकारी पहुंचाना
V. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अधिकारियों और कर्मचारियों का दल ऐसे अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में भेजा जाये जहां सफलता प्राप्त की जा चुकी है।

4.11 साफ सफाई, पेय जल, आजीविका, आर्थिक विकास और आय बढाना, कृषि, सिचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा डब्ल्यूसीडी और कुपोषण पर ध्यान देना

भारत के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान की 11वीं सूची में शामिल 29 विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ये विषय पंचायतों के अनिवार्य कार्यों का हिस्सा भी हैं। ग्राम पंचायतें अपनी सीमित क्षमता और संसाधनों मदद से जीपीडीपी के जरिये इन क्षेत्रों में काम कर रही हैं। आईपी और डीपी जैसी बडी संस्थाओं का जिम्मा है कि वे ग्राम पंचायतों के कामकाज और नतीजों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपयुक्त सुझाव देती रहे ताकि खंड और जिला स्तर पर निर्धारित लक्ष्य हासिल किये जा सके। इन सभी क्षेत्रों की गतिविधियों के व्यापक प्रारूप में आईपी और डीपी दवारा विकास योजनाएं बनाते समय नीचे बताये उपाय किये जा सकते हैं-

- हर क्षेत्र में टिकाऊ विकास लक्ष्यों, संकेतकों और बडे लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाये। इनके आधार पर ही आईपी और डीपी उचित समयसीमा में प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों को चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सकेगा।

- आईपी और डीपी को जीपीडीपी में सभी समबद्ध भागों में तालमेल रखना होगा और देखना होगा की ये लक्ष्य निर्धारित समयसीमा में प्राप्त हो जायं।
- फिर आईपी और डीपी संबद्ध क्षेत्रों की परियोजनाएं तैयार करे ताकि खामियां पूरी की जा सके और जीपीडीपी के प्रस्ताव को विस्तार दिया जा सके और एसडीजी लक्ष्य निर्धारित समय में पूरे हो सकें।
- इस बीच इन विशेष क्षेत्रों के बारे में विभागीय योजनाएं और कार्यक्रम बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। इस तरह एक ही काम को दो बार या दो संस्थाओं दवारा करने से बचा जा सकेगा।

साफ सफाई और पानी

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में साफ सफाई और पीने के पानी के बारे में अनिवार्य कार्यों को स्पष्ट इंगित किया गया है। कम से कम 50 प्रतिशत सहायता इन क्षेत्रों के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित करके खर्च करनी होती है। जल जीवन मिशन ने भी अपने दिशानिर्देश तैयार किये हैं। इस तरह खंड विकास योजना और जिला विकास योजना में इन दिशानिर्देशों तथा एसडीजी और जीपीडीपी पर इन क्षेत्रों की परियोजनाएं बनाते समय ध्यान देना जरूरी है। उदारहण के तौर पर अनेक गांवों और ग्राम पंचायतों के मौजूदा जल संसाधनों के साथ ही चैक डैम यानी बांध बनाऐ जायं और साफ सफाई के लिए मशीनों से मैला ढोने की व्यवस्था की जाए।

आजीविका

इस योजना को और सशक्त बनाने में आईपी और डीपी सहयोग कर सकते हैं जिससे कुशलता विकसित करके आजीविका के अधिक अवसर उपलब्ध होगें और स्थानीय आर्थिक विकास भी होगा। ये संस्थाएं नीचे बतायी गतिविधियां चला सकती है'।

- आजीविका से जुडे कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना, लोगों को एकजुट करने के प्रयास करना, कौशल, मांग और रोजगार के आंकडे तैयार करना, रोजगार मेले आयोजित करना और संबद्ध एजेंसी को हर प्रकार से सहायता देना।
- सुनिश्चित करना की आजीविका कार्यक्रम में महिलाओं सहित सबसे कमजोर वर्गों तक सहायता पहुंचे।

  संभावित उम्मीदवारों और उनके अभिभावकों के साथ विशेष परामर्श सत्र आयोजित करना।

- विभिन्न एमआईएस रिपोर्टों और प्रशिक्षण ले रहे उम्मीदवारों के साथ विचार विमर्श के जरिये योजना लागू होने पर निगाह रखना।

  उम्मदवारों को प्रशिक्षण के बाद दिये रोजगार पर निगाह रखना और उनकी शिकायतें और कठिनाइयां जानने के लिए उनके और उनके अभिभावकों से विचार विमर्श करना।

- उनके भौगोलिक इलाके के हिसाब से जरूरी कौशल और अवसरों का पता लगाना।

<u>कृषि</u>

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पता लगाना चाहिए कि कितने लाभार्थियों के पास ये कार्ड नहीं है और सभी किसानों को कार्ड जारी करने का अभियान चलाया जाए।

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, समेकित बागवानी विकास मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना जैसे बुनियादी विकास कार्यक्रमों पर विशेष रूप से चर्चा करके फसल कटाई के बाद की मूल्य श्रृंखला का आकलन किया जाना चाहिए। कम लागत से प्याज भंडारण, पैक हाउस और अन्य

मूल्य संवर्धन सेवाएं भी खंड विकास योनजा और जिला विकास योजना बनाते समय ध्यान में रखनी चाहिए।

- किसानों की उपज और आमदनी बढ़ाने के लिए खंड विकास योजना और जिला विकास योजना के समन्वय के लिए मौजूदा योजनाओं- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, समेकित बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना, पर विचार किया जाना चाहिए।
- आईपी और डीपी खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने में या पहले से लगी इकाई के विस्तार में समर्थन दे सकते हैं।

खंड विकास योजना और जिला विकास योजना में मुख्य क्षेत्रों के तौर पर शामिल करने के लिए आईपी और डीपी इस प्रारूप की धारा 5,9 में शामिल गतिविधियों पर भी विचार कर सकते हैं।

<u>महिला और बाल विकास, पोषाहार</u>

समूची खंड विकास योजना और जिला विकास योजना में महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए और महिलओं को सशक्त बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाना चाहिए। कुपोषण पर सभी स्तरों पर विचार करना जरूरी है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समेकित बाल विकास योजना को मजबूत बनाना भी जरूरी है। ये कार्य संबंधित विभाग से निकट तालमेल के साथ किया जाना चाहिए। उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, लक्ष्य भी निर्धारित किये जाए, खामियों का पता लगाया जाए, उनके समर्थन के लिए बनायी जाने वाली परियोजनाओं को खंड विकास योजना और जिला विकास योजना में शामिल किया जायं। आईपी और डीपी की देखरेख में मॉनीटरिंग व्यवस्था बनायी जायं ताकि उन्हें लागू करने और उनके नतीजों पर निगाह रखी जा सके और जरूरत के अनुसार बीच में भी योजना में सुधार किये जा सके।

4.12 आर्थिक विकास और आय वृद्धि

संविधान के अनुच्छेद 243जी के तहत राज्यों को संविधान की 11वीं सूची में शामिल 29 विषयों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं लागू करने का अधिकार और दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। इस संदर्भ में नीचे दिये क्षेत्र महत्वपूर्ण है जिनमें पंचायतें आर्थिक विकास और आय वृद्धि करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

- लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित
- खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग
- तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
- पशुपालन, डेयरी और मुर्गीपालन
- छोटे वन उत्पाद
- मछली पालन
- कृषि विस्तार सहित कृषि
- बाजार और मेले
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव।

इस समय कई राज्यों में डीपी और बीपी नीचे दिये तरीकों से आर्थिक विकास के कार्य में लगे हैं-

- केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान का इस्तेमाल
- राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध योजना कोष का उपयोग
- रोजगार जुटाने के लिए मनरेगा

- संबद्ध विभागों से मिले कोष का उपयोग
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत क्षमता निर्माण।

इस मुद्दे पर अनुच्छेद 5,9 के मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत विस्तार से बताया गया है।

4.12.1 किसान की आय दुगनी करना

भारत में कृषि क्षेत्र की पुरानी विकास नीति में मुख्य रूप से कृषि उत्पादन बढाने और खाद्य सुरक्षा सुधारने पर जोर दिया गया। अनुभव से पता चलता है कि कुछ मामलों में उपज बढने से किसानों की आय भी बढ़ती है लेकिन कई मामलों में उत्पादन बढ़ने पर भी किसानों की आय ज्यादा नहीं बढ़ी। कुल मिलाकर नतीजा यह है कि किसानों की आमदनी कम है जो किसानों के परिवारों की गरीबी की हालत देखकर समझी जा सकती है। किसनों की असल आमदनी दुगनी करने का अर्थ है कि उनकी आय की इस समय चल रही और पहले से प्राप्त वृद्धि दर को तेजी से बढ़ाना होगा। इसके लिए किसान की आय बढ़ाने के सभी संभव उपायों को कड़ाई से लागू करना होगा। इन उपायों में शामिल है-

- उत्पादकता में सुधार
- संसाधनों का कुशल उपयोग यानी उत्पादन लागत में कटौती
- बुआई क्षेत्र का विस्तार
- महंगी फसलें उगाने के प्रति रूचि पैदा करना

कृषि से भिन्न संसाधनों में इन्हें शामिल किया जा सकता है-

- किसानों को खेतीबाड़ी से हटकर गैर कृषि कार्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना; और
- किसानों के लिए व्यापार शर्तों में अथवा किसानों को मिलने वाली वास्तविक कीमत में सुधार।

पंचायती राज संस्थान, विशेषकर माध्यमिक और जिला पंचायतें हालात के विश्लेषण पर आधारित किसानों की आय बढ़ाने या दुगनी करने में मुख्य

भूमिका निभा सकती हैं और इस तरह स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। आईपी और डीपी को विकास योजनाएं बनाकर इस दिशा में ठोस उपाय करने चाहिए। उनकी नीति पंचायतों को इकट्ठा करके एक नीति बनाने की होनी चाहिए तभी हर पंचायत की समस्याओं और जरूरतों के हिसाब से विकास योजनाएं बन सकेंगी।

4.12.2 गरीबी उन्मूलन

भारत ने चारों ओर फैली गरीबी दूर करने में जबरदस्त सफलता पायी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी 2018 के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुमानों के अनुसार 2005-06 के मुकाबले 2015-16 में गरीबी घटकर करीब आंधी रह गयी। पहले यह 54 दशमलव 7 प्रतिशत थी जो 2015-16 में 27 दशमलव 5 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण इलाकों में नीचे दिये प्रमुख कार्यक्रम चला आ रहा है-

- दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार गारंटी अधिनियम,
- दीनदयाल अंत्योदय योजन- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।

इन योजनाओं का विवरण अनुलग्नक VII ए में दिया गया है।

4.13 समुदाय संचालित विकास प्रक्रिया

पंचायती राज पणाली ग्रामीण लोगों को संचालन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है। इस भागीदारी के लिए विकास की स्थानीय योजना सबसे उपयुक्त मंच है। साथ ही विकास योजना बनाने की प्रकिया में शमिल करके समूची विकास प्रक्रिया समुदाय के अनुरूप बनाई जा सकती है। लोग अपनी जरूरतें बता सकते हैं, समाधान सुझाव सकते हैं, परियोजनाएं बना सकते हैं और उन्हें लागू करके उनकी प्रगति पर निगाह रख सकते हैं, जहां ग्राम पंचायत

स्तर पर यह काम ग्रामसभाओं के माध्यम से आसानी से हो सकता है वहीं आईपी और डीपी स्तर पर भी समुदायों को विकास प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। आईपी और डीपी को स्वसहायता समूह और स्वैच्छिक संगठनों और संबद्ध ग्रुपों का पता लगा सकते हैं। खंड और जिला स्तरों पर भी प्रोफेशनल और विशेषज्ञों के संगठन को सकते हैं। इन ग्रुपों के भरपूर सहयोग से आईपी और डीपी के विभिन्न कामों में मदद मिल सकती है।

दृष्टिपत्र और नीति तैयार करने से पहले इन लोगों के साथ विचार होने चाहिए और ये लोग भी विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति और समस्याओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं और समाधान के सुझाव भी बता सकते हैं। इन ग्रुपों के प्रतिनिधि क्षेत्रीय कार्यदलों में शामिल किये जा सकते हैं जिससे परियोजना तैयार करने में सुविधा होगी। बाद में ये कार्यदल योजनाओं की प्रगति के आकलन में भी मदद कर सकते हैं।

4.14 मजबूत पंचायत-निजी भागीदारी पीपीपी का विकास

पंचायत-निजी भागीदारी के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए इनका उपयोग करना अभी बाकी है। बीडीपी और डीडीपी की प्रक्रिया में भागीदारी विकासित करने के खास उपाय किये जाने चाहिए। ये भागीदारी नीचे बताये तरीकों से हो सकती है-

- पंचायती राज संस्थाओं और निजी क्षेत्र के कोष से संयुक्त परियोजनाएं चलाकर
- बनाओं, चलाओ और सौंपो
- बनाओ, और सौंपो
- अन्य संसाधनों से संयुक्त रूप से एकत्र कोष से संयुक्त परियोजनाएं चलाकर
- बिना किसी कोष के भागीदारी
- विशेषज्ञता और विशेषज्ञों का अदान-प्रदान
- परियोजनाएं तैयार करने में विशेषज्ञों और विशेज्ञता का मुफ्त आदान-प्रदान

- विशेष विषयों पर प्रोपेगंडा, संयुक्त आईईसी
- बाग, अस्पताल परिसर, स्कूल परिसर जैसी परिसंपत्तियों का रखरखाव
- निगमित सामाजिक दायित्व कोष
- प्रायोजित आयोजन
- कौशल पहल
- काम के अवसर उपलब्ध कराना।

आईपी और डीपी को अपने भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत सभी संभावित निजी एजेंसियों का पता लगाकर जनना चाहिए कि उनसे किस क्षेत्र में सहयोग किया जा सकता है। बैठकें बुलाकर निजी क्षेत्र के अंशदान का भी अंदाजा लगाना चाहिए। नीति के अनुसार पंचायत निजी भागीदारी की कार्य योजना बनाई जाए। फिर, खंड विकास योजना और जिसा विकास योजना में इस तरह तैयार की गई योजनाएं शामिल की जा सकती हैं।

4.15. पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

खंड विकास योजना और जिला विकास योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण सुरक्षित बनाये रखने और प्रकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की अनदेखी उन क्षेत्रों का सशक्त बनाने और उनमें सुधार लाने को आधार रखा जाना चाहिए। आवश्यकता अनुरूप बहुआयामी विकास में तेज़ी लाने के लिए आवश्यकता आधारित व्यापक विकास योजना बनाते समय केंद और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई पर्यावरण रखरखाव और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। चूँकि विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ही समग्र विकास संभव है इसलिए जरुरी है की खंड और ज़िला स्तरों की योजनाओं में पर्यावरण आधारित पहल अपनाई जाये। योजना में जल संसाधनों, चरागाहों, घास के मैदानों आदि विभिन्न पर्यावरण प्रणालियों के रखरखाव की व्यवस्था बनाने पर अवश्य ध्यान दिया

जाये। खंड विकास योजना और ज़िला विकास योजना उस विशेष ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति का आंकलन किया जाना चाहिए और वहां स्थिति सुधारने के उपाए भी शामिल किये जाएं। उस बस्ती का राष्ट्रीय संसाधन मानचित्र बनाया जाना जरुरी है ताकि विकास योजना में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण उन्हें लम्बे अर्से तक उपयोग कर सकने और उसके फायदे सभी तक सामान रूप से पहुँचाने की समुचित व्यवस्था रहे। इस मानचित्र में भौगोलिक संरचना, भूमि, वनों, जलाशयों, खेतों, हरयाली, फसल चक्र, जल स्तर आदि दिखाए जाने चाहिए।

4.15.1 हरित प्रौद्योगिकी का प्रयोग

नवीकरणीय हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने का उद्देश्य कार्बन-उत्सर्जन की मात्रा घटाना है ताककि भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण की स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। जलवायु परिवर्तन के बारे में राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत निर्धारित आठ मिशनों में ग्रीन इंडिया (हरित भारती) मिशन भी शामिल किया गया था। ग्रीन इंडिया मिशन में हरित प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया जाता है इसमें केवल कार्बन उत्सर्जन की रोकथाम पर ही नहीं बल्कि उर्वरक पर्यावरण प्रणाली सेवाओं पर भी ध्यान दिया जाता है जिसमें खासकर जैव-विविधता, जल, बायोमॉस आदि और जलवायु के अनुरूप ढलने और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम से कम रखने के प्रयास किये जाते हैं।इसके मुख्या उद्देश्य नीचे दिए जा रहे हैं:

- वनक्षेत्र का विकास और गैर वनक्षेत्र की भूमि गुणवत्ता में सुधार।
- ईंधन चारे तथा इमारती लकड़ी वाले और अन्य वनक्षेत्रों की सुविधाएं मुहैया करवाने के साथ कार्बन को अलग करने और जैव विविधता जैसी पर्यावरण अनुकूल सेवाओं का विस्तार।

खंड विकास योजना और ज़िला विकास योजना में क्लस्टर लेवल अर्थात झुंड स्तर पर हरित परियोजनाएं और मिशन गतिविधियां लागु की जानी चाहिए। आईपी

और डीपी हरित क्षेत्र बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन कम से कम रखने और कमी वाले क्षेत्रों में पानी मुहैया कराने की योजना चलानी चाहिए। इन योजनाओं में सौर पवन बायोमॉस (कचरे) और पानी से बनने वाली ऊर्जा पर आधारित हरित प्रौद्योगिकी वाली परियोजनाएं शामिल की जानी चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हरित प्रौद्योगिकी पर आधारित परियोजनाएं लगाने को प्रोत्साहन देता है जिनमें ग्रामीण इलाकों में रोजगार उपलब्ध करवाने के वास्ते मुर्गीपालन, मछलीपालन, बागवानी, डेयरी, कचरे पर आधारित स्थानीय काम धंधे कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योग पर काफी जोर रहता है ।

खंड विकास योजना और ज़िला विकास योजना में जिन हरित प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को शामिल किया जा सकता है उनमें सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप, और सौर-ताप ऊर्जा से चलने वाले कुकिंग प्लांट, विंड टर्बाइन, छोटे उद्योगों के लिए पवन-परियोजनाएं, दूर-दराज के क्षेत्रों में बिजली और मशीनी उपकरणों के लिए वाटरमिल लगाने को बढ़ावा देने के लिए छोटी हाइड्रोपावर परियोजनाएं हैं।

4.15.2 जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम से कम रखना और उसके अनुरूप ढलना

ग्रामीण क्षेत्रों के जल संकट और अन्य पर्यावरण समस्याओं के समाधान खोजने के लिए विकास योजना में सामूहिक और सामुदायिक पहल अपनाई जानी चाहिए। बाधाओं से निपटने के लिए सक्रिय सामुदायिक भागीदारी और और परस्पर सहयोग जरुरी रहेगा। उस इलाके में पानी की न्यायसंगत व्यवस्था और फसल चक्र पर ध्यान देना होगा ताकि पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत की जा सके। वहां की भौगोलिक स्थिति और मिट्टी की गुणवक्ता का भी विश्लेषण जरुरी है ताकि उनकी वजह से कोई बाधा न आए। योजना के तहत जल संरक्षण के अनेक कार्य किए जा सकते हैं जिससे भूगर्भीय जल-स्तर नीचे न जाने पाए। इसके लिए सिंचाई के वास्ते ट्यूबवैल लगाने और सिंचाई की ज्यादा जरुरत वाली फसलों के उगाने पर रोक लगानी चाहिए।

अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक देश में पानी की मांग उस समय उपलब्ध सप्लाई से दुगनी हो जाएगी, जिससे करोड़ों लोग भीषण जल संकट में घिर जाएंगे। देश की करीब 70% जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है।इसलिए इस संकट का ज्यादा बोझ गावों में ही महसूस किया जायेगा। हमारे अधिकांश गावों में पानी जोहड़ झीलों, बांधों आदि से ही उपलब्ध होता है और इनका जल स्तर हर साल होने वाली वर्षा पर निर्भर होता है। इसलिए ग्रामीण इलाकों के जल ग्रहण क्षेत्रों का समुचित रखरखाव जरुरी है। साल भर की जरुरत पूरी करने के वास्ते वर्षा के पानी का संचयन और भू-जल का समुचित प्रयोग करना आवश्यक है । जल संसाधन का उचित इस्तेमाल करना और पानी की बचत और संरक्षण के उपाय करना बेहद जरुरी है।जल ही जीवन है। इसलिए खंड विकास योजना और ज़िला विकास योजना पानी के प्राकृतिक संसाधनों के विकास और रखरखाव को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। इन योजनाओं को बनाते समय नीचे दिए मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

- कम लागत वाली और पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जो गांवों के आस पास ही आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। इस प्रकार महंगे और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले तौर तरीकों और उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बचा जा सकता है।
- कृषि और जैविक खेती के लिए सब्सिडी की व्यवस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्प्रिंकलर सिंचाई मशीनों का इंतजाम करना।
- गावों में और आसपास की जगहों में अधिक पेड़ लगाकर तथा पानी की सावधानीपूर्वक बचत करके काफी हद तक सूखे की स्थिति से बचा जा सकता है। चरागाहों का रखरखाव इसमें सहायक रहेगा।
- बाढ़ आने की हालत में समुदाय के सहयोग से प्रभावी उपाय करके नुकसान से काफी हद तक बचा जा सकता है।
- पेड़ों को काटने पर रोक लगा कर और नए पेड़ उगाकर वनक्षेत्र को बचाए रखा जा सकता है और इसके लिए देसी किस्म के पेड़ लगाना काफी फायदेमंद रहेगा ।

- मौजूदा परम्परागत जल संसाधनों की मुरम्मत और रखरखाव को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- वर्षा के पानी को जमा करके ज्यादा समय तक प्रयोग कर सकने के उदेश्य से जल संचयन के लिए नए तालाब वगैरह बनाये जाएं।

पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ऐसी फसलें न उगाई जाएं जिनमें सिंचाई की ज्यादा जरुरत पड़ती हो। पानी की तेज़ी से खपत करने वाली और जल-संसाधनों को प्रदूषित करने वाली सभी गतिविधियां पर रोक लगाई जाये और उल्लंघन करने वालों पर कड़ा दंड लगाने की व्यवस्था की जाए।

4.15.3 कचरे से संपदा

देश में ग्रामीण इलाकों की जीवनशैली में आएं बदलावों से कचरे की मात्रा भी बढ़ी है जिससे पर्यावरण के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। हाल के वर्षों में ऐसी प्रद्यौगिकियां विकसित की गई हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करने में कामयाबी मिली है साथ ही कचरे की मात्रा कम रखने और उसका सुरक्षित ढंग से निपटान करने में भी मदद मिली है। खंड विकास योजना और ज़िला विकास योजना में कचरा प्रबंधन परियोजनाएं भी शामिल की जानी चाहिए जिसे "कचरे से आमदनी" का नाम दिया गया है। इन परियोजनों में कचरे को मूल स्थान पर ही अलग-अलग करके छोटी बस्तियों में ही कुछ लोगों को कचरे छंटाई के काम में रोजगार दिया जा सकता है। खंड और ज़िला स्तर पर कचरे से ऊर्जा का उत्पादन करने की परियोजनाएं चलाई जा सकती हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन और उपभोग के चक्र पर आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने पर भी विचार किया जा सकता है। "कचरे की कमाई" से इन परियोजनाओं में रोजगार की भी अपार संभावनाएं बन जाएंगी।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय कृषि क्षेत्र और उद्योगों से निकलने वाले और दुबारा इस्तेमाल हो सकने वाले कचरे से बायोगैस, बायो-सीएनजी

और बिजली तैयार करने के प्रोजेक्ट लगाने के लिए सभी उपलब्ध तकनीकी विकल्पों को बढ़ावा दे रहा है। इन कचरों में ठोस कचरा और उपज का बचाखुचा कचरा शामिल है। कचरे से बिजली और बायोगैस बनाने की "कचरे से कमाई" की इस पहल के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं।

बायो मीथेनेशन - बायोमीथेनेशन कार्बन-युक्त सामग्री का निपटान करने की प्रक्रिया जिसमें अपशिष्ट पदार्थ बायोगैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे बायोगैस तो मिलती ही है, खाद भी बनकर तैयार हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी को रसोई, पशुओं के बाड़े से मिलने वाले गोबर, कसाई खाने के कचरे और सब्ज़ी बाजार के बचे खुचे कूड़े जैसे कचरों में से गीला कार्बन वाला कचरा अलग करके ऊर्जा तैयार की जा सकती है। इस प्रकार वाली बायोगैस को सीधे गैस-बर्नर में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कोजेनरेशन - चीनी उद्योग काफी समय से खोई को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके कोजेनरेशन करता है। उच्च तापमान और उच्च दबाव पर भाप से ऊर्जा तैयार करने की टेक्नोलॉजी में साथ ही चीनी कारखाने अपनी बिजली और भाप खुद बनाने लगे हैं।

4.16 दीर्घावधि (टिकाऊ) विकास लक्ष्य स्थानीय आधार पर तय करना

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने अधिकृत एजेंडा "हमारा बदलता विश्व 2030" के तहत 17 दीर्घावधि विकास लक्ष्य और 169 **लक्ष्य** 25 सितम्बर 2015 को पारित किये जो 1 जनवरी 2016 से शुरू करके 31 दिसंबर 2030 तक लागू किये जाने हैं। इसका उद्देश्य इसके तीन स्तम्भों- आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय-के बीच प्रगाढ़ समन्वय बनाकर दीर्घावधि लक्ष्य प्राप्त करना है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने

भारत सरकार की ओर से अन्य 192 देशों के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।

दीर्घावधि विकास लक्ष्यों का एक सिद्धांत गरीबी समाप्त करना और असमानताएं दूर करना है। इसलिए आम आदमी के नज़रिये से दीर्घावधि विकास के स्थानीय लक्ष्य तय करने के वास्ते जनता की राय जानना जरुरी है। योजना बनाने की प्रक्रिया के दौरान विकास से जुड़े कई मुद्दे सामने आते हैं। आईपी और डीपी ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर अपनी नीतियों में स्थानीय दीर्घावधि लक्ष्य प्राप्त करने के तरीके भी शामिल कर सकते हैं।

तालिका 7: सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

एसडीजी	**विवरण**
एसडीजी 1	हर स्थान से गरीबी के हर प्रकार को दूर करना
एसडीजी 2	भूख से मुक्ति, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा पोषण और सतत कृषि को बढ़ावा देना
एसडीजी 3	प्रत्येक आयुवर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य सुनिश्चित करना
एसडीजी 4	समावेशी और समान गुणवत्ता की शिक्षा तथा जीवन पर्यन्त सबके लिए शिक्षण अवसर उपलब्ध कराना
एसडीजी 5	स्त्री-पुरुष समानता तथा सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण
एसडीजी 6	सबके लिए पानी और साफ-सफाई की उपलब्धता और लगातार प्रबंधन सुनिश्चित करना
एसडीजी 7	सुगम, भरोसेमंद, टिकाऊ और उन्नत ऊर्जा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना
एसडीजी 8	टिकाउ, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा सबके लिए गरीमापूर्ण कार्य को बढावा देना
एसडीजी 9	टिकाउ बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण तथा नवाचार को बढावा देना
एसडीजी 10	देश में और अन्य देशों के बीच असमानता कम करना
एसडीजी 11	शहरों और मानव वस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और टिकाउ बनाना।
एसडीजी 12	सतत उपभोग और उत्पादन तरीके सुनिश्चित करना
एसडीजी 13	जलवायु परिवर्तन और इसके दुष्परिणामों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
एसडीजी 14	सतत विकास के लिए सागर, महासागर और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और विवेकशील उपयोग

एसडीजी	विवरण
एसडीजी 15	पारिस्थितिकीय प्रणालियों का संरक्षण, प्रबंधन और सतत उपयोग को बढावा देना, वनों का टिकाउ प्रबंधन, मरुभूमिकरण, भूमि क्षरण और जैव विविधता नुकसान रोकना
एसडीजी 16	सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढावा देना, सबके लिए न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा सभी स्तरों पर प्रभावी, उत्तरदायी और समावेशी संस्थाओं का निर्माण
एसडीजी 17	क्रियान्वयन के माध्यम को सशक्त बनाना और सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को ऊर्जा प्रदान करना

साफ देखा जा सकता है की ग्राम पंचायतें स्वयं अपने ही प्रयासों से दीर्घावधि विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त नहीं कर सकतीं। उन्हें एसडीजी को स्थानीय तौर पर तय करने के लिए आईपी और डीपी की जरुरत होती है। इसलिए खंड विकास योजना और ज़िला विकास योजना में उन कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो जीपीडीपी के समन्वय के जरिये एसडीजी को स्थानीय तौर पर तय करने के लिए जरुरी है। दीर्घावधि विकास लक्ष्यों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से ग्राम पंचायतें ही संभालेंगी इसलिए इन्हें आईपी और डीपी की योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। पंचायतों और पंचायती राज संस्थानों के कार्यकर्ताओं की बड़ी हुई क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधि विकास लक्ष्य प्राप्त करने में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

4.17 सामाजिक न्याय

भारत के संविधान में सामाजिक न्याय पंचायती राज प्रणाली का एक महतवपूर्ण दायित्व है और आईपी और डीपी के लिए सामाजिक न्याय प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का अर्थ है समुदाय में व्याप्त   सभी असमानताएं दूर करना और समाज के सभी वर्गों को सामान अवसर उपलब्ध कराना। इस प्रकार स्थानीय प्रशासन में समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। अनुसूचित जातियों, जनजातियों समूहों, वृद्धजनों, महिलाओं और बच्चों जैसे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के कल्याण के मुद्दों को आईपी और डीपी की विकास योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के

माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। आजादी के बाद के दौर में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ग्रामीण इलाकों के कमजोर और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काम करती आ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी के बाद शुरू किये गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं और इनमें से अधिकांश कार्यक्रम विशेष रूप से केवल अनुसूचित वर्गों के लिए हैं (हालाँकि कुछ कार्यक्रम सामान्य वर्गों के लिए भी है) जिनमें अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान किये गए हैं:

ए. अनुसूचित जातियों के उत्थान के कार्यक्रम:

I. केंद्र द्वारा प्रायोजित प्रायोगिक योजनाएं
II. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना
III. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
IV. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
V. अस्वच्छ कार्यों में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
VI. अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृति योजना
VII. सिर पर मैला ढ़ोने वालों के पुनर्वास की स्वरोजगार योजना
VIII. अनुसूचित जातियों के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति योजना
IX. अनुसूचित जातियों की उपयोजना के तहत विशेष केंद्रीय सहायता अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को एमफिल और पीएचडी जैसी पढ़ाई के लिए छात्रवृति देने की केंद्र क्षेत्र की राष्ट्रीय फेलोशिप योजना
X. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृति
XI. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की मेरिट सुधारने के लिए नीची साक्षरता स्तर वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम
XII. अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क कोचिंग योजना
XIII. अनुसूचित जाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लिए डॉ आंबेडकर राष्ट्रीय प्रतिभा छातवृत्ति योजना

XIV. अत्याचार के शिकार अनुसूचित जाति पीड़ितों को डॉ. अंबेडकर राष्ट्रीय राहत की योजना।

XV. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम

XVI. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

XVII. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

XVIII. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

XIX. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

XX. डीएवाई-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।

XXI. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम)

XXII. सर पर मैला ढोने वालों के लिए इस कुप्रथा से मुक्ति और पुनर्वास योजना

XXIII. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम

XXIV. अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड

XXV. प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना

XXVI. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना

XXVII. प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमडीजेवाई)

बी. अनुसूचित जनजाति उत्थान कार्यक्रम

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय कल्याण की अनेक योजनाएं चला रहे हैं। आजादी के बाद केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीचे दिये गये हैं। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम केवल अनुसूचित जनजातीय लोगों के लिए हैं परंतु कुछ कार्यक्रम सामान्य वर्गों के लिए हैं जिनमें अनुसूचित जनजातीयों के वास्ते अलग प्रावधान रखा गया है ;

I. अनुसूचित जनजातीयों के बच्चों की शिक्षा की व्यापक योजना

क. आश्रम स्कूल खोलना और उन्हें सशक्त बनाना

ख. होस्टल खोलना और उन्हें मजबूत बनाना

ग. जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक पशिक्षण

घ. पोस्ट- मैट्रिक छात्रवृत्ति

ड. प्री- मैट्रिक / छात्रवृत्ति

II. *विदेश जाकर पढ़ने वाले पढ़ने के इच्छुक अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति*

III. *एसटी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के वास्ते राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति*

IV. *एसटी कल्याण में लगे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता*

V. *भारत के संविधान के अनुच्छेद 275; 1 के तहत अनुदान*

VI. *जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता*

VII. जनजातीय शोध संस्थानों को अनुदान सहायता

VIII. जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत समर्थन

IX. राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगमों के लिए सहायता

X. छोटे वन उत्पादों की बिक्री के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना और इन उत्पादों की मूल्य श्रृखंला विकसित करने के लिए विपणन तंत्र बनाना

XI. वनबंधु कल्याण योजना

XII. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय वित्त और विकास निगम

XIII. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास

XIV. मनरेगा

XV. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

XVI. प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण

XVII. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

XVIII. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

XIX. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अनुसूचित जनजातीयों के लिए कार्यक्रम चला रहा है ;

I. 1, अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए प्रोफेशनल पाठ्क्रमों में स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति

II. 2, अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए पोस्ट डॉक्ट्ररल छात्रवृत्ति

III. 3, विश्व विद्यालयों और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रजुएट सुधार कोचिंग कक्षाएं

IV. 4, एसटी विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग कक्षाएं

V. 5, नौकारियों में भर्ती की परीक्षा के लिए कोचिंग कक्षाएं

बच्चों की जरूरतों पर ध्यान देना

तालिका 8 ; बच्चों की जरूरतों पर ध्यान देने के कार्यक्रम और योजनाएं

	कार्यक्रम/योजना और पहल का नाम	उदेश्य/क्षेत्र
1	सुकन्या समृद्धि योजना	बेटी बचाओं बेटी बढ़ाओ अभियान का हिस्सा
2	समन्वित बाल विकास योजना	योजना का उदेश्य लक्षित समुदाय के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार लाना है।
3	समग्र शिक्षा अधियान	विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देना और उनकी

		ग्रहण क्षमता का विकास
4	इंडिया एप्लिकेशन की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी	विद्यार्थियों को प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना, लोगों को दुनिया के हर भाग से श्रेष्ठ कार्य प्रणालियां सीखनेयोग्य बनाना
5	ई-पाठशाला एप्लिकेशन	शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभाविकों, शोधकर्ताओं और अध्यापकों का मंच
6	दीक्षा एप्लिकेशन	दीक्षा देश में स्कूली शिक्षा का राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके जरिये शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभाविकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम सीखने की सामाग्री उपलब्ध रहती है। शिक्षक इससे पठन योजना, वर्कशीट और कक्षा के अनुभव में सहायता ले सकते हैं। अभिभावक भी स्कूल समय के आगे पीछे अपने संदेह दूर कर सकते हैं।
7	दोपहर का भोजन	बच्चों को स्कूल के लिए बढावा देना और उनका पोषण स्तर बढ़ाना

8	सखी-वन स्टॉप सेन्टर	हिंसा, शारीरिक, यौन, भावनात्मक या मानसिक प्रताणना झेलने वाली महिलाओं और लड़कियों की

		मदद करना।
9	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज पोर्टल	खेल और प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से देश की खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें बढ़ावा देना
10	विद्य लक्ष्मी	उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण
11	तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृति	लड़कियों की तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृति
12	मिशन इन्द्रधनुष	शिशुओं और बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण
13	एनएचपी इन्द्रधनुष	16 वर्ष तक के बच्चों के माता-पिता को टीकाकरण के बारे में सतर्क करना
14	राष्ट्रीय कीड़ा बचाव दिवस	1 से 19 साल की आयु वाले बच्चों की आंतों में मौजूद कीड़ों को खत्म करना
15	बच्चों के कैंसर का मुफ्त इलाज	बच्चों के कैंसर का मुफ्त इलाज
16	वायरल हैपेटाइटीज़ के उन्यूमूलन का राष्ट्रीय का कार्यक्रम	सभी तरह की हैपेटाइटीज की रोकथाम और इलाज की व्यपाक योजना
17	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	जन्म से 18 साल तक के बच्चों में शारीरिक कमियों, बीमारियों विकास में कमी और दिव्यांगता का जल्दी पता लगाने का कार्यक्रम

वृद्धजनों की जरूरतों पर ध्यान देने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही है;

- प्रधानमंत्री वयवंदना योजना-इस योजना को साठ वर्ष से अधिक वाले वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए शुरु किया गया है।
- वृद्धावस्था पेंशन योजना; यह योजना गरीबी रेखा से नीचे वाले साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए चलाई गई है।
- बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम; इस योजना में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की पूरी देखभाल की व्यवस्था है।
- वरिष्ठ मैडिक्लेम पॉलिसी; इस पॉलिसी से बुजुर्गों को दवाओं, खून, एम्बुलेंस सेवा और अन्य नैदानिक सेवाओं के खर्च की भरपाई की जाती है।
- राष्ट्रीय वयश्री योजना; इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे वाले साठ वर्ष के अधिक आयु के बुजुर्गों को शारीरिक सहायता उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं।
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना; यह योजना साठ वर्ष ये ज्यादा वाले वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन के लिए है।
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष; इस योजना का लक्ष्य वरिष्ठ बुजुर्गों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाना है ताकि वे अपनी सेहत की ठीक से देखभाल कर सकें।
- वयश्रेष्ठ संम्मान; यह योजना उन बुजुर्गों के लिए जिन्होंने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है और जिनके कार्य को मान्यता मिली है।
- रिवर्स मौर्टगेज योजना; यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए गिरवी और कर्ज की योजना है।

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना; इस योजना में अस्पताल चिकित्सा के लिए पांच लाख रूपये तक की सहायता की व्यवस्था है।
- कई अन्य मंत्रालयों ने देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई और सुविधाएं और सेवाएं शुरू की हैं।

दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना

दिव्यांगजनों के मानवाधिकार

मानवाधिकार दुनिया में सभी जगह सुरक्षित हैं। विकलांगजनों के लिए भी सामाज में बिना भेदभाव के अन्य लोगों की भांति मानव अधिकार हैं। उन्हें अपनी स्थिति के अनुसार कुछ विशेष मानवाधिकार भी प्राप्त हैं। दिव्यांगजनों को मानवाधिकारों में ये अविभाज्य, स्वतंत्र और परस्पर जुड़े हुए मानवाधिकार प्राप्त हैं ;-

- दिव्यांगता की स्थिति के अनुसार भेदभाव या रोकटोक के बिना मानवाधिकार पाने की आजादी।
- आवास, शिक्षा, समाजिक सेवाएं, स्वास्थ्य देखभाल या रोजगार पाने के लिए भेदभाव से मुक्ति पाने का मानवाधिकार।
- सम्मान और गौरव का व्यवहार पाने का मानवाधिकार

भारत के दिव्यांगता कानून,1995 में दिव्यांग बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

यह कानून संविधान के अनुछेच्द 253 के अंतर्गत लागू किया गया है। इसके तहत दिव्यांगों को नीचे बताई सुविधाएं दी गई है।;-

दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष की उम्र होने तक विशेष स्कूलों के अंतर्गत शामिल स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार है।

- दिव्यांग बच्चों को आने जाने का उपयुक्त साधन पाने, इमारत में मौजूद बाधाएं दूर करने और पाठ्क्रम तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार या बदलाव कराने का अधिकार है।
- दिव्यांग बच्चों को छात्रवृत्ति,यूनिफॉर्म, पुस्तकें और शिक्षण सामाग्री मुफ्त में दी जाती है।
- दिव्यांग बच्चें ऐसे विशेष स्कूलों में जा सकते हैं जहां वे व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा पा सकते हैं। देश में अध्यपाकों के लिए भी प्रशिक्षण संस्थान हैं ताकि शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होते रहे।
- दिव्यांग बच्चों के अभिभावक अपने दिव्यांग बच्चों की शिकायतों के निवारण के लिए उपयुकत अदालत में जा सकते हैं।
- दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए दिव्यांगता आयुक्त कार्यालय से **दिव्यांगता प्रमाणपत्र** लेना होगा।
- पंचायतों को दिव्यांग लोगों के लिए सड़कें, स्कूल और पब्लिक रैम्प बनाने के लिए धनराशि दी जाती है।
- देश की सभी सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों लिए तीन प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

अनुसूचित जनजातियों के बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की समस्याओ पर आईपी और डीपी की योजनाओं में खास ध्यान रखना ;

आईपी और डीपी को अपनी अपनी योजनाएं बनाते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, बच्चों , बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के कल्याण पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। विभिन्न मंत्रालय समाज के इन वर्गों के लिए अनेक कार्यक्रम लागू करते हैं। आईपी और डीपी को समाज के इन वर्गों से जुड़े मुद्दों की पहचान करनी होगी। किसी एक विभाग की किसी एक योजना या किसी एक सुविधा से इन वर्गों का जीवन स्तर सुधरना संभव नहीं है। असल में इसके लिए विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं में समन्वय जरूरी है। आईपी और डीपी को इन वर्गों के जुड़ी समस्याओं को पहचानने में पूरी सावधानी बरतनी होगी। तभी उनके विकास की समग्र योजना लागू हो सकेगी। अनुसूचितजतियों अनुसूचित जनजातिय के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों की

समस्याओं की पूरी सूची तैयार करके उसी के आधार पर खंड विकास योजना में इन वर्गों के लिए समूचित व्यवस्थ्या की जा सकती है।

इसी तरह डीपी में भी समाज के इन वर्गों के कल्याण से जुड़े कार्यक्रम बनाने होंगे। जहां स्पष्ट भेदभाव है वहां डीपी जरूरत के मुताविक कार्यक्रम बनायेगी। यदि जीपी और आईपी भेदभाव दूर नहीं कर पाते तो ऐसे मुद्दों को जिलास्तर की योजना में शामिल करना होगा।

4.18 सामाजिक ऑडिट

सामाजिक ऑडिट विभिन्न योजनाओं के लक्षित लाभार्थियों या उनके द्वारा प्रभावित लोगों और सरकार द्वारा मिलकर किया जाता है। आसान शब्दो में कहें तो सामाजिक ऑडिट किसी कार्यक्रम या योजना को लागू करने की जांच और मुख्य लाभार्थियों के सक्रिय सहयोग से समुदाय को मिले लाभ की जांच के लिए किया जाता है। यह ऑडिट सरकारी रिकॉर्डों के जमीनी वास्तविकता के साथ मिलान करके किया जाता है और इस जांच प्रक्रिया में सामुदाय का भी सहयोग लिया जाता है। सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया में खर्चे गये पैसे की जांच के साथ यह भी देखा जाता है कि क्या पैसा खर्चने से लोगों रहने के सहन में कोई सुधार आया की नहीं। असल उद्देश्य कर्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू करना और अनियमितताओं को रोकना है।

4.18.1 पंचायतों में सामाजिक ऑडिट के फायदे

सामाजिक ऑडिट सामाजिक जवाबदेही का सबसे अहम पहलु है और इसीलिए इसे आईपी और डीपी का अभिन्न अंग मानना चाहिए। ताकि निम्नलिखित फायदे मिल सकें

(क) वास्तविकता जानने के काम में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना ताकि इन कार्यक्रमों के प्राप्ति जागरूकता बढ़े और लोग इनके अपेक्षित नतीजों से उसकी सफालता का अनुमान लगा सकें।

(ख) सामाजिक ऑडिट से लोगों और पंचायत को एक तुलनपत्र प्राप्त हो जायेगा जिसमें गांव में चलाये गये कार्यक्रम/योजना के सफल और असफल पहलू उजागर किये जायेंगे।

(ग) सामाजिक ऑडिट की मदद से लोगों की दृष्टि से योजनाओं के क्रियान्वयन में रही कमियों, खामियों और गलतियों का पता करके पंचायतें तुरंत सूधार के उपाय कर सकती।

(घ) सामाजिक ऑडिट से ग्रामीणों और पंचायतों के बीच बेहतर तालमेल बनाता है जिससे आगे चलकर लोगों का पंचायतों में विश्वास भी बढ़ाता है।

(ङ) सामाजिक ऑडिट पंचायतों और लोगों के लिए बराबर उपयोगी है। इससे लोगों को जागरूक बनाकर उनका सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलती है और उनमें पंचायत के पदाधिकारियों के प्रति सम्मान बढ़ता है।

मनरेगा की धारा 17 अनुसार ग्राम सभा को वर्ष में दो बार सभी योजनाओं का अनिवार्य रूप से सामाजिक ऑडिट कराना होता है।

4.18.2 आईपी और बीपीडी के कार्यक्रयों और योजनाओं का सामाजिक ऑडिट

कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने में सामाजिक ऑडिट के महत्व को देखते हुए पंचायती राज संस्थानों के साथ मिलकर राज्य की सामाजिक ऑडिट इकाई आईपी और डीपी के कार्यक्रमों और योजनाओं का सामाजिक ऑडिट कर सकती हैं। इसके लिए नीचे दिये उपाय किये जा सकते हैं ;

क. हर आईपी और डीपी में हर छह महीने बाद कम से कम एक सामाजिक ऑडिट कराने का कार्यक्रम रखना चाहिए।

ख. सामाजिक ऑडिट इकाई गांवों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों और सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक बनाने का व्यापक अभियान चला सकती है।

ग. विभिन्न कार्यक्रमों के सामाजिक ऑडिट के लिए लाभार्थियों की क्षमता बढ़ानी होगी।

घ. ग्राम सभा में सामाजिक ऑडिट के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन करना होगा। इसमें मूल लाभार्थियों और जनसेवा कार्यों में लगे अन्य नागरिक संगठनों को प्राथमिकता दी जायेगी।

ड. मूल लाभार्थियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना।

च. मूल लाभार्थियों के साथ मिलकर कार्यक्रम और योजना के रिकॉर्ड जांच के लिए उपलब्ध कराना।

छ. रिपोर्ट तैयार करने के लिए विशेष चिन्ह और फार्मेट तैयार करने होंगे।

ज. आईपी और डीपी सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया शुरू होने से 15 दिन पहले ऑडिटरों को सारे रिकॉर्ड उपलब्ध करायेंगी।

झ. आईपी और डीपी अपने स्तर पर चलाएं गये कार्यक्रमों और योजनाओं से जुड़े सभी रिकॉर्ड और सूचना सामाजिक ऑडिटर की सुविधा के लिए उपलब्ध करायेंगी।

ञ. निर्धारित तरीके के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तीय रिकॉर्ड तथा अन्य सभी रिकॉर्डों की जांच की जायेगी।

ट. मूल लाभार्थियों के साथ विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कार्यस्थलों, सुविधाओं और सेवाओं की जांच की जायेगी।

ठ. जांच प्रक्रिया के निष्कर्षों पर चर्चा और पारदर्शिता तथा जवाबदेही संबंधी शिकायतों की समीक्षा के लिए आईपी और डीपी की बैठक होगी जिसमें लोगों के अधिकारों की पूर्ति और धन के उचित इस्तेमाल की जांच की जायेगी। इस तरह ग्रामीणों को योजनाएं चलाने से जुड़े लोगों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी।

ढ. सामाजिक ऑडिट रिपोर्ट स्थानीय भाषा में तैयार करके आईपी और डीपी के नोटिस बोर्ड पर दर्शायी जायेंगी। खंड/ जिला सभाओं के शुरू में पिछले सामाजिक ऑडिट के बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई जायेगी।

ड. सामाजिक ऑडिट के नतीजे सार्वजनिक करने के बाद उन पर समुचित फॉलो-अप कार्रवाई होगी।

4.19 *स्त्री-पुरुष समानता,* महिलाएं भी मुख्य-धारा में

जेंडर मेन/स्ट्रीमिंग ऐसी पहल है जिससे सुनिश्चित किया जाता है कि संसाधनों और विकास से होने वाले लाभ पर महिलाओं और पुरूषों का समान अधिकार और नियंत्रण है और वे उन्हें समान रूप से प्राप्त कर सकते हैं तथा विकास प्रक्रिया, परियोजनाओं और नीति निर्धारण में सभी स्तरों पर उनकी बराबर जिम्मेंदारी है। योजना लागू करने से उसके आकलन तक के हर चरण में महिलाओं और पुरूषों की समानता प्राप्त करना ही इसका असल उद्देश्य है। इस प्रक्रिया से प्रमुख नीतिओं को अधिक प्रभावी बनाने का भी उद्देश्य रहता है। इसे नीतिगत पहल के रूप में विकसित करने के सिलसिले में स्त्रियों को प्राथमिकता देने वाले और स्त्री-पुरूष समानता के पक्षधरो के बीच सभी सिद्धांतों पर व्यापाक विचार विमर्श किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की धारणा सबसे पहले 1985 में नैरोबी में हुए विश्व महिला सम्मेलन में सामने आई थी। शुरू में इसे विकास नीतियों में अपनाया गया और फिर बीजिंग में 1995 में महिलाओं के बारे में आयोजित चौथे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इसे स्वीकार कर लिया गया। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है;

“.... कानून, नीति और कार्यक्रम सहित किसी भी योजनाबद्ध कार्य में सभी स्तरो पर महिलाओं और पुरूषों को शामिल करके उनका सहयोग लेना। सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की नीतियों/कार्यकम्रों का डिजाइन बनाकर उन्हें लागू करने और उनका प्रगति आंकनें की प्रक्रिया में महिलाओं और पुरूषों के सुझाव और अनुभव प्राप्त करना ताकि इन दोनों को ही विकास का समान लाभ प्राप्त हो और असमानता को बढ़ावा न मिले। वास्तविक उद्देश्य स्त्री-पुरूष समानता प्राप्त करना है।’

जेंडर मेनस्ट्रीमिंग का मतलब महिलाओं को जोड़ना मात्र नहीं है न ही मौजूदा कार्यों में स्त्री-पुरूष समानता रखना मात्र है और सिर्फ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना भी इसका आशय नहीं है। यह तो कहीं और आगे की सोच है। तभी तो इससे विकास एजेंडा में महिलाओं और पुरूषों के अनुभवों, उनके ज्ञान और उनके हितो से विकास कार्य चलाने में मदद मिलती है। इस नीति से सार्वजनिक नीतिओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है और संसाधनों का कुशलतापूर्वक पूर्व आवंटन सुनिश्चित होता है। संयुक्त राष्ट्र के दीर्घावधि विकास लक्ष्यों में भी स्त्री-पुरूष समानता का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया गया है।

<u>जेंडर रेस्पोंसिव बजट</u>

- जेंडर रेस्पोंसिव बजट **जीआरबी** का उद्‌देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी बजटों और नीतियों तथा कार्यक्रमों में विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यक्तियों की आवश्यकताओं और हितो पर समान रूप से ध्यान दिया जाये।
- जीआरबी में किसी के पुरूष या महिला होने के कारण उठने वाले भेदभाव पर ध्यान दिया जाता है लेकिन साथ ही नस्ल, जाति, वर्ग या गरीबी की स्थिति अथवा स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव/नुकसान को भी ध्यान में रखा जाता है।

<u>खंड विकास योजना और जिला विकास योजना में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग में आईपी और डीपी की भूमिका :</u> जैसा की बताया जा चुका है आईपी और डीपी को खंड विकास योजना और जिला विकास योजना बनाते समय स्त्री-पुरूष समानता के मुद्‌दो पर ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए पुरूषों और महिलाओं, दोनो के बारे में अलग अलग आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना जरूरी है। ताकि विभिन्न कार्यक्रयों के लाभ और उनसे प्राप्त होने वाले संसाधनों का पुरूष और महिला समान रूप से फायदा ले सकें। इसलिए जेंडर जीआरबी तैयार करने के उपाय जरूरी होने चाहिए और सामाज के सभी वर्गों-पुरूषों,महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों के हितो और जरूरतों को ध्यान में रखा जाये।

4.20 पारदर्शिता और सार्वजनिक सूचना बोर्ड

पारदर्शिता सुशासन का आधार है और जन केन्द्रित प्रशासनिक इकाईयों के मामले में यह और भी महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संस्थानों में सूचना को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया अधिक सुचारू बनाना जरूरी है। जितनी ज्यादा सुचारू ये प्रणाली होगी उतनी ही ज्यादा इन संस्थानों में पारदर्शिता होगी। ऐसी हालत में लोगों को पंचायती राज संस्थानों से जानकारी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।

आईपी और डीपी में पारदर्शिता का महत्व

I. पारदर्शिता के अभाव में आईपी और डीपी में नीचे बताई स्थित आ सकती है ;
   - क. सत्ता का दुरुपयोग
   - ख. जवाबदेही का आभाव
   - ग. लोगों में पंचायत के कामकाज पर शक पैदा होना।

II. पारदर्शिता से ऐसा परिवेश पैदा होता है जहां लोगों को पता चलता है कि कार्यकर्ता और अधिकारी उनकी जरूरतों को किनता महत्व देते हैं।

III. पंचायती संस्थान के सारे कामकाज में पारदर्शिता होने से लोगों का उनमें विश्वास बढ़ता है। लोगों को यह भी पता चलना चाहिए कि आईपी और डीपी में लोगों के कल्याण के बारे में फैसले कैसे लिये जाते हैं जब लोग सोचते हैं कि आईपी और डीपी उनके भले के लिए पारदर्शी तरीके से काम कर रही है तो लोगों का उनके और अधिकारियों तथा कार्यकर्ताओ के प्रति विश्वास कई गुना बढ जाता है।

IV. पारदर्शिता से लोगों और अधिकारियों के बीच दोतरफा संचार होने लगता है। ग्रामीण लोग पंचायती राज संस्थान द्वारा लिए गये फैसलों पर अपनी राय आसानी से दे सकते हैं क्योंकि समूची

प्रक्रिया पारदर्शी है। पंचायती राज संस्थान लोगों की राय के हिसाब से जरूरी बदलाव भी कर सकती हैं।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्य;

I. वित्तीय ऑडिट कराना
II. जोखिम आधारित ऑडिट कराना
III. ऑडिट रिपोर्टों पर कार्रवाई करना
IV. नागरिक चार्टर तैयार करना
V. सतर्कता और निगरानी तंत्र बनाये रखना
VI. शिकायत निवारण व्यवस्था कायम करना
VII. नियमित रूप से सामाजिक ऑडिट कराना

डिस्प्ले/सूचना बोर्ड - पंचायती राज संस्थानों के अध्याय 5 में बताये अनुसार सार्वजनिक सूचना बोर्ड रखने के साथ ही परियोजनाओं में डिस्प्ले बोर्ड रखना जरूरी है जिसमें ये बाते शामिल की जाएं-

I. कार्यक्रम का लोगो
II. कार्यक्रम का नाम
III. स्थान का विवरण जिसमें ग्राम पंचायत, खंड और जिले का नाम हो
IV. लागू करने वाली एजेंसी का नाम
V. निर्माण कार्य का नाम
VI. कार्य का विवरण और उसका कार्य क्षेत्र
VII. परियोजना की लागत
VIII. शुरू होने की तारीख
IX. पूरा करने की निर्धारित तारीख
X. नोडल अधिकारियों और अन्य संबंद्ध लोगों का नाम पता और संपर्क नम्बर
XI. कितनी मजदूरी और कितनी सामग्री लगेगी।

XII. कितने कार्य दिवस लगेंगे

XIII. दिहाड़ी की दर

XIV. माप की इकाई

4.21 ऑडिटिंग/ लेखा परीक्षण

क. वित्तीय ऑडिट- वित्तीय विवरणों के ऑडिट का उद्‌देश्य उपयोगकर्ताओं के मन में इन विवरणों के प्रति विश्वास जमाना है। इस जरिये लेखा परीक्षकों की राय ली जाती है कि क्या लेखा विवरण निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार किये गये हैं। वित्तीय ऑडिट करने के लिए कानून द्‌वारा निर्धारित और नियमों के तहत सामान्य तथा विशेष उद्‌देश्यों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग करके लेखा परीक्षण जोखिम या किसी तरह हेराफेरी का पता लगाया जाता है। ऑडिट संबंधित कानून और नियमों से जुड़े मुद्‌दों पर विचार, विवरण तैयार करने के बाद की घटनाओं पर विचार, गलत विवरण का आकलन और वित्तीय विवरण के बारे में राय बनाकर रिपोर्ट तैयार की जाती है।

ख- पर्फार्मेंस ऑडिट- इस ऑडिट में इन तथ्यों का स्वतंत्र आकलन किया जाता है कि कोई संगठन, कार्यक्रम या योजना किस सीमा तक किफायती, कुशल और प्रभावी ढंग से कार्य करता है या नहीं। इस स्वत्रंत आकलन में यह भी देखा जाता है कि सार्वजनिक प्रष्ठिान, प्रणालियां, गतिविधियां या कार्यक्रम किफायत बरतने, कुशलता बनाये रखने और कार्यगर तरीके से काम करने के मानकों का पालन करते है य नहीं। इसका मुख्य उद्‌देश्य लागत कम रखना और कुशल तथा प्रभावी ढंग से काम करने को बढ़ावा देना है। इससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ती है। इसके दिशा-निर्देश नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों के मौजूदा दिशा-निर्देशों पर आधारित होते हैं। इस ऑडिट से निष्यपादन सुधारने में मदद मिलती है और पता चल जाता है कि -

- विधायिका और कार्यपालिका के फैसलें प्रभावी और कुशल तरीके से तैयार और लागू किये जाते हैं, तथा

- करदाताओं या नागरिकों को उनके पैसे का पूरा मूल्य मिल रहा है।

ग- इंटरनल ऑडिट या जोखिम आधारित इंटरनल ऑडिट- सामान्य वित्त नियम, 2017 के नियम 236,1 की शर्तों के अनुसार की सभी गारंटी संस्थानों या संगठनों के खातों की प्रयोजक या ऑडिट के तहत जांच करायी जा सकेगी और यह जांच नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा एजी-डीपीसी कानून 1971 के तहत और मंत्रालय या विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा इंटरनल ऑडिट कराया जा सकेगा। जब भी किसी संस्थान या संगठन से यह जांच कराने को कहा जायेगा तो अनुग्रह राशि मंजूर करने के सभी आदेशों में इस तथ्य को शामिल किया जायेगा। मंत्रालयों या विभागों में इंटरनल ऑडिट इसलिए कराना पड़ता है कि ताकि सरकार को जोखिम और संचालन के बारे में पूरा फीडबैक मिल सके।

<u>4.22- ई-ग्राम स्वराज</u>

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायती राज मंत्रालय ई-पंचायत मिशन मोड़ परियोजना लागू कर रहा है जिसमें सभी पंचायती राज संस्थानों के कामकाज को पूरी तरह बदलकर व्यवस्थित करने का साफ्टवेयर तैयार किया गया है। इन्हें पंचायत इंटरप्राइज स्वेट कहा जाता है और इनके जरिये पंचायतों के कामकाज- आयोजन, बजट, क्रियावन्यन, निगरानी, सामाजिक ऑडिट और प्रमाणपत्र तथा लाइसेंस जारी करने जैसी सेवाओं पर ध्यान दिया जाता है। ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश की लगभग सभी दो लाख साठ हजार पंचायतों के कामकाज को ऑटोमैटिक बनाना है जिससे देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी को फायदा होगा और ग्राम स्तर पर प्रशासन तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की जा सकेगी।

ई-ग्राम स्वराज पंचायती राज उद्यम स्वीट का ही हिस्सा है जिसमें प्लानिंग, अकाउंटिंग और मॉनिटरिंग में समन्वय रखा जाता है इसका उद्देश्य कार्य आधारित लेखा व्यवस्था के जरिये बेहतर पारदर्शिता लाना है। सरपंच और पंचायत सचिव सहित ग्राम पंचायत का पूरा ब्यौरा, पंचायत की भौगलिक

स्थिति और उसके वित्त, परिसंपत्तियों और कामकाज का व्यापक विवरण इसमें शामिल किया जायेगा। इनमें जनगणना-2011 और मिशन अंत्योदय सर्वे रिपोर्ट शामिल रहेगी ताकि पंचायत की खामियों का पता चल सके।

ई-ग्राम स्वराज प्लानिं मॉड्यूल से विभिन्न योजनाओं की राशि एक जुट की जा सकती है जिससे यह पक्का हो सकेगा की उपलब्ध कोष का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है और साथ ही कोई जरूरी गतिविधि पैसे की कमी के कारण छूट नहीं रही है। 2019-20 के योजना वर्ष में 2,48,036 ग्राम पंचायतों ने आवेदन में अपनी योजनाएं अपलोड की थी। ई-ग्राम स्वराज का आकाउंटिंग मॉड्यूल-पीएफएमएस इंटरफेस अपनी तरह का अकेला मॉड्यूल है जिससे पंचायतें वेंडरों और सेवाप्रदाताओं को उनके काम का सही समय पर भुगतान कर सकती है। 3 सितम्बर 2020 तक 1,03,943 ग्राम पंचायतों ने योजना वर्ष 2019-20 के लिए 13,900 करोड़ रूपये के भुगतान ऑनलाइन कर दिये थे। यह व्यवस्था आईपी और डीपी में लागू की जायेगी। अधिक विवरण इस प्रारूप के अध्याय 11 में उपलब्ध है।

4,23- भौगोलिक सूचना प्रणाली-जीआईएस पर आधारित प्लानिंग

15वें वित्त आयोग ने पंचायतों के तीनों स्तरों-ग्राम पंचायतों, इंटरमीडियट पंचायतों और जिला पंचायतों को सशक्त बनाया है। आयोग सुनिश्चित करना चाहता है कि इन तीनों स्तरों पर प्रभावी आयोजन लागू हो। इसके लिए जीपीडीपी, आईपीडीपी और जेडपीडीपी बनाने की प्रक्रिया अधिक जवाबदेह और पारदर्शी होनी चाहिए। इसके लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली से जुडना जरूरी है। स्वशासन में भौगलिक योजना से सभी स्तरों पर खुलापन और जवाबदेही होनी चाहिए। जीआईएस को कई तरीकों से जमीन के इस्तेमाल की योजना बनाने में प्रयोग किया जाता है जिनमें मॉनिटरिंग और इन्वेंट्री यानी सामानसूची, संसाधन आकलन और नीतियों के प्रभाव की पूर्व सूचना का इस्तेमाल तथा जमीन के इस्तेमाल के बदलाव के असर शामिल हैं। इस तरह सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को बेहतर समझा जा सकेगा और उनके प्राकृतिक संसाधनों की तुलना की जा सकेगी।

इस दिशा में जीआईएस आधारित उपकरणों में भौगोलिक और अन्य डाटाबेस तैयार करना और उसका समन्वय करके आयोजन के विभिन्न प्रवेश विकसित किये जा सकेंगे जिससे आयोजन और प्रबंधन को लोगों की जरूरतों के अनुसार रखा जा सकेगा और बुनियादी सुविधाएं और रोजगार के अवसर तथा संसाधनों के उत्पादक इस्तेमाल की पक्की व्यवस्था हो सकेगी। पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा विकसित ग्राम मानचित्र सुविधा से विभिन्न समेकित भौगलिक सतहों तक पहुंचा जा सकेगा और क्षेत्र विवरण रिपोर्ट तैयार करने, परिसंपत्तियों का नक्शा बनाने और गतिविधियों की योजना में भी इस्तेमाल की जा सकेंगी। जिससे स्वास्थ्य शिक्षा, और जनसंख्या जैसे मानकों के बारे में जीआईएस नक्शा यानी ग्राम पंचायत नक्शा, खंड पंचायत नक्शा और जिला पंचायत नक्शा तैयार किया जा सकेगा। विकास योजनाएं प्रभावी तरीके से बनाने और क्षेत्र के हिसाब से विवरण शामिल करने में भी सहायता मिलेगी।

ग्राम मानचित्र सुविधा से स्वामित्व योजना के तहत बनाये नक्शों को समन्वित किया जा सकेगा जिससे पंचायतें और सही तरीके से योजनाएं बना सकेंगी। स्वामित्व प्रधानमंत्री द्वारा 24 अप्रैल,2020 को शुरू की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी अपनाकर गांवों के रिहायशी इलाकों में आवास मालिकों के अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार करना है। इससे ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का मौद्रीकरण करके उन्हें ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकेंगी।

<u>जीआईएस-आधारित योजना बनाने के लाभ</u>

I. निर्णय समर्थन प्रणाली- आयोजन गतिविधियों के विकास और क्रियावन्यन में सहायता।

II. योजना विचार और विश्लेषण- योजना के नतीजों को आसानी से देखने के लिए भौगलिक पहलू दर्शाने के उद्देशय से तैयार विषय आधारित नक्शों के बारे में योजना से जुड़े सवाल और समीक्षा सामने आती हैं। यह खास तौर पर विभिन्न गतिविधियों में तालमेल सुनिश्चित करने और पंचायतों के भीतर खास भौगोलिक क्षेत्रों में चलाये जा रहे निर्माण कार्य की जानकारी के लिए सहायक है।

III. निष्पादन विश्लेषण- जिले या खंड या ग्राम पंचायत के चुने हुए संकेतकों पर आधारित कार्य निष्पादन को विषय आधारित नक्शों में देखा जा सकता है। इससे पंचायतों को पता चल सकेगा कि कौन से संकेतक के मामले में सबसे ज्यादा सफलता मिली है।

IV. **प्रबंधन डैशबोर्ड-** वर्तमान योजनाओं या स्कीमों की स्थिति की जानकरी वरिष्ठ प्रबंधकों तक पहुंचाने के लिए जीआईएस आधारित प्रबंधन डैशबोर्ड सामने आता है।

V. लोगों को ज्यादा संख्या में शामिल करना- लोगों के साथ दोतरफा बातचीत ज्यादातर मोबाइल चैनलों से होगी जिससे जनशक्ति के इस्तेमाल से सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर कम बोझ पडेगा।

VI. संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं का उपयोग- इससे संसाधनों के इस्तेमाल और ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए कम खर्चीले समाधान उपलब्ध होते हैं।

अध्याय 5

मध्यवर्ती पंचायत द्वारा ब्लाक विकास योजना तैयार किया जाना

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243**जी** में मध्यवर्ती पंचायत को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है कि वह अपने भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लागू किये जाने वाले पंचायत, राज्य और केन्द्र के सभी कार्यक्रमों/योजनाओं को समन्वित और समेकित कर ब्लॉक विकास योजना तैयार करेगी। इस ढांचे के तहत नियोजन के बारे में संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या अनुच्छेद 2.1 में की गयी है। इतना ही नहीं, स्थानीय सरकार और मध्यवर्ती पंचायतों पर स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनके क्षेत्र में रहने वाले गरीबों और उपेक्षित वर्गों की कमजोरियों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है। यह उद्देश्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब उपलब्ध संसाधनों का कुशल और उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से उपयोग हो और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का विस्तार करने की विस्तृत योजना पर अमल हो। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए काम की दोहरावट न हो, यानी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और इनसे संबंधित विभाग भी अपने-अपने क्षेत्रों में वहीं काम न करें।

पिछले ढाई दशकों में केन्द्र और राज्य सरकारों ने मध्यवर्ती पंचायतों के स्तर पर सहभागितापूर्ण नियोजन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की हैं। लेकिन अपर्याप्त संसाधन, जनता की कम भागीदारी और क्षमता की कमी जैसी विभिन्न चुनौतियों की वजह से विस्तृत और दूरदर्शी ब्लॉक विकास योजना बनाने की रफ्तार में गतिरोध उत्पन्न हुआ है। लेकिन पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमोदित अनुदान तथा केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे जोरदार अभियान के जरिए ब्लॉक विकास योजना बनाने में मदद मिलेगी। इसलिए, अब ब्लॉक विकास योजना को विस्तृत रूप में तैयार करने और इसमें समता तथा समावेशन को भी शामिल करने का वक्त आ गया है।

ब्लाक विकास योजना तैयार करना एक समयबद्ध प्रक्रिया है। यह सोपानक्रम में जुड़ी कई योजनाओं की श्रृंखला की कड़ी है। इसे ग्राम पंचायतों की अपने-अपने क्षेत्र की विकास योजनाएं तैयार हो जाने के बाद टेबल-2 में दी गयी समय सारणी के अनुसार बनाया जाना चाहिए। लेकिन मध्यवर्ती पंचायतों को अपने इलाके की ग्राम पंचायत विकास योजना के पूरा होने तक इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें जिला विकास योजना के ढांचे की इकाइयां उपलब्ध करानी चाहिए। अपने आदर्श रूप में ब्लॉक विकास योजना को जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप और बुनियादी सेवाओं तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला चाहिए। इसे सहभागितापूर्ण, समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए तैयार किया जाना चाहिए। योजना दीर्घावधि (परिप्रेक्ष्य योजना) की तरह (आदर्श रूप में पांच साल के लिए) होनी चाहिए। इसे एक वार्षिक आधार पर लागू करने योग्य होना चाहिए और ब्लॉक सभा में निर्धारित प्राथमिकताओं पर आधारित होना चाहिए। श्रम-शक्ति, बुनियादी ढांचे और संस्थागत क्षमता की दृष्टि से अपने सीमित दर्जे के कारण मध्यवर्ती पंचायतें मध्यम स्तर की गतिविधियों की योजना बनाकर उसे लागू कर सकती हैं। उनके लिए ऐसी गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करना और उनकी निगरानी करना भी संभव है। इतना ही नहीं, प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत के लिए ऐसी गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना आवश्यक हो सकता है जो क्षेत्र की दृष्टि से दो या इससे अधिक पंचायतों से संबंधित हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में मध्यवर्ती पंचायतें इस तरह की गतिविधियों की जिम्मेदारी लेने में बेहतर स्थिति में होती हैं। (पंचायती राज मंत्रालय, 2020)। केवल अपवाद वाली स्थितियों में ही वे एक खास पंचायत का कार्य करती हैं।

5.1 ब्लॉक विकास योजना प्रक्रिया

ब्लॉक विकास योजना सहभागितापूर्ण, समावेशी और पारदर्शी तरीके से नीचे से ऊपर की ओर वाली प्रक्रिया अपनाकर तैयार की जा सकती है। योजना की विकास संबंधी आवश्यकताओं का आकलन अनुच्छेद 4.1 में दिये गये मिशन

अन्त्योदय के आंकड़ों से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में कमियों का पता लगाकर किया जा सकता है। ग्राम पंचायतें जिन कमियों को दूर कर रही हैं या दूर करने की योजना बनायी है उन्हें ब्लॉक योजना में छोड़ा जा सकता है। ब्लॉक विकास योजना प्रक्रिया में ग्राम पंचायत विकास योजना के पूरक के रूप में आवश्यकता पर आधारित नियोजन किया जाता है। इसके अलावा, इसमें राष्ट्रीयप्रतिबद्धताओं, जैसे सतत विकास लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को पूरा करने पर भी जोर दिया जाता है। मध्यवर्ती पंचायतों के स्तर पर कार्य करने वाले संबद्ध विभागों की योजना संबंधी गतिविधियों को भी ब्लॉक विकास योजना में शामिल किया जाना चाहिए, हालांकि इनपर ये विभाग खुद भी अमल कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र और अकादमिक विद्वानों की विशेषज्ञता के उपयोग के भी प्रयास किये जाने चाहिए।

ब्लॉक विकास योजना की प्रक्रिया, ढांचा और प्रारूप मोटे तौर पर वही हो सकता है जैसा ग्रामपंचायत विकास योजना--जीपीडीपी का होता है। जीपीडीपी तैयार हो जाने और ग्राम पंचायत स्तर से उसके मंजूरी मिल जाने के बाद ग्राम पंचायतें उन्हें मध्यवर्ती पंचायतों को भेज देती हैं। वे परियोजनाएं और गतिविधियां जिन्हें एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लागू किया जाना है उनका क्रियान्वयन मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर किया जाता है क्योंकि मध्यवर्ती पंचायतों की संस्थागत क्षमता और तकनीकी दक्षता अधिक होती है। मध्यवर्ती पंचायतें उन्हें ब्लॉक विकास योजना में शामिल करने के बारे में विचार करती हैं। ब्लॉक विकास योजना को ब्लॉक सभी मंजूरी देती है जिसमें सभी मध्यवर्ती पंचायतों के सदस्य, ब्लॉक पंचायत क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य, संबंधित ब्लॉक की सभी ग्रामसभाओं के ग्राम पंचायत अध्यक्ष/सरपंच हिस्सा लेते हैं। इसके लिए ब्लॉक सभा की बैठक आयोजित कर उसमें इसपर विचार किया जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा ब्लॉक स्तर के संबंधित विभागों के अधिकारी, स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों के नेता, विशेषज्ञ, पेशेवर विशेषज्ञ, डॉक्टर, अर्थशास्त्री आदि को भी ब्लॉक सभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। (पंचायती राज मंत्रालय, 2020)। मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष

ऊपर बताये गये लोगों समेत कुल 50-80 लोगों को ब्लॉक सभा के सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकते हैं। ब्लॉक सभा की बैठक की अध्यक्षता मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष करते हैं और ब्लॉक पंचायत अधिकारी/ब्लॉक विकास अधिकारी को ब्लॉक सभा का संयोजक नामजद किया जा सकता है। लेकिन वित्तीय मामलों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा मध्यवर्ती पंचायत के लिए प्राधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा ही दी जाती है। ब्लॉक विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

1) प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत के लिए मध्यवर्ती नियोजन कमेटी का गठन ताकि समूची नियोजन प्रक्रिया को दिशा देने के बारे में साझा समझ और सुविधाओं का विकास किया जा सके ताकि वे ब्लॉक विकास योजना में सक्रिय होकर हिस्सा ले सकें;

2) माहौल तैयार करना और सामुदायिक भागीदारी;

3) प्राथमिक और द्वैतीयक डेटा का संग्रह और उसे समेकित करना;

4) स्थिति विश्लेषण, आवश्यकता का आकलन, कमियों की पहचान करना और विकास की स्थिति के बारे में रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करना;

5) लक्ष्य निर्धरण के लिए परिकल्पना करना; विशेष ब्लॉक सभा का आयोजन;

6) संसाधन और उनसे संबंधित गतिविधियों की पहचान/आकलन करना–विशेष ब्लॉक सभा;

7) आवश्यकताओं की प्राथमिकताएं निर्धारित करने और योजनागत गितविधियों को परियोजना का रूप देने जैसी गतिविधियों के जरिए ब्लॉक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना;

8) ब्लाक विकास योजना और उसके क्रियान्वयन, निगरानी तथा प्रभाव विश्लेषण को मंजूरी।

ब्लॉक विकास योजना के योजना-चक्र को रेखाचित्र-8 के माध्यम से दर्शाया जा सकता है।

रेखाचित्र-8 : ब्लॉक विकास योजना का योजना-चक्र

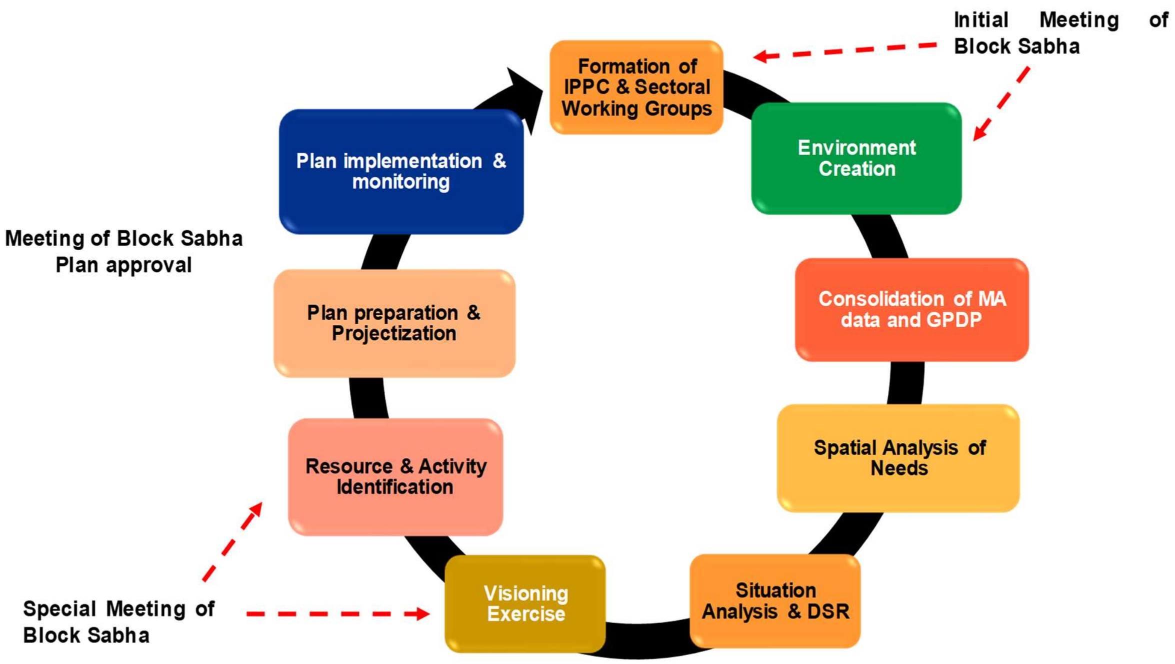

ब्लॉक सभा की प्रारंभिक बैठक

आइपीपीसी और क्षेत्रीय कार्यकारी समूहों का गठन

ब्लॉक सभा योजना स्वीकृति बैठक

योजना क्रियान्वयन और निगरानी

योजना तैयार करना परियोजनांतरण

संसाधन और गतिविधि की पहचान

परिकल्पना करना

माहौल तैयार करना

एम.ए. डेटा और जीपीडीपीका समेकन

आवश्यकताओं का स्थानिक विश्लेषण

स्थिति विश्लेषण और डीएसआर

ब्लॉक सभा की विशेष बैठक

5.2 मध्यवर्ती पंचायत नियोजन समिति (आईपीपीसी) और क्षेत्रीय कार्य समूह (एसडब्लूजी) का गठन

मध्यवर्ती पंचायत को व्यापक भागीदारी, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और विकास का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लक्ष्य को ध्यान रखते हुए ब्लॉक विकास योजना तैयार करनी चाहिए और व्यापक भागीदारी का अवसर देकर विकास का अधिकतम लाभ उठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बड़ी संख्या में नेकनीयत वाले/परोपकारी/स्वैच्छिक मानव संसाधनों को इससे जोड़ा जाना चाहिए

ताकि वे मध्यवर्ती पंचायतों को दूरदर्शी समग्र योजना बनाने में मदद कर सकें। इसके लिए मध्यवर्ती पंचायत नियोजन समिति (आइपीपीसी) नाम का एक समूह ब्लाक विकास योजना बनाने के लिए गठित किया जा सकता है। यह समिति मध्यवर्ती पंचायत की अध्यक्षता में ब्लॉक विकास योजना बनाने की प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। जहां नियोजन प्रक्रिया में मदद के लिए कोई जाना-माना व्यक्ति उपलब्ध हो, वहां उसे भी आइपीपीसी का सह-अध्यक्ष नामजद किया जा सकता है। आइपीपीसी का आकार और संघटन अलग-अलग हो सकता है। ब्लाक स्तर पर क्षेत्रीय/संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों को अवश्य ही समूह का सदस्य बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा ब्लॉक के ऐसे नागरिकों को भी जो देश या विदेशों में रह रहे/काम कर रहे हैं उन्हें भी आइपीपीसी, क्षेत्रीय कार्यकारी समूहों, समितियों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के सतत विकास के लिए उनके ज्ञान/कौशल और विशेषज्ञता का फायदा उठाना है। पड़ोसी राज्य/जिले और आसपास के राज्यों/जिलों की मध्यवर्ती पंचायतों के पथप्रदर्शक नेताओं को भी आइपीपीसी के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है। राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा सभी संबद्ध विभागों को जारी किये गये निर्देशों का फायदा उठाते हुए इन सदस्यों का हार्दिक सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। आइपीपीसी का सांकेतिक संघटन बॉक्स-2 में दिया गया है। ब्लॉक विकास योजना बनाने और इसपर कारगर अमल तथा निगरानी में मदद करने जैसे तमाम कार्यों के लिए यह टीम मध्यवर्ती पंचायत की अग्रिम पंक्ति पर काम करने वाले हरावल दस्ते की तरह है। एनआरएलएम के प्रतिनिधि या किसी जाने'-माने व्यक्ति को समिति का सुविधा प्रदाता नामजद किया जा सकता है। सुविधा प्रदाता ग्राम पंचायत विकास योजना और मिशन अंत्योदय के आंकड़ों को समेकित करेगा और ग्राम पंचायत विकास योजना और मिशन अंत्योदय के आंकड़ों को समेकित करेगा और ग्रामपंचायत नियोजन सुविधाप्रदाता टीम तथा क्षेत्रीय कार्यकारी दल के संयोजकके साथ समन्वय स्थापित करेगा। मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकारी और सुविधा

प्रदाता समेत पांच व्यक्तियों के कोर ग्रुप (सुविधा प्रदान करनेवाली टीम) का गठन किया जा सकता है जिसे ब्लॉक विकास योजना बनाने के लिए सघन प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

बॉक्स-2 : मध्यवर्ती पंचायत नियोजन समिति (आइपीपीसी) की सांकेतिक संरचना

क्रम सं.	समिति के सदस्य	पदनाम
1.	मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	मध्यवर्ती पंचायत के उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
3.	ब्लॉक की पांच पंचायतों के पांच अध्यक्ष	सदस्य
4.	ब्लॉक का प्रितनिधित्व करने वाले जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि	सदस्य
5.	मध्यवर्ती पंचायत की स्थायी समिति के अध्यक्ष	सदस्य
6.	ब्लॉक विकास अधिकारी	सदस्य
7.	फारेस्ट रेंज आफिसर	सदस्य
8.	एन.आर.एल.एम. के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	कृषि प्रसार अधिकारी	सदस्य
10.	कृषि उपज विपणन समिति अध्यक्ष	आमंत्रित सदस्य
11.	ब्लॉक के लीड बैंक प्रबंधक	आमंत्रित सदस्य
12.	एक स्वच्छता विशेषज्ञ	आमंत्रित सदस्य

13.	अर्थशास्त्र का एक प्रोफेसर	आमंत्रित सदस्य
14.	मध्यवर्ती पंचायत का सचिव या कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट - जरूरत पड़ने पर मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्ष समिति सदस्यों को सह सदस्य बना सकते हैं। मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के पांच अध्यक्षों तथा अन्य आमंत्रित सदस्य/सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं।

नियोजन समिति के उत्तरदायित्व : नियोजन समिति के विभिन्न दायित्व इस प्रकार होंगे:

- मध्यवर्ती पंचायतों और क्षेत्रीय कार्यकारी समूहों को क्रमश: ब्लॉक विकास योजना और क्षेत्रीय योजना बनाने में मदद करना।
- क्षेत्रों के विकास के बारे में स्वस्थ चर्चा को बढ़ावा देना।
- कार्यकारी समूहों को परियोजनाएं तैयार करने में मदद करना।
- अतिरिक्त संसाधन जुटाने की संभावनाओं का पता लगाना।
- समयसीमा के अनुसार गतिविधियोंका संचालन करते हुए समन्वय सुनिश्चित करना।
- कार्यकारी समूह की गतिविधियों का समन्वय।
- हितधारकों के साथ मुलाकात और बैंकों तथा सहकारी संस्थाओं के साथ बैठक में मदद करना।
- ब्लॉक विकास योजना तैयार करने में मदद के लिए विशेषज्ञों, स्वयंसेवकों, अकादमिक और तकनीकी संस्थाओं का पता लगाना।

ऊपर बताये लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आइपीपीसी को विभिन्न क्षेत्रीय कार्यकारी समूहों से तकनीकी और प्रबंधकीय सहयोग की आवश्यकता होती है जिनका गठन निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए किया जाता है :

- संसाधनों की ऊपरी सीमा
- आर्थिक विकास, आय बढ़ाने, गरीबी कम करने, आजीविका और कौशल विकास

- शिक्षा
- महिला और बाल विकास
- सामाजिक सुरक्षाऔरसामाजिक न्याय
- कृषि और संबंधित क्षेत्र
- जल संसाधन
- बुनियादी ढांचा विकास
- पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन
- अगर मध्यवर्ती पंचायतों में इस समय स्थायी समितियां हैं जिनके काम की क्षेत्रीय कार्यकारी समूहों (एसडब्लूजी) के कार्य के साथ दोहरावट होती है तो उन्हें संबंधित समूहों के साथ मिला दिया जाना चाहिए। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल सभी विषयों की जिम्मेदारी क्षेत्रीय कार्यकारी समूहों में बीच बांटी जा सकती है। उनमें मध्यवर्ती पंचायतों के स्तर के सभी अधिकारियों को सदस्य के रूप में और क्षेत्रीय विशेषज्ञों, एनजीओज और सीबीओज के प्रतिनिधियों को मध्यवर्ती पंचायतों में शामिल किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यकारी समूह की अध्यक्षता विषय के विशेषज्ञ द्वारा की जा सकती है और मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य सह-अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यकारी समूह-- एसडब्लूजी निम्नलिखित उत्तरदायित्व निभाएगा:
- एसडब्लूजी ऐसे अन्य सदस्यों और/या विशेषज्ञों को भी योजना बनाने के कार्य में सहयोजित किया जा सकता है।
- एसडब्लूजी क्षेत्र के लिए वीजन डॉक्यूमेंट (परिकल्पना दस्तावेज) तैयार करने के लिए सभी आवश्यक डेटा एकत्र करेगा और मध्यवर्ती पंचायत के स्तर पर विकास की वर्तमान स्थिति का आकलन करगा।
- समूह मध्यवर्ती पंचायतों की संबंधित स्थायी समितियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे।

- विभिन्न समूह उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करेंगे और समूचे ब्लॉक की विकास की स्थिति के बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे। विकास की स्थिति-रिपोर्ट में क्षेत्र आधारित स्थिति का विश्लेषण दिया जाएगा जो संकलित डेटा और उसके विश्लेषण पर आधारित होगा तथा इसमें कमियों की पहचान कर ब्लॉक के लिए वीजन परियोजना प्रस्तुत की जाएगी।
- एसडब्लूजी क्षेत्र के लिए वीजन योजन का मसौदा तैयार करेगा।
- विकास की स्थिति संबंधी रिपोर्ट को निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर मध्यवर्ती पंचायत नियोजन समिति को सौंपा जाएगा।

5.3 आईपीपीसी और एसडब्लूजी को प्रारंभिक प्रशिक्षण

विस्तृत ब्लॉक विकास योजना तैयार करने के लिए जनता की सघन भागीदारी, विभिन्न हितधारकों के लिए प्रक्रिया को समझना, परिकल्पना करना, समस्याओं की पहचान और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के निर्धारण के लिए स्थिति का विश्लेषण, परियोजना निर्माण और क्रियान्वयन जरूरी हैं। इस प्रक्रिया को चालू करने और के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) और सुविधाएं उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण साधन और पूर्वशर्त है। आईपीपीसी और एस.डब्लू.जी. के निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित सदस्यों, मध्यवर्ती पंचायतों के कार्यकर्ताओं, सामुदायिक नेताओं और ब्लॉक विकास योजना के बेहतर नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी से जुड़े संबद्ध विभागों के कर्मचारियों के पेशेवर ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए हर राज्य को क्षेत्र आधारित तौर-तरीकों से सीखने, और क्रियान्वयन मूलक प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए उपयुक्त रणनीति और कार्य योजना तैयार करनी होगी। इसलिए आइपीपीसी और एसडब्लूजी को उनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों के बारे में सामान्य अभिविन्यास प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पाचायतीराज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर) को इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और दो तरह के प्रशिक्षणों के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देना चाहिए। इनमें से एक-एक अध्यक्ष और सुविधा प्रदाता सचिव जैसे

कोर ग्रुपके सदस्यों और आईपीपीसी के दो अन्य सदस्यों के लिए होना चाहिए। दूसरी ब्लॉक विकास योजना तैयार करने के लिए मध्यवर्ती पंचायतों, आपीपीसी और एसडब्लूजीज के सभी सदस्यों को अभिविन्यास प्रशिक्षण देने के लिए होनी चाहिए।

5.4 ब्लॉक विकास योजना तैयार करने के लिए माहौल बनाना

ब्लॉक स्तर पर जनता का सहयोग हासिल करने और हितधारकों के सभी समूहोंके साथ विचार-विमर्श के लिए उचित माहौल बनाने की आवश्यकता है। निर्वाचित प्रतिनिधि, अधिकारी और आम जनता नियोजन-प्रक्रिया से अवगत रहे यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। औपचारिक योजना तैयार करने से पहले माहौल बनाना और जनता का सहयोग हासिल करना अत्यंत आवश्यक है। माहौल बनाने संबंधी गितविधियां भी बहुत जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं से जनता के व्यवहार, दृष्टिकोण, रुझान और राज व्यवस्था संबंधी परिवर्तन आते हैं। इसलिए ब्लॉक विकास योजना प्रक्रिया की पहली गतिविधि ब्लॉक सभा का आयोजन है ताकि ग्राम वासियों में जागरूकता पैदा करके शुरुआत की जा सके। ब्लॉक सभा को ब्लॉक विकास योजना बनाने की अवश्यकता, नियोजन प्रक्रिया में संचालित की जाने वाली गतिविधियों, आइपीपीसी और एसडब्लूजी के गठन और उनके सदस्यों के बारे में बताया जाएगा। आइपीपीसी को सही माहौल बनाने और ब्लॉक सभाओं में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्वित करने के लिए पहल करनी चाहिए। यह कार्य निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों और महिला सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है। ब्लॉक सभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी वर्गों के लोगों को सहभागी बनाने के लिए ब्लॉक सभी की मुख्य बैठक से पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की अलग सभाएं आयोजित की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके मुद्दे ब्लॉक विकास योजना में प्रमुखता प्राप्त करें।

उपर्युक्त कदमों के अलावा और भी अधिक अनुकूल माहौल बनाने के प्रयास किये जाने चाहिए ताकि प्रभावी योजना बनायी जा सके, ब्लॉक विकास योजना में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और सभी हितधारकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों की सहकारिताओं और संबद्ध विभागों के अधिकारियों में उत्साह उत्पन्न किया जा सके। इसके अलावा ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत की गयी परिकल्पना और निर्धारित किये गये लक्ष्यों के बारे में जानकारी देने के लिए मध्यवर्ती पंचायतों को सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां तेज करनी चाहिए। कारगर माहौल के जरिए ब्लॉक सभा, आइपीपीसी, एसडब्लूजीज को प्रभावी बनाने के लिए क्या-क्या गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं, उनकी सूची संलग्नक-8 में दी गयी है। ब्लॉक विकास योजना तैयार करते समय माहौल बनाने वाली गतिविधियों से लोगों में उत्सव जैसा मूड तैयार किया जाना चाहिए ताकि सभी हितधारक स्वच्छा से सहभागिता निभाने को आगे आएं।

5.5 ग्राम पंचायत विकास योजना को समेकित करना और विकास संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता

पिछले पांच वर्षों में ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की तैयारियों में अच्छा सुधार हुआ है और विस्तृत प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। मध्यवर्ती पंचायत के स्तर पर एक महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को ब्लॉक स्तर पर ही समेकित कर लिया जाए ताकि विकास की आवश्यकताओं और नियोजन संबंधी गतिविधियों से इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। जैसा कि अनुच्छेद 1.4.1 में कहा गया है ग्राम पंचायत विकास योजना में विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया जाता है और इसके लिए द्वैतीयक आंकड़ों यानी जनगणना, सामाजिक-आर्थिक जाति गणना (एसईसीसी) आंकड़ों, मिशन अंत्योदय और संबंद्ध विभागों द्वारा प्रकाशित आंकड़ों को प्लान प्लस सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध कराकर किया जाता है

(इसे ई-ग्राम स्वराज में समाहित कर लिया गया है)। इसके लिए मिशन अंत्योदय के आंकड़े भी बड़े उपयोगी हैं क्योंकि इनसे संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के विद्यमान कमियों के महत्व का पता चलता है। मिशन अंत्योदय आंकड़ों का ब्यौरा अनुच्छेद 4.1 में उपलब्ध है। मिशन अंत्योदय के आंकड़ों को इन 29 विषयों के संदर्भ में ब्लॉक स्तर पर समेकित किया जा सकता है और 29 विषयों के बारे में आवश्यकताओं का पता लगाया जा सकता है। यही बात छत्तीसगढ़ में बलोद जिले के डोंडी ब्लॉक में कृषि के बारे में रेखाचित्र-6 के जरिए प्रदर्शित की गयी है। इसके अलावा जैसा कि अनुच्छेद 4;22 में ई-ग्राम स्वराज के बारे में व्याख्या की गयी है, ऐसी सभी गतिविधियों को जिन्हें ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित करने की योजना बनायी गयी है, समेकित किया जा सकता है और मध्यवर्ती पंचायतें ब्लॉक विकास योजना में शामिल की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विचार कर सकते हैं ताकि ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से दूर की जाने वाली कमियों को दूर किया जा सके। पहचान कर लेने के बाद ऐसी सभी गतिविधियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में उनके संभावित असर को ध्यान में रखकर प्राथमिकता निर्धारित की जा सकती है। ऐसी गतिविधियां जिनसे कई ग्राम पंचायतों की जरूरतें पूरी हो रही हों, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है।

रेखाचित्र-9 : ब्लॉक स्तर पर कमियों की पहचान करने में मिशन अंत्योदय के आंकड़ों का उपयोग

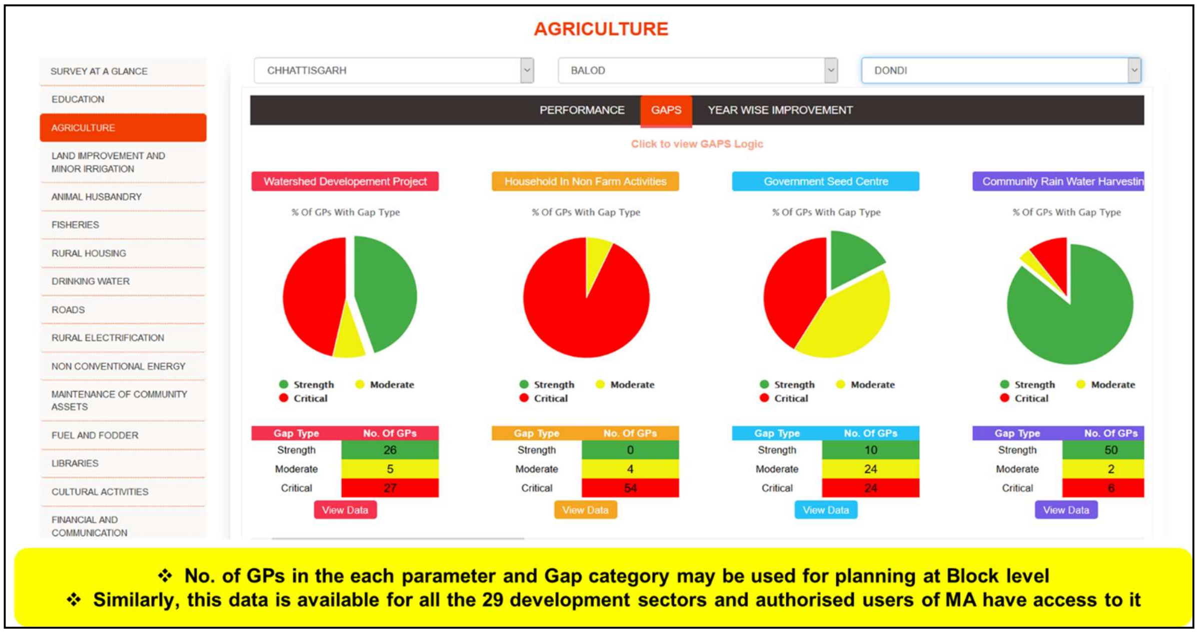

विकास संबंधी आवश्यकाओं के बारे में आंकड़ों को जीआईएस प्लेटफार्म पर अपलोड किया जा सकता है। इससे ओवरले एनालिसिस क्षमता का उपयोग करके स्थानिक और कालिक विश्लेषण किया जा सकता है। इससे इस बात का सही-सही पता लगाने में मदद मिलेगी कि कहां और किस स्थान पर समस्या है और किस कार्य से समस्याओं का समाधान हो सकता है। इससे प्रभावित गांवों और लोगों की संख्या का पता लगाने में भी मदद मिलेगी। इसी तरह कालिक विश्लेषण से बीते वर्षों/महीनों में हुई प्रगति के विश्लेषण में भी मदद मिल सकती है। जैसा कि अनुच्छेद 11.3 में बताया गया है, जीआईएस पर आधारित नियोजन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। रेखाचित्र-10 में ब्लॉक - अम्बाला 1 में पाइपलाइनों के जरिए सप्लाइ किये जाने वाले पानी के कनेक्शनों की संख्या के बारे में फैसला करने के लिए जीआईएस के उपायेग को दिखाया गया है। लाल रंग में प्रदर्शित बस्तियों को पीने के पानी के कनेक्शन देने में प्राथमिकता

दी जा सकती है क्योंकि यह ऐसे गांवों को प्रदर्शित करते हैं जिनमें पाइप लाइनों से पेयजल प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है।

रेखाचित्र-10 : ब्लॉक अम्बाला 1 में पेयजल कनेक्शनों का फैसला करने में जीआईएस का उपयोग

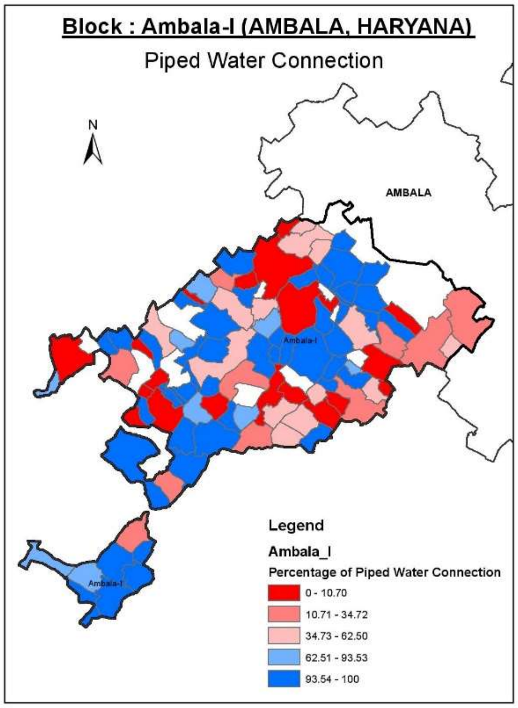

5.6 स्थिति विश्लेषण और विकास की स्थिति संबंधी रिपोर्ट

स्थिति विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जन समुदाय के मुद्दों और उनकी आवश्यकताओं तथा विकास में रह गयी कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के प्रयास किये जाते हैं। इस विश्लेषण में ब्लॉक स्तर पर विकास संबंधी वर्तमान स्थिति के आकलन को ध्यान में रखा जाता है। मूलत: इसकी आवश्यकता विकास संबंधी विभिन्न मुद्दों पर वर्तमान परिदृश्य के आकलन और बुनियादी ढांचे में कमियों, उपलब्ध सुविधाओं और अनुकूलतम भावी विकास के बारे में बुनियादी जानकारी प्राप्त करने के लिए होती है। यह विश्लेषण ब्लॉक विकास योजना में सम्मिलित की जाने वाली प्राथमिकताओं के निर्धारण के

आधार का कार्य करता है। स्थिति विश्लेषण तभी कारगर होता है जब पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास के बारे में प्रामाणिक डेटा उपलब्ध होता है। ये आंकड़े ब्लॉक विकास योजना के लिए निर्धारित किये जाने वाले भावी लक्ष्यों और उद्देश्यों का कार्य करते हैं। उपलब्ध डेटा की जनता से मिले फीडबैक के साथ मिलान करके जांच करना जरूरी होता है।

स्थिति संबंधी विश्लेषण के लिए प्राथमिक और द्वैतीय डेटा का संकलन और विश्लेषण आवश्यक होता है। यह विश्लेषण डेटा पर आधारित होना चाहिए और जनता की जानकारी के आधार पर इसकी पुष्टि होनी चाहिए। वेब और मोबाइलफोन आधारित एप्लिकेशन्स से युक्त टेक्नोलाजी के साथ ही रीअल टाइम में आंकड़ों के संकलन और निगरानी की सुविधा भी आवश्यकता होती है। संलग्नक-9 में चिन्हित समस्याओं और उनके लिए विकास संबंधी विकल्पों के स्थिति-विश्लेषण की व्याख्या की गयी है। मध्यवर्ती पंचायतों को नमूना-डेटा विशेषज्ञों को उपलब्ध कराना चाहिए और उनके दिशानिर्देशन में क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और एस.डब्लू.जी. के इनपुट के तौर पर उसका विश्लेषण करावाना चाहिए। प्रत्येक एसडब्लूजी को क्षेत्र संबंधी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जिसमें स्थिति के विश्लेषण को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्षेत्र संबंधी इन रिपोर्टों में पिछले तीन से पांच वर्षों में हुई प्रगति को भी दर्शाया जाना चाहिए। इस रिपोर्टमें धन के आबंटन और उपयोग, खर्च तथा भौतिक उपलब्धियों का उल्लेख भी होना आवश्यक है। इस अवधि में हुई वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में सफल परियोजनाओं और उनकी सफलता या विफलता के कारणों के बारे में बताया जा सकता है। रिपोर्ट के इस हिस्से में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों, राज्यों की योजनाओं और क्षेत्र के विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों के कार्यक्रमों व विकास संबंधी अन्य गतिविधियों को शामिल करके अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है।

स्थिति-विश्लेषण के पूरा हो जाने पर एसडब्लूजी को अपनी प्रारूप रिपोर्ट बनानी चाहिए जिसे संलग्नक-10 में दिये गये प्रारूप में मध्यवर्ती पंचायत की विकास

की स्थिति संबंधी रिपोर्ट के मौसौदे में शामिल किया जाना चाहिए। विकास स्थिति रिपोर्ट के मसौदे को ब्लॉक सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उन क्षेत्रों में जनता की सही-सही और रीअल टाइम स्थिति के बारे में अवगत कराया जा सके जिनपर विशेष रूप से जोर दिया गया था। एसडब्लूजी और डीएसआर रिपोर्टों के मसौदों को विशेष ब्लॉक सभा की बैठक में विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। डीएसआर से ब्लॉक सभा को निम्नलिखित की पहचान करने में मदद मिलेगी :

- मध्यवर्ती पंचायतों के विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित क्षेत्रों में उपलब्धियों, सीमाओं और विकास की दिशा में प्रयासों में रह गयी कमियों के संदर्भ में विकास की स्थिति;
- मध्यवर्ती पंचायतों के लिए विकास लक्ष्यों को अनुकूलतम बनाने के लिए तालमेल की रणनीति;
- अगले पांच साल में वार्षिक आधार पर विकास की कार्यसूची की प्राथमिकताएं तय करना;
- मध्यवर्ती पंचायतों समेत विभिन्न प्राधिकरणों और संस्थाओं द्वारा निपटाए जाने वाले मुद्दे।

5.7 परिकल्पना तैयार करना

मध्यवर्ती पंचायत के स्तर पर परिकल्पना करने के कार्य को ब्लॉक स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मध्यवर्ती पंचायतों संबंधी सोच को ध्यान में रखना आवश्यक है। आदर्श स्थिति में मध्यवर्ती पंचायतों को अगले पांच वर्षों की परिकल्पना पिछले पांच साल में हुए विकास के आधार पर और भावी विकास के बारे में जनता की आवश्यकताओं तथा मांगों को ध्यान में रखकर तैयार करनी चाहिए। परिकल्पना का कार्य स्थानीय आवश्यकताओं की पहचानकरने के लिए मंच उपलब्ध कराता है और समाज तथा हितधारकों से यह भी अपेक्षा करता है कि उनकी शिकायतों का ही समाधान नहीं होगा, बल्कि

समाज को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। यह राज्य पंचायत अधिनियम के तहत मध्यवर्ती पंचायतों को सौंपे गये अनिवार्य कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और उनके समाधानके अवसर भी प्रदान करता है। आइपीपीसी द्वारा एक बार स्थिति विश्लेषण कर लिए जाने और विकास की स्थिति संबंधी रिपोर्ट को अंतिम रूप मिल जाने के बाद इसे एसडब्लयूजी, विशेषज्ञों, ब्लॉक की विभिन्न संस्थाओं तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की वृहत्तर बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आइपीपीसी द्वारा तैयार परिकल्पना पत्र के प्रारूप को इस बैठक के सामने रखा जा सकता है ताकि इसपर टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त किये जा सके जिनके आधार पर परिकल्पना को अंतिम रूप दिया जा सके।

5.8 मध्यवर्ती पंचायतों द्वारा नियोजन के लिए संसाधन

मध्यवर्ती पंचायतें ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतोंकेबीच एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और मानव संसाधनों के लिहाज से प्रभावी नियोजन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों से युक्त हैं। मोटे तौर पर इनके संसाधनों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- सामाजिक संसाधन : संस्थागत शक्ति, समाज में शांति, सामाजिक सद्भाव/एकता
- प्राकृतिक संसाधन : भूमि, वन, जल, वायु और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी संसाधन
- मानव संसाधन : बलॉक के निवासी, किसी दूसरी हैसियत से इलाके से जुड़े लोग, महिला स्वयं सहायता समूह, एनजीओज और सीबीओज।
- वित्तीय संसाधन: केन्द्र औ राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाली धनराशि, ओएसआर, जनता से प्राप्त अंशदान आदि।

तमाम राज्यों में मध्यवर्ती पंचायतों की संसाधनों की थैली में राज्य सरकारों और पंद्रहवें वित्त आयोग की ओर से मिलने वाले अनुदान के रूप में आने वाली बजट सहायता पहले से सुनिश्चित है। अपने संसाधनों से नाममात्र को आमदनी

जुटाई जा सकती है और इस तरह से जो राशि प्राप्त होती है वह मध्यवर्ती पंचायतों के स्वावित्व वाले भवनोंतथाअन्य संपत्तियों से मिलने वाले किराये के रूप में होती है। मध्यवर्ती पंचायतों की संसाधनों की थैली में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 15वें वित्त आयोग से मिलने वाला अनुदान
- राज्य वित्त आयोग का अनुदान
- अपने स्रोतों से आमदनी
- मध्यवर्ती पंचायतों को सौंपे गये राज्य कार्यक्रम और सीएसएस
- केन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाओं के अंतर्गत संबंधित विभागों को उपलब्ध कराई गयी राशि
- स्वैच्छिक अंशदान (नकदी, सामान और श्रम के रूप में)
- सी.एस.आर. राशि, अगर मध्यवर्ती पंचायतों को दिये जाने का आश्वासन मिला हो या उपलब्ध करायी गयी हो।
- ब्लॉक ऋण योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधि

कई ऐसी गतिविधियां हैं जो ब्लॉक के भीतर ग्राम पंचायतों द्‌वारा अपने इलाके में की जाती हैं। इसके अलावा ब्लॉक के अंतर्गत बहुत सी गतिविधियां जिला पंचायतों द्‌वारा भी संचालित की जाती हैं। आदर्श स्थिति में मध्यवर्ती पंचायतों के संसाधनों की थैली में ये सब संसाधन होने चाहिए। राज्यों को इस बात की पहचान करनी चाहिए कि ब्लॉक स्तर पर इन संसाधनों का लेखांकन और लेखा परीक्षण किस तरह होता है। देश भर में कई राज्यों के मध्यवर्ती पंचायतों के स्तर तक के बजट से जुड़े दस्तावेज होते हैं और इस तरह के दस्तावेज का विस्तार करने की गुंजाइश है ताकि संबद्‌ध विभागों को दिये जाने वाले अनुदानों और योजनाओं को इसके दायरे में लाया जा सके।

5.9 ब्लॉक स्तर पर नियोजना का केन्द्रविन्दु

मध्यवर्ती पंचायतें अपने क्षेत्र में समावेशी और सहभागितापूर्ण नियोजन के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास सहित आर्थिक और सामाजिक विकास की गतिविधियों संचालित करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा उन्हें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों के अंतर्गत आबंटित गतिविधियां संचालित करने के लिए संबद्ध विभागों से भी समन्वय और सहयोग करने की आवश्यकता होती है। मध्यवर्ती पंचायतों को यह सुनिश्चित करना होता है कि विकास का फायदा ब्लॉक में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों और अन्य दुर्बल और उपेक्षित वर्गों के लोगों को भी मिले। लेकिन विशेष ध्यान केन्द्रित करने के लिए निर्धारित क्षेत्रों में से गतिविधियों की पहचान करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें ब्लॉक स्तर पर किया जा सके। अध्याय-4 में ब्लॉक विकास योजना में शामिल किये जाने वाले क्षेत्रों, विषयों और मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसमें समन्वित और सामूहिक कार्रवाई के लिए संबद्ध मंत्रालयों की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी बताया गया है। मध्यवर्ती पंचायतों के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के बारे में आगले अनुच्छेदों में बताया गया है (पंचायतीराज मंत्रालय, 2020)।

5.9.1 आर्थिक विकास और आमदनी

पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का संवैधानिक दायित्व मिला हुआ है जिसे मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों को सक्षम बनाने वाला माहौल बनाकर और उनकी थैली में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने से पूरा किया जा सकता है। उच्चतर संस्थागत क्षमता तथा तकनीकी दक्षता के करीएर अब ब्लॉक स्तर पर ग्राम पंचायतों की ओर से प्राप्त कार्यों को अब नये फोकस के साथ लागू किया जाएगा। मध्यवर्ती पंचायतों को समूचे ब्लॉक की आर्थिक विकास संबंधी गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करना

होगा और अपने इलाके में लोगों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने होंगे। ग्राम पंचायतों की आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर जुटाने की सीमित क्षमता की वजह से मध्यवर्ती पंचायतों को इस क्षेत्र को और अधिक प्राथमिकता देनी होगी। आर्थिक विकास और आय उत्पन्न करने की कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं (पंचायती राज मंत्रालय, 2020) :

5.9.1.1 कृषि से संबंधित और कृषि प्रसंस्करण इकाइयां

कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं इसलिए शहरी इलाकों की बजाय ग्रामीण इलाकों में इस तरह की इकाइयां अपेक्षाक़त फायदे में रहती हैं। मध्यवर्ती पंचायतें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्यों के कृषि विभागों जैसे संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के साथ समन्वित योजनाएं बनाकर आधुनिक बुनियादी ढांचे, साझा सुविधाओं और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। इस तरह वे उद्यमियों को क्लस्टर के रूप में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने को प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके लिए किसानों/उद्यमियों के समूह बनाये जा सकते हैं और उन्हें प्रसंस्करण, विनिर्माण और विपणन संबधी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

5.9.1.2 आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को सुदृढ़ करना

मध्यवर्ती पंचायतें सप्लाई-चेन प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करके द्वैतीयक और त्रैतीयक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी काम कर सकती हैं। फसलों के बढ़ते दाम, डिवेलपर्स को जमीन की बिक्री, फसल चक्र, निर्यात पर जोर और ग्रामीण युवकों/प्रवासियों के घर वापस लौटने, सरकार की मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं तथा खेतिहर मजदूरों को बेहतर मजदूरी मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास खर्च करने के लिए अतिरिक्त आय उपलब्ध होने लगी है। गांव के लोगों को उनकी उपज के लिए लाभप्रद मूल्य और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण माहौल के अनुरूप उपयुक्त सप्लाइ-

चेन का विकास करके और उसे सुदृढ़ करके रणनीतिक लाभ दिलाने की आवश्यकता है। ग्रामीण उत्पादन, परिवहन और प्रसंस्करण के तौर-तरीकों में नये-नये बदलाव लाकर रोजगार के चिरस्थायी अवसर पैदा किये जा सकते हैं और आमदनी बढ़ाई जा सकती है। मध्यवर्ती पंचायतें इन नये उपायों में मदद कर सकती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की कायापलट करने के लिए कृषि संबंधी विभिन्न तौर-तरीकों, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, संचार टेक्नोलाजी के उपयोग, सचल प्रशीतन सुविधाओं, कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलाजी के विकास, कम लागत पर प्रसंस्करण और पैकेजिंग आदि के क्षेत्र में नवाचार पर आधारित उपायों और टैक्नोलाजी को बढ़ावा दे सकती हैं।

5.9.1.3 जल्द खराब हो जाने वाले उत्पादों के लिए प्रशीतन श्रृंखला का विकास

खाद्य और कृषि संगठन का अनुमान है कि भारत में हर साला ताजा फलों और सब्जियों का 40 प्रतिशत उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले ही सड़ कर नष्ट हो जाते हैं जिनकी लागत 8.3 अरब डालर के बराबर होती है। दुनिया भर में कोल्ड स्टोर यानी शीत भंडारों की किसानों को उनकी उपज के आखिरी उपभोक्ता से जोड़ने और कुपोषण की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विभिन्न समाज कल्याण गतिविधियों के माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र में उत्पादन, भंडारण, बाजार (मंडी) और कृषि उत्पादों की बिक्री जैसी गतिविधियों में भी मदद कर रही है। लेकिन बुनियादी ढांचे के अब भी अपनी आदिम अवस्था में है, इसलिए शीत भंडार अन्य संबद्ध पक्षों के साथ संपर्कस्थापित कर किसानों और उद्योगों का बोझ कम करने में बड़ी मदद कर सकते हैं। कोल्ड चेन यानी शीत भंडार श्रृंखला के कई किफायती मॉडल है। मध्यवर्ती पंचायतें इन पक्षों के साथ तालमेल कायम करके टिकाऊ कोल्ड चेन प्रणाली के विकास में मदद कर सकते हैं।

5.9.1.4 ग्रामीण बाजार हब के लिए पहल

ताजा उत्पादों या प्रसंस्कृत उत्पादों के विपणन में सफलता के लिए उत्पादकों और कृषि पदार्थों के ग्रामीण प्रसंस्करण कर्ताओं को खास वस्तुओं के बाजार में

स्थान बनाने के लिए उत्पादों की विशिष्टताओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। नये बाजार में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी के अभाव से सूक्ष्म उद्‍यमी सिमटते बाजार खंड की आवश्यकताओं को पूरा करते रह जाते हैं। ऐसा महसूस किया जाता है कि उत्पादकों और प्रसंस्करण करने वालों के बीच कमजोर तालमेल से किसान गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं के बारे में लापरवाह हो जाते हैं और इसलिए उनका ध्यान उत्पादों की मात्रा पर केन्द्रित रहता है। इस संदर्भ में स्वयं सहायता समूह और स्थानीय सहकारिताओं को छोटेमगरआर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बाजारान्मुख कृषि प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है ताकि वे स्थान/क्षेत्र/जाति विशेष की मांगों को पूरा कर सकें। इनसे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और स्थानीयलोगों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। मध्यवर्ती पंचायतें देहाती इलाकों में रहने वाली जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण बाजार हब के विकास की पहल कर सकती हैं। इसके लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम–जेम) के उपयोग को बढ़ावा देना भी जरूरी है।

5.9.1.5 पंचायत और निजी क्षेत्र के बीच मजबूत साझेदारी

स्थानीय आर्थिक विकास महज व्यक्तियों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना भर नहीं है, बल्कि इसका उद्‍देश्य सतत आर्थिक विकास करना और जीवन में सुधार लाना है। कुछ सेवाएं, खास तौर पर टिकाऊ नौकरी उपलब्ध कराने और आमदनी बढ़ाने वाली सेवाओं को निजी संगठनों की साझेदारी से बेहतर तरीके से उपलब्ध कराया जा सकता है। मध्यवर्ती पंचायतों को वाणिज्यिक आधार पर सेवाएं उपलब्ध कराने में साझेदारी का रास्ता अपनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए मध्यवर्ती पंचायतों को भी समुदाय आधारित संगठनों को सहायता देनी चाहिए। जनता को अधिक दक्षता से सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्हें पेशेवर संगठनों के साथ साझेदारी करने को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। जनता के जीवन की गुणवत्ता में लगातार और

पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से सुधार लाने के लिए नयी टेक्नोलाजी को अपनाने में क्षेत्र में साझेदारी के विकास पर पर्याप्त जोर दिया जाना चाहिए। अपारम्परिक ऊर्जा के उपयोग्, उपलब्ध जल के बेहतर प्रबंधन और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए नयी टेक्नोलाजी अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो-टेक्नोलाजी के उपयोग को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया जा सकता है।

5.9.1.6 कचरे से संपदा

भारत में शहरी, औद्योगिक और कृषि से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट/कचरेसे ऊर्जा के उत्पादन की अच्छी-खासी क्षमता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मवेशियों के गोबर या साग-सब्जियों/भोजन जैसे विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों से बायो सीएनजी, बायो गैस बनाकर उसका उपयोग भोजन पकाने, बिजली उत्पादन और परिवहन में किया जा सकता है। इस तरह के उपायों से ऐसे नये बिजनेस मॉडलों का निर्माण हो सकेगा जिनसे संसाधनों की दृष्टि से कुशल उत्पादों और सेवाएं शुरू की जा सकेंगी और अंततः इससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। बढ़ी हुई मांग और उपभोक्तओं की स्वीकार्यता से अधिक संख्या में उत्पादन से लागत में कमी आने का फायदा मिलेगा जिससे कीमतें कम होंगी और वांछित बदलाव लाने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, रीसाइकल कर के सामान बनाने का अनिवार्य लक्ष्य तय करने और कारगर निगरानी नेटवर्क से समय पर वांछित कार्यनिष्पादन स्तर पर पहुंचने में मदद मिलेगी। मध्यवर्ती पंचायतें इस प्रक्रिया में मदद के उद्देश्य से संबंधित हितधारकों के लिए पर्याप्त और किफायती बुनियादी ढांचा खड़ा करने की पहल कर सकती हैं। इस संबंध में संसाधनों के उपयोगके लिए प्रासंगिक संगठनों और विभागों के साथ तालमेल और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

5.9.1.7 द्वैतीयक और त्रैतीयक क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा

2011 की जनगण्ना के अनुसार भारत की करीब 69 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ग्रामीण इलाकों में आजीविका के मुख्य स्रोत के रूप में खेती पर निर्भरता जिन कारणों से कम हो रही है उनमें जनसांख्यिकीय दबाव, छोटी जोतों की अधिकता और पारिवारिक आय में कृषि से होने वाली आमदनी के हिस्से में गिरावट आना आदि प्रमुख हैं। समग्र आर्थिक विकास, बेहतर ग्रामीण अवसंरचना और ग्रामीण और शहरी यात्रा समय में कमी आने जैसे कारणों से ग्रामीण भारत में गैर-कृषि क्षेत्र बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। इस तरह ग्रामीण भारत में द्वैतीयक और त्रैतीयक क्षेत्र रोजगार के महत्वपूर्ण संभावित स्रोत के रूप में उभर कर सामने आया है। समग्र ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिक क्षेत्र के विकास के साथ-साथ द्वैतीयक और त्रैतीयक क्षेत्रों की क्षमता का फायदा उठाना भी जरूरी है। मध्यवर्ती पंचायतों को द्वैतीयक और त्रैतीयक क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के विकास, लोगों–खास तौर पर समाज के गरीब और दुर्बल वर्गों के लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। मध्यवर्ती पंचायतें ऐसे महत्वपूर्ण उद्योगों की पहचान कर सकती हैं जिनको इलाके में अपेक्षाकृत बढ़त हासिल हो। उन्हें बैंकों और वित्तीय संस्थाओं आदि को जिंसों और सेवाओं के उत्पादन में उन्हें अपने इलाके में उन गतिविधियों को अपने संसाधनों और अन्य उपलब्ध संस्थाओं के साथ-साथ मध्यस्थता के माध्यम से बढ़ावा देना चाहिए ताकि उन क्षेत्रों में योजनाओं और कार्यक्रमों का बेहतर कियान्वयन हो सके। बहरहाल, प्रत्येक मामले में विशेषज्ञों को परियोजना रिपोर्ट की जांच की जानी चाहिए ताकि इसके लिए मजबूत आर्थिक आधार तैयार हो सके।

5.9.1.8 ग्रामीण उद्योग क्लस्टर

एक अनुमान के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 31 प्रतिशत का योगदान है। देश में करीब 5.58 करोड़ एमएसएमई हैं जिनमें 12.4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें से 14 प्रतिशत महिलाओं की देखरेख में चल रहे उद्यम हैं और 59.5

प्रतिशत एमएसएमई ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। लेकिन कोविड महामारी की वजह से एमएसएमई को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के विशाल ढांचे के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की नियोजनीयता पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमईज को सहायता देने, खास तौर पर महिला सहकारी संगठनों को पूंजीगत मदद देने की बड़ी आवश्यकता है ताकि आजीविका प्राणाली, विशेष रूप से महिलाओं को सामान्य रूप से मदद मिले। भारत सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की। इसके अंतर्गत पहले चरण में एमएसएमईज को चार साल के लिए बिना किसी जमानती के 3 लाख करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किये गये। कोविड महामारी के बाद के दौर में अर्थव्यवस्था में नयी जान फूंकने के लिए ऋण की अदायगी में 12 महीने की छूट दी गयी। सरकार ने कोशों की निधि बनाने का भी फैसला किया है ताकि एमएसएमई में पूंजीनिवेश किया जा सके। इसके अंतर्गत भारत सरकार प्रारंभिक निधि के रूप में 10,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करायेगी। स्थनीय संसाधनों पर निर्भर एमएसएमई के पास विशाल क्षमता है जिससे वे देश के आर्थिक विकास और आमदनी बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। मध्यवर्ती पंचायतों को मौजूदा एमएसएमईज और नये एमएसएमईज के क्लस्टरों के विकास में मदद करनी चाहिए क्योंकि ये स्वाभाविक क्षमता वाले स्थल बन सकते है। निजी क्षेत्र और समुदाय आधारित संगठनों, खास तौर पर महिला सहकारी संस्थाओं के सहयोग से इन क्लस्टरों का विकास किया जाना चाहिए।

5.9.2. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

प्राकृतिक संसाधनों की गुणवत्ता में हास का सीधा नकारात्मक असर गरीबों की आजीविका पर प़ड़ता है। मध्यवर्ती पंचायत को संबंधित सामुदायिक संस्थानों की क्षमता जल और वन उत्पादों के संरक्षण प्रबंधन और उपयोग की दृष्टि से बढानी चाहिए। यह प्रयास समावेशी, निर्धन हितैषी और सतत ढंग से किया जाना चाहिए। रोजगार सृजन और खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने की

आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आर्थिक लाभ सृजित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और इनके उपयोग में सुधार की क्षमता भी बढाए जाने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए पंचायतों को प्रदत्त अधिकार और दायित्व को देखते हुए वे अपने संबंधित क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए सर्वाधिक उचित संस्थागत माध्यम हैं। समुदाय आधारित संस्थागत ढांचे में पंचायतों के साथ काम करने वाले विभिन्न उपयोग कर्ता समूहों को भी शामिल किए जाने की जरूरत है। मध्यवर्ती पंचायत अपनी क्षमता बढाने के लिए संबंधित विभागों से भी समन्वय कर सकते हैं। गैर सरकार संगठन और सीबीओ प्रयोग और नवाचार के लिए समूचे आधार उपलब्ध करा सकते हैं तथा पंचायतों तथा उपयोगकर्ता समूहों को सुदृढ करने में सहयोग दे सकते हैं। शोध संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ भागीदारी से बेहतर पर्यावरण अनुकूल ग्रामीण क्षेत्रों के सतत योजना नियोजन में मदद मिलेगी। (पंचायती राज मंत्रालय-2020)

5.9.3. आपदा जोखिम प्रबंधन

समुचित आपदा प्रबंधन आवश्यक तैयारियों और समुदाय स्तर पर किए जाने वाले उपायों पर निर्भर करता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को समुदाय के परामर्श से आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की जरूरत है ताकि किसी भी आपदा का असर कम से कम किया जा सके और जहां तक संभव हो पूर्व उपाय किए जा सके। एक प्रमुख चुनौती स्थानीय निकायों और समुदाय की इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्षमता बढाने की है। मध्यवर्ती पंचायतों को पंचायतों में ऐसी क्षमता का निर्माण करना चाहिए, उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए जो चक्रवात, बाढ जैसी आपदाओं की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हैं। योजनाएं बनाते समय मध्यवर्ती पंचायत को बाढ आश्रय गृह के निर्माण जैसे ढांचागत उपायों के लिए संसाधन आवंटित करना होगा। बाढ आशंकित क्षेत्रों में नवाचारी डिजायनों के साथ समुचित शौचालय बनाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मध्यवर्ती पंचायतों को आपदाओं के लिए पूर्व तैयारी और ऐसे जोखिम कम करने तथा लोगों को संगठित करने के साथ-साथ सभी संबंधित पक्षों के क्षमता

निर्माण में में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसके अलावा मध्यवर्ती पंचायतों को दीर्घावधि सतत विकास और जोखिम की आशंका में कमी लाने की रणनीति तैयार करने के लिए आपदा जोखिम कम करने की गतिविधियों को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों के साथ एकीकृत करना होगा (पंचायती राज मंत्रालय 2020)। जोखिम कम करने की रणनीतियों और पर्यावरण पर दवाब कम करने के उपायों को खंड विकास योजना में शामिल करने की जरूरत है।

5.9.4 सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-छ में प्रचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसका मतलब यह भी है कि उनपर असमानताओं को दूर करने और समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध कराने का भी दायित्व है ताकि वे विकास की प्रक्रिया में भागीदार बन सकें। सामाजिक न्याय के अंतर्गत पक्की कार्रवा, कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर लक्षित वित्तपोषण, सेवा प्रदान करने में गरीबों खयाल रखना जैसी बातें भी शामिल हैं। मध्यवर्ती पंचायतें कई सामाजिक सहायता योअनाओं और कार्यक्रमों के संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। इन सेवाओं की योजना बनाते और उनपर अमल करते हुए पंचायतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनका प्रभावी क्रियान्वयन भी हो। ब्लॉक विकास योजना में जिन प्रमुख मुद्दों को शामिल किया जा सकता है वे इस प्रकार हैं (पचायती राज मंत्राल, 2020):

- छात्रवृत्ति, भत्ते और दिव्यांगता वाले लोगों के लिए अवसर
- अ.जा./अ.ज.जा. और अन्य उपेक्षित समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति
- सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रभावी अमल
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
- वृद्धाश्रमों के लिए बुनियादी ढांचा और बुजुर्गों की आवश्यकताओं का खयाल
- उपशामक और जरारोग परिचर्या को मजबूत करना
- मुसीबतों की वजह से पलायन

- महिलाओं और बच्चों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति

5.9.5 शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल

पंचायतें प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने, निरक्षरता के उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समन्वित स्कूली शिक्षा की 'समग्र शिक्षा' नाम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना 2018-19 से प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत सर्वशिक्षा अभियान की केन्द्र द्वारा प्रायोजित तीन पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को समेकित कर दिया गया है। इनके नाम हैं:सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अध्यापक शिक्षा। मध्यवर्ती पंचायतें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे जिला स्तर की इकाइयों के साथ कार्य करके ब्लॉक तथा जिला स्तर पर शिक्षा की समग्र कार्य योजना का ढांचा तैयार कर सकती हैं। इसके आधार पर योजना बनायी जा सकती है। जहां भी जरूरी हो बीडीपी को कमियों को दूर करने, या योजनाओं तथा ग्राम पंचायत विकास योजना की पहल की परियोजनाओं प्रतिपूर्ति करने के कार्यक्रमों को इसमें शामिल करना चाहिए।

मध्यवर्ती पंचायत को अपने संबंधित क्षेत्रों में शैक्षमिक संस्थानों में सामुदायिक स्वामित्व के लिए ग्राम पंचायतों और ग्रामीण शिक्षा समितियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए। पंचायतों को ग्रामीण शिक्षा समितियों द्वारा स्कूल विकास योजना की तैयारी के दौरान आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना चाहिए ताकि स्कूल परिसर में शौचालय और पेयजल सुविधा सुनिश्चित की जा सके। मध्यवर्ती पंचायत बुनियादी ढांचे, जरुरतमंद विद्यार्थियों के लिए छात्रवृति और हॉस्टल सुविधाओं के लिए भी सहयोग कर सकता है। उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों के जरिए दोपहर भोजन कार्यक्रम पर निगरानी रखने की भी जरूरत है।

संविधान की 11वीं अनुसूची यह स्पष्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल और औषधालय सहित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान से जुड़े

कार्य पंचायती राज संस्थानों के दायित्व में हैं। मध्यवर्ती पंचायत को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अपने क्षेत्र में उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के सुचारू कामकाज के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना होगा। मध्यवर्ती पंचायत योजनाओं में बुनियादी ढांचा सहयोग से संबंधित गतिविधियां शामिल कर सकते हैं। इस सहयोग में परीक्षण प्रयोगशालाएं/नैदानिक केंद्र, रोगियों/रोगियों के रिश्तेदारों को लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप संभागीय अस्पतालों के निकट हॉस्टल सुविधा, अस्पताल क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय, पेयजल सुविधा तथा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचा सहयोग शामिल हैं। योजना में शामिल करने से पहले इन गतिविधियों के बारे में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा जरूरी है। मध्यवर्ती पंचायत को अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल स्थिति से अवगत होना चाहिए और इस पर नजर रखनी चाहिए। मध्यवर्ती पंचायत को अपने क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल स्थिति का समुचित डेटावेस रखना होगा और सुविधाओं में लगातार विकास और उन्नयन सुनिश्चित करना होगा।

5.9.6 बुनियादी सेवाएं

2020-21 की अपनी पहली रिपोर्ट में पन्द्रहवें वित्त आयोग ने पंचायतों के सभी तीन स्तरों के लिए कुल 60,750 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है जिसमें से आधी राशि पेयजल और स्वच्छता के लिए तथा शेष का उपयोग स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन और उनके उपयोग में सुधार के लिए खर्च किया जाना है। ब्लॉक स्तर पर बुनियादी सेवाओं की योजना बनाते समय अन्य संबद्ध विभागों की योजनागत गतिविधियों को तदनुसार समन्वित किया जाना चाहिए और स्वच्छता, जलापूर्ति, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और सड़कों, पगडंडियों, स्ट्रीट लाइटों, सामुदायिक परिसंपत्तियों के रखरखाव को पर्याप्त प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये सेवाएं

संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 विषयों और सतत विकास लक्ष्यों अंतर्गत शामिल हैं जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

5.9.7 स्वच्छता

भारत में, खास तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की कुप्रथा का प्रचलन था। भारत की करीब 60 प्रतिशत ग्रामीण आबादी खुले में शौल की आदी थी जिससे महिलाओं और बच्चों समेत कमजोर वर्गों के स्वास्थ्य और आरोग्य पर प्रतिकूल असर पड़ता था। इस पृष्ठभूमि में 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) शुरू किया गया ताकि देश को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्ति दिलायी जा सके। इस अभियान को पूरा करने के लिए 2 अक्तूबर 2019 का दिन चुना गया हो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का दिन है और इसलिए अधिक प्रासंगिक है क्योंकि गांधीजी स्वच्छता को दिव्यता के समकक्ष मानते थे।

स्वच्छ भारत मिशन, मिशन मोड में चलाया जाने वाला अभियान था जिसके अंतर्गत देश के ग्रामीण इलाकों में 1.96 लाख करोड़ रुपये (28 अरब डालर) की लागत से नौ करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जाना था। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-एसबीएम--जी का लक्ष्य पारिवारिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के जरिए खुले में शौच की कुप्रथा को समाप्त करना और शौचालयों के इस्तेमाल की निगरानी के लिए जवाबदेह प्रणाली की स्थापना करना था। एसबीएम की शुरुआत से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के उपयोग का दायरा 2014 में 39 प्रतिशत से बढ़कर 2 अक्तूबर 2019 को 100 प्रतिशत हो गया। अभियान ने 2019 तक भारत को खुले में शौच की बुराई से छुटकारा दिलाने का अपना लक्ष्य पूरा किया। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दूसरे चरण का शुभारंभ ओपन डेफिकेशन फ्री–प्लस (ओडीएफ-प्लस) के रूप में किया जिसके अंतर्गत खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति को बनाए

रखने के साथ-साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को भी शामिल किया गया।

एसबीएम (जी) द्वितीय चरण को 1,40,881 करोड़ रुपये की लागत से 2020-21 से 2024-25 की अवधि में मिशन मोड में चलाया जा रहा है। इस योजना का ब्यौरा संलग्नक-7 ई में उपलब्ध है। यह वित्त पोषण के विभिन्न तरीकों के बीच समन्वय का शानदार उदाहरण है। इसमें 52,497 करोड़ रुपये पेयजल और स्वच्छता विभाग के बजट में से दिये जाएंगे जबकि बाकी राशि 15वें वित्त आयोग, मनरेगा और राजस्व प्राप्ति मॉडलों, खास तौर पर ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत राजस्व प्राप्ति मॉडल के अंतर्गत अर्जित राशि से मिलेगी। इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने में मध्यवर्ती पंचायतों की भूमिका बेहद जरूरी है क्योंकि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों और राजस्व सृजन मॉडल के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण हितधारी हैं।

एसबीएम (जी) द्वितीय चरण के दिशानिर्देशों में कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ गतिविधियों के लिए वित्तपोषण मानदंडों में 15वें वित्त आयोग के अनुदानों में से 30 प्रतिशत के बराबर अनिवार्य अंशदान निर्धारित किया गया है। इस तरह 15वें वित्त आयोग के अनुदान की बंधी हुई राशि का उपयोग स्वच्छता और पेयजल दोनों ही सुविधाओं के वित्त्पोषण के स्वतंत्र स्रोत के रूप में करने की व्यवस्था की गयी है। यह बात ध्यान देने की है कि 15वें वित्त आयोग ने 2020-21 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट में ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी ग्रामपंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों को 60750 करोड रुपये की अनुदान राशि देने की सिफारिश की है।

आयोग ने 25 प्रतिशत स्वच्छता पर और 25 प्रतिशत पेयजल पर खर्च करने की भी सिफारिश की है। लेकिन अगर किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रणी के अंतर्गत आवश्यकाओं को पूरी तरह पूरा कर लिया है तो वह दूसरी श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुच्छेद 5.3 में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तरों के बीच आबंटन नवीनतमराज्य वित्त आयोग की

ताजा सिफारिशों स्वीकार की जा चुकी सिफारिशों के आधार पर होना चाहिए और यह ग्राम पंचायतों के लिए 70-80 प्रतिशत, मध्यवर्तीपंचायतों के लिए 10-25 प्रतिशत और जिला पंचायतों के लिए 5-15 प्रतिशत के दायरे में होना आवश्यक है। इसलिए मध्यवर्ती पंचायत को अपने क्षेत्र में स्वच्छता की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इतना ही नहीं, मध्यवर्ती पंचायतों के लिए स्वच्छता केन्द्रीय विषयों में से एक है और स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों को ब्लॉक विकास योजना में प्रमुखता से शामिल करना आवश्यक है।

5.9.8 पेयजल

भारत सरकार ने राज्यों के सहयोग से 3.60 करोड़ रुपये लागत के जल जीवन मिशन की शुरुआत की है ताकि अगले पांच वर्षों में देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप लाइनों के जरिए स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो सके। इस अभियान के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि हर घर में चालू हालत में टोंटी वाला पानी का कनेक्शन लग जाने से दीर्घावधि आधार पर निर्धारित मात्रा में पर्याप्त गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से होने लगेगी। मिशन के अंतर्गत ग्रामपंचायत/या उसकी उप-समिति को अपनी ग्राम जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने, उस पर अमल, उसका प्रबंधन, संचालन और रखरखाव करना होगा। असल में जल जीवन मिशन सरकार की फ्लैगशिप योजना है जिसका उद्‌देश्य न केवल सबको चालू हालत में पानी की आपूर्ति के लिए टोंटी वाले कनेक्शन उपलब्ध कराना है, बल्कि इसमें स्थानीय जल संसाधनों के समग्र प्रबंधन को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया है। इस योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। 15वें वित्त आयोग, मनरेगा आदि की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों को दिये जानेवाले अनुदान से ग्राम पंचायतों की मदद और उनके साथ पूरे तालमेल से इसका क्रियान्वयन करना है। मिशन का उद्‌देश्य प्रत्येक परिवार को पर्याप्त मात्रा में

निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल नियमित और दीर्घकालिक आधार पर वाजिब दर से उपलब्ध कराना है ताकि ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। कार्यक्रम के तहत जल स्रोत को चिरस्थायी बनाने के अनिवार्य उपाय किये जाएंगे जिसके लिए पानी के उपयोग और संरक्षण में समुदाय आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए गंदे पानी के प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचय आदि से पुनर्भरण और फिर से उपयोग के लिए कदम उठाए जाएंगे। योजना का विस्तृत ब्यौरा संलग्नक-7 ई में दिया गया है। मध्यवर्ती पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका में ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक जल और स्वच्छता समिति (बीडब्लूएससी) में भागीदारी; पेयजल आपूर्ति, पानी की गुणवत्ता के परीक्षण और घरेलू स्तर पर पानी की आपूर्ति की निगरानी तथा घरेलू पेयजलआपूर्ति के लिए लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग के साथ तालमेल करना जैसे काम शामिल है। इस तरह मध्यवर्ती पंचायतों को अपने इलाके के सभी लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चिरस्थायी बुनियादी ढांचा कायम करने ककी योजना बनाने की आवश्यकता है।

5.10 विशेष ब्लॉक सभा और संबद्ध विभागों की भागीदारी

प्राथमिक और द्वैतीयक डेटा के संकलन, कमियों के विश्लेषण, परिकल्पना, संसाधन की थैली के अनुमान और संबंधित गतिविधियों की पहचान करने के बाद विस्तृत विशेष ब्लॉक सभा का आयोजन करना चाहिए। इसमें विकास संबंधी तमाम आवश्यकताओं और कमियों पर चर्चा होनी चाहिए। इसमें विशेष स्थायी समूहों (एसडब्लूजी) इस सभा में प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे जिनमें उनकी प्रस्तावित गतिविधियों के साथ बजट की अनुमानित आवश्यकता को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा संबद्ध विभागों के प्रतिनिधि भी विभाग की गतिविधियों के बारे में संक्षिप्त संरचनात्मक प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। विभागों के संरचनात्मक प्रेजेंटेशन का मॉडल संलग्नक-11 में दिया गया है। संबद्ध विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को भी ब्लॉक सभा के सामने

सार्वजनिक रूप से इस बात की सूचना देनी चाहिए कि चालू साल में की जा रही गतिविधियों में क्या प्रगति हुई है, इनमें कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है, अगले वर्ष कौन सी गतिविधियां की जानी हैं (जिस वर्ष में ब्लॉक विकास योजना लागू की जानी है) और उसके लिए कितनी धनराशि का आबंटन होना है। एनआरएलएम के प्रतिनिधि भी अपनी गतिविधियों और ब्लाक के लिए गरीबी उन्मूलन योजना को ब्लॉक सभा में पेश कर सकते हैं। ब्लॉक सभा से स्वीकृति मिलने के बाद ब्लॉक विकास योजना में शामिल करने के लिए सार्वजनिक जानकारी को लेकर मध्यवर्ती पंचायत में वक्तव्य प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए जिसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है उसपर ब्लॉक सभा में अ.जा./अ.ज.जा./महिला समेत दुर्बल वर्गों को संगठित करने की जिम्मेदारी भी होती है। आइपीपीसी विकास की स्थिति को लेकर रिपोर्ट और प्रस्तावित गतिविधियों पर ब्लॉक सभा में प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेगी जिसमें बजट संबंधी आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाएगा। सभा विभिन्न प्रेजेंटेशंस पर चर्चा करेगी और ब्लॉक विकास योजना पर सुझाव देगी।

5.11 संबद्ध विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ तालमेल

मध्यवर्ती पंचायत अन्य संबद्ध विभागों के माध्यम से भी विकास संबंधी कई गतिविधियां संचालित करती है इसलिए कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय तथा बार-बार संवाद बनाए रखने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह मध्यवर्ती पंचायत विस्तृत परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर योजना तैयार करती है न कि अलग-थलग दृष्टिकोण से। मध्यवर्ती पंचायत को ब्लॉक स्तर पर तालमेल के लिए इन विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करनेके लिए पहल करनी चाहिए। यह कार्य स्थिति संबंधी संयुक्त विश्लेषण, नियोजन और अंततः इन गतिविधियों को ब्लॉक विकास योजना में शामिल करके किया जा सकता है। इस संदर्भ में मध्यवर्ती पंचायतके स्तर पर तैयार की गयी योजना का महत्व काफी बढ़ जाता है। योजनाओं तथा कार्यक्रमों

का ब्यौरा और उनके समन्वय का तरीका अनुच्छेद 4.4 और संलग्नक-7 ए-के में बताया गया है।

5.12 परियोजना विकास

गतिविधियों के प्राथमिकता निर्धारण को समेकित करने के बाद आइपीपीसी एसडब्लूजीज और संबद्ध विभागों के तकनीकी कर्मियों के साथ परामर्श करके व्यावहारिक तथा किये जा सकने योग्य कार्यों की सूची तैयार करेगा। इन कार्यों को परियोजनाओं का रूप दिया जा सकता है। परियोजनाएं विशेष जोर वाले क्षेत्र के किसी भी विषय या गतिविधि से संबंधित हो सकती हैं। इनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और गरीबी कम करने जैसे कार्यों में सेवा प्रदान करने में सुधार लाया जा सकता है। हर राज्य गतिविधियों का पता लगाने की प्रणाली विकसित कर सकता है जिसमें संलग्नक-12 में दिये गये प्रारूप के अनुसार पंचायतों के विभिन्न स्तरों द्वारा किये जाने वाले कार्यों को दर्शाया जा सकता है। सभी चिन्हित कार्यों का मापन किया जा सकता है ताकि केन्द्र तथा राज्य सरकारों की योजनाओं सहित मध्यवर्ती पंचायत के पास संबंधित कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों से उनका मिलान किया जा सके। संबद्ध विभागों, जनता और दानदाताओं से समतुल्य अंशदान को भी व्यापक रूप से अपनाया जा सकता है। सभी कार्यों के नतीजों और उपलब्धियों का भी अनिवार्य रूप से स्पष्ट आकलन किया जाना चाहिए। ऐसी गितविधियों को ब्लॉक विकास योजना में शामिल करने को प्राथमिकता दी जा सकती है। प्रत्येक प्रस्तावित गतिविधि को कारगर क्रियान्वयन और परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके लिए एक मॉडल प्रारूप संलग्नक-13 में दिया गया है।

5.13 खंड विकास योजना की तैयारी और अनुमोदन

मसौदा मध्यवर्ती पंचायत योजना, खंड में जीपीडीपी के समेकन, प्रत्येक एसडब्ल्यूजी द्वारा परियोजना विकास और संचालित की जाने वाली गतिविधियों के बारे में विशेष खंडसभा में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद तैयार की जाएगी।

मसौदा योजना आईपीपीसी द्वारा निर्दिष्ट विशेष ध्यान वाले क्षेत्रों के लिए तैयार की जाएगी। इसमें एसडब्ल्यूजी द्वारा तैयार परियोजनाएँ भी शामिल होंगी। मसौदा योजना में क्षेत्रवार योजनाएं और संबंधित विभागों से आवश्यक तालमेल का उल्लेख शामिल होना चाहिए । यह सुनिश्चित किए जाने की जरुरत है कि मसौदा योजना में संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी और समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए योजनाएं शामिल हों। इससे क्षेत्र आधारित योजना और संबंधित विभागों से तालमेल सुनिश्चित होगा। खंड विकास योजना में बजट विवरण भी होना चाहिए जैसा अनुलग्नक-XIV में स्पष्ट किया गया है। मसौदा योजना को अंतिम रूप देने के बाद इसे अनुमोदन के लिए ब्लॉक सभा में रखा जाना चाहिए। ब्लॉक सभा एकीकृत खंड विकास योजना को अनुमोदित योजना के रूप में मंजूरी देगी। बैठक के दौरान खंड विकास योजना परिपत्र और परियोजना वार विवरण के बारे में संक्षिप्त प्रस्तुति दी जानी चाहिए और प्रस्तावित योजना पर व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान बैठक की कार्यवाही समुचित ढंग से रिकार्ड की जानी चाहिए। ब्लॉक सभा में लिए गए निर्णय मध्यवर्ती पंचायत और अन्य स्थानीय संस्थाओं के नोटिस बोर्ड पर लगाए जाने चाहिए। प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत में 10’ X 20’ आकार का जनसूचना बोर्ड महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर लगा होना चाहिए और अनुमोदित योजना अनुलग्न-XV में दिए गए प्रारूप में बोर्ड पर लिखी जानी चाहिए।

5.14 योजना क्रियान्वयन

स्वीकृत योजना का क्रियान्वयन मध्यवर्ती पंचायत की जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि योजना का समय पर कारगर तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए समय सारिणी पर कड़ाई से अमल हो। इसके अलावा निगरानी और पर्यवेक्षण की प्रणाली बनाने की भी आवश्यकता है। क्रियान्वयन के ब्यौरे की चर्चा अध्याय 10 में विस्तार से की गयी है। इसके

अलावा क्रियान्वयन को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा और सभी भुगतान अध्याय-11 में बताये गये पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से किये जाएंगे। मध्यवर्ती पंचायतें निर्दिष्ट सीमा के भीतर विभिन्न गतिविधियों के पूरा होने का पूरा ध्यान रखेंगी और यह ध्यान रखेंगी कि कोई काम बकाया न रहे। इसके अलावा एक ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी जिससे स्वीकृत योजना विचलन न होने पाये। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना पर अमल के लिए किये जा रहे कार्यों में स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अधिक से अधिक अवसर पैदा हों और ऐसा करते हुए काम की गुणवत्ता तथा परिणामों को लेकर किसी तरह का समझौता न किया जाए।

5.15 निगरानी प्रणाली, दिशा सुधार और ब्लॉक विकास योजना में संशोधन

मध्यवर्ती पंचायतों को स्वीकृत ब्लॉक विकास योजना पर अमल और उसकी प्रगति पर लगातार निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी पड़ती है। इसके लिए विविध संगठनों और विभिन्न संग्ठनों के प्रतिनिधियों की एक विस्तारित निगरानी और मूल्यांकन कमेटी का गठन किया जा सकता है। मध्यवर्ती पंचायत की मासिक बैठकों में प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और योजना के क्रियान्वयन में किसी भी समस्या को लेकर वापस आईपीपीसी और एसडब्लूजी को आगे की कार्रवाई के लिए सूचित किया जाएगा। ब्लॉक विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के अधिक विस्तृत और व्यापक मूल्यांकन के लिए विभिन्न संबद्ध विभागों के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ, स्वयं सहायता समूहों की फेडरेशनों के सदस्य, अकादमिक/तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञ, मध्यवर्ती पंचायतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल किये जाएंगे। यह भी जरूरी है कि पारदर्शिता, सहभागिता, व्यापक परामर्श और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक निगरानी की खास प्रणाली बनायी जाए। एसडब्लूजी की सलाह पर आइपीपीसी सामने आयी समस्याओं पर विचार करेगा और मंजूरशुदा ब्लॉक विकास योजना में सुशोधन के

लिए सुझाव देगा ताकि मध्यवर्ती पंचायत से संशोधन, परिवर्तन और संयोजन की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

बॉक्स-3 : केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के नेडुमंगड ब्लॉक पंचायत में अपनाए जा रहे बेहतरीन तौर-तरीके
महत्वपूर्ण विशेषताएं : मध्यवर्ती स्तर की भूमिका की पहचान और अहसास करना और निचले तथा उच्चतर स्तर से उसका संबंध कायम करना। ब्लॉक के भौगोलिक क्षेत्र में पांच ग्राम पंचायतों के साथ काम करने के निरंतर और अनवरत प्रयास। कृषि , उद्योग, ग्रामीण विकास, मछली पालन, अ.जा./अ.ज.जा. विकास, समन्वित बाल विकास सेवा जैसे कल्याण और विकास विभागों के साथ तालमेल और समन्वय सुनिश्चित। 2018 में ही ब्लॉक पंचायत ने आइएसओ प्रमाणपत्र हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। नियोजन प्रक्रिया के भाग के रूप में कुछ पहल : ब्रांड वाली मूल्य संवर्धितकृषि-उद्योग इनक्यूबेशन प्रक्रिया 'समृद्धि' - प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन मूलक प्रतिष्ठान जिसमें कृषि, पशुपालन, डेयरी, हैचरी जैसी गितविधियों के समन्वय से रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं आजीविका संबंधी उपायों का उपयोग हुआ है। क्षेत्र में जैव अपशिष्ट पदार्थों की रीसाइक्लिंग और निकासी रिसोर्स रिकवरी (संसाधन प्राप्ति) सुविधा (आरआरएफ) के जरिए सभी पांच ग्राम पंचायतों को शामिल करने वाली गैर-अपघटनीय अपशिष्ट प्रबंधन और सामग्री संग्रह सुविधा (एमसीएफ)। जहां ग्राम पंचायतें प्लास्टिक और अन्य गैर-जैव अपघटनीय अपशिष्ट समग्री संग्रह सुविधा (एमसीएफ) का ध्यान रखती हैं, वहीं ब्लॉक पंचायतें प्लास्टिक और अन्य गैर-अपघटनीय पदार्थों को टुकड़ा-टुकड़ा करके रीसाइकिल करने वाले आरआरएफ का सीधे संचालन करती है।

तीसरी पीढ़ी की आंगनवाड़ियों का विकास–मानदंड कायम करना और ग्राम पंचायतों का सहयोग

ग्राम पंचायतों, तिरुवनंतपुरम जिला पंचायत, नेडुमांगड नगरपालिका, हरित केरल मिशन, किल्लियार नदी पुनर्जीवन परियोजना और मृदा संरक्षण, केरल राज्य भूमि उपयोग बोर्ड और ग्रामीण विकास विभाग (एमजीएनआरईजीएस)

अंत में ब्लॉक पंचायतद्वारा उठायागया सबसे प्रासंगिक कदम था अपने आप को सामाजिक ऑडिट प्रकिया से गुजारने का प्रयास। यह एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे दस सेक्टरों की 35 से अधिक परियोजनाओं का सोशल ऑडिट हुआ है।

फोटो कैप्शन - केरल सरकार के कृषि मंत्री श्रीसुशील कुमार द्वारा किल्लियार नदी पुनर्जीवन परियोजना का उद्घाटन।

अध्याय 6
जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास योजना तैयार करना

हाल के वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सहभागी विकेंद्रीकृत आयोजना की गति तीव्र हुई है। इसके अलावा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में नवाचार (आईसीटी) से विकेंद्रीकृत आयोजना को देशव्यापी स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में मदद मिली है। इसी की बदौलत विकेंद्रीकृत आयोजना के लिए 2018 और 2019 में व्यापक जीपीडीपी तैयार करने के सिलसिले में दो जन योजना अभियान सफलतापूर्वक संचालित किए जा सके। यह उचित समय है कि जमीनी स्तर से लेकर जिला स्तर तक पंचायतों के तीन स्तरों के माध्यम से विकेंद्रीकृत भागीदारी योजना की संरचना की जाये। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ जिला पंचायत को अधिदेशित करता है कि वह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जिला विकास योजना तैयार करे और उसे अपने भौगोलिक क्षेत्र में लागू करते समय पंचायत, राज्य और केंद्र के सभी कार्यक्रमों/योजनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण स्थापित करे। इस संबंध में संवैधानिक प्रावधान को धारा 1.2 में स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा, स्थानीय सरकार के रूप में, जिला पंचायत स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने और आबादी के गरीब और सीमान्त वर्गों की कमजोरियों को दूर करने के लिए भी जिम्मेदार है। यह लक्ष्य केवल उपलब्ध संसाधनों के कुशल और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के माध्यम से जरूरतों पर ध्यान केंद्रित योजनाओं के कार्यान्वयन और अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के विस्तार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के साथ इसके कार्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए।

पिछले ढाई दशकों में, राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जिला पंचायत के स्तर पर भागीदारीपूर्ण योजना प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय

किए गए हैं। परन्तु, विभिन्न चुनौतियों जैसे अपर्याप्त संसाधन, लोगों की भागीदारी, क्षमता निर्माण और तत्संबंधी फ्रेमवर्क, की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के लिए व्यापक और दूरदर्शी जिला विकास योजना (डीडीपी) के निर्माण की गति में बाधा उत्पन्न की है। परन्तु, अब भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान के माध्यम से सक्रिय अभियान चलाए जाने से डीडीपी को को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए, यह उचित समय है कि जिला विकास योजनाओं को व्यापक रूप में तैयार किया जाये और निष्पक्षता तथा समावेशन के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के उपाय किए जाएं। इसके अलावा, चूंकि जिला स्तर पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने वाली अधिकांश संस्थाएँ स्थित हैं, इसलिए, योजना में समन्वय के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास योजना की तैयारी एक समयबद्ध प्रक्रिया है। यह सिलसिलवार तैयार की जाने वाली योजनाओं की श्रृंखला का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसे ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में क्रमश: जीपीडीपी और खंड विकास योजनाएं तैयार किए जाने के बाद तैयार किया जाना चाहिए। इसे योजना समिति द्वारा जिले के लिए समग्र रूप से तैयार की जाने वाली जिला विकास योजना के मसौदे के लिए आधार प्रदान करना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों की प्राथमिकता के आधार पर, जिला विकास योजना को आदर्श रूप से लोगों की जरूरतों, बुनियादी सेवाओं और उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल होना चाहिए। इसे एक सहभागी, समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए। योजना अपने स्वरूप में (संदर्श योजना) दीर्घकालिक (आदर्श रूप से पंचवर्षीय योजना के लिए) और व्यावहारिक होनी चाहिए, जो जिला सभा की प्राथमिकताओं पर आधारित हो और वार्षिक आधार पर लागू हो। जिला पंचायत मानव संसाधन, बुनियादी ढाँचे और संस्थागत क्षमता के संबंध में बेहतर स्थिति में होने के कारण, बड़े प्रकार की गतिविधियों की योजना बना और लागू कर सकती हैं, जो आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी की दृष्टि से उनके लिए संभव हैं। इसके अलावा, प्रत्येक जिला पंचायत की ओर से उन योजना गतिविधियों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना आवश्यक हो सकता है, जो क्षेत्रीय रूप से दो या अधिक ब्लॉकों को कवर करती

हैं, क्योंकि ऐसे मामलों में, जिला पंचायत ऐसी गतिविधियों की जिम्मेदारी लेने के लिए बेहतर स्थिति में होंगी (एमओपीआर, 2020)। परन्तु, वे महत्वपूर्ण गतिविधियों को केवल एक ब्लॉक तक भी सीमित रख सकते हैं, बशर्ते वे परमावश्यक हों और संबंधित ब्लॉक इन गतिविधियों को अंजाम देने की स्थिति में न हो। जिला विकास योजनाएं, आमतौर पर सभी ग्राम पंचायतों द्वारा जीपीडीपी और सभी मध्यवर्ती पंचायतों द्वारा खंड विकास योजनाएं अपने-अपने क्षेत्र में तैयार कर लिए जाने के बाद, तैयार की जानी चाहिए। परन्तु, जिला पंचायत अपनी योजना शुरू कर सकती है, भले ही कुछ ग्राम पंचायतें और मध्यवर्ती पंचायतें समय पर अपनी योजनाओं को पूरा न कर सकीं हों।

6.1 जिला विकास योजना के लिए प्रक्रिया

जिला विकास योजना को सहभागी, समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाना चाहिए और इसमें समाज के निचले स्तर के प्रति परिष्कृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। विकास की जरूरतों का आकलन धारा 4.1 के अनुसार मिशन अंत्योदय डेटा के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपीज) में पता लगाए गए अंतरालों को समाहित करते हुए किया जा सकता है, जिनमें उन अंतरालों को छोड़ दिया जाना चाहिए, जिनका समाधान जीपीडीपी और खंड विकास योजना में कर दिया गया है। इस प्रकार, जिला विकास योजना प्रक्रिया में जरूरत आधारित आयोजना और उसके ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपीज) और खंड विकास योजनाओं के पूरक के रूप में काम करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, इस प्रक्रिया से राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे स्थायी विकास लक्ष्यों और वरीयताओं को पूरा करने में योगदान करने में भी मदद मिलेगी। जिला स्तर पर संचालित संबंधित विभागों की योजना गतिविधियों को जिला विकास योजना में एकीकृत किया जाना चाहिए, यद्यपि इन्हें स्वयं संबंधित विभागों द्वारा लागू किया जा सकता है। जिला विकास योजना की तैयारी के लिए सरकारी क्षेत्र, शिक्षाविदों और निजी क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग करने के वास्तविक प्रयास होंगे।

जिला पंचायत योजना की प्रक्रिया, संरचना और प्रारूप का मोटे तौर पर अनुसरण ग्राम पंचायत स्तर पर जीपीडीपी और मध्यवर्ती पंचायत (आईपी) स्तर पर खंड विकास योजना (बीडीपी) के लिए किया जा सकता है। जिले के क्षेत्र में जीपीडीपी और खंड विकास योजना को क्रमशः ग्राम पंचायतों और मध्यवर्ती पंचायत स्तरों पर तैयार और अनुमोदित किए जाने के बाद, जिला पंचायत को अग्रेषित किया जाता है। उन परियोजनाओं और गतिविधियों, जिन्हें एक से अधिक जीपी क्षेत्र में लागू किया जाना है, लेकिन उन्हें बीडीपी में समायोजित नहीं किया जा सकता, और उन परियोजनाओं और गतिविधियों को भी, जिन्हें एक से अधिक ब्लॉक क्षेत्र में लागू किया जाना है, लेकिन तकनीकी दक्षता या संसाधनों की कमी के कारण बीडीपी में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें जिला पंचायत द्वारा जिला विकास योजना में शामिल करने पर विचार किया जायेगा। इसके अलावा, जिला विकास योजना में उन गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, जो जिला पंचायत को अधीनस्थता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए लागू करने की आवश्यकता है। जिला पंचायत विकास योजना को जिला सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसमें सभी जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, संबंधित जिले के कम से कम पांच ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष/सरपंच शामिल होंगे, और इस बैठक को जिला सभा के रूप में माना जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलावा, संबंधित विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों, शिक्षाविदों, डॉक्टरों, गैर सरकारी संगठनों, महिला स्वयं-सहायता समूहों के प्रतिनिधियों को भी जिला सभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाना चाहिए (एमओपीआर, 2020)। जिला सभा की अध्यक्षता जिला पंचायत के अध्यक्ष करेंगे और जिला पंचायत अधिकारी को जिला सभा का संयोजक मनोनीत किया जा सकता है। परन्तु, जिला पंचायत के मामले में, वित्तीय मामले राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

जिले की प्रकृति और नियोजन के दायरे के आधार पर जिला सभा के लिए कुल 60-100 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष एक समन्वयक की नियुक्ति कर सकते हैं, जिसमें एनआरएलएम या

नियोजन के प्रख्यात विशेषज्ञ को नामित करने को वरीयता दी जाएगी, जो जिला सभा और जिला पंचायत योजना समिति (डीपीपीसी) का सदस्य होगा।

जिला विकास योजना की प्रक्रिया निम्नांकित हो सकती है।

1) संपूर्ण योजना प्रक्रिया की साझा समझ और सुविधा के लिए प्रत्येक जिले के लिए जिला विकास योजना समिति (डीडीपीसी) का गठन और ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास योजना की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उन्मुख और सक्रिय करना।

2) परिवेश निर्माण और सामुदायिक गतिशीलता

3) मुख्य और गौण डेटा संग्रह

4) स्थिति विश्लेषण, आवश्यकता मूल्यांकन और अंतराल की पहचान

5) विकास की स्थिति पर रिपोर्ट

6) लक्ष्य निर्धारण के लिए दूरदर्शिता प्रयास

7) विशेष जिला सभा में संसाधन और संबंधित गतिविधियों की पहचान/ आकलन।

8) विकास योजना, प्राथमिकता और अनुमान

9) जिला विकास योजना के कार्यान्वयन, निगरानी और प्रभाव विश्लेषण की स्वीकृति।

जिला विकास योजना के आयोजना चक्र को चित्र 11 के माध्यम से दर्शाया जा सकता है।

रेखाचित्र 11 : जिला विकास योजना का आयोजना चक्र

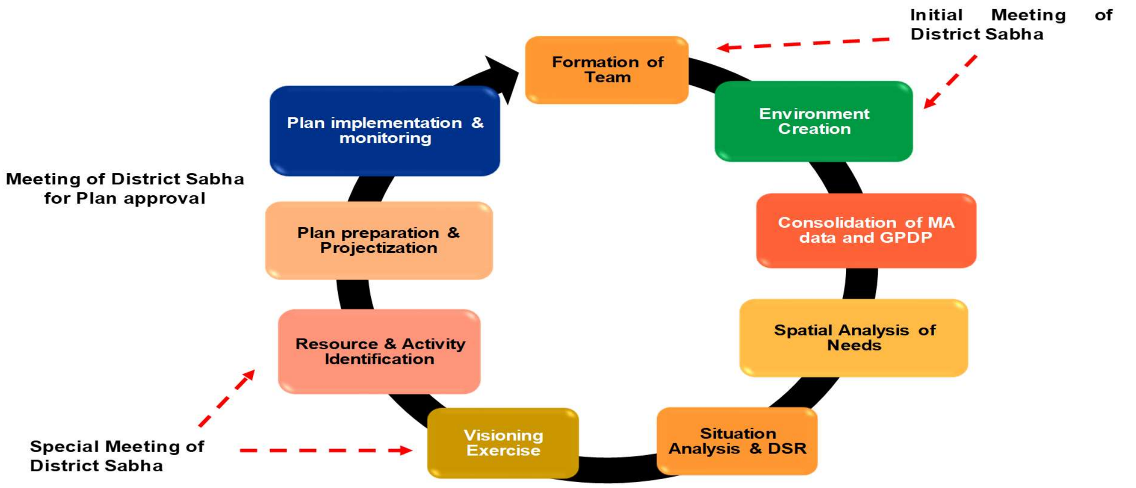

नोट: जिला पंचायत और उनकी समितियाँ सक्रिय भाग लेंगी और जिला विकास योजना की तैयारी सुनिश्चित करेंगी।

6.2 जिला पंचायत योजना समिति और क्षेत्रीय कार्य समूह का गठन

प्रत्येक जिला पंचायत को वार्षिक रूप से जिला विकास योजना तैयार करने की जरूरत होती है ताकि व्यापक भागीदारी, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग और विकास का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। योजना बनाने में जिला पंचायत की मदद के लिए बड़ी संख्या में सक्षम और स्वेच्छा से काम करने को तत्पर मानव संसाधन की सेवा ली जानी चाहिए। जिला विकास योजना की तैयारी के लिए जिला पंचायत योजना समिति गठित की जा सकती है। यह समिति जिला पंचायत प्रमुख की अध्यक्षता में योजना तैयार करने का दायित्व संभालेगी। समिति की संरचना और आकार में अंतर हो सकता है। क्षेत्रीय/जिला पंचायत स्तर के संबंधित विभाग के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा देश से बाहर रह रहे या काम कर रहे जिला पंचायत के कुछ नागरिकों को भी समिति का सदस्य बनने के लिए आंमंत्रित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत क्षेत्र के सतत विकास के लिए उनके ज्ञान और कौशल का सहयोग लेना है। जिले/पड़ोसी जिला/राज्य/अन्य राज्यों की जिला पंचायतों के जाने-माने लोगों को भी जिला विकास योजना समिति में विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है। राज्य सरकार/जिला प्रशासन से जारी सभी

संबंधित विभागों को जारी निर्देश से इन आमंत्रित सदस्यों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। डीपीपीसी की सांकेतिक संरचना बॉक्स तीन में दी गई है। यह समिति जिला पंचायत में जिला विकास योजना से संबंधित सभी कार्यों के निष्पादन के लिए अग्रिम पंक्ति का कार्य समूह है। यह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी में भी सहयोग देती है। अनुदेशक जीपीडीपी और मिशन अंत्योदय डेटा को मिलाने का कार्य करेंगे तथा ग्राम पंचायत योजना सुविधा टीम के अनुदेशकों और खंड विकास योजना समिति और क्षेत्रीय कार्य समूहों के संयोजकों के साथ समन्वय करेंगे। डीपीपीसी की सांकेतिक संरचना बॉक्स 4 में दी गई है।

बॉक्स 4 : जिला पंचायत योजना समिति की सांकेतिक संरचना

क्र.सं.	समिति के सदस्य	पद
1.	जिला पंचायत प्रमुख	अध्यक्ष
2.	जिला पंचायत उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
3	जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि	सदस्य
4	जिले में मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष	सदस्य
5.	जिले में ग्राम पंचायतों के पांच अध्यक्ष	सदस्य
6.	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
7	संभागीय वन अधिकारी	सदस्य
8	एनआरएलएम के प्रतिनिधि	सदस्य
9	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
10	कृषि उत्पाद विपणन समिति के अध्यक्ष	आमंत्रित
11	जिला मुख्य बैंक प्रबंधक	आमंत्रित
12	एक स्वचछता विशेषज्ञ	आमंत्रित
13	एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर	आमंत्रित
14	जिला पंचायत अधिकारी/ जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

जिले में योजना के सहयोग के लिए यदि कोई प्रमुख विशेषज्ञ उपलब्ध है तो उसे डीपीपीसी का सह अध्यक्ष बनाया जा सकता है। योजना समिति का कार्यकाल जिला पंचायत की प्रशासन इकाई की कार्यअवधि के समान होगा। समिति में कोई रिक्ती होने पर इसे बिना विलंब के भरा जाएगा। योजना समिति के कार्य इस प्रकार हैं-

- जिले में लंबी अवधि की विकास योजना तैयार करने में जिला पंचायत और क्षेत्रीय कार्य समूहों की सहायता करना
- जिला विकास योजना तैयार करना
- क्षेत्र के विकास के लिए सार्थक विचार-विमर्श को बढ़वा देना।
- परियोजनाओं की तैयारी में क्षेत्रीय कार्य समूहों की सहायता करना।
- अतिरिक्त संसाधनों की संभावनाओं की तलाश।
- योजना समय सीमा के अनुसार गतिविधियां तय करने में समन्वय बनाना।
- जिला पंचायत को कार्य समूह गतिविधियों के समन्वय में सहयोग देना।
- परियोजना तैयारी के लिए समुचित अध्ययन सुनिश्चित करना और जिला पंचायत को इस बारे में रिपोर्ट देना।
- विभिन्न पक्षों के बीच तथा बैंकों और सरकारी संस्थाओं के विचार-विमर्श का समुचित मंच उपलब्ध कराना।
- जिला पंचायत की योजना प्रक्रिया में सहयोग के लिए विशेषज्ञ, स्वयं सेवक तथा शैक्षणिक तकनीकी संस्थाओं का पता लगाना।

जिला पंचायत में क्षेत्रीय कार्य समूहों का गठन अनिवार्य है। क्षेत्रीय कार्य समूहों की सांकेतिक सूची बॉक्स पांच में दी गई है। हालांकि यदि जिला पंचायत जिला पंचायत किसी अतिरिक्त विशेष के साथ विकास क्षेत्र पर विकास करता है तो अन्य कार्य समूह भी गठिक किए जा सकते हैं। संबंधित स्थाई समिति, योजना के उद्देश्य से एसडब्ल्यूजी में सम्मिलित की जा सकती है।

बॉक्स 5 : जिला पंचायत में क्षेत्रीय कार्य समूहों की सांकेतिक सूची

क्रं. सं	**कार्य समूह**
1.	लोक प्रशासन और वित्त (सांख्यिकी और रिकॉर्ड की तैयारी, प्रशासन सुधार

	इत्यादि)
2.	कृषि (भंडारण, प्रसंस्करण और उत्पादों के विपणन सहित), मत्स्य पालन, रोजगार गारंटी योजना, मृदा जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण।
3.	पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन
4.	आर्थिक विकास और आय सृजन (लघु व्यवसाय इकाईयों, सूक्ष्म उद्यम सहित) और सहयोग
5.	निर्धनता उन्मूलन (आवास सहित) और कौशल विकास
6.	सामाजिक न्याय (विशेष रूप से सक्षम, वरिष्ठ जन, बच्चे, किन्नर इत्यादि)
7.	महिला विकास
8.	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का विकास
9.	स्वास्थ्य और पोषण
10.	पेयजल और स्वच्छता
11.	शिक्षा, कला तथा विकास और युवा कल्याण
12.	लोक निर्माण कार्य (बिजली और ऊर्जा सहित)

क्षेत्रीय कार्य समूह (एसडब्ल्यूजी) की संरचना इस प्रकार है-

- जिला पंचायत प्रमुख द्वारा संबंधित क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ को एसडब्ल्यूजी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जा सकता है।
- संबंधित स्थाई समिति के अध्यक्ष को एसडब्ल्यूजी का सह-अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
- जिला स्तर के सर्वाधिक वरिष्ठ अधिकारी को एसडब्ल्यूजी के संयोजक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। संयोजक के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकारी एसडब्ल्यूजी का सदस्य होगा।
- महिला और बाल विकास कार्यसमूहों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास कार्य समूहों के अध्यक्ष महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए।

- प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यसमूह में 10 से 15 सदस्य हो सकते हैं। इनमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी होंगे।
- यदि आवश्यक हो तो जिला पंचायत या एसडब्ल्यूजी स्वयं इन कार्य समूहों के लिए उप- समितियां गठित कर सकता है।
- कार्य समूह के दायित्व उप समितियों पर भी लागू होंगे। उप समिति में जिला पंचायत/एसडब्ल्यूजी के निर्णय के अनुसार अध्यक्ष, संयोजक और सदस्य होंगे।
- प्रत्येक कार्य समूह में महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधि तथा एक आईपी के प्रतिनिधि होंगे।
- कार्यसमूह का कोरम इसके कुल सदस्यों का एक तिहाई होना चाहिए। कार्यसमूह की बैठकों में संयोजक की उपस्थिति अनिवार्य है।
- एसडब्ल्यूजी पूरी तरह जिला पंचायत के मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

क्षेत्रीय कार्य समूहों के कार्य इस प्रकार हैं-

- परियोजना तैयारी में जनभागीदारी सुनिश्चित करना।
- हितधारक परामर्श, बैंकों और सहकारी संस्थाओं से साथ बातचीत और विकास संगोष्ठियों जैसे विचार-विमर्श के लिए तकनीकी सहयोग और नेतृत्व उपलब्ध कराना।
- कार्य समूहों के विषय क्षेत्र से संबंधित डेटा का संकलन और विश्लेषण।
- उपलब्धियों और कमियों को स्पष्ट रूप से ऊजागर करने वाले प्राथमिक और द्वीतियक डेटा के मिलान से स्थिति का विश्लेषण।
- संबंधित विकास क्षेत्र के स्थिति विश्लेषण में समस्याओं और संभावनाओं का पता लगाना और समाधान के उपाए प्रस्तावित करना।
- स्थिति विश्लेषण के आधार पर समयबद्ध ढंग से स्थिति रिपोर्ट की तैयारी और जिला पंचायत योजना समिति को सौंपना, प्रत्येक विकास क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों को स्पष्ट करना, विकास में मौजूदा अंतर, सुधार की संभावनाएं और इसके लिए अपनाई जाने वाली रणनीति।
- जिला सभा के लिए रिपोर्ट तैयार करना और योजना में शामिल की जाने वाली जानकारी उपलब्ध करना।

- विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं, प्रमुख कार्यक्रमों, राज्य की योजनाओं और अन्य स्कीमों सहित स्थानीय विकास परियोजनाओं के समन्वय के बारे में परामर्श देना।
- विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय और तकनीकी रूप से व्यवहारिक परियोजनाओं की तैयारी।
- जिला सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के लिए परियोजनाओं की तैयारी।
- परियोजना क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी।

6.3 डीपीपीसी और एसडब्लूजी को अनुकूलन प्रशिक्षण प्रदान करना

डीपीपीसी गठित होने के बाद, जिला पंचायत द्वारा एक बैठक आयोजित की जानी है जहाँ डीपीपीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य, अधिकारियों के साथ बैठक में विचार-विमर्श करेंगे। उन्हें डीपीपीसी की भूमिका और दायित्व के बारे में सामान्य अनुकूलन दिशानिर्देश दिया जाना है। इसके आधार पर, उनके कामकाज की रणनीति और कार्य योजना तैयार की जानी है। क्षेत्रीय कार्य समूहों के संदर्भ में सभी समूहों की एक आम सभा बुलाई जानी है जिसमें उनकी भूमिका और दायित्व स्पष्ट किए जाएंगे। इसके बाद जिला पंचायत की समग्र योजना रणनीति और प्राथमिकताओं पर विस्तार से विचार-विमर्श होगा। कार्यसमूह अलग से भी बैठक करेंगे जिसें वे अपने संबंधित समूहों की कार्य योजना की रूप-रेखा तय करेंगे।

व्यापक जिला विकास योजना की तैयारी के लिए लोगों की व्यापक भागीदारी, विभिन्न हित धारकों द्वारा प्रक्रिया को समझना, परिकल्पना समस्याओं और प्राथमिकता क्षेत्र की पहचान के लिए स्थिति विश्लेषण और क्रियान्वयन स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण एक पूर्व अपेक्षित आवश्यकता है, साथ ही यह इस प्रक्रिया को सक्षम बनाने का महत्ववूर्ण माध्यम भी है। बेहतर योजना क्रियान्वयन और डीडीपी की निगरानी के लिए निर्वाचित

प्रतिनिधियों, मध्यवर्ती पंचायत के कार्यकर्ताओं, समुदायिक नेताओं और संबंधित विभागों के कर्मचारियों डीपीपीसी और एसडब्ल्यूजी के सदस्यों की व्यवसायिक जानकारी और कौशल बढ़ाने के लिए प्रत्येक राज्य को एक समुचित रणनीति और कार्ययोजना विकसित करनी होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज, हैदराबाद (एनआईआरडी&पीआर) को इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और राष्ट्रीय संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। जिला विकास योजना के लिए क्षमता निर्माण रूपरेखा अध्याय सात में विस्तार से दी गई है।

6.4 जिला विकास योजना के लिए परिवेश सृजन

जिला पंचायत को विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग करके जिला पंचायत योजना की प्रक्रिया का प्रचार करना चाहिए। जिला पंचायत को सभी जिला स्तर के अधिकारियों, जिले के विभिन्न संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पॉलिटेक्निक आदि की बैठकों का आयोजन करना चाहिए और जिला पंचायत योजनाओं की तैयारी के लिए समर्थन प्रदान करने का अनुरोध करना चाहिए। साथ ही, जिला पंचायत को विशेषज्ञों, सेवानिवृत्त और सेवारत की भी सेवा लेनी चाहिए। ये जिला विकास योजना में स्वेच्छा से सहायता के लिए आगे आ सकते हैं। जिला पंचायत को डीपीपीसी और एसडब्ल्यूजी को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए इन विशेषज्ञों और संस्थानों को लेकर एक आभासी संसाधन केंद्र विकसित करना चाहिए। जिला सभा को डीडीपी की आवश्यकताओं, योजना प्रक्रिया में कदम-दर-कदम संचालित की जा रही गतिविधियों, डीपीपीसी और एसडब्ल्यूजी के गठन और इनके सदस्यों के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। डीपीपीसी को समुचित परिवेश सृजन में पहल करनी चाहिए और जिला सभा में महिलाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये काम महिला वार्ड सदस्यों और स्वयं सहायता समूहों की मदद से किया जा सकता है। जिला स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने

के लिए महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठजनों की अलग सभा मुख्य जिला सभा बैठकों से पहले आयोजित की जानी चाहिए ताकि इनकी समस्याएं भी जिला विकास योजना में शामिल की जा सके।

परिवेश सृजन गतिविधियां लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए और समुदाय तथा प्रशासन प्रणाली के पुन: अनुकूलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं इसलिए डीडीपी प्रक्रिया की पहली गतिविधि ब्लॉकसभा आयोजित करने की होनी चाहिए। ताकि बड़े पैमाने पर लोगों में जागरुकता लाकर योजना प्रक्रिया की शुरूआत की जा सके। इनके अलावा प्रभावी योजना तैयारी, डीडीपी में लोगों की आकांक्षाओं को शामिल करने, सभी हितधारकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्व सहायता समूहों और संबंधित विभाग के कर्मियों के बीच ऊर्जा और उत्साह कायम करने और बनाए रखने के लिए आगे भी सकारात्मक परिवेश बनाना जरूरी है। प्रभावी परिवेश सृजन के लिए डीडीपी द्वारा संचालित गतिविधियों की सूची अनुलग्नक VIII में दी गई है।

6.5 जीपीडीपी और बीडीपी का समेकन-सुदृढीकरण, विकास आवश्यकताओं की पहचान और प्राथमिकता क्रम निर्धारण

पिछले पांच वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। इसके लिए व्यापक प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। खंड विकास योजना (बीडीपी) वर्ष 2020-21 से मध्यवर्ती पंचायत द्वारा तैयार की जा रही है। जिला पंचायत स्तर पर एक महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि जीपीडीपी और बीडीपी का समेकन जिला स्तर पर विकास आवश्यकताओं और इन जरूरतों को पूरा करने की ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत की नियोजित गतिविधियों के आधार पर हो। जैसा कि खंड 1.4.1.3 में उल्लिखित है जीपीडीपी विकास आवश्यकताएं पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करता है और इसके लिये संबंधित विभागों से प्रकाशित जनगणना, एसईसीसी डेटा, मिशन अंत्योदय डेटा और पहले का जीपीडीपी सर्वे प्लान प्लस सॉफ्टवेयर (ई ग्राम स्वराज) में उपलब्ध है। मिशन अंत्योदय डेटा विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि

यह संविधान की 11वीं अनुसूची सें सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित क्षेत्रों में मौजूद अंतराल को सामने रखता है। मिशन अंत्योदय डेटा का विवरण खंड 1.4 और 4.1 मे उपलब्ध है। इन 29 विषयों से संबंधित आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये मिशन अंत्योदय डेटा का समेकन भी जिला स्तर पर किया जा सकता है। इसे छत्तीसगढ़ के बलोद जिले में कृषि के लिये रेखाचित्र 9 में दर्शाया गया है। विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि गैर कृषि क्षेत्र गतिविधियों में लगे परिवारों से संबंधित अंतर काफी बड़ा है, इसके बाद जलसंरक्षण विकास परियोजना और सरकारी बीज केंद्र हैं। आगे जैसा कि खंड 4.22 में स्पष्ट किया गया है ई ग्राम स्वराज की मदद से, जीपी द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों का समेकन हो सकता है और डीपी जिला विकास योजना में उन अंतरों को पाटने की गतिविधियों को शामिल करने पर विचार कर सकती है जिनका समाधान जीपीडीपी और बीडीपी के जरिये नहीं किया जा सका। ऐसी सभी गतिविधियों की पहचान के बाद विकास आवश्यकतओं पर उनके संभावित प्रभाव के अनुसार उनका प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया जा सकता है। विभिन्न ब्लाक की जरूरतें पूरी करने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा सकती है।

रेखाचित्र 12: मिशन अंत्योदय– जिलास्तर पर अंतराल

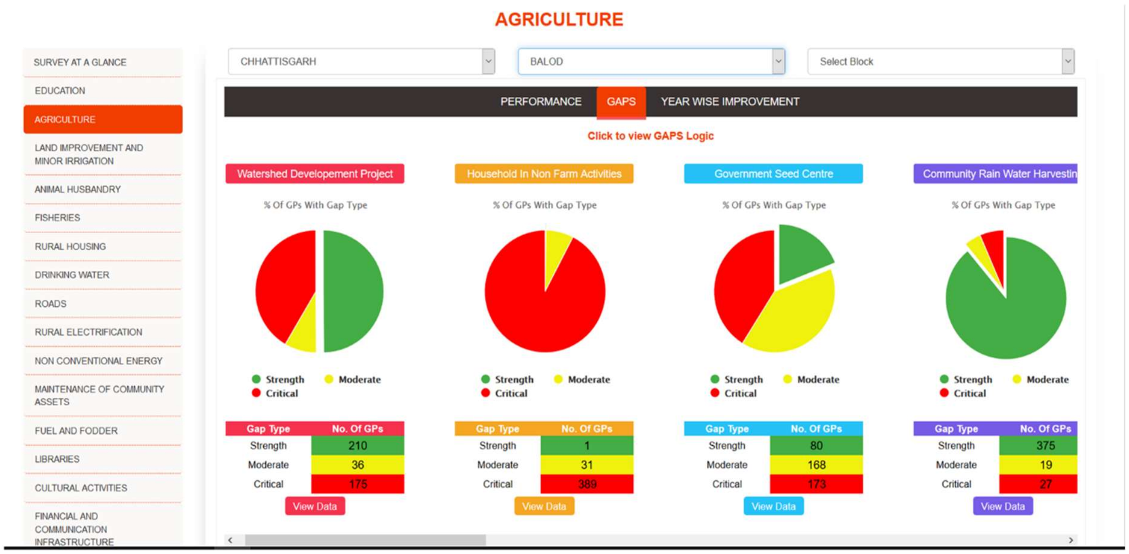

❖ No. of GPs in the each parameter and Gap category may be used for planning at District level

❖ Similarly, this data is available for all the 29 development sectors and authorised users of MA have access to it

प्रत्येक खंड में डेटा संग्रह के लिये प्रारूप तैयार किये जाते हैं। मिशन अंत्योदय के लिये अपनायी गयी प्रणाली उपयोग की जा सकती है। जिला स्तर पर प्रत्येक खंड विभाग संबंधित द्वितीयक डेटा उपसमितियों को उपलब्ध करा सकता है। राज्य यह निर्णय लेंगे कि डेटा संकलन और प्रबंधन का जिम्मा किस एजेंसी को सौंपा जाये। जीपी और आईपी द्वारा तैयार योजनाओं का विश्लेषण एसडबल्यूजी और फिर डीपीपीसी करेगी। समेकन के लिये एक परामर्शी प्रारूप नीचे दिया गया है।

अन्य स्तरों की विकास योजनाओं का समेकन								
#	विकास क्षेत्र	एलएसजीआई की अपनी योजना	एलएसजी की एकीकृत परियोजनाएं					
			सीएसएस	एसएसएस	बाहरी सहायता	सीएफएस	एसएफएस	कुल योग
	ग्राम पंचायतों की समेकित योजना							
1								
2								
.								
एन								

अन्य स्तरों की विकास योजनाओं का समेकन								
#	विकास क्षेत्र	एलएसजीआई की अपनी योजना	एलएसजी की एकीकृत परियोजनाएं					
			सीएसएस	एसएसएस	बाहरी सहायता	सीएफएस	एसएफएस	कुल योग
	मध्यवर्ती पंचायतों की समेकित योजना							
1								
2								
.								
एन								

– केंद्र प्रायोजित योजनाएः एसएसएस- राज्य प्रायोजित योजनाएः सीएफसी- केंद्रीय वित्त आयोगः एसएफसी- राज्य वित्त आयोग।

जिले में विभागीय योजनाओं का समेकन एसडबल्यूजी द्वारा किया जायेगा। परामर्शी प्रारूप नीचे दिया गया है :

क्षेत्रीय योजनाओं और स्कीमों का समेकन							
#	विकास क्षेत्र	स्कीम					कुल योग
		1	2	.	.	एन	
1							
2							
एन							

विकास आवश्यकताओं से संबंधित डेटा जीआईएस प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा सकता है, जिससे ओवर- ले एनालिसिस का उपयोग करते हुए स्थानिक और सामयिक विश्लेषण सुगम होगा। इससे यह सटीक पता लगाने में मदद मिलेगी कि किस क्षेत्र में समस्या मौजूद है और किस गतिविधि से कितने गांवो और लोगों को मदद मिलेगी। इसी प्रकार टेम्पोरल विश्लेषण से वर्षो/महीनों के दौरान हुई प्रगति का पता चलेगा। रेखाचित्र 10 से यह दर्शाया गया है कि जीआईएस, ब्लॉक स्तर पर पाइप से पानी पंहुचाने के लिये प्राथमिकता क्षेत्र के निर्धारण का निर्णय लेने में सहायक होगा। इसी प्रकार जीआईएस समस्याओं के विश्लेषण और स्थान चिन्हित करने में सहायक होगा, जिसे जिला स्तर योजना

में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। जीआईएस आधारित योजना को प्राथमिकता दी जा सकती है, जैसा कि 11.3 में स्पष्ट किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ग्राम मानचित्र जारी किया है जो प्रत्येक ग्राम पंचायत को गांव की भौगोलिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराता है। इसका उपयोग अधिक विकास खंडो और संकेतकों को शामिल करने में किया जा सकता है। भुवन पोर्टन के उपयोग की संभावनाएं भी तलाशी जानी चाहिये।

6.6 स्थिति विश्लेषण और विकास की स्थिति संबंधी रिपोर्ट

स्थिति विश्लेषण का अर्थ है किसी जिले के विकास की स्थिति का आकलन। यह मुख्य रूप से विकास के विभिन्न मुद्दों पर जिले के मौजूदा परिदृश्य का आकलन करने के लिए आवश्यक है। इससे वर्तमान मूलभूत ढांचे, सुविधाओं और सेवाओं में अंतराल और साथ ही भविष्य में विकास की क्षमता के बारे में भी बुनियादी जानकारी मिलती है। यह विश्लेषण जिला विकास योजना में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने के आधार के रूप में काम कर सकता है। स्थिति विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया भी है, जिसके माध्यम से मुद्दों और समुदाय की जरूरतों का पता चलता है और ऐसी खामियों की पहचान की जाती है, जिन्हें दूर करने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। अधिकांश क्षेत्रवार डेटा जिला स्तर पर उपलब्ध है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत (जीपी) और मध्यवर्ती पंचायत (आईपी) के सुझावों का भी उपयोग किया जा सकता है।

स्थितिजन्य विश्लेषण के संचालन के लिए, द्वितीयक आंकड़े संगृहीत, विश्लेषित और प्रलेखित किए जाने चाहिए। विश्लेषण ऐसे आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए जो विशेषज्ञों और डीपीपीसी सदस्यों द्वारा प्रमाणित हों। भौतिक और पारिस्थितिकी विशिष्टताओं, मानव-प्राकृतिक संसाधन, सामान्य सामाजिक-आर्थिक स्थिति, प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति और मौजूदा विकास के मुद्दों और चुनौतियों को इस विश्लेषण में संक्षेप में शामिल किया जाएगा। भौतिक और पारिस्थितिकी विशिष्टताओं, मानव-प्राकृतिक संसाधन, सामान्य सामाजिक-आर्थिक स्थिति, प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति और मौजूदा विकास के मुद्दों और

चुनौतियों को इस विश्लेषण में संक्षेप में शामिल किया जाएगा। भौतिक और पारिस्थितिकी विशिष्टताओं, मानव-प्राकृतिक संसाधन, सामान्य सामाजिक-आर्थिक स्थिति, प्रत्येक क्षेत्र की स्थिति और मौजूदा विकास के मुद्दों और चुनौतियों को इस विश्लेषण में संक्षेप में शामिल किया जाएगा। मौजूदा संस्थानों, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और सेवाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। बुनियादी सेवाओं, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं (जैसे पीने के पानी, स्वच्छता, जल निकासी, सड़क की स्थिति, सफाई आदि) में कमियों और अंतराल के बारे में जिले में उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी, एकत्र की जानी चाहिए।

प्रत्येक एसडब्ल्यूजी को एक स्थिति रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए जिसमें स्थितिजन्य विश्लेषण शामिल होना चाहिए। इन क्षेत्रीय रिपोर्टों में पिछले तीन से पांच वर्षों में की गई प्रगति भी शामिल होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में आवंटित धन और उपयोग, व्यय और भौतिक उपलब्धियों के बारे में विवरण होना चाहिए। अवधि के दौरान वास्तविक उपलब्धियों के आधार पर, सफल परियोजनाओं और प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और विफलता के पीछे के कारणों को समझाया जाएगा। योजना अवधि के दौरान स्थानीय निकाय में विभिन्न विभागों और एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित राज्य-केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों, राज्य योजनाओं और अन्य विकास गतिविधियों का विवरण शामिल करके इस भाग को परिष्कृत किया जाएगा।

सामाजिक विकास के मामले में, जन-जातीय समुदाय के मुद्दे जैसे भूमि से अलगाव, भूमि क्षरण, कौशल की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, और सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंच की कमी को सूचीबद्ध कर चर्चा की जा सकती है। आर्थिक विकास के मामले में, आर्थिक क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिसको यथोचित और लगातार हासिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में आने वाली बाधाएं, मूल्य संवर्धन करने वाले बाजारों से जोड़ना, आदि की गणना की जा सकती है। आर्थिक गतिविधियों का विस्तार और बढ़ती हुई आय इस तरह के विश्लेषण का मुख्य मुद्दा होना चाहिए। मानव विकास के मामले में, कमियों का

आकलन और समाधान करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा के मामले में, शिक्षा के न्यूनतम स्तर को प्राप्त न करने के लिए कारणों, छोड़ने के कारणों, कुपोषण के कारणों आदि की पहचान की जानी चाहिए।

स्थिति विश्लेषण के बाद प्रत्येक एसडब्ल्यूजी को अपने क्षेत्र के लिए विकास स्थिति रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना होगा। ड्राफ्ट रिपोर्ट को एसडब्ल्यूजी और योजना समिति के साथ-साथ संबंधित प्रतिनिधियों और क्षेत्र के संबंधित विशेषज्ञों के साथ बड़ी बैठकों में रखा जाना है। एसडब्ल्यूजी को उपलब्ध मानचित्रों के विश्लेषण के आधार पर स्थानिक आयामों पर भी विचार करना होगा। ऊपर वर्णित बैठक में, विशेषज्ञों और सांख्यिकीविदों को भी आमंत्रित किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए, प्रत्येक एसडब्ल्यूजी या एसडब्ल्यूजी के लिए एक समर्पित टीम को जगह देने की आवश्यकता होती है, जो तकनीकी सहायता प्रदान करेगी जैसे स्थिति विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, डेटा आवश्यकताएँ, द्वितीयक डेटा संग्रह आदि। जिले की विकास स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट विकास स्थिति रिपोर्ट के मसौदे को विलय कर दिया जाता है। संबंधित फ़ोकस क्षेत्रों में सटीक और वास्तविक समय की स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ड्राफ्ट को जिला सभा के सामने रखा जाता है। डीएसआर निम्नलिखित की पहचान करने में जिला सभा की मदद करेगा:

- जिला पंचायत के विकास प्रयासों में उपलब्धियों, सीमाओं और अंतराल के संदर्भ में विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में जिला पंचायत के विकास की स्थिति।

- जिला पंचायत के विकास लक्ष्यों के अनुकूलन के लिए समन्वय कार्यनीतियां।

- अगले पांच वर्षों में वार्षिक आधार पर शुरू की जाने वाली विकास की कार्यसूची को प्राथमिकता देना।

- ऐसे मुद्दे जिनका समाधान जिला पंचायत सहित विभिन्न प्राधिकरणों और संस्थाओं द्वारा किया जाना है

डीएसआर की सांकेतिक रूपरेखा अनुलग्नक-X में दी गई है। विशेष ब्लॉक सभा में विचार-विमर्श के बाद एसडब्ल्यूजी की रिपोर्ट और डीएसआर को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत के आकांक्षी जिलों में संकेतकों से संबंधित डेटाबेस को ध्यान में रखना उपयोगी होगा, जिससे मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने और बाद में जिला विकास योजना के माध्यम से उनके समाधान में मदद मिलेगी।

6.7 विजनिंग या योजना पूर्व परिकल्पना

विजनिंग आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के संदर्भ में जिला पंचायत विकास एजेंडा विकसित करने की प्रक्रिया है। यह विकासपथ का पूर्व आकलन है। जिला पंचायत को अगले पांच वर्ष के लिए (या इससे आगे के लिए) और बाद के वर्ष के लिए चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों में अपेक्षित योजना संबंधी परिकल्पना और आकलन करना होता है। इससे योजना में ठोस व्यवहारिकता आएगी और लोगों को योजना प्रक्रिया में भागीदारी और स्वामित्व की अनुभूति होगी। विजन डॉक्यूमेंट यानि दृष्टि पत्र में बुनियादी सुविधाओं की पहुंच और गुणवत्ता तथा जिले के समग्र विकास में सुधार के लिए अपने कार्यों को और प्रभावी और कुशल बनाने की जिला पंचायत की प्रतिबद्धता व्यक्त होनी चाहिए। यह दृष्टि पत्र प्राथमिकताओं की पहचान करने और वर्ष के दौरान जिला पंचायत के लक्ष्य स्पष्ट करने में मदद करेगा।

स्थिति विश्लेषण और मसौदा विकास स्थिति रिपोर्ट को जिला पंचायत योजना समिति द्वारा अंतिम रूप देने के बाद इसे एसडब्ल्यूजी, विशेषज्ञों, जिले की विभिन्न संस्थाओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यापक बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। चयनित ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष, मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जिला स्तर के अधिकारी, स्व सहायता समूह परिसंघ के प्रतिनिधि, अन्य हितधारकों, पेशेवरों, विशेषज्ञों, स्वयं सेवकों को जिला पंचायत के इस विचार-विमर्श में आमंत्रित किया जा सकता है। डीपीपीपसी द्वारा तैयार

और जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित मसौदा दृष्टिपत्र बैठक के समक्ष रखी जानी चाहिए ताकि इस पर प्रतिक्रिया और सुझाव मिले, जिनके अनुरूप इसे अंतिम रूप दिया जा सके।

6.8 जिला पंचायत स्तर पर योजना के लिए संसाधन

जिला पंचायत को डीडीपी के माध्यम से गतिविधियां संचालित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के सभी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए, इन प्रमुख संसाधनों की पहचान योजना प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। मोटे तौर पर, इन संसाधनों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जैसा कि चित्र 13 में दर्शाया गया है:

रेखाचित्र 13: नियोजन के लिए संसाधन

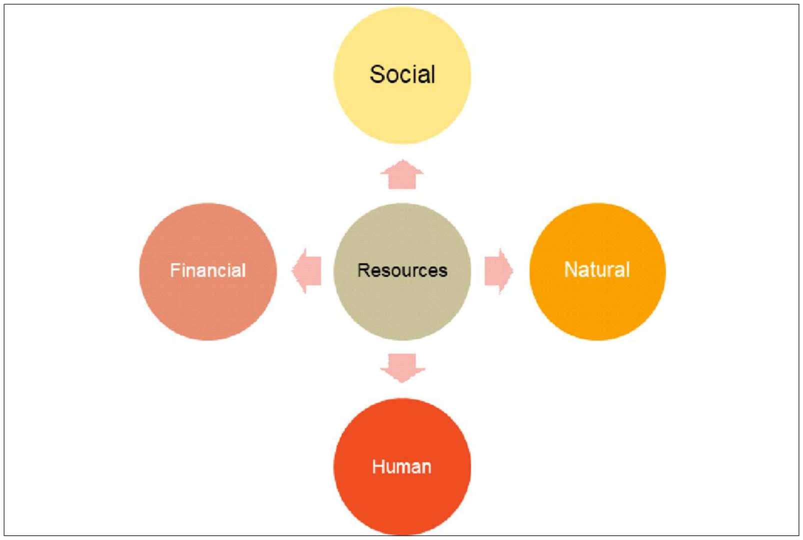

- सामाजिक संसाधन- संस्थागत शक्ति, शांति, सामाजिक सद्भाव / समुदाय के भीतर एकता
- प्राकृतिक संसाधन - भूमि, वन, जल, वायु और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सभी संसाधन

- मानव संसाधन - जिले में रहने वाले लोग, किसी अन्य क्षमता में क्षेत्र से जुड़े लोग, महिला एसएचजी समूह आदि।
- वित्तीय संसाधन - केंद्र और राज्य सरकारों, ओएसआर आदि से उपलब्ध धन। इसके अलावा एक जिला पंचायत को सीएसआर फंड, बैंक श्रृंखला और अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने में सक्षम होना चाहिए।

एक बार सभी क्षेत्रों के डेटा एकत्र किए जाने के बाद, अगला महत्वपूर्ण कार्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की जानकारी लेना है। संसाधन आकलन को उन स्रोतों की विविधता को ध्यान में रखना होगा जो जिला पंचायत के नियंत्रण में उपलब्ध होंगे। इसलिए, जिला पंचायत संसाधन योजना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:

- स्थानीय समाज-सेवी, एनआरआई, एनजीओ, कॉर्पोरेट क्षेत्र और परियोजनाओं के बैंक श्रृंखला सहित सामुदायिक योगदान के माध्यम से वित्तपोषण के अभिनव साधन।
- प्रत्येक योजना के तहत जिले को किए गए आवंटन के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिसमें अंतरण और स्थानांतरण आदि शामिल हैं।
- डीपी के लिए प्रत्यक्ष निधि प्रवाह, केंद्र और राज्यों की प्रमुख योजनाओं और स्थानीय सरकारों के अन्य स्तरों की परियोजनाओं से अभिसरण के संभावित स्रोत जिन्हें जिला स्तर पर अभिसरण की आवश्यकता होती है। वर्तमान में प्रमुख वित्त पोषण पन्द्रहवें वित्त आयोग के निर्णय से है। इस अनुदान का उपयोग करते समय पानी और स्वच्छता के लिए अनिवार्य रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए।

ऐसी गतिविधियाँ हैं जो जिले के भीतर स्थानीय आईपी और जीपी द्वारा की जाती हैं। इसके अलावा, भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित विभाग जिले में कई गतिविधियाँ कर रहे हैं। आदर्श रूप से जिला पंचायत स्तर पर संसाधन आधार को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन सभी संसाधनों को शामिल करना चाहिए। राज्यों को यह पता लगाना चाहिए कि इन संसाधनों का लेखा-जोखा जिला स्तर पर कैसे रखा जाता है। देश भर के कई राज्यों में जिला पंचायत स्तर तक बजट से जुड़े दस्तावेज है और

लाइन विभागों को सौंपे गए सभी अनुदानों और योजनाओं को शामिल करने के लिए सम्बंधित दस्तावेज़ के विस्तार की गुंजाइश है।

6.9 जिला स्तर पर योजना के फोकस क्षेत्र

दृष्टिपत्र को अंतिम रूप देने के बाद जिला पंचायत को फोकस क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा उल्लिखित अनिवार्य क्षेत्रों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, जिला पंचायत को संविधान के अनुच्छेद 243 जी के तहत ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि कई राज्यों ने अभी तक इन कार्यों को पूरी तरह से जिला पंचायतों में विकसित नहीं किया है, फिर भी वे इन क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों का समन्वय कर उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। स्वच्छता और जल के अलावा, जो एफएफसी द्वारा प्राथमिकताओं के रूप में निर्धारित किए गए हैं, उनमें जिला पंचायतों का आर्थिक विकास, मानव विकास, सामाजिक न्याय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं से संबंधित मामलों, हाशिए और कमजोर वर्गों, वृद्ध और दुर्बल लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों और विकलांग लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

खंड 5.9 में “ब्लॉक स्तर पर योजना के फोकस क्षेत्रों” को विस्तार से बताया गया है। ये क्षेत्र जिला स्तर के लिए भी फोकस क्षेत्र हैं। हालांकि, जिला स्तर पर बड़ी परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। जैसा कि विकेंद्रीकृत नियोजन ग्राम पंचायत से जिला पंचायत तक पहुंचता है, आर्थिक विकास के लिए गतिविधियाँ प्रमुखता में आएंगी। इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं लागू करने वाली अधिकांश एजेंसियां जिला मुख्यालय में उपलब्ध हैं, जहाँ जिला पंचायत भी स्थित है; इसलिए एमएसएमई के लिए अभिसरण और सामूहिक कार्रवाई तथा समर्थन विकास योजना के केंद्रीय स्तर पर आएगा। इसके अलावा, एक स्थान पर कम से कम एक ग्रामीण उद्योग क्लस्टर, जिसमें क्लस्टर के लिए प्राकृतिक क्षमता है, उसे जिला पंचायत द्वारा निजी क्षेत्र और समुदाय आधारित संगठनों की मदद से विकसित किया जाना चाहिए, जिसमें महिला

समूहों का विशेष समर्थन मिलना चाहिए। पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जिला पंचायत द्वारा बड़े बांध की योजना बनाई जा सकती है और स्वच्छता के लिए मशीन से मैला ढोने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जिला विकास योजना में शामिल किया जा सकता है।

6.10 विशेष जिला सभा और लाइन विभागों की सहभागिता

सहभागितापूर्ण तरीके से जिला विकास योजना को आकार देने के लिए विशेष जिला सभा सबसे महत्वपूर्ण बैठक है। प्राथमिक और द्वितीयक डेटा संग्रह, अंतर का विश्लेषण, अवलोकन, संसाधन आधार का आकलन और संबंधित गतिविधियों की पहचान करने के बाद एक व्यापक विशेष जिला सभा का आयोजन किया जाएगा। इस विशेष जिला सभा में सभी विकासात्मक जरूरतों और अंतराल पर चर्चा की जाएगी। जिला विकास योजना समिति सभा में मसौदा विकास स्थिति रिपोर्ट पर प्रस्तुति देगी। सभी एसडब्ल्यूजी अनुमानित बजट आवश्यकता के साथ अपनी प्रस्तावित गतिविधियों को शामिल करने के लिए प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसके अलावा, लाइन विभागों के जिला स्तर के अधिकारी को भी जिला सभा के समक्ष प्रस्तुतिकरण देनी होगी ताकि वर्त्तमान वर्ष में कार्यान्वित होने वाली गतिविधियों की प्रगति के साथ-साथ उस के लिए निधि का उपयोग किया जा सके, साथ ही अगले वर्ष के दौरान उठाए जाने वाली गतिविधियों को भी प्रस्तुत किया जाए (जिस वर्ष डीडीपी को लागू किया जाना है) और उसी के लिए धन आवंटित किया जाना है। लाइन विभाग की प्रस्तुति की मॉडल संरचना अनुबंध- XI में दी गई है। एक बार जिला सभा द्वारा अनुमोदित किये जाने पर विवरणी के रूप में सार्वजनिक प्रकटीकरण को जिला विकास योजना में शामिल करने के लिए डीपी को प्रस्तुत किया जाता है। नियोजन गतिविधि के समन्वय के लिए नियुक्त समन्वयक, जिला सभा के दौरान एससी / एसटी / महिला जैसे कमजोर वर्गों सहित सामुदायिक भर्ती को सुनिश्चित करेगा। एनआरएलएम के प्रतिनिधि जिले में अपनी गतिविधियों और जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी घटाने की योजना भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सभा में विचार-विमर्श से एसडब्ल्यूजी को अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में

मदद मिलेगी और डीपीपीसी विकास स्थिति रिपोर्ट को पूरा करेगी और लाइन विभागों के साथ अभिसरण और सामूहिक कार्रवाई शुरू करेगी। इसके अलावा, जिला विकास योजना का व्यापक ढांचा भी निश्चित किया जाना है।

6.11 जिला विकास योजना के लिए लाइन विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ अभिसरण

अभिसरण का अर्थ विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों को एकीकृत करना है जो अनिवार्य रूप से स्थितिगत विश्लेषण और दृष्टि के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विलय किया जाना है। लाइन विभागों के पास जिला स्तर पर उनकी योजनाएं और गतिविधियां हैं। जिला स्तर पर अभिसरण के लिए इन विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करके जिला पंचायत को पहल करनी चाहिए। संयुक्त विकास, योजना और अंत में जिला विकास योजना में इन गतिविधियों को शामिल करके इसे संभव बनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सामंजस्य और लगातार बातचीत हो। इस प्रकार यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मध्यवर्ती पंचायत एक पृथक दृष्टिकोण के बजाय योजनाओं को व्यापक दृष्टिकोण से तैयार करे। इस संदर्भ में जिला पंचायत स्तर पर योजना तैयार करना बहुत अधिक महत्व रखता है। खंड 4.4 में योजनाओं और अभिसरण के विवरण को रेखांकित किया गया है।

6. 12 परियोजना विकास

जिला पंचायत परियोजना समिति प्राथमिकता प्राप्त गतिविधियों के समेकन के बाद विशेष कार्य दल और संबंधित विभागों के तकनीकी कर्मी के साथ परामर्श से व्यवहार्य और निष्पादन योग्य कार्यों की एक सूची तैयार करेंगी। परियोजनाएं, विशेष कार्य समूह द्वारा तैयार की जाती हैं, जिन्हें जिला पंचायत योजना समिति दवारा सत्यापित किया जाता है और अंत में जिला पंचायत

द्वारा अनुमोदित किया जाता है। परियोजनाएं प्रचलित अधिनियमों, सरकारी आदेशों और दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की जाती हैं। परियोजना का विस्तार किसी भी विषय और शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण तथा गरीबी में कमी आदि सहित सेवाओं में सुधार वाले फोकस क्षेत्रों की गतिविधि तक किया जा सकता है। हर राज्य अनुलग्नक-XII में दिए गए सुझाने वाले प्रारूप में पंचायत के विभिन्न स्तरों दवारा किए जाने वाले कार्यों को इंगित करते हुए गतिविधि मानचित्रण का विकास कर सकता है। सभी चिन्हित कार्यों का खाका तैयार किया जाएगा, ताकि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित धनराशि सहित जिला पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों के साथ मिलान किया जा सके। संबधित विभागों, जनता और दानकर्ताओं से अंशदान के मिलान को बड़े पैमाने पर आजमाया जा सकता है। सभी कार्यों के लिए निर्गत और आगत का स्पष्ट रूप से पूर्वाकलन भी आवश्यक है।

इन गतिविधियों को जिला विकास योजना में शामिल करने के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है। प्रभावी क्रियान्वयन और परिणाम के लिए प्रस्तावित की जाने वाली हरेक गतिविधि का अनुमान लगाया जाना चाहिए।

परियोजना का आदर्श प्रारूप अनुलग्नक - XIII में दिया गया है।

स्थानीय सरकारों के अन्य स्तरों के साथ संयुक्त उद्यम परियोजनाएं हो सकती हैं। एक संयुक्त उद्यम परियोजना वह है जिसके लिए एक से अधिक स्थानीय सरकार द्वारा धन आवंटित किया जाता है और यह प्रमुख भागीदार के रूप में उनमें से एक के दवारा कार्यान्वित की जाती है। परियोजना निर्माण के समय, संयुक्त उद्यम परियोजना के लिए धन का विवरण, भागीदार बनने जा रही स्थानीय सरकारों द्वारा तैयार किया जाएगा । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, परियोजना को लागू करने वाले स्थानीय निकाय द्वारा तैयार की जाएगी ।

मसौदा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले, जिला स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी ताकि संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के बारे में चर्चा की जा सके।

त्रिस्तरीय पंचायतों के अध्यक्षों और सचिवों की यह बैठक जिला पंचायत द्वारा बुलाई जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित धनराशि सहित जिला पंचायतों के पास उपलब्ध संसाधनों के साथ मिलान करने के लिए सभी चिन्हित कार्यों का मानचित्रण किया जाएगा। संबधित विभागों, जनता और दानकर्ताओं से अंशदान मिलान को बड़े पैमाने पर आजमाया जा सकता है। जिला विकास योजना में अनुलग्नक - XVI के अनुरूप विन्यास और बजट विवरण हो सकता है।

6.13 जिला विकास योजना की तैयारी और अनुमोदन

जिला पंचायत योजना का प्रारूप जिले में ग्राम पंचायत विकास योजना और ब्लॉक विकास योजना के समेकन के बाद तैयार किया जाएगा। विशेष जिला सभा में विस्तृत विचार-विमर्श से प्रत्येक विशेष कार्य दल द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और परियोजना विकास को आगे बढाया जाएगा।

चिन्हित फोकस क्षेत्रों के लिए मसौदा योजना, जिला पंचायत परियोजना समिति द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें उनके विशेष कार्य दल द्वारा तैयार की गई परियोजनाएं शामिल होंगी। इस योजना में क्षेत्रवार योजनाएं और संबंधित विभागों के साथ अभिसरण होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि मसौदा योजना में संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ इसका ध्यान रखा जाए कि इसमें समाज के सभी वर्गों के कमजोर और वंचित समूहों के उत्थान की योजनाएं शामिल हों । इससे क्षेत्र आधारित योजना और संबंधित विभागों के साथ अभिसरण सुनिश्चित होगा।

मसौदे को अंतिम रूप देने के बाद, योजना को मंजूरी के लिए जिला सभा के समक्ष रखा जाएगा। जिला सभा एकीकृत जिला विकास योजना का अनुमोदन

करेगी और इसे मंजूरी देगी। बैठक के दौरान, जिला विकास योजना दस्तावेज़ और परियोजना-वार विवरण पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी जानी चाहिए और प्रस्तावित योजना पर विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। प्रक्रिया के दौरान, बैठक का कार्यक्रम उचित तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। जिला सभा के दौरान लिए गए निर्णयों को पंचायत और अन्य स्थानीय संस्थानों में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। हर जिला पंचायत में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर 10'X 20' आकार का एक सार्वजनिक सूचना बोर्ड होगा

और अनुमोदित योजना को अनुबंध- XVII में दिए गए प्रारूप में योजनाबद्ध रूप से बोर्ड पर प्रदर्शित किया जा सकता है।

6.14 योजना का कार्यान्वयन

जिला पंचायत आयोजना समिति, योजना और निगरानी के समग्र कार्यान्वयन में जिला पंचायत की सहायता करेगी। जिला पंचायत को सावधानीपूर्वक अनुमोदित योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। योजना का समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाए। इसकी निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यवस्था बनाने की भी आवश्यकता है। कार्यान्वयन को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए और सभी भुगतान अध्याय 11 के विवरण के अनुरूप पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से होंगे। योजना के कार्यान्वयन के तहत किए जा रहे कार्यों में स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अधिकतम अवसर पैदा करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए लेकिन इसके लिए आगत और निर्गत की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए ।

जिन राज्यों में जिला पंचायत में संबंधित क्षेत्रों के कर्मचारी और अधिकारी हैं वहां परियोजना के कार्यान्वयन का काम संबंधित क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए। जिन राज्यों में इस तरह के कर्मचारियों का स्थानांतरण

नहीं हुआ है वहां, जिला पंचायत को जिला विकास योजना में अनुमोदित और सूचीबद्ध परियोजनाओं को लागू करने में संबंधित विभागों की सहायता लेनी चाहिए ।

6.15 निगरानी प्रणाली, कार्य सुधार और जिला विकास योजना में संशोधन

जिला पंचायत को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है कि अनुमोदित जिला विकास योजना को लागू किया जाए और प्रगति की निरंतर निगरानी की जाए। विविध पृष्ठभूमि और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तारित निगरानी और मूल्यांकन समिति का गठन किया जा सकता है। ब्लॉक स्तरीय पंचायत की मासिक बैठक में

नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जाएगी और योजनाओं के कार्यान्वयन में चिन्हित की गई किसी भी समस्या को आगे की कार्रवाई के लिए जिला पंचायत परियोजना समिति और विशेष कार्य दल को वापस भेज दिया जाएगा। विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, तकनीकी

विशेषज्ञों, विशेष कार्य दल संघों के सदस्यों , शैक्षिक / तकनीकी संस्थानों से विशेषज्ञों, संस्थाओं, ब्लॉक स्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधियों को जिला विकास योजनाओं के जरिए चलाई जा रही परियोजनाओं के व्यापक मूल्यांकन के लिए शामिल किया जा सकता है। यह भी वांछनीय है कि पारदर्शिता, भागीदारी, व्यापक परामर्श और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक निगरानी के वास्ते विशिष्ट तंत्र की स्थापना की जाए। जिला पंचायत परियोजना समिति विशेष कार्य दल की सलाह पर या अपनी ओर से, सामने आने वाली

समस्याओं पर विचार करेगी और अनुमोदित जिला विकास योजना में संशोधनों का सुझाव देगी। हालाँकि, विशेष कार्य दल क्षेत्रवार परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी कर सकता है। ऐसे मामले में, कार्यान्वयन अधिकारी , यदि विशेष कार्य दल का सदस्य है तो वह इस दौरान विशेष कार्य दल से बाहर हो सकता है। विशेष कार्य दल और आयोजना समिति की निगरानी रिपोर्ट के आधार पर

कार्य के बीच सुधार का प्रावधान किया जाना चाहिए । ऐसे मामलों में, परियोजना और जिला विकास परियोजना में संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन के लिए अनुमोदन जिला पंचायत द्वारा दिया जाएगा ।

बॉक्स 6: सामान्य अपशिष्ट प्लास्टिक रीसाइक्लिंग सुविधा -

उत्तराखंड में पंचायतों को शामिल कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक सफल पहल ।

प्लास्टिक प्रदूषण देश में सबसे अधिक आवश्यक पर्यावरणीय मुद्दों में से एक बन गया है। प्लास्टिक वस्तुओं का तेजी से उत्पादन इससे निपटने की देश की क्षमता को निष्क्रय बना देता है। बाजार आधारित अंधाधुंध विकास और लोगों का उपभोक्तावादी संस्कृति का अनुसरण ऐसे अपशिष्टों को बढाता है जिनका प्रबंधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, उत्तराखंड राज्य जहां हर साल बडी संख्या में पर्यटक आते हैं और सभी जगह फैले गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन हमेशा एक बड़ा संकट रहता है। पुनर्चक्रण, कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद करता है और कच्चे माल की आवश्यकता को कम करता है ताकि वर्षा वनों को संरक्षित किया जा सके । इसलिए, बोतलों , पैकेजिंग और अन्य प्लास्टिक को नई वस्तुओं में बदलने के लिए पुनर्चक्रण से पर्यावरण में मदद मिलती है और नए आर्थिक अवसर पैदा होते हैं। प्लास्टिक पुनर्चक्रण और भी उपयोगी सामग्री को कचरा भराव क्षेत्र से बाहर रखता है और व्यवसायों को उनसे नए और अभिनव उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। सामान्य कचरे के प्रबंधन के इरादे और पर्यावरण की रक्षा करने की दृष्टि से, उत्तराखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने 2.95 करोड. रुपये की लागत वाली परियोजना के साथ सामान्य कचरा प्लास्टिक पुनर्चक्रण सुविधा की स्थापना का प्रस्ताव किया । ऐसा भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की आरजीएसए योजना के तहत आर्थिक विकास और आय संवर्धन घटक के अंतर्गत किया गया है। प्रस्ताव का उद्देश्य

प्लास्टिक कचरे के लिए स्थायी निपटान सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण से स्थानीय आबादी के लिए आय के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इस परियोजना में जिला पंचायतें और ग्राम पंचायतें भी विभिन्न प्रकार से शामिल हैं। परियोजना बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि और पूंजी निवेश के संदर्भ में जिला पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों के साथ अभिसरित होती है। हरिद्वार में भद्रबाद के अलीपुर गाँव में स्थापित संयंत्र, एकत्र किए गए मिश्रित प्लास्टिक कचरे को टिकाऊ प्लास्टिक की लकड़ी में बदलने की एक यांत्रिक पुनर्चक्रण सुविधा है। भारत सरकार के कृषि तथा किसान कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 9 फरवरी, 2020 को परियोजना की आधारशिला रखे जाने के (शिलान्यास और भूमिपूजन) कार्यक्रम की शोभा बढाई।

बॉक्स 7: मुर्शिदाबाद जिला पंचायत, पश्चिम बंगाल खुले में शौच से मुक्ति की दिशा में प्रगति

खुले में शौच करने के चलन और लोगों की वर्षों पुरानी इस आदत को बदलना जिला प्रशासन के लिए एक चुनौती रही है। जिला प्रशासन ने बड़े पैमाने पर खुले में शौच से मुक्ति संधारणीयता और उससे संबंधित गतिविधियों की दूरगामी दष्टिकोण से योजना बनाई। समाज की गतिशीलता, घरेलू शौचालयों की कार्यकारी स्थिति की जांच, पूर्व सामान्य खुले में शौच मुक्त क्षेत्र का निरीक्षण, समुदाय के साथ मिलकर जायजा लेने के माध्यम से क्षेत्र की स्वच्छता की स्थिति को समझने और लोगों से मिलने के संदर्भ में समाज के विभिन्न हितधारकों के शामिल होने और उनकी भागीदारी से 80 लाख से अधिक आबादी की समीक्षा की गई और लोगों के व्यवहार परिवर्तन को दर्ज किया। पंचायत के मार्गदर्शन में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और जानेमाने नेताओं द्वारा नज़रदारी और गांधीगिरी टीम का गठन किया गया था, जिन्होंने निगरानी और जांच करने के लिए सुबह और शाम खुले में शौच वाले क्षेत्रों का दौरा किया। समुदाय द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य हर घर के लोगों से मिलकर परिवार के प्रत्येक सदस्य कि साथ शौचालय का उपयोग करने और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर चर्चा करना था। जिला स्कूल सेल ने लगभग 8 लाख छात्रों के साथ मिलकर अभियान में सहयोग दिया । परिवार के सदस्यों की मानसिकता बदलने के लिए प्रत्येक छात्र ने अपने घर में शौचालय के लिए विनती करते हुए अपने माता-पिता को पत्र लिखा। मुर्शिदाबाद जिला भागीरथी, जलांगी और गंगा तथा पद्मा की अन्य शाखा नदियों के तट पर बसा है। जिले के नदी किनारे बसे गांवों को भारी बाढ़ का सामना करना पडा। बाढ़ के दौरान, ग्रामीणों ने स्कूलों के परिसर और सामुदायिक हॉल में शरण ली। जिला पंचायत ने आपदा प्रबंधन योजना के तहत बाढ़ आश्रय के आसपास के क्षेत्र में शौचालय इकाइयों का निर्माण जिला परिषद योजना में शामिल किया।

बॉक्स 8 : सुल्तानपुर जिला पंचायत द्वारा गाय देखभाल केंद्र

अध्याय 7

ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं के लिए क्षमता निर्माण ढांचा

ब्लॉक पंचायत (आईपी) और जिला पंचायत (डीपी) के अधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) ब्लॉक विकास योजना (बीडीपी) और जिला पंचायत योजना (डीडीपी) की बेहतर आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य को एक प्रभावी ब्लॉक विकास योजना और जिला पंचायत योजना के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक उपयुक्त रणनीति और कार्य योजना विकसित करनी होगी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद को, ब्लॉक विकास योजना और जिला पंचायत योजना की तैयारियों के बारे में गैर-अधिकारियों और अधिकारियों दोनों के लिए फील्ड प्रशिक्षण आयोजित करने में शामिल राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों के संकाय के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बनाने और आयोजित करने में आगे आना चाहिए ।

7.1 क्षमता निर्माण ढांचा के उददेश्य

खंड विकास योजना और जिला विकास योजना के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संरचना एक दिशानिदेशक उपलब्ध कराती है ताकि यह सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके कि प्रशिक्षण संस्थान, निर्वाचित प्रतिनिधि , सरकारी अधिकारी, आयोजना समितियां , क्षेत्रीय कार्य समूह, भागीदार संस्थान और हितधारक इत्यादि एकसमान हैं। इसलिए क्षमता निर्माण और विकास योजनाएं व्यापक विकास योजनाएं तैयार करने के लिए जिलों और ब्लॉकों को सक्षम बनाने के लिए समुचित कार्य योजनाएं बनाने और कार्यान्वित करने के वास्ते

राज्य पंचायती विभागों, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों और अन्य सहायक संस्थानों के लिए इस क्षमता निर्माण संरचना से एक आदर्श के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संरचना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं-

I. प्रशिक्षण आवश्यकता अवलोकन के लिए राज्य संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
II. ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी के बारे में चयनित ग्राहकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के वास्ते आदर्श प्रशिक्षण अभिकल्पना की तैयारी करना।
III. ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी के बारे में सभी संबधित व्यक्तियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री तैयार करना।
IV. आयोजना पहल की प्रभावी और दक्ष तरीके से शुरुआत और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख हितधारकों के क्षमता विकास के लिए राज्य और जिला स्तरों पर प्रशिक्षकों की मजबूत टीम बनाना।
V. आईपी और डीपी के पदाधिकारियों, उनकी आयोजना समिति के सदस्यों और क्षेत्रीय कार्यकारी समूहों के लिए एक दिवसीय अभिविन्यास प्रशिक्षण का आयोजन करना।
VI. आईपी और डीपी की आयोजना समितियों के लगभग क्रमशः पांच और आठ सदस्यों को अपनी योजनाएं बनाने के लिए क्षमता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।
VII. सतत ग्रामीण विकास को प्राप्त करने के लिए कार्यों के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करके सतत विकास लक्ष्य 2030 का स्थानीयकरण करना ।
VIII. ग्रामीण विकास योजनाओं के बेहतर परिणाम हासिल करने के प्रयास करने के लिए सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और समुदाय के नेताओं की सोच को बदलना ।
IX. आईपी और डीपी को स्थानीय सरकार के मजबूत संस्थानों में बदलने में सक्षम बनाना और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, आपदा जोखिम को कम

करना, सामाजिक विकास, मानव विकास और आर्थिक विकास जैसी नई चुनौतियों से निपटना ।

X. पंचायती राज और ग्रामीण विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं / सफलता की कहानियों के दस्तावेजीकरण पर राज्यों का मार्गदर्शन करनाऔर प्रशिक्षण के समय इन कार्यप्रणालियों का उपयोग करना ।

7.2 प्रशिक्षण के लिए प्रमुख हितधारकों और संस्थानों की पहचान

अक्सर पंचायतों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के प्रमुख हितधारकों को निर्वाचित प्रतिनिधि और सहायक अधिकारी समझा जाता है। हालांकि, व्यापक प्रकार के संस्थान और मानव संसाधन, विकास कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन सहित राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर शासन के बुनियादी कार्यों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में शामिल होते हैं।, ब्लॉक और जिला विकास में निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत अधिकारियों, आयोजना समिति के सदस्यों , क्षेत्रीय कार्यदल के सदस्यों , संबंधित विभाग के अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं, प्रबुध समाज के संगठनों और सार्थक कार्यों में लगी सभी एजेंसियों की भागीदारी जरूरी है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को इन सभी कार्यकर्ताओं और एजेंसियों पर ध्यान देना चाहिए। राज्य सरकार को संबंधित नोडल प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से कई विषयगत क्षेत्रों में इन सभी हितधारकों का क्षमता निर्माण करना चाहिए।

7.2.1 संस्थागत समर्थन

आईपी और डीपी को 15 वें वित्त आयोग के धन आवंटन के संदर्भ में व्यापक ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियो को पर्याप्त क्षमता हासिल करने की आवश्यकता है, इसलिए प्रशिक्षण को संस्थागत तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए ताकि आईपी और डीपी नियोजन प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से कर सकें।

7.2.2 राष्ट्रीय नोडल संस्थान

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद और राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान या राज्य स्तर की किसी अन्य संस्था की सहायता से राष्ट्रीय, राज्य, जिला और उप जिला स्तर पर पंचायत शासन, विकेंद्रीकृत योजना और ई-पंचायतों के बारे में पंचायती राज पदाधिकारियों और अन्य सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण के लिए सर्वोच्च संस्था है। इस क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण फ्रेमवर्क की नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का कार्य निम्नानुसार हो सकता है:

- प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आंकलन के लिए राज्य संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ब्लॉक विकास -योजना और जिला विकास योजना की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी के बारे में चयनित ग्राहकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए आदर्श प्रशिक्षण अभिकल्पना की तैयारी करना।
- ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना की तैयारी, कार्यान्वयन और निगरानी के बारे में सभी संबधित व्यक्तियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री की तैयारी करना।
- पंचायती राज मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यनीति पर राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों के शिक्षको सहित राज्य स्तर के संसाधन व्यक्तियों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन करना।
- विकेंद्रीकृत आयोजना और ई ग्राम स्वराज आदि सहित विभिन्न विषयक क्षेत्रों पर प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- मानकीकृत आदर्श शिक्षण सामग्री/प्रशिक्षण मोडयूल/आईईसी सामग्री का विकास करना और समय समय पर उसे अद्यतन करना।

- पंचायती राज और ग्रामीण विकास में सफलता की कहानियों / सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का दस्तावेजीकरण करना और प्रशिक्षण के समय इन कार्यप्रणालियों का उपयोग करना।
- गहन प्रशिक्षण के लिए आवश्यक विश्लेषण के वास्ते राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों / राज्य नोडल संस्थान/अन्य राज्य संस्थानों का मार्गदर्शन और इसका उपयोग पंचायती राज संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए करना।
- पंचायत पदाधिकारियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए अधिक प्रासंगिक बनाने के वास्ते "योग्यता आधारित प्रशिक्षण" शुरू करना।

7.2.3 राज्य नोडल संस्थान

राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान या नामित राज्य नोडल संस्थान राज्य स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के कौशल निर्माण और प्रशिक्षण के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करते हैं। राज्य नोडल संस्थानों का मुख्य उद्देश्य नियोजन प्रक्रिया में सहायता करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास अधिकारियो जैसे ग्राम संगठनों / गैर सरकारी संगठनों / सीबीओ / सीएसआर जैसे अन्य हितधारकों की विभिन्न श्रेणियों के बीच ज्ञान का आधार बढ़ाना, प्रबंधकीय कौशल विकसित करना, संगठनात्मक क्षमताएँ, नेतृत्व के गुण और निर्णय लेने के कौशल को बढाना है। राज्य नोडल संस्थान, पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के सभी पहलुओं में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। राज्य नोडल एजेंसी, इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के साथ मिलकर काम करेगी औरआईपीपीसी तथा डीपीपीसी के सदस्यों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए मूल्यांकन आवश्यकता, अभिविन्यास प्रशिक्षण और सहायक, योजना समितियों के अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव सहित कुछ चयनित सदस्यों के लिए क्षमता आधारित प्रशिक्षण का आयोजन करेगी।

7.2.4 ब्लॉक और जिला विकास योजना के लिए स्थानीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान

गैर-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सबंधित विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों के बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ सहयोग से प्रशिक्षण के दायरे को बढ़ाने का उद्यम भी किया जा सकता है। ऐसे स्थानीय प्रशिक्षण संस्थानों के साथ साझेदारी, संस्थागत क्षमताओं और कौशल, अनुभव और आम समस्याओं से निपटने में अक्सर किसी एक संस्थान की क्षमता से परे होने वाले विचारों के रूप में मानव संसाधनों को मिलाती है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निम्नलिखित समर्पित संस्थानों के नेटवर्क का उपयोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए किया जाता है।

- ग्रामीण विकास के क्षेत्रीय संस्थान (आरआईआरडी)
- ग्रामीण विकास के जिला संस्थान (डीआईआरडी)
- पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (पीआरटीआई)
- विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी)
- कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके)

7.2.5 राष्ट्रीय और राज्य संसाधन संस्थानों को सूची में शामिल करना

पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, सार्वजनिक सेवा के लिए सामाजिक न्याय के विस्तृत कार्यक्रमों के नियोजन और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान / राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान राज्यों के साथ मिलकर व्यापक तरीके से राज्यों में निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकताओं के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए काम करता है। योजना प्रक्रिया में क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान

राष्ट्रीय / राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उन प्रसिद्ध संसाधन संस्थानों की पहचान कर सकता है और सूची बना सकता जिनके पास राज्यों और राज्य ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थानों की सहायता के लिए प्रत्यक्ष अनुभव हो। उनकी सेवाओं का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान / राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा राज्य सरकार और राज्य संसाधन टीम को सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

7.3 क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और जिला तथा ब्लॉक विकास योजना में सहायता के लिए प्रशिक्षकों / संसाधन व्यक्तियों की टीमें

जिला और ब्लॉक विकास योजनाओं की सुविधा के लिए 100 प्रतिशत प्रशिक्षण कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की उपलब्धि, प्रशिक्षण कार्यों के लिए केवल बडी संख्यां में प्रशिक्षकों और संसाधन व्यक्तियों की उपलब्धता से ही संभव हो सकती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर बड़ी संख्या में पंचायत पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण की चुनौतियों से निपटने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षकों की आवश्यकता होती है, इसलिए अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए ब्यौरे के अनुरूप, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए एक बहुस्तरीय संसाधन टीम ढांचा स्थापित किया जा सकता है,

7.3.1 राज्य स्तरीय प्रमुख प्रशिक्षक टीम

सभी राज्य एक "राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स टीम " का गठन कर सकते हैं। जिला और खंड विकास के गठन पर प्रमुख प्रशिक्षक के रूप में विशेषज्ञों / संसाधन व्यक्तियों, संबंधित विभागों तथा पंचायती राज के समर्पित अधिकारियों और प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों और जिला संसाधन समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षित और निर्देशित करने में विशिष्ट योग्यता वाले पंचायत मुखिया के साथ सभी राज्य एक राज्य स्तरीय प्रमुख प्रशिक्षक टीम का गठन कर सकते

हैं। राज्य स्तरीय प्रमुख प्रशिक्षकों की टीम बनाते समय राज्य निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कर सकते हैं-

- संसाधन व्यक्तियों की पहचान और चयन के लिए परिभाषित मानदंड बनाना।
- सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थाओं में काम करने का अनुभव रखने वाले अन्य विशेषज्ञों को संसाधन व्यक्तियों के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ।
- व्यापक प्रशिक्षण द्वारा समर्थित संसाधन व्यक्तियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना।
- संसाधन व्यक्तियों की निगरानी और सावधिक मूल्यांकन।
- निरंतर सीखने के लिए एक प्रणाली का विकास।

7.3.2 ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं के लिए जिला संसाधन समूह

राज्य पंचायती राज विभाग, प्रमुख संसाधन व्यक्ति / सीआरपी/ पंचायत और संबंधित विभागों के समर्पित अधिकारी/पंचायत मुखिय/ गैर सरकारी संगठनों /सीएसआर और शिक्षा संस्थानों आदि के साथ, प्रत्येक जिले में जिला और ब्लॉक विकास योजना के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के वास्ते एक जिला संसाधन समूह का गठन कर सकता है। जिला संसाधन समूह के कार्य हैं - क पुनरावर्ती प्रशिक्षण और गैर प्रशिक्षण कार्यों के जरिए जिला और खंड पंचायतों का क्षमता विकास करना ख पंचायती राज संस्थाओ को निरंतर मजबूत सहयोग देना और योजना प्रक्रिया के सभी स्तरों पर सुविधाएं देना । चूंकि जिला संसाधन समूह के अधिकांश सदस्य कई संबंधित विभागों से आने की संभावना है इसलिए यदि प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव द्वारा इस बारे में एक कार्यकारी आदेश जारी किया जाता है तो इससे काफी सहायता मिलेगी। जिला संसाधन समूहों के प्रचालन और समन्वय के लिए राज्य सरकार, समूची प्रशिक्षण प्रक्रिया के निरीक्षण और निगरानी के वास्ते पंचायती राज विभाग से एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित कर सकती है।

7.3.3 प्रमाणित संसाधन व्यक्ति

पंचायता राज स्ंस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय संसाधन पूल विकसित करना और प्रणालियां स्थापित करना

हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। चूंकि पूरे प्रशिक्षण की प्रभावशीलता प्रशिक्षण देने की प्रभावकारिता पर टिकी है इसलिए पंचायती राज मंत्रालय के कार्यों के प्राथमिकता क्षेत्रों में से एक, राज्यों में पूल प्रमाणित प्रमुख संसाधन व्यक्तियों का विकास है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान ने पिछले तीन साल से आरजीएसए परियोजना - पंचायतों को मजबूत करके और ई-सक्षम बनाकर भारत का रूपांतरण , के तहत परीक्षण तथा मान्यता की एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करके राज्यों में विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में अब तक लगभग 4300 प्रमुख संसाधन व्यक्तियों को अनुकूलित और प्रमाणित किया है। प्रमाणित प्रमुख संसाधन व्यक्तियों की सूची के बारे में पहले से ही राज्यों और राज्य ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थानों को सूचित कर दिया गया है । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, राज्य ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज संस्थानों/ राज्य के अनुरोध पर और अधिक प्रमुख संसाधन व्यक्तियों को प्रमाणित करना जारी रख सकते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अच्छा होगा कि वे ब्लॉक विकास योजनाओं और जिला विकास योजनाओं के लिए क्षमता निमार्ण और प्रशिक्षण आयोजित करने के वास्ते इन प्रमुख संसाधन व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करें।

7.4 ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं के लिए क्षमता निमार्ण और प्रशिक्षण का दृष्टिकोण

विकेंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था में ब्लॉक और जिला विकास योजनाएं क्षेत्र आधारित स्थानीय योजनाएं हैं जो स्थानीय क्षेत्रों की विकासात्मक प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग के बीच अधिक संबंध स्थापित करती हैं । चूंकि जिला और ब्लॉक नियोजन प्रक्रिया को वैचारिक रूप से समझना होगा और विभिन्न उपायों के माध्यम से भौतिक रूप से तैयार करना

होगा।'ज्ञान-आधारित -अनुकूलित कक्षा आधारित प्रशिक्षण' के स्थान पर कार्यवाही अनुकूलन कौशल आधारित

प्रशिक्षण' अपनाने की आवश्यकता है । इसलिए, ब्लॉक विकास योजनाओं और जिला विकास योजनाओं के लिए प्रभावी क्षमता निमार्ण और प्रशिक्षण के वास्ते प्रशिक्षण और गैर-प्रशिक्षण के प्रयासों को संयोजित करना आवश्यक है।

7.4.1 प्रशिक्षण और गैर-प्रशिक्षण कार्यों के संयुक्त प्रयास

पर्याप्त प्रशिक्षण और गैर-प्रशिक्षण प्रयासों के संयुक्त प्रभाव के माध्यम से हितधारकों की क्षमताओं का विकास हुआ। प्रभावी क्षमता निमार्ण और प्रशिक्षण के लिए समुचित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आवश्यक कुछ प्रशिक्षण और गैर-प्रशिक्षण कार्य निम्नलिखित हैं-

- संस्थान आधारित आमने-सामने प्रशिक्षण।
- ऑनलाइन प्रशिक्षण।
- सुविधा और मजबूत समर्थन।
- विभिन्न स्तरों पर संवेदनशीलता शिविर और जागरूकता सृजन।
- दूरस्थ शिक्षा / ई-लर्निंग आदि।

गैर-प्रशिक्षण कार्यों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- वैधानिक मुद्दों और सुधारात्मक उपायों पर नीति समर्थन।
- आईईसी उपकरणों का अनुप्रयोग।
- जानकारी बढाने के लिए दौरे ।
- आंकलन संवाद।
- राईट शॉप/ मॉक प्लानिंग अभ्यास।
- हेल्पलाइन।

7. 4. 2 जिला और खंड विकास योजना के लिए क्षमता निमार्ण और प्रशिक्षण के वास्ते कार्य योजना

I. **प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आंकलन के लिए प्रशिक्षण:** प्रशिक्षण का विस्तार से विवरण तैयार करने से पहले पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रशिक्षण राज्य संस्थाओं के कुछ वरिष्ठ शिक्षकों को प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आंकलन के बारे में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का प्रारूप तैयार किया जा सके।

II. **जिला पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अभिविन्यास:** जिला पंचायत की पहली बैठक में, निर्वाचित सदस्यों का पृष्ठभूमि, आवश्यकता, उद्देश्यों, एक डीडीपी के पास क्या होना चाहिए, उठाए जाने वाले कदमों और समय सीमारेखा आदि के बारे में समग्र रूप से अभिविन्यास किया जाना चाहिए । यह राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान से नोडल संकाय सदस्य द्वारा किया जा सकता है।

III. **योजना समितियों का अभिविन्यास:** इसी तरह से, योजना समिति की पहली बैठक का भी उपयोग योजना समिति के सदस्यों के अभिविन्यास के रूप में किया जाना चाहिए। (I) में वर्णित विषयों के अलावा, योजना समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों को भी शामिल किया जाना है। इन्हें एक कार्य योजना और समयरेखा विकसित करने में उनकी मदद करनी चाहिए। यह राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान से नोडल संकाय सदस्य द्वारा किया जा सकता है।

IV. **खंडीय कार्यकारी समूहों का अनुकूलन:** आशा की जाती है कि शुरुआत में सभी खंडीय कार्यकारी समूहों की आम सभा की बैठक होगी। यह बैठक अनिवार्य रूप से खंडीय कार्यकारी समूहों के सभी सदस्यों के अनुकूलन के लिए होनी चाहिए। (I) में उल्लिखित विषयों के अलावा, खंडीय कार्यकारी समूहों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता है। यह राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के नोडल संकाय सदस्य या किसी वरिष्ठ संसाधन व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

V. **जिला विकास योजना और ब्लॉक विकास योजना की तैयारी पर क्षमता आधारित प्रशिक्षण:** चूंकि अभिविन्यास उन्हें जिला विकास परियोजना और ब्लॉक विकास परियोजना के बारे में ज्ञान और जानकारी प्रदान करने और की जाने वाली कार्यवाही के बारे में था, खंडीय कार्यकारी समूह और नियोजन समितियों की मुख्य टीम को आयोजना के लिए क्षमता विकास के वास्ते क्षमता आधारित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण यह जानकारी प्रदान करेगा कि डेटा और जानकारी का उपयोग करके योजना कैसे बनाई जा सकती है। एकीकरण, अभिसरण, विभिन्न योजनाओं, बजट, स्थानिक आयामों और डेटा, नक्शे तथा जीआईएस आधारित जानकारी आदि की अवधारणा को भी शामिल करना होगा।

7.5 जिला और ब्लॉक विकास योजनाओं के लिए मानकीकृत शिक्षण सामग्री

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान और राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान / नोडल संस्थानों द्वारा तैयार मानकीकृत शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आंकलन पर आधारित और 15 वें वित्त आयोग के धन के उपयोग सहित विभिन्न विकास और कल्याण कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन के बारे में संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। मूल विषयों में पंचायती राज संस्थाओं की अनिवार्य कार्यात्मक जिम्मेदारियां, खंडीय / विषयगत क्षेत्रों और योजना, बजट, लेखा और लेखा परीक्षण आदि की मानक प्रणालियां शामिल होनी चाहिएं। शिक्षण सामग्री में, प्रत्येक स्तर पर विभिन्न हितधारकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को विधिवत इंगित करने वाले विकास कार्यक्रमों की आयोजना, निगरानी और कार्यान्वयन के सभी पहलुओं और अवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए ।

7.6 प्रशिक्षण का उत्तरोत्तर विकास

चूंकि जिला और ब्लॉक पंचायत के सक्षम बनाए जाने वाले अधिकारी और अन्य हितधारक बड़ी संख्या में होते हैं इसलिए केवल कैस्केडिंग से ही लक्षित दर्शकों तक पहुंचा जा सकता है। गुणवत्ता में कमी किए बिना, कैस्केडिंग प्रशिक्षणों के आयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों के साथ-साथ उपयुक्त प्रशिक्षण स्थानों की आवश्यकता होती है। राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना के लिए कैस्केडिंग मोड प्रशिक्षण के संचालन के लिए प्रमाणित प्रमुख संसाधन व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं। राज्य पंचायती राज विभाग, आयोजना प्रक्रिया के बारे में ज्ञान, कौशल और सोच दृष्टिकोण संबंधी अभिविन्यास की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईपी और डीपी की संस्थागत क्षमता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी के वास्ते "नोडल" अधिकारी नामित कर सकता है।

7.7 ऑनलाइन प्रशिक्षण

पारंपरिक रूप से पंचायती राज संस्थानों के कौशल विकास और प्रशिक्षण ज्यादातर आमने-सामने कक्षा प्रशिक्षण पर आधारित होते हैं। लेकिन मार्च 2020 से COVID -19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप यात्रा प्रतिबंधों और सुरक्षित दूरी के मानदंडों ने आमने-सामने प्रशिक्षण गतिविधियों को कठिन बना दिया। यह स्थिति पूरे देश में प्रशिक्षण प्रणाली के लिए चुनौती है जो प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षण के वैकल्पिक तरीके अपनाने को मजबूर करती है। इंटरनेट और स्मार्टफोन प्रौद्योगिकियों ने सस्ती तकनीकों के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण के दायरे का विस्तार किया है । इसमें वेब आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल- मीट, सिसको -वेबैक्स), वर्चुअल क्लास रूम (ए-व्यू), लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (ग्रामस्वराज, स्वयंवर आदि ..) शामिल हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए कहीं भी और कभी भी सीखने की संभावना

प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों और संसाधन व्यक्तियों के लिए भी आवश्यक हो गया है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती वे प्रशिक्षण के ऑनलाइन तरीके अपनाएं। ऑनलाइन प्रशिक्षण को इस तरह बनाया जाना चाहिए कि वे रचनात्मक, संवादात्मक, प्रासंगिक और शिक्षार्थी केंद्रित हो। संसाधन व्यक्तियों को "डिजिटल शैक्षणिक मुद्दों " पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और शिक्षार्थियों को विषय की वैचारिक समझ का लाभ मिलना चाहिए । प्रश्न पूछकर और फीडबैक की सुविधा प्रदान करके शिक्षण को व्यापक बनाया जाना चाहिए।

7.8 पंचायत पदाधिकारियों की क्रॉस-लर्निंग और जानकारी बढाने वाली यात्राएं

सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पंचायती राज संस्थानों का दौरा करने से चुने हुए प्रतिनिधियों को कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों की जानकारी मिलती है। इससे न केवल साथियों के साथ मिलजुल कर सीखने की सुविधा मिलती है, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है । इससे उनमें "कर सकते हैं" की भावना और नेतृत्व के गुणों को भी बढ़ावा मिलता है। एसपीआरडी को देश भर की सर्वश्रेष्ठ पंचायतों का नक्शा बनाना चाहिए और ऐसी जानकारी राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान को उपलब्ध करानी चाहिए । राज्य पंचायती राज विभागों को भी अपने यहां के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं के दौरे के लिए अन्य राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण अभ्यास का मानकीकरण करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायती राज संस्थाओं के संपर्क में आने के लिए क्षमता विकास और प्रशिक्षण में आईपी और डीपी सदस्यों के दौरे और क्रॉस लर्निंग की सुविधा को शामिल किया जा सकता है।

7.9 संबंधित विभागों के साथ अभिसरण

ब्लॉक विकास परियोजना और जिला विकास परियोजना की सफल तैयारी, पंचायत नेतृत्व और उन्हें दिए गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसके लिए विभिन्न संबंधित विभागों के तहत ब्लॉक और जिला स्तर पर

उपलब्ध सभी मानव संसाधनों , विशेष रूप से तकनीकी जनशक्ति आवश्यक है योजना तैयार करने और कार्यान्वयन में प्रभावी रूप से सहयोग करने के लिए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को सक्षम करने के लिए उनके लिए जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण का विशेष दौर शुरू किया जाना चाहिए।

7.10 ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं के लिए 'सफलता के द्वीप' बनाना

नवाचारों, नए विचारों और स्थानीय नियोजन में सर्वोत्तम प्रथाओं को शुरू करना क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की एक प्रमुख विशेषता और महत्वपूर्ण रणनीति है। यह आवश्यक है कि ब्लॉक विकास परियोजना और जिला विकास परियोजना के संदर्भ में गहन कौशल निर्माण के जरिए स्थानीय स्तर का सक्षम योजना तंत्र स्थापित किया जाए और प्रदर्शन के लिए क्लस्टर स्तर पर सफल मॉडल विकसित किया जाए। राज्यों को जितने हो सके उतने "सफलता के द्वीप" बनाने चाहिए जिन्हें अन्य पड़ोसी संस्थानों के लिए "कार्य प्रयोगशाला" / "सीखने की प्रयोगशाला " के रूप में उपयोग किया जाएगा। मौजूदा सफल मॉडल का उपयोग स्थानीय नेतृत्व को प्रेरित करने के लिए भी किया जा सकता है।

7.11 ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों की निगरानी

ई-ग्राम स्वराज, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल सहित मौजूदा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों, आयोजना गतिविधियों और स्वीकृत योजनाओं को अपलोड करने के लिए किया जाएगा। निगरानी तंत्र के दायरे में प्रशिक्षण, योजना तैयारी, ई-ग्राम स्वराज एकीकृत पोर्टल और राज्य विशिष्ट पोर्टल्स पर योजनाओं की अपलोडिंग से चरणवार प्रगति को देखना शामिल होना चाहिए ।

अध्याय 8

गैर-भाग IX क्षेत्र में ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं की तैयारी

भारत के संविधान के भाग IX को 73 वें "पंचायत" संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। ऐसे ही संशोधन अनुच्छेद 243 एम के माध्यम से भाग IX में शामिल किया गया था जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि यह हिस्सा, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुच्छेद 244 की धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों नगालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र और दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र के लिए जिला स्तर पर लागू नहीं होगा । हालाँकि, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए अधिनियम) से पंचायती राज प्रणालियों को पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में लाया गया। इसके अलावा, जिला स्तर पर तत्कालीन दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र (वर्तमान में दार्जिलिंग और कलीमपोंग दोनों) को भी पंचायती राज व्यवस्था के तहत लाया गया था। इस प्रकार, नगालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर का पहाड़ी इलाका, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद, एनसी हिल्स स्वायत्त परिषद और बोडोलैंड क्षेत्रीय काउंसिल ऑफ असम और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्रों गैर-भाग IX क्षेत्र बनाता है ।

पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 2018 में पीपुल्स प्लान अभियान की शुरुआत की और गैर-भाग IX क्षेत्रों में गाँव विकास योजना की तैयारी के लिएपहल की गई थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय ग्राम सभा अभियान 2018 में पंचायती राज संस्थाओं के व्यापक क्षमता निर्माण के लिए (आरजीएसए) शुरू किया गया था। इस योजना का विस्तार गैर-भाग IX क्षेत्र में भी किया गया। इस प्रकार, 2018 में, क्षमता निर्माण के साथ-साथ विकेंद्रीकृत योजना की शुरुआत गैर-भाग IX क्षेत्र में भी की गई। गैर-भाग IX क्षेत्र में ग्राम विकास योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। इसमें अपेक्षित विवरण के साथ और उसी भागीदारी नियोजन प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है जिसका भाग-

IX क्षेत्र में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए किया जा रहा है। हालाँकि, इन क्षेत्रों में आवश्यकता आधारित ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना आरंभ करने की जरूरत है। सामान्य क्षेत्रों में गैर भाग IX क्षेत्र स्थानीय प्रशासन की प्रणालियों में व्यापक भिन्नताएँ हैं।

उदाहरण के लिए गैर-भाग IX क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक स्तरीय पंचायत की तरह कोई निर्वाचित निकाय नहीं है। यहां तक कि कुछ स्थानों पर जिला स्तर पर, एक स्वायत्त परिषद में कई जिले हैं, जैसे बोडो स्वायत्त परिषद प्रादेशिक परिषद में चार जिले हैं। कुछ स्थानों पर परिषद जिले का हिस्सा है। ज्यादातर, विभाग साइलो में काम करते हैं। इसके अलावा, कई महत्वपूर्ण विभाग परिषद को हस्तांतरित नहीं किए गए हैं। इसलिए, प्रत्येक राज्य सरकार को चाहिए कि वह स्थानीय परंपराओं और जरूरतों के बढने के साथ ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना की तैयारी के लिए दिशानिर्देश जारी करे।

8.1 गैर-भाग IX क्षेत्र में ब्लॉक विकास योजना की तैयारी

ब्लॉक विकास योजना की तैयारी अध्याय 5 में सामान्य रूप से वर्णित की गई है। अध्याय 4 में ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं, क्षेत्रों, विषयों और मुद्दों को विस्तार से दिया गया है। हालांकि ग्राम विकास योजना 2018 में गैर-भाग IX क्षेत्र में शुरू की गई थी लेकिन ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक विकास योजना के लिए नियोजन प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। कई राज्यों में , नेतृत्व खंड विकास अधिकारी के अधीन विभिन्न विभागों में अधिकारी ब्लॉक स्तर की गतिविधियाँ चलाते हैं। कई विभाग ब्लॉक स्तर पर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ब्लॉक पंचायत जैसा कोई निर्वाचित ग्रामीण निकाय नहीं है। हालांकि कुछ राज्यों में लोग आयोजना गतिविधियों में सहायता करते हैं।

ब्लॉक स्तरीय योजना के लाभ की सराहना करने की आवश्यकता है। इसने पूरे ब्लॉक क्षेत्र की जरूरतों को समेकित किया है और भागीदारी तथा समावेशी प्रक्रिया के साथ खंड विकास योजना को अध्याय 5 के विस्तृत ब्यौरे के अनुरूप तैयार किया गया है। इसलिए, गैर-भाग IX क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर नियोजन प्रक्रिया अध्याय 5 में वर्णित के समान हो सकती है। चूंकि यह इससे पहले नहीं किया गया है इसलिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता है और विशेषज्ञों तथा अधिकारियों को ब्लॉक योजना पंचायत समिति के स्थान पर ब्लॉक नियोजन समिति में लाया जा सकता है । इसी तरह, मनोनीत सदस्यों और अधिकारियों के साथ ब्लॉक सभा खंडीय कार्यकारी समूहों का गठन किया जा सकता है हालाँकि, व्यापक योजना के समर्थन के लिए, अध्याय 5 में दी गई विस्तृत प्रक्रिया और अध्याय 4 में उल्लिखित वैचारिक प्रारूप के अतिरिक्त निम्नलिखित कदम भी उठाए जा सकते हैं:

(क) **नियोजन प्रक्रिया में समुदाय आधारित स्वदेशी संगठनों को शामिल करना:** गैर भाग IX क्षेत्र में कई पारंपरिक समुदाय आधारित संगठन हैं- इन समुदाय आधारित संगठनों को उन क्षेत्रों के स्वदेशी स्थानीय लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों की गहरी जानकारी और समझ है। नियोजन प्रक्रिया के तहत स्थानीय लोगों की भावनाओं,उनकी समस्याओं, जरूरतों और प्राथमिकताओं के सम्मान के प्रति इन समुदाय आधारित संगठनों को विश्वास में लेना होगा।

(ख) **योजना के लिए ग्रामीण लोगों को प्रेरित करना:** परिषदों के प्रशासन को विशेष अभियान चलाना होगा ताकि नियोजन प्रक्रिया और विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में गहन और व्यापक जागरूकता पैदा कर ग्रामीणों को प्रेरित किया जा सके। ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि लोगों की बस्तियों दूर- दूर और बिखरी हुई हैं।

(ग) **भागीदारी आयोजना प्रक्रिया के लिए सामाजिक समावेश:** दुर्गम इलाकों और कम आबादी होने के कारण इन क्षेत्रों में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक समावेशन महत्वपूर्ण है । परिषदों को आयोजना प्रक्रिया में भागीदारी के लिए लोगों की अपवर्जित श्रेणियों के समावेशन के

लिए कार्य नीति बनानी होगी ताकि उनकी ज़रूरतों को जानने के लिए उनकी आवाज़ को सुना जा सके।

(घ) **सहजकर्ताओं की विशेष आवश्यकता:** सामान्य क्षेत्रों में एक सहजकर्ता को आयोजना समिति में शामिल किया गया था। विशेष आवश्यकताओं के कारण खंड विकास योजना के लिए आयोजना समिति में तीन सहजकर्ताओं की एक टीम शामिल की जानी जा सकती है। वे महत्वपूर्ण खंडीय कार्यकारी समूह में भी शामिल हो सकते हैं।

(ङ) स्वायत्त जिला क्षेत्रों में, स्वायत्त जिला क्षेत्र के कार्यकारी प्रतिनिधियों / कार्यकारी सदस्यों को ब्लॉक स्तरीय योजना समितियों में अनिवार्य रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी स्थानीय रूप से उचित हो।

(च) चूंकि ब्लॉक स्तरीय योजना समिति में पंचायती राज विभाग के सदस्यों की संख्या कम है, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, वन, बागवानी और जनजातीय विकास को **ब्लॉक आयोजना समिति** में शामिल किया जा सकता है। इन्हें **खंडीय कार्यकारी समूह** में भी शामिल किया जा सकता है।

8.2 गैर-भाग IX क्षेत्र में जिला विकास योजना की तैयारी

जिला, देश में शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। हालाँकि, स्वायत्त परिषद के साथ यह सह-टर्मिनस नहीं हो सकता है । ऐसा हो सकता है कि एक परिषद में कई जिले हों और यहां तक कि एक जिला भी परिषद का हिस्सा हो सकता है। राज्य सरकार जिला और परिषद स्तर की आयोजना के लिए प्रक्रिया के बारे में निर्णय ले सकती है और दिशा निर्देश जारी कर कर सकती है । हालांकि, इस पर विचार किया जा सकता है कि एक जिला विकास योजना तैयार की जा सकती है और यदि परिषद, जिले का हिस्सा है, तो परिषद विकास योजना, जिला विकास योजना का एक हिस्सा हो सकती है। यदि परिषद में एक से अधिक जिले हैं तो भी परिषद के लिए जिला विकास योजना तैयार और समेकित की जा सकती है, इसलिए गैर-भाग IX क्षेत्र में सभी जिलों के लिए

जिला विकास योजना तैयार की जा सकती है। इसके लिए अध्याय 4 में उल्लिखित वैचारिक मुद्दों के समावेशन के साथ इस संरचना के अध्याय 6 में विस्तृत उल्लेख के अनुरूप एक ही दृष्टिकोण और प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। इसके अलावा पूर्ववर्ती खंड में इंगित कदमों का भी पालन करें। चूंकि जिला सभा, जिला पंचायत आयोजना समिति और क्षेत्रीय कार्य समूह में ब्लॉक स्तर पर कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है इसलिए सभा / समिति / क्षेत्रीय कार्य दल में संबंधित अधिकारी/ क्षेत्र के विशेषज्ञों को नामांकित किया जा सकता है। हालाँकि, योजना प्रक्रिया वही रहनी चाहिए। स्थानीय प्रतिनिधित्व की बढती आवश्यकता और ब्लॉक स्तरीय पंचायत की अनुपस्थिति के कारण, ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला आयोजना समिति में पांच सहजकर्ताओं को नामित किया जा सकता है। स्वायत्त जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों / कार्यकारी सदस्यों का अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय आयोजना समितियों में सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त संदर्भ में गैर-भाग IX क्षेत्र में जिला परिषदें, निम्नलिखित विषयों पर विशेष जोर देने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला विकास योजना की तैयारी के लिए प्रक्रिया को सुचारू बना सकती है:

i विकास में विषमताओं को दूर करना

ii भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज के बहिष्कृत वर्गों का सामाजिक विकास

iii स्थान विशिष्ट आर्थिक विकास और गरीबी में कमी की गतिविधियाँ

iv समग्र, एकीकृत और टिकाऊ विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का रूपांतरण

v महिला सशक्तिकरण और लैंगिक मुद्दे

vi योजनाओं को तैयार करते समय सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

vii परिपूर्णता आधार पर बुनियादी सेवाओं जैसे पीने के पानी, स्वच्छता आदि का प्रावधान

viii सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव।

ix समाज के हाशिए के वर्गों की जरूरतों को पूरा करना

x ई- सक्षम

अध्याय 9

जिला आयोजना समिति द्वारा विकास योजना का मसौदा तैयार करना

9.1 जिला आयोजना समिति के लिए संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 जैडडी राज्यों के लिए जिला आयोजना समितियों का गठन अनिवार्य बनाता है इन समितियों को जिलों में सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करके विकास योजना का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया है। अनुच्छेद 243जैडडी में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"243 जैडडी. जिला योजना के लिए समिति - (1) प्रत्येक राज्य में जिले के लिए समग्र रूप से मसौदा विकास योजना तैयार करने और जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा।

(2) किसी राज्य की विधायिका, कानून द्वारा निम्न के संबंध में प्रावधान कर सकती है-

(क) जिला आयोजना समितियों की संरचना;

(ख) इस तरह की समितियों में सीटें भरने का तरीका :

इस समिति के सदस्यों का चुनाव जिले में नगरपालिकाओं और जिला स्तर पर पंचायतों के निर्वाचितों द्वारा और उन्हीं में से किया जाएगा। इनकी संख्या जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आबादी के बीच समानता के अनुपात में होनी चाहिए परंतु इनकी संख्या, समिति के कुल सदस्यों की संख्या के 4/5 से कम नहीं होनी चाहिए ।

(ग) जिला नियोजन से संबंधित कार्य जिन्हें इन समितियों को सौंपा जा सकता है।

(घ) ऐसी समितियों के अध्यक्षों को किस तरीके से चुना जाएगा।

(3) मसौदा विकास योजना तैयार करने में, प्रत्येक जिला योजना समिति को निम्न के संबंध में काम करना होगा-

(क) (i) स्थानिक नियोजन और पानी तथा अन्य भौतिक प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे सहित पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच एकसमान हित के मामले, बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास और पर्यावरण का संरक्षण;

(ii) वित्तीय या अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा और प्रकार;

(ख) राज्यपाल के आदेश के अनुसार, ऐसे संस्थानों और संगठनों से परामर्श करना।

(4) प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति की अनुशंसा के अनुसार विकास योजना को राज्य सरकार को भेजेगा।

इस प्रकार संविधान का अनुच्छेद 243 जैडडी जिले में सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करके विकास योजना का मसौदा तैयार करने के आदेश के साथ योजना आयोजन समिति का गठन राज्यों के लिए अनिवार्य बनाता है योजना तैयार करने में, जिला योजना समिति को सामान्य हित के विषयों पर विचार करना आवश्यक है

जिसमें स्थानिक योजना, पानी तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं। जिला योजना समिति द्वारा मसौदा विकास योजना को व्यवस्थित , भागीदारी और समावेशी तरीके से तैयार किए जाने की आवश्यकता है।

9.2 जिला योजना समिति द्वारा मसौदा विकास योजना तैयार करना

भारत के संविधान के उप-अध्याय 9.1 अनुच्छेद 243जैडडी के तहत समूचे जिले के लिए मसौदा विकास योजना में तीन स्तरीय पंचायतों और नगरपालिकाओं के समेकन की योजना बनाने के लिए जिला योजना समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के संविधान के उप-अध्याय 1.2 के अनुच्छेद 243जी में, संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचित विषयों सहित केंद्रीय और राज्य सरकार की आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए सभी त्रिस्तरीय पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के तहत ने राज्य सरकारों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाने ओर अपने क्षेत्र में इनके कार्यान्वयन के लिए नगर पालिकाओं को शक्तियां और अधिकार सौंपें ।

जिला योजना समिति को तीन स्तरीय पंचायत औैर नगरपालिकाओं की योजनाओं को व्यापक मसौदा विकास योजना में इस तरह समेकित करना है कि ग्रामीण और शहरी योजनाएँ इसमें एकीकृत हो जाएं, फिर भी वे उसी तरह बनी रहें और स्वतंत्र रहें जिस तरह स्थानीय स्वशासन के ग्रामीण और शहरी संस्थानों की योजनाएं है। इसके अलावा, योजना को स्थानिक योजना, पानी तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित पंचायतों और नगरपालिका के बीच सामान्य हित के मुद्दों को निपटाना चाहिए । जिला योजना समिति को इन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और विकास करने हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। इसके कार्य समूहों और इसकी बैठकों में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जिला योजना समिति को मसौदा विकास योजना तैयार करनी चाहिए, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक होगी।

योजना में निम्नलिखित आरेख में व्यवस्थित रूप से रेखांकित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए :

रेखाचित्र 14: जिला योजना समिति द्वारा को मसौदा विकास योजना तैयार करना

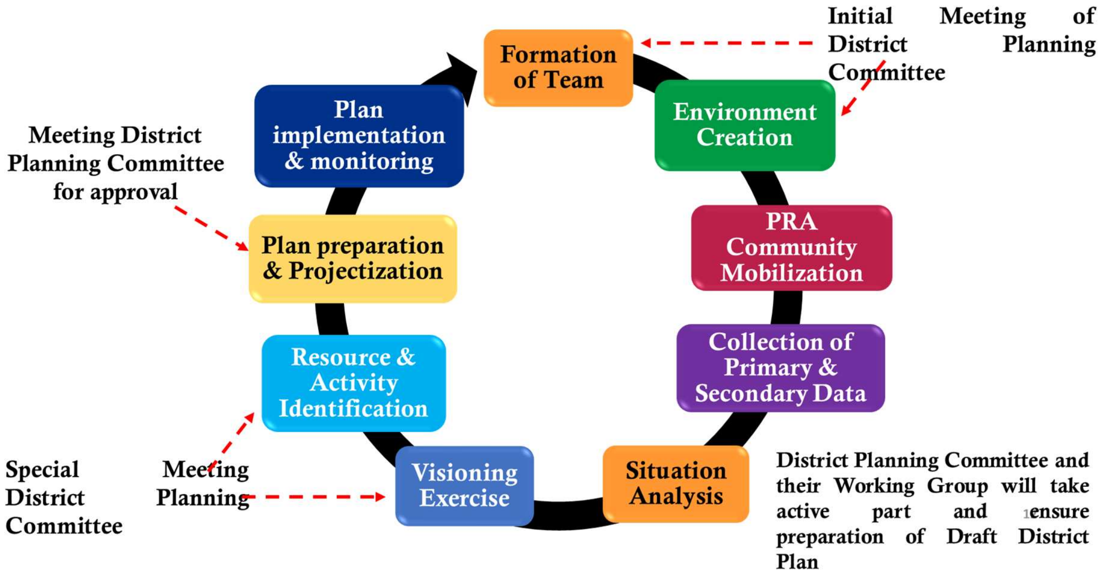

कई राज्यों में जिला योजना समिति का गठन किया गया है और उनमें से ज्यादातर योजना बना रहे हैं, जिसमें गुणवत्ता और मात्रा के मामले में पर्याप्त सुधार की जरूरत है। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 243जैड के तहत मसौदा विकास योजना तैयार करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श से एक व्यापक रूपरेखा बनाने की आवश्यकता है। कार्यसंरचना में अन्य के साथ साथ संविधान की क्रमशः ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में ग्रामीण और नगरपालिका क्षेत्र में समेकित विकास प्रणाली शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा योजना में स्थानिक योजना, पानी तथा अन्य भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का बंटवारा, बुनियादी ढांचे का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कार्य संरचना

में प्राकृतिक संसाधन, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण का एकीकृत विकास सहित पंचायतों और नगरपालिकाओं के बीच एकसमान हित के मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा जिला योजना समिति के क्षमता निर्माण और उनके लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापक नियोजन के लिए अभियान शुरू किया जाना चाहिए, ताकि योजना के तहत राज्य योजना को इनपुट प्रदान किया जा सके ।

बॉक्स 9: केरल के त्रिशूर जिले में आयोजना में परिवर्तन

जनवरी 2018, के दौरान त्रिशूर जिला योजना समिति द्वारा साझा की गई विकास दृष्टि के आधार पर जिला पंचायत त्रिशूर ने कृषि, मृदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, की पहचान की। 2018-19 और 2019-20 के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र शैक्षिक मानकीकरण, बच्चों के अनुकूल, अलग-अलग आयु के अनुकूल कार्य थे। सभी क्षेत्रों में कार्य समूहों का पुनर्गठन किया गया जिनमें जिले के विषय विशेषज्ञों, अधिकारियों, स्वयंसेवकों और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को शामिल किया गया । जिला पंचायत ने चिकित्सा विश्वविद्यालय, किला, कृषि विश्वविद्यालय आदि से विशेषज्ञ सदस्य मनोनीत किए।

अपनी माँगों के लिए जिला पंचायत की ग्राम सभा बुलाई गई। ग्राम सभा में सदस्य के रूप में ग्राम पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष होते हैं।

सदस्यों को के रूप में बुलाया गया था। कार्य दलों द्वारा ड्राफ्ट परियोजनाएं तैयार की गईं जो राज्य सरकार द्वारा जारी योजना तैयार करने के दिशानिर्देशों पर आधारित थीं। विकास जिला पंचायत की संगोष्ठी बुलाई गई और उसमें मसौदा परियोजनाओं पर चर्चा की गई, संशोधन किए गए और अंतिम रूप दिया गया। योजना दस्तावेज अनुमोदन के लिए जिला पंचायत समिति को प्रस्तुत किया गया था और इसके आधार पर परियोजनाओं के तैयार किया गया औरमंजूरी के लिए जिला योजना समिति को प्रस्तुत किया।

जिला पंचायत त्रिशूर की मॉडल परियोजनाएँ

बाल हितैषी जिला हस्तक्षेप के हिस्से के रूप में, सामाजिक सुरक्षा कार्य समूह का पुनर्गठन किया गया1 इसमें केरल चिकित्सा विश्वविद्यालय, किला, जिले के अन्य प्रमुख सीबीओ और प्रमुख विशेषज्ञ एजेंसियों के विशेषज्ञ शामिल थे। जिला पंचायत क्षेत्र में 6423 विकलांग बच्चे हैं। उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जिला पंचायत निम्नलिखित परियोजनाओं के साथ सामने आई।

1. दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और सहायता व्यवस्था

छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग बच्चों की सूची जिले की 86 ग्राम पंचायतों से प्राप्त हुई । 2019-20 के दौरान, छात्रवृत्ति के रूप में । 1,95,25,000 रु खर्च किये गये थे और 2789 बच्चों को लाभ मिला। प्रत्येक दिव्यांग बच्चा वार्षिक शिक्षा छात्रवृत्ति के रूप से 28,000 रु पाने का पात्र है और इसमें प्रत्येक स्तर आनुपातिक रूप से हिस्सेदारी का योगदान करता है। यह परियोजना जिला पंचायत त्रिशूर , सभी 14 ब्लॉक पंचायतों और 86 ग्राम पंचायतों द्वारा संयुक्त रूप से लागू की गई है। यह एक चालू कार्यक्रम है।

2. बच्चों के लिए जिला विकलांग संसाधन केंद्र (शुभपथि)

आयोजना समिति के अध्यक्ष की हैसियत से जिला पंचायत अध्यक्ष ने 2018-19 में जिले में सभी स्थानीय सरकारों (86 जीपी , 14 ब्लॉक स्तरीय पंचायतों और 8 यूएलबी को पत्र लिख कर उन्हें जिले के दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए जिला पंचायत, त्रिशूर के नेतृत्व में जिले की सभी सरकारों की संयुक्त परियोजना के रूप में एक साझा योजना बनाने और लागू करने के लिए सहयोग करने का आग्रह किया ।

अध्याय 10

ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं का कार्यान्वयन और निगरानी

कुल मिलाकर सभी और बड़ी ग्राम पंचायतों ने अपने संबंधित क्षेत्र की ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के संबंध में आवश्यक सामान्य कौशल और क्षमता हासिल कर ली है हालाँकि, यह ब्लॉक पंचायत और कई राज्यों में जिला पंचायत के मामले में ऐसा नहीं भी हो सकता है। योजनाएं तैयार करने के अलावा व्यापक निगरानी प्रणाली द्वारा समर्थित कार्यान्वयन तंत्र होना भी महत्वपूर्ण है। हम जैसे ही पंचायतों के स्तरों में आगे बढ़ते हैं, यह अधिक जटिल हो जाता है। खंड विकास योजना (बीडीपी) और जिला विकास योजना की निगरानी और कार्यान्वयन में निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है

• सभी रिलीज और व्यय के लेनदेन के लिए आईपी और डीपी दवारा पीएफएमएस के उपयोग को अनिवार्य करना

• कार्यान्वयन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र बनाया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक विकास क्षेत्र के लिए नामित कार्यान्वयन अधिकारी शामिल हों ।

• निधि प्रवाह तंत्र का होना।

• लेखांकन और वित्त प्रबंधन प्रणाली का होना

• निगरानी योजना तैयार करने की प्रक्रिया के साथ ही कार्यान्वयन और जांच करना

• पंचायतों के कार्यों / गतिविधियों के लिए अंतर्निहित गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं के साथ सोशल आडिट तंत्र को मजबूत करना।

• फंड के साथ बनाई गई सभी संपत्तियों की जियो-टैगिंग और एक ही पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शन।

• निधियों के व्यय के आउटपुट को नागरिकों के जीवन स्तर से संबंधित कारकों के अंतिम परिणाम के साथ सह संबंध।

• राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर समीक्षा, निगरानी और सलाह ।

राज्य स्तर पर उच्चाधिकार समिति (ईसी) **(अनुबंध IV)** का गठन किया गया ताकि जीपीडीपी को आवश्यक समर्थन दिया जा सके । चुनाव आयोग के पास सभी परिचालन मुद्दों को हल करने और सभी हितधारकों को उचित निर्देश जारी करने का के अधिकार हैं। चुनाव आयोग, जिला और खंड स्तरीय एसडीजी लक्ष्य और प्रगति की निगरानी के जरिए के रूप में संकेतक ढांचे का इस्तेमाल कर सकता है।

10.1 जिला विकास योजना के लिए जिला स्तर पर समन्वय समिति

राज्य सरकार जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन कर सकती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष /संबंधित विभाग जिला स्तरीय अधिकारी/ जिला योजना अधिकारी के / जिला सांख्यिकी अधिकारी, और सदस्य के रूप में शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल कर सकती है। राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना है। जिला स्तर समिति को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक आईपी और डीपी में खंड विकास योजन और जिला विकास योजना समयबद्ध तरीके से बनाई जाए। जिला विकास योजना के लिए जिला समन्वय समिति के कार्य को इस कार्य संरचना के **अनुलग्नक - V** में विस्तार से दिय गया है। समिति समयबद्ध तरीके से डीडीपी के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, वे व्यापक निगरानी भी करेंगे।

10.2 ब्लॉक विकास योजना के लिए ब्लॉक स्तर पर समन्वय समिति

इसी तरह, राज्य एक ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति का भी गठन कर सकता है जिसमें ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष / खंड विकास अधिकारी या अध्यक्ष के रूप में समकक्ष के साथ, संबंधित विभागों के ब्लॉक स्तर के अधिकारियों और सदस्यों के रूप में चयनित जीपी सरपंचों को शामिल किया जा सकता है। ब्लॉक विकास योजना के लिए समिति का कार्य इस ढांचे के अनुलग्नक -VI में दिया गया है समिति ,ब्लॉक स्तर पर अंतर विभागीय समन्वय और खंड विकास योजना का कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करेगी। वे जिला स्तर पर समन्वय समिति के साथ भी समन्वय करेगी।

10.3 समुदाय आधारित निगरानी

ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाएगी। राज्य स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति और इसके बाद जिला समन्वय समिति और ब्लॉक स्तर की समन्वय समिति होती है । व्यक्तिगत परियोजना के लिए, परियोजना विशेष के कार्यान्वयन अधिकारी को छोड़कर खंडीय कार्यकारी समूह को निगरानी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालाँकि, ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना दोनों में समुदाय आधारित निगरानी महत्वपूर्ण हो जाती है। जीपीडीपी के मामले में,समुदाय आधारित निगरानी कम जटिल है क्योंकि लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी से यह लोगों के ज्यादा निकट होती है ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना के मामले में, यह अधिकजटिल हो जाती है। ब्लॉक स्तर और जिला स्तर की समन्वय समिति का समर्थन करने के लिए एक समुदाय आधारित निगरानी समूह बनाया जा सकता है। इसमें स्व सहायता समूहों , किसान समूहों , उद्‌यमी समूहों जैसे हितधारक समूहों और उन्नत भारत अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल किए जा सकते हैं । समुदाय आधारित निगरानी निम्नलिखित तरीके से की जा सकती है:

• राज्य / जिले स्तरों पर, चिन्हित अधिकारियों और गुणवत्ता मॉनिटर्स द्वारा फील्ड निगरानी

• आईटी आधारित निगरानी मे जीओ-टैग सहित, परिसंपत्तियों की टाइम स्टैंप्ड तस्वीरें

• सक्रिय प्रकटीकरण प्रणाली को भी उपयुक्त प्रारूपों में रखा जा सकता है।

• ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना की तैयारी और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर के निगरानी

• स्वतंत्र मूल्यांकन।

• वास्वविक प्रगति, वित्तीय प्रगति और, परियोजना (कार्य) - वार अपेक्षित परिणाम पर निर्धारित प्रारूप में मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर)आईपी और डीपी द्वारा तैयार किए जाने और पर्यवेक्षी अधिकारियों के साथ साझा किए जाने की आवश्यकता है ।

• सोशल आडिट यह सुनिश्चित करने के माध्यम के रूप में कि कार्यक्रम और कार्यकर्त्ता समुदाय के प्रति जवाबदेह हैं।

• संबंधित क्षेत्रीय विभागों की ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर निगरानी।

10.4 ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं के लिए सामाजिक जवाबदेही

सामाजिक जवाबदेही और पंचायतें: सामाजिक जवाबदेही तंत्र, बेहतर सेवा वितरण और नागरिक सशक्तिकरण के जरिए बेहतर प्रशासन में योगदान, विकास प्रभावशीलता में वृद्धि सुनिश्चित करने का तरीका है। नागरिक चार्टर, नागरिक रिपोर्ट कार्ड, लिंग उत्तरदायी बजट, भागीदारी योजना, सोशल आडिट, दीवार पेंटिंग, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक सुनवाई सहित सामाजिक जवाबदेही के कई तरीके है। इन सबका इस्तेमाल ब्लॉक विकास योजना और

जिला विकास योजना के लिए किया जा सकता है। इनके अलावा सामाजिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जा सकता है:

• ब्लॉक सभा और जिला सभा की बैठकों (ग्राम सभा के समान अभिकल्पित) में महिलाओं और हाशिए के समुदायों के सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए।

• सभी हितधारक बैठकों में महिलाओं और हाशिए के समुदायों के सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए।

• सभी खंडीय कायर्कारी समूहों में महिलाओं और हाशिए के समुदायों के सदस्यों की भागीदारी होनी चाहिए।

• सभी बैठकों को प्रलेखित किया जाना चाहिए। ये रिकॉर्ड किए गए मिनट और रिपोर्टें जनता के देखने के लिए पंचायत कार्यालयों में उपलब्ध होनी चाहिएं ।

• ब्लॉक विकास योजना और जिला विकास योजना की तैयारी में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज होने चाहिए और इन्हें जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

• प्रत्येक आईपी और डीपी कार्यालयों, कार्यस्थल और गांवों में सामान्य स्थानों पर सार्वजनिक सूचना बोर्ड होना चाहिए और इन पर संसाधन आवंटन, लक्ष्य पर प्रगति, निगरानी और एसडीजी की समयसीमा और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए ।

• दीवार चित्रों के माध्यम से सक्रिय प्रकटीकरण और पंचायतों को मिले के धन के उपयोग के लिए पीएफएमएस और इस प्रकार का एप्लीकेशन होना चाहिए जो सबके के लिए सुलभ हो ।

• पंचायत की गतिविधियों, फ्लैगशिप कार्यक्रमों और सरकार की योजनाओं का नियमित रूप से सामाजिक और लिंग लेखा परीक्षण होना चाहिए।

• पंचायतों का प्रदर्शन मूल्यांकन समय-समय पर आयोजित किया जाना चाहिए। महिला पुरुष समानता के लिए उत्तरदायित्व और सहभागितापूर्ण तथा

सतत सामाजिक समावेशी विकास योजनाएं बनाई और कार्यान्वित की जानी चाहिएं ।

10.4.1 ब्लॉक और जिला विकास योजनाओं के लिए सोशल ऑडिट

सोशल ऑडिट की प्रक्रिया लोगों की भागीदारी और निगरानी को ऑडिट अनुशासन की आवश्यकताओं से जोड़ती है । चूंकि एजेंसी खुद इसका ऑडिट नहीं कर सकते; इसलिए इसमें लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। एक स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा संगठन द्वारा प्रदान किए गए समर्थन और नागरिक समाज समूह की सहायता से ऑडिट प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाय जा सकता है। सोशल ऑडिट प्रक्रिया तथ्यों का पता लगाने की प्रक्रिया है, दोष खोजने की नहीं। इसके लिए, पहले से प्रस्तावित समुदाय आधारित मॉनिटरिंग ग्रुप सोशल ऑडिट का काम सौंपा जा सकता है। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- चयनित सामाजिक कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति को पहचानना और समझना
- निष्कर्षों की तुलना परिचालन दिशानिर्देशों में दिए गए मानदंडों के साथ करना
- जनसुनवाई के माध्यम से स्थानीय समुदाय द्वारा निष्कर्षों का सत्यापन
- स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा निष्कर्षों का सत्यापन
- निष्कर्षों के आधार पर सोशल आडिट रिपोर्ट तैयार करना
- ब्लॉक सभा में सोशल आडिट रिपोर्ट का अनिवार्य सत्यापन
- जनसुनवाई के निर्णयों पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पर सार्वजनिक सुनवाई
- एमआईएस और आईपी कार्यालय में कार्रवाई की सार्वजनिक प्रदर्शन रिपोर्ट।

अध्याय 11

ई-ग्राम स्वराज और जीआईएस के माध्यम से ब्लॉक और जिला विकास योजना

पंचायतें, ग्रामीण आबादी का प्रारंभिक इंटरफ़ेस और शासन / प्रशासनिक संरचना, होने के कारण सरकारी तंत्र के सबसे निचले पायदान पर हैं, जो जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर आईसीटी संस्कृति को प्रेरित कर सकती हैं। सूचना को साझा करना और सेवाओं के वितरण में सहायक नई तकनीकों से लाभ उठाने में ग्रामीण आबादी के बडे वर्गों को सक्षम करने की दृष्टि से पंचायती राज मंत्रालय ने देश की सभी पंचायतों को मिशन मोड में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाने के लिए एक योजना तैयार की है। पंचायतें, बड़ी संख्या में योजनाओं और सेवाओं के कार्यान्वयन और नियोजन के लिए मूल इकाई होने के कारण ई-पंचायत कार्यक्रम बेहतर परिणामों के साथ सार्वजनिक सेवा वितरण सहित शासन में सुधार में लंबा रास्ता तय करेगा।

भारत सरकार के सभी विकास कार्यक्रमों में पंचायतों की 'केंद्रीयता' को अब अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। ई-पंचायत का लक्ष्य पंचायती राज संस्थाओं को विकेन्द्रीकृत स्वशासी संस्थाओं के रूप में और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाकर उनके कामकाज में पूरी तरह बदलाव लाना है । ग्रामीण भारत, को बदलने और सशक्त बनाने के लिए और amp के लिए डिजिटल पंचायतों में प्रवेश करने के लिए एक दृष्टि; ई-ग्राम SWARAJ (https://egramswaraj.gov.in/), पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन और प्रभावी निगरानी के लिए एक एकीकृत माध्यम है।

माननीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर इसकी शुरुआत की थी । यह एप्लीकेशन पंचायत की जानकारी हासिल करने

के लिए एकल इंटरफ़ेस प्रदान कर पंचायत गतिविधियों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग में सुधार करता है।

ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन ग्राम पंचायत की संपूर्ण प्रोफ़ाइल के साथ एकल विंडो प्रदान करता है। इस प्रोफाइल में सरपंच तथा पंचायत सचिव का विवरण, पंचायत का जनसांख्यिकीय विवरण, पंचायत वित्त, संपत्ति का विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से की गई गतिविधियों, अन्य मंत्रालयों / विभागों से पंचायत जानकारीका विवरण जैसे कि जनगणना 2011, एसईसीसी डेटा,मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि।

रेखाचित्र 15: ई-ग्राम स्वराज की बनावट

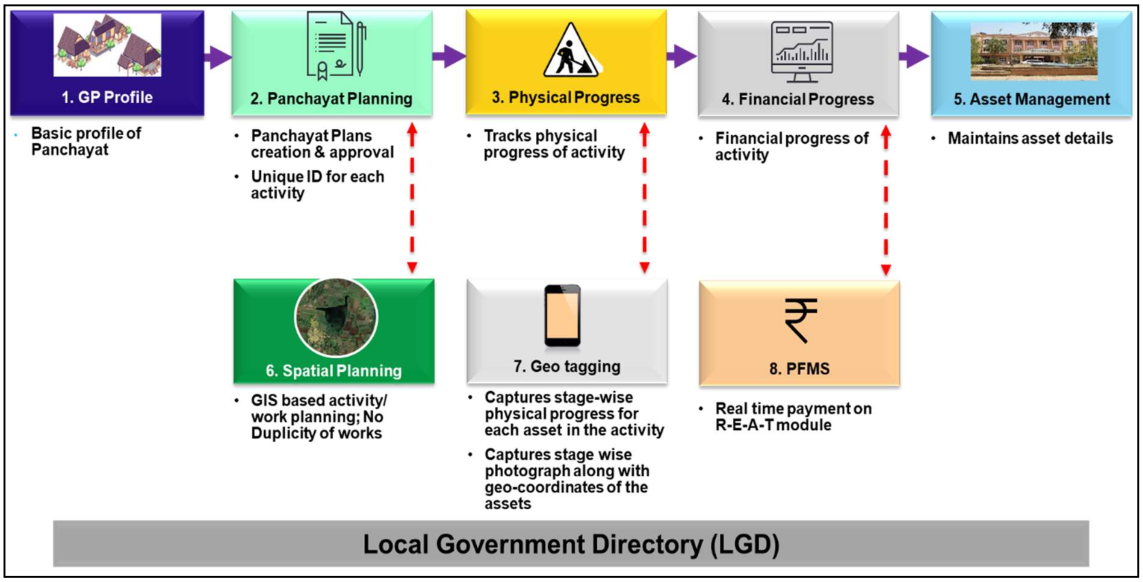

(ई-ग्राम स्वराज) एप्लीकेशन योजना प्रक्रिया को मजबूत और विकेंद्रीकृत करता है ताकि योजनाओं पर खर्च की जाने वाली विकास निधि के प्रभावी परिणाम मिल सकें ।

11.1 ई-ग्राम स्वराज के माध्यम से ब्लॉक और जिला विकास योजना

योजना कार्य, ग्राम सभाओं / वार्ड सभाओं में नागरिकों की ओर से बताए गए सुझावों / जरूरतों / अपेक्षाओं के साथ शुरू होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत गतिविधियों की पहचान करती है या सुझाव को शामिल करती है और इस पर काम करने के लिए सौंप सकती है। मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण पंचायतों के सभी तीन स्तरों पर योजना तैयार करने के लिए आधारभूत डेटा प्रदान करेगा। गतिविधियों की पहचान हो जाने के बाद, ग्राम पंचायत, ग्राम योजना विकास योजना तैयार करने की वार्षिक कवायद करेगी । इसमें उन सभी गतिविधियों को सूचीबद्ध करना जिन्हें प्राथमिकता देते हुए उसी वित्त वर्ष में किया जाना है, ग्राम योजना विकास योजना में की गई गतिविधियों को एमए सर्वेक्षण में पहचाने गए अंतराल से जोडना और इन गतिविधियों के निधिकरण के लिए विभिन्न संसाधनों (योजनाओं) की पहचान करना शामिल है। ई-ग्राम स्वराज योजना मॉड्यूल गतिविधि के लिए, विभिन्न योजनाओं से धन के विवेकपूर्ण अभिसरण को सक्षम करेगा। इस तरह एक ओर यह सुनिश्चित करना कि उपलब्ध धन का उपयोग अधिकतम संभव सीमा तक किया जाता है, और दूसरी ओर यह कि धन की कमी के कारण महत्वपूर्ण गतिविधियाँ छोड़ी न जाएं।

उच्च स्तर की पंचायतों के कई फायदे हैं जो उन्हें और अधिक सक्षम बनाते हैं जिससे वे अपने नीचे की पंचायतों की तुलना में अधिक कुशलता से काम कर सकती है। इसलिए, ब्लॉक स्तरीय पंचायतों की योजनाओं की स्पष्ट दृष्टि होनी चाहिए और इसी तरह जिला पंचायतों को अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले ग्राम पंचायतों की और ब्लॉक स्तरीय पंचायतों योजनाओं के अनुमोदन पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

क) ब्लॉक स्तरीय पंचायत ग्राम योजना विकास योजना की समीक्षा करेगी ताकि उन गतिविधियों की पहचान की जा सके जिन्हें यदि ब्लॉक स्तरीय पंचायत को सौंपा जाए और उनमें शामिल किया जाए तो उनका कार्यान्वयन बेहतर होगा।

ख) जिला पंचायत उन गतिविधियों की पहचान करने के लिए आईपीडीपी की समीक्षा करेगी जिन्हें यदि जिला पंचायत को सौंपा जाए और उनमें शामिल किया जाए तो उनका कार्यान्वयन बेहतर होगा।

विभिन्न योजनाओं से धन आवंटन से पहले एक बार जिला / ब्लॉक पंचायत ने प्रस्तावित गतिविधियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया तो वे तकनीकी मूल्यांकन के लिए योजना को आगे बढ़ा सकते हैं सिस्टम जांच के लिए स्वचालित रूप से योजना को तकनीकी मूल्यांकन समूह उपयोगकर्ता को भेजेगा। तकनीकी मूल्यांकन समूह, योजना की छानबीन करेगा, उनकी सहायता करेगा, टिप्पणी देगा और वह योजना को समीक्षा के लिए योजना इकाई (पंचायत) को वापस भेज सकता है या यदि सभी कार्यों को मंजूरी दे दी जाती है तो योजना को स्वचालित रूप से प्रशासनिक मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। योजना निर्माण से शुरू होकर तकनीकी छानबीन/ प्रशासनिक स्वीकृति और जिला सभा द्वारा अंतिम अनुमोदन तक की समूची कार्य प्रक्रिया रेखाचित्र 14 में दर्शाई गई है।

ई-ग्राम स्वराज योजना मॉड्यूल निम्नलिखित वर्गों का गठन करेगा:

i आवश्यक विशिष्टता: विभिन्न गतिविधियों (स्थान, प्रस्तावित लागत, प्रस्तावित अवधि और संपत्ति / लाभार्थी) पर जानकारी हासिल करता है।

ii संसाधन स्रोत: पंचायत के पास उपलब्ध संसाधन स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल करता है। इस मॉड्यूल के लिए जानकारी प्रदान करने वाले हितधारक केंद्र / राज्य सरकार / पंचायत हैं।

रेखाचित्र 16: योजना कार्यप्रवाह

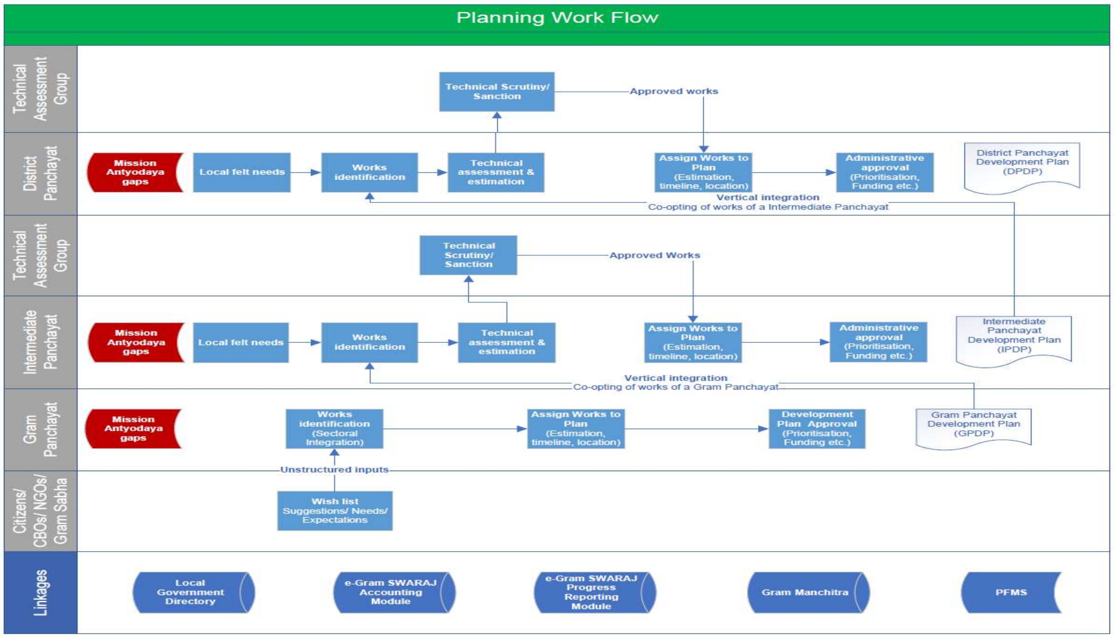

i. **योजना:** वार्षिक योजना सृजन, कार्यों की प्राथमिकता हेतु संसाधनों का आवंटन। योजना को अंतिम रूप देने से पहले इसे तकनीकि और प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरना होगा। पूरी कार्यसारिणी में योजना सृजन से लेकर तकनीकि परीक्षण/ प्रशासनिक स्वीकृति और अंतिम स्वीकृति शामिल होगी।

11.2 ई-ग्राम स्वराज ऑनलाइन भुगतान मॉडल

केंद्रीय वित्त आयोग के अंतर्गत स्थान आधारित आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों के लिए बड़े पीआरआई निधि का विकास किया जा रहा है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि एफ़एफ़सी के अंतर्गत जीपी के लिए जारी किए जाने वाले धन का और होने वाले खर्चों का लेखा जोखा और निगरानी जीपी द्वारा रखी

जाए। एमओपीआर डिजिटल तकनीकी अपनाने को प्रयासरत है ताकि सरकारी और गैर सरकारी लोक सेवाओं के अनुभव को बेहतर किया जा सके। इस संदर्भ में एमओपीआर ने पंचायतों को होने वाले भुगतान को ऑनलाइन माध्यम से करने की एक पहल शुरू की है। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करने का फैसला किया गया है कि सेवा प्रदाताओं/ठेका एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए पंचायतें तत्काल भुगतान करें।

इस विचार को मूर्त रूप देने के लिए ई-ग्राम स्वराज के लेखा मॉड्यूल और लोक वित्त प्रबंधन तंत्र पीएफएमएस के बीच एकीकरण किया गया है।

(i) ई-ग्राम स्वराज के लेखा मॉड्यूल: ई-ग्राम स्वराज के लेखा अप्लीकेशन के अंतर्गत एक लेखा एमआईएस होगा जिससे पंचायतें खर्चों और कार्यों संबंधी वाउचर देख सकेंगी। इस लेखा मॉड्यूल में नक़दी की दो बार एंट्री होगी जो सीएजी ओ/ए द्वारा निर्धारित मॉडल लेखा प्रणाली पर आधारित होगी।

(ii) पीएफ़एमएस: पीएफ़एमएस एक सामान्य धन प्रबंधन और ऑनलाइन लेनदेन प्रणाली है और केंद्रीय तथा राजकीय योजनाओं एवं भारत सरकार के एफ़एफ़सी के लिए एमआईएस व्यवस्था है। पीएफ़एमएस एक ऐसी परिकल्पना है जिसके मध्य से भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न स्तरों की ट्रैकिंग की जा सकती है। पीएफ़एमएस, ई-ग्राम स्वराज लेखा मॉड्यूल के बराबर ही एक मॉड्यूल है।

दो एमआईएस/एप्लीकेशन के एकीकरण से पंचायतों में वित्तीय प्रबंधन तंत्र बेहतर होगा और इससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी। यह व्यवस्था भारत के डिजिटल भारत कार्यक्रम के अनुरूप है। इसके अंतर्गत भारत को डिजिटल सशक्त समाज के रूप में परिवर्तित करना और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। जिसे फेसलेस, पेपरलेस, कैशलेश कहा जाता है। ई-ग्राम स्वराज के लेखा मॉड्यूल-पीएफ़एमएस अपनी तरह का एक विशिष्ट भुगतान मंच है जहां पंचायतें सेवा प्रदाताओं और ठेकेदारों को उनके द्वारा किए गए कार्यों का रियल टाइम भुगतान कर सकती हैं।

रेखाचित्र 17: ऑनलाइन भुगतान मॉड्यूल का कार्यप्रवाह

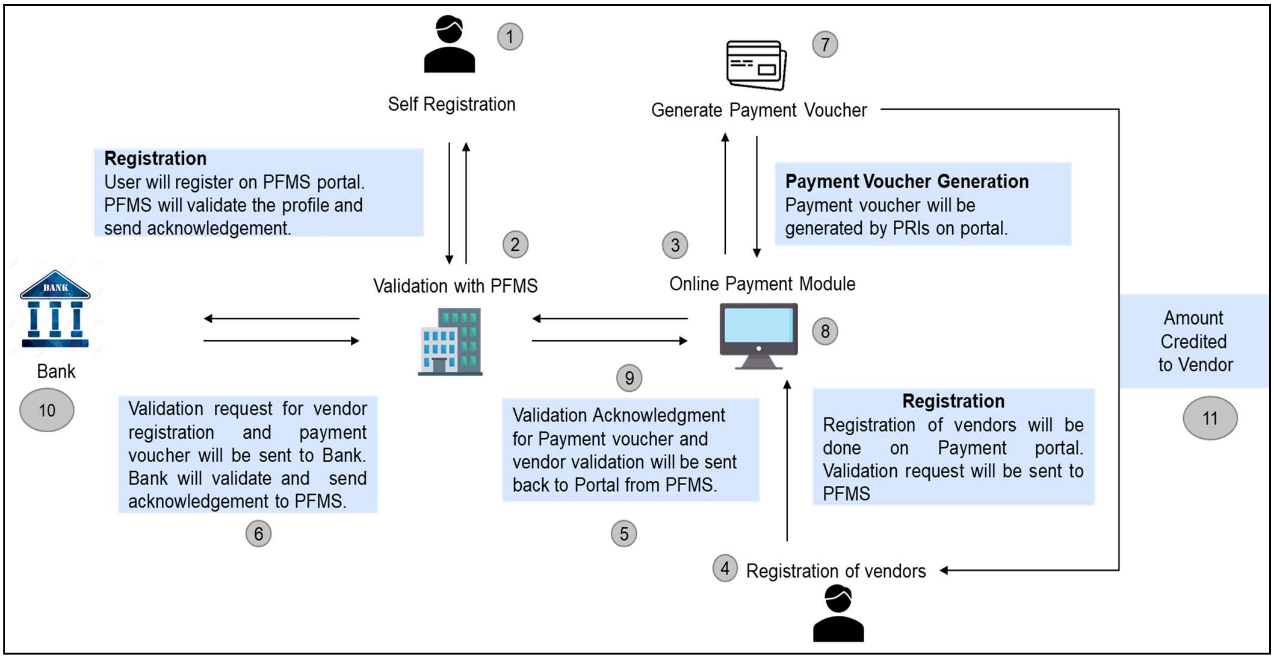

ई-ग्राम स्वराज के लेखा मॉड्यूल-पीएफ़एमएस व्यवस्था के लिए पहली शर्त

i. **डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) नामांकन:** सभी पीआरआई को अपने संबन्धित निर्माता और जांचकर्ता के डीएससी ई-ग्राम स्वराज लेखा मॉड्यूल के लिए पंजीकृत कराना होगा और संबद्ध उच्च प्राधिकरण द्वारा उसे अनुमोदित करना होगा।

ii. **डीएससी विनिर्देश:** निर्माता और जांचकर्ता के लिए हस्ताक्षर और एंक्रिप्शन सुविधा सहित ग्रेड-2 का डीएससी हासिल करना होगा।

iii. **मान्यता अनुक्रम:**

a. आरएलबी में डीएससी के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित अनुक्रम का अनुसरण किया जाना अनिवार्य है।

पीआरआई	**निर्माता व जांचकर्ता**	**स्वीकृति अनुक्रम**
जीपी	निर्माता - पंचायत सचिव जांचकर्ता - सरपंच	जीपी (निर्माता व जांचकर्ता) > खंड (खंड विकास अधिकारी) > ज़िला (ज़िला पंचायत अधिकारी) > राज्य (निदेशालय).
बीपी	निर्माता - बीपी सचिव जांचकर्ता - बीपी अध्यक्ष	बीपी (निर्माता व जांचकर्ता) > ज़िला (ज़िला पंचायत अधिकारी) > राज्य (निदेशालय).
ज़ेडपी	निर्माता - ज़ेडपी सीईओ जांचकर्ता - ज़ेडपी अध्यक्ष	ज़ेडपी (निर्माता व जांचकर्ता) > राज्य (निदेशालय)

b. टीएलबी में डीएससी की मंजूरी के लिए निम्नलिखित अनुक्रम का अनुपालन होना चाहिए

टीएलबी	निर्माता व जांचकर्ता	स्वीकृति अनुक्रम
गाँव समितियां	निर्माता - सचिव/ अधिकारी जांचकर्ता - अध्यक्ष	राज्य के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए
खंड सलाहकार समित	निर्माता - सचिव/ अधिकारी जांचकर्ता - अध्यक्ष	
स्वायत्त ज़िला परिषद	निर्माता - सचिव/ अधिकारी जांचकर्ता - अध्यक्ष	

iv. **ई-ग्राम स्वराज पर लेखा बुकिंग पहल:** योजना केवल निर्माता के लॉगिन पर दिखेगा। सभी पीआरआई को ई-ग्राम स्वराज पर अकाउंट बुक शुरू करनी होगी और 2020-21 के लिए दैनिक विवरणिका एवं मासिक विवरणिका के साथ खाता मेंटेन रखना होगा।

v. **बैंक खाता:** यह सुनिश्चित करना होगा कि 15वें वित्त आयोग के लिए पंचायतों के बैंक खाते ऐसे पीएफ़एमएस एकीकृत बैंक खातों में हों जहां डीएससी आधारित भुगतान व्यवस्था हो। डीएससी आधारित भुगतान व्यवस्था वाले कुल 133 बैंक हैं।

vi. **मासिक आधार पर खातों का मिलान:** एडमिन लॉगिन के द्वारा संबन्धित ज़ेडपी, बीपी और जीपी के निर्माता दावरा मासिक आधार पर खातों का मिलन करना होगा।

ऐसे वित्तीय प्रबंधन तंत्र के द्वारा न सिर्फ पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे पंचायती राज संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी और छवि सुधार होगा।

11.3 खंड एवं ज़िला विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जीआईएस सपोर्ट

इस उद्यम में जीआईएस आधारित टूल होंगे जिसमें डाटा बेस का डिज़ाइन और सृजन तथा उसका एकीकरण ताकि योजनाओं और प्रबंधन को आसान बनाया जा सके, लोगों की आवश्यकता और प्राथमिकता के साथ एकीकरण किया जा सके, मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें, जीविकोपार्जन के मार्ग प्रसस्थ हो सकें और संसाधनों का रचनात्मक इस्तेमाल हो सके।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ग्राम मानचित्र एप्लिकेशन द्वारा अन्तरिक्ष से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विभिन्न स्थितियों के एकीकरण के साथ-साथ एरिया प्रोफ़ाइल रिपोर्ट जेनरेशन, एसेट मैपिंग, गतिविधियों की योजना एवं क्रियान्वयन-प्रभावी विकास योजनाओं पर निगरानी की जा सकती है।

रेखाचित्र 18 : ग्राम मानचित्र का स्क्रीनशॉट

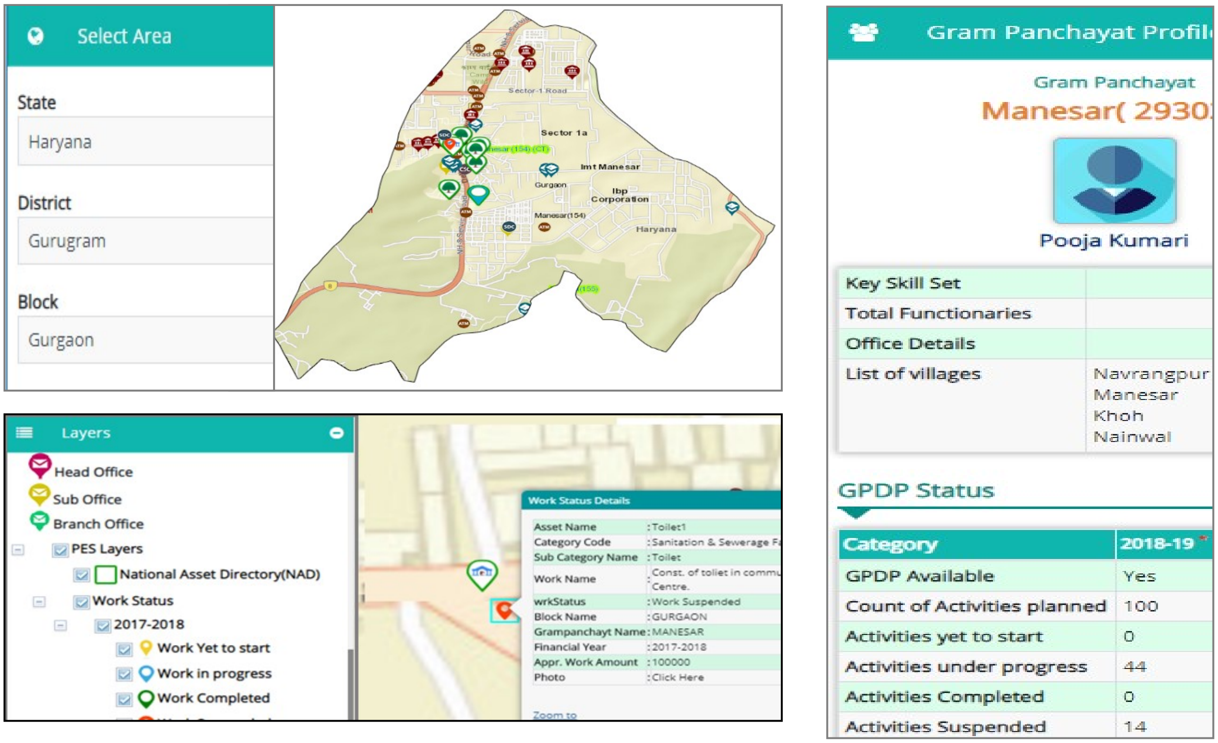

ग्राम मानचित्र के द्वारा स्वस्थ्य, शिक्षा और जनसंख्या इत्यादि मापदण्डों पर (ग्राम पंचायत मैप, खंड पंचायत मैप, ज़िला पंचायत मैप) जीआईएस मैप देखने के अवसर होंगे। इससे किसी इकाई में में विकास कार्यों और योजनाओं को देखने-समझने में मदद मिलेगी। जैसा कि चैप्टर 5 के डायग्राम 10 में दर्शाया गया है, जीआईएस आईपी और डीपी को यह निर्णय करने में मदद कर सकती है कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस क्षेत्र में कौन से कार्य को कराये जाने की आवश्यकता है।

जीआईएस की मदद से योजना बनाने, क्रियान्वयन और प्रचालन में में पारदर्शिता आएगी। यह चालू परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी उपलब्ध करता है।

i. बेस मैप पर प्रदर्शित करने के लिए जीआईएस में इकठ्ठा किए जाने वाला डाटा की जियो टैगिंग/ जियो रेफ्रेंसिंग से इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और इसका सटीक विश्लेषण करने में मदद मिलती है।
ii. जन सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान।
iii. सभी स्वीकृत कार्यों को उनकी सभी विशेषताओं के साथ मैप पर दर्शाना
iv. पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों को दर्शाना, जैसे:

- पंचायत में चिन्हित कार्यों के लिए में क्रियान्वित की जा रही गतिविधियां

- पंचायत में जारी कार्यों की वास्तविक प्रगति और हुए खर्चों के तुलनात्मक विश्लेषण इत्यादि।
- पैसों के उपयोग का रुझान।

v. सड़कों, स्कूलों, हैंड पंप इत्यादि बुनियादी ढांचा से जुड़ी सम्पत्तियों का प्रबंधन।

vi. विभिन्न स्तरों पर गतिविधियों की निगरानी और परीक्षण का सपोर्ट सिस्टम। यह प्रभावी बेहतर योजना में मददगार हो सकता है।

- अधिग्रहीत भूमि विश्लेषण
- स्वस्थ्य सेवाओं का विश्लेषण
- सामाजिक स्तर और पात्रता विश्लेषण
- शिक्षा विश्लेषण
- उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विश्लेषण

vii. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

- कृषि भूमि का विस्तार
- खाली पड़ी भूमि
- जल विभाजन
- भूगर्भ जल क्षमता
- जल स्रोत प्रबंधन योजना

संदर्भ

- **अब्दुल** नाजिर साब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, कर्नाटक सरकार (एएनएसएसआईआरडी). 2012, एक्टीविटी मैपिंग फॉर पीआरआईज- द कर्नाटक एक्सपीरियंस, एएनएसएसआईआरडी, मैसूर, कर्नाटक
- **बोस,** सुमित 2017. परफोरमेंस बेस्ड पेमेंट्स कमिटी फॉर बेटर आउटकम्स इन रूरल डेवलवमेंट प्रोग्राम्स- रिरोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन नई दिल्ली, 110001.
- स्थानीय स्व शासन विभाग, 2020. नव केरल के लिए जन योजना अभियान : ग्राम, खंड और जिला पंचायतों द्वारा 13वीं पंचवर्षीय योजना की पहली वार्षिक योजना (2017-18) की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश। स्थानीय स्व शासन विभाग, केरल सरकार, तिरूवनंतपुरम, केरल.
- पंचायती राज मंत्रालयस भारत सरकार (एमओपीआर 2007). पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश भवन, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110001.
- एमओपीआर 2014. राष्ट्रीय क्षमता निर्माण रूपरेखा, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश भवन, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110001.
- एमओपीआर 2015. ग्राम पंचायत स्तर की विकास योजनाओं की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश भवन, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110001.

- एमओपीआर 2018. ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश भवन, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110001.
- एमओपीआर और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार (एमओआरडी) 2018. **सबकी योजना, सबका विकास जन योजना अभियान**, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश भवन, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110001.
- एमओपीआर और एमओआरडी 2019. भारत सरकार **ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी के लिए जनयोजना अभियान-सबकी योजना, सबका विकास**, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश भवन, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110001.
- एमओआरडी 2019. **5वां साझा समीक्षा मिशन**, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001
- एमओपीआर 2020. **मध्यवर्ती और जिला पंचायत योजना की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश** पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश भवन, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110001.
- एमओपीआर 2020. **जिला योजनाओं की प्रक्रिया और विषय की समीक्षा** पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (एमओपीआर), 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश भवन, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110001.
- योजना आयोग 2008 **एकीकृत जिला आयोजना नियमावली,** योजना आयोग, भारत सरकार, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001.

- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेस. 2016. **डेवोल्यूशन रिपोर्ट व्हेयर लोकल डेमोक्रेसी एंड डेवोल्यूशन इन इंडिया इज हीडिंग टूवर्डस,** पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, 11वीं मंजिल, जीवन प्रकाश भवन, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली 110001.

अनुलग्नक-1

जिला और खंड विकास योजनाओं की तैयारी की रूपरेखा तय करने के लिए समीति के गठन संबंधी पंचायती आज मंत्रालय का आदेश

107870/2020/CB

M-11015/139/2020-CB
Government of India
Ministry of Panchayati Raj

11th Floor, Jeevan Prakash Building,
K. G. Marg, New Delhi
Dated : 27th July, 2020

Subject: Constitution of Committee for preparing Framework for Preparation of District and Block Development Plans.

In view of devolution of XV FC grants to all the tiers of Rural Local Bodies (RLBs)/ Traditional Local Bodies (TLBs), a need is felt to prepare Framework for Preparation of District and Block Development Plans. Hence, it has been decided with the approval of Competent Authority of the Ministry to constitute a Committee for **preparing Framework for Preparation of District and Block Development Plans** as per the **following composition:**

i)	Dr. Bala Prasad Ex Special Secretary, Ministry of Panchayati Raj	Chairman
ii)	Joint Secretary of Ministry of Rural Development	Member
iii)	Joint Secretary in Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmer's Welfare	Member
iv)	Joint Secretary FD in Ministry of Panchayati Raj	Member
v)	Representative of NIRD&PR	Member
vi)	Director (KILA)	Member
vii)	Director, SIRD (Guwahati) Assam	Member
viii)	Director SIRD (UP)	Member
ix)	Shri A.P. Nagar Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj	Member Secretary

The Committee may co-opt other official Members as per requirement.

2. The Terms of Reference of the above mentioned Committee will be as follows:-

a. Prepare Framework for Preparation of District and Block Development Plans in consonance with Constitutional provisions.
b. Committee may refer guidelines related to District Planning issued by this Ministry and other States/UTs
c. Committee may also refer the BRGF guidelines of MoPR and Manual for Integrated District Planning issued by the earstwhile Planning Commission.
d. Aligning of the issues/major focus areas mentioned in the Draft guidelines for preparation of Intermediate and District Panchayats Plans
e. As for as possible, the committee would convene meetings through Video Conference as travelling by members would be difficult due to prevailing Covid 19 pandemic.
f. The Committee would submit its report within 6 weeks from date of issue of this order.

3. The expenditure on TA/DA, journey etc. of Official members of the Committee will be met from the sources from which their pay and allowances are drawn.

4. Number of sittings, TA/DA and sitting fee to Non-official members shall be regulated and paid as per extant rules and guidelines of the Ministry of Finance. Separate order in this regard will follow.

5. In this connection, it may be ensured that in all cases of travel by Members of the Committee, where expenditure is to be borne by the Government, the Air journey is to be performed by Air India and booking of tickets be made directly from Airlines (at Booking counters / office / Website of Airlines) or from the three authorized Travel Agents viz. M/s Balmer Lawrie & Company Limited; M/s Ashok Travels & Tours and IRCTC only. However, in case of non-availability of authorized agent at a particular place, ticket may be booked from website of Airlines or web portal of Balmer & Lawrie & Company Ltd; M/s Ashok & Tours and IRCTC. No relaxation on account of ignorance / unawareness of these guidelines will be considered by this Ministry.

6. This issues with the approval of Hon'ble Minister of Panchayati Raj.

(S. S. Prasad)
Director to the Government of India
Tel. No. 23356126

Copy to:

1 Secretary, Ministry of Rural Development (with a request to nominate JS level officer)
2 Secretary, Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmer's Welfare (with a request to nominate JS level officer)
3 Director General, NIRD&PR, Rajendranagar, Hyderabad, Telanganaa
4 Director (KILA), Mulamkunnathukavu P O, Thrissur-68058, Kerala.
5 Director(SIRD), Guwahati, Assam
6 Director(SIRD), UP
7 Joint Secretary/FD , Ministry of Panchayati Raj
8 Mr Alok Prem Nagar Joint Secretary Ministry of Panchayati Raj
9 Sr. PPS to Secretary, Ministry of Panchayati Raj
10 Section Officer (i) Cash Section and (ii) General Section, Ministry of Panchayati Raj New Delhi.

(S. S. Prasad)
Director to the Government of India

अनुलग्नक II

अतिरिक्त सदस्यों के साथ समिति के गठन संबंधी आदेश

M-11015/139/2020-CB
Government of India
Ministry of Panchayati Raj

Jeevan Prakash Building, New Delhi
Dated : 4th August 2020

Subject: Constitution of Committee for preparing Framework for Preparation of District and Block Development Plans

In continuation of Ministry's order no. M-11015/139/2020-CB dated 27th July, 2020 (copy enclosed) on the above mentioned subject, it has been decided with the approval of competent authority to co-opt following additional members in the above mentioned committee with immediate effect :-

i)	Joint Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti	Member
ii)	Joint Secretary, Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare	Member
iii)	Joint Secretary, Ministry of Human Resource Development	Member
iv)	Joint Secretary, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises	Member
v)	Joint Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Member
vi)	Joint Secretary, Ministry of Food Processing Industries	Member
vii)	Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs	Member
viii)	Joint Secretary, Ministry of Ayush	Member
ix)	Director, Abdul Nazir Sab State Institute of Rural Development, Karnataka	Member
x)	Shri Dibyendu Das, Special Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Govt. of West Bengal	Member

2. The terms and conditions applicable in case of the above mentioned co-opted members shall be as indicated in the contents of the enclosed copy of order no. N-11019/139/2020-CB dated 27-07-2020.

3. This issues with the approval of Secretary, Ministry of Panchayati Raj.

(S. S. Prasad)
Director
Tel. No. 2335 6126

Copy to:

1. Secretary, Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti (with a request to nominate JS level officer)
2. Ministry of Ministry of Health and Family Welfare (with a request to nominate JS level officer)
3. Secretary, Ministry of Human Resource Development (with a request to nominate JS level officer)
4. Secretary, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (with a request to nominate JS level officer)

5 Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (with a request to nominate JS level officer)
6 Secretary, Ministry of Food Processing Industries (with a request to nominate JS level officer)
7 Secretary, Ministry of Tribal Affairs, (with a request to nominate JS level officer)
8 Secretary, Ministry of Ayush (with a request to nominate JS level officer)
9 Director, Abdul Nazir Sab State Institute of Rural Development, Karnataka
10 Shri Dibyendu Das, Special Secretary, Department of Panchayat & Rural Development, Govt. of West Bengal
11 Dr. Bala Prasad, Ex-Special Secretary, MoPR Chairman of the Committee
12 Joint Secretary (PPM), Ministry of Rural Development, Krishi Bhawan, New Delhi
13 Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi
14 Director General, NIRDPR, Rajendranagar
15 Director, KILA, Mulakunnathukavu P.O, Thrissur, Kerala
16 Director (SIRD), Lucknow, Uttar Pradesh
17 Director (SIRD), Assam
18 Shri K. S. Sethi, Joint Secretary (FD), MoPR
19 Shri Alok Prem Nagar, Joint Secretary (CB), MoPR
20 Sr. PPS to Secretary, Ministry of Panchayati Raj
21 Section Officer, (i) Cash Section and ii) General Section, MoPR, New Delhi

अनुलग्नक III

अंत्योदय सर्वेक्षण मिशन के लिए प्रश्नावली

Mission Antyodaya Survey Questionnaire: Part-A

Part A (110 parameters) covering 29 subjects are grouped under 4 broad classification and Part B (36 parameters)

Parameters			Current Max Score	Proposed Weightage	Revised Max Score	Source of Information
1	**Basic Parameters**	Assembly Constituency				Census/Panchayat Office
		If more than one AC, enter name of constituency				Census/Panchayat Office
2		Parliament Constituency				Census/Panchayat Office
3		Total Population				Census/Panchayat Office
4		Male				Census/Panchayat Office
5		Female				Census/Panchayat Office
6		Total Household				Census/Panchayat Office
7	**Agriculture.**	Number of households engaged majorly in Farm activities				Agri. Officer/ Village Administrative Officer
8		Number of households engaged majorly in Non-Farm activities				Agri. Officer/ Village Administrative Officer
		Availability of government seed centres (yes-1;No-2)				Agricultural Officer
9		*If not,nearest place where facility is available (<1km=1; 1-2km=2; 2-5 km=3, 5-10 km=4; >10 Km=5)*				Panchayat Secretary
10		Whether this village is a part of the Watershed Development Project (Yes-1;No-2)				CRP/Agri. Officer
11		Availability of Community Rain Water Harvesting System/Pond/Dam/Check Dam etc. (Yes-1;No-2)				CRP/ Agri. Officer
12		Does the village has any Farmers Collective				Agri. Officer

अनुलग्नक IV

राज्यस्तर पर अधिकार प्राप्त समिति की संरचना और कार्य

ए. अधिकार प्राप्त समिति की संरचना

क) मुख्यसचिव **/ विकास आयुक्त** - अध्यक्ष

ख) प्रभारी सचिव, पंचायती राज (संयोजक)

ग) निम्नलिखित विभागों के प्रभारी सचिव

1. वित्त
2. योजना
3. ग्रामीण विकास (यदि यह पंचायती राज का हिस्सा नहीं है)
4. अनुसूचित जाति विकास
5. अनुसूचित जनजाति विकास
6. महिला एवं बाल विकास
7. पीने का पानी और स्वच्छता
8. स्वास्थ्य
9. स्कूल शिक्षा
10. कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन
11. उद्योग
12. वन
13. जनसंपर्क
14. कौशल विकास (यदि एक अलग विभाग है)
15. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
16. जनजातीय विकास

घ) निदेशक, एसआईआरडी और पीआर

ड़) एनआईआरडी एवं पीआर के एसएलओ

च) राज्य में एनआईसी के प्रतिनिधि

छ) जीपीडीपी / बीडीपी / डीडीपी के लिए राज्य नोडल अधिकारी

ज) सलाहकार / विशेषज्ञ / अधिकारी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा तय किया जाए

झ) राज्य सरकार द्वारा नामित पांच ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष

ञ) दो जिला पंचायत और तीन मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष

समति के अध्यक्ष गैर आधिकारिक सदस्यों का चयन कर सकते हैं और अन्य सदस्यों को ले सकते हैं।

बी. अधिकार प्राप्त समिति के कार्य

क) जीपीडीपी/बीडीपी और डीडीपी के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं के विवरण सहित सरकारी आदेश/ प्रस्ताव तैयार करना

ख) सभी स्तरों पर अंतर विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना

ग) मानव संसाधन और सभी स्तरों पर तकनीकी सहयोग के विवरण सहित स्कीमों और संसाधनों के सामंजस्य पर निर्देश जारी करना

घ) प्रत्येक जीपी, आईपी और डीपी के लिए समन्वयक/अनुदेशक मनोनीत करना

ङ) मध्य योजनाक्रम में संशोधन और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्णय लेना

च) कार्यक्षेत्र में सामने आने वाले मुद्दों का समाधान और इस संबंध में विज्ञप्ति/स्पष्टीकरण जारी करना

छ) सभी संबंधित पक्षों की क्षमता निर्माण गतिविधियां सुनिश्चित करना और आवश्यक मार्गदर्शन देना

ज) समुचित प्रक्रिया की निगरानी और देखरेख

झ) जीपी, आईपी और डीपी स्तर के लक्ष्यों से संबंधित सतत विकास लक्ष्य रूपरेखा और पूर्व निर्धारित संकेतक को स्थानीय स्तर पर लागू करने सबंधी कार्य निष्पादन का आकलन।

ञ) संचालन संबंधी सभी गतिविधियों का निर्धारण

ट) सभी पक्षों को समुचित अनुदेश और निर्देश जारी करना

अनुलग्नक V

जिलास्तरीय समन्वय समिति के कार्य

I. चयनित सभी विभागों के फील्ड कार्यकर्ता विशेष ग्रामसभा में, महत्वपूर्ण संबंधित विभागों के प्रतिनिधि खंड सभा में और सभी संबंधित विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी जिला सभा में उपस्थित रहें तथा मौजूदा वर्ष और अगले वर्ष की विकास गतिविधियों की जानकारी दें।

II. ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधिक सरकारी आदेशों/निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

III. संबंधित योजना समिति के सहयोग के लिए प्रत्येक जीपी, आईपी और डीपी के समन्वयकों को नामित करना।

IV. उप जिला और जिला स्तर पर अंतरविभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।

V. जीपी, आईपी और डीपी स्तर पर सतत विकास लक्ष्य हासिल करने और जिला स्तर पर कार्रवाई तेज करने के लिए प्रभावी उपाय सुनिश्चित करना।

VI. योजनाओं और संसाधनों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना - मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन चरण-**II** (ग्रामीण), जल जीवन मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विशेष रूप से एकीकृत बाल विकास योजना।

VII. जिलास्तर पर परिवेश सृजन से संबंधित गतिविधियों और मीडिया योजना के बीच समन्वय।

VIII. कार्यक्षेत्र में सामने आने वाली समस्याओं पर निर्णय लेना और आवश्यकतानुसार उनके समाधान तथा संकट प्रबंधन का प्रयास करना।

IX. यह सुनिश्चित करना कि सभी जीपी, आईपी और डीपी में जीपीडीपी, बीडीपी और डीडीपी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हों और उनकी स्पष्ट जिम्मेदारी तय की जाए।

X. सभी पक्षों और हितधारकों से संबंधित जानकारी रखना और उनके क्षमता निर्माण में सहयोग देना।

XI. समुदाय स्तर के संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना- जैसे वीएचएनएससी, एसईसी, एकीकृत बाल विकास योजना, महिला स्व सहायता समूह द्वारा गठित जिला स्तरीय समितियों की भागीदारी, तथा अंतरविभागीय आवश्यक कार्रवाई के उपाय करना।

XII. राज्य के दिशा-निर्देश के अनुरूप जीपीडीपी से संबंधित ग्राम पंचायत आधारित द्वितीयक डेटा, बीडीपी के लिए ब्लॉकवार डेटा और डीडीपी के लिए जिलावार डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

XIII. परियोजनाओं के अनुमोदन और प्रौद्योगिकी आकलन का समयबद्ध समन्वय सुनिश्चित करना।

XIV. जीपीडीपी, बीडीपी और डीडीपी प्रक्रियाओं की जिलास्तरीय निगरानी और देखरेख।

XV. जीपीडीपी, बीडीपी और डीडीपी के क्रियान्वयन की निगरानी।

XVI. जीपीडीपी, बीडीपी और डीडीपी की स्थिति, संबंधित मुद्दों और सर्वोत्तम अनुभवों के बारे में रिपोर्ट और फीडबैक ईसी को उपलब्ध करना।

अनुलग्नक VI

खंड स्तरीय समन्वय समितियों के कार्य

- खंड/तालुका स्तर पर अंतरविभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि खंड स्तर के कार्यकर्ता खंड पंचायत द्वारा खंड विकास योजना के लिए बुलाई गई विभिन्न बैठकों में उपस्थित रहें और मौजूदा वर्ष तथा अगले वर्ष की विकास गतिविधियों की जानकारी दें।
- खंड स्तर पर सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासों को मजबूत करना।
- विभिन्न केंद्र प्रायोजित, राज्य प्रायोजित और प्रमुख कार्यक्रमों के लिए संसाधनों और योजनाओं के बीच तालमेल सुनिश्चित करना।
- कार्यक्षेत्र में सामने आने वाली कठिनाईयों पर निर्णय लेना और संकट समाधान के उपाय करना।
- यह सुनिश्चित करना कि योजना की तैयारी के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हों और किसी अंतराल को भरने के लिए स्थानीय स्तर पर जरूरी व्यवस्था करना।
- क्षमता निर्माण के लिए आवश्यक प्रबंध करना।
- खंड स्तर पर परिवेश सृजित करने संबंधी गतिविधियों और मीडिया योजना के बीच समन्वय करना।
- द्वितीयक डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- परियोजनाओं के अनुमोदन और प्रौद्योगिकी आकलन के बीच समयबद्ध समन्वय सुनिश्चित करना।
- खंडस्तर पर योजना तैयारी की निगरानी।
- खंड विकास योजना के क्रियान्वयन की निगरानी।
- खंड विकास योजना की स्थिति, संबंधित मुद्दों और सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में जिला समन्वय समिति को रिपोर्ट करना और फीडबैक देना।

अनुलग्नक VIIA

बीडीपी और डीडीपी में शामिल किए जाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख स्कीम

1. महात्मा गांधी नरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को आजीविका सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इसके लिए एक वित्त वर्ष में प्रत्येक परिवार को, जिसके व्यस्क सदस्य कौशल रहित शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, कम से कम सौ दिन के रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराना है।

उद्देश्य :

इस योजना के उद्देश्य हैं :

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग के अनुरूप एक वित्त वर्ष में कम से कम सौ दिन के लिए शारीरिक श्रम आधारित कौशल रहित कार्य उपलब्ध कराना।
- निर्धनों के लिए आजीविका संसाधन आधार मजबूत करना।
- सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करना।

मौजूदा स्थिति

I. **परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग :** ग्रामीण विकास मंत्रलय के 1 सितंबर 2016 को परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग का पहला चरण शुरू किया। दूसरे चरण की शुरूआत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 नवंबर 2017 को की गई। अब तक (04.09.2020) चार करोड़ 6 लाख के

अधिक परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की गई और इसे सार्वजनिक किया गया।

II. **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम)** :
महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत एनआरएम गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके कारण एनआरएम गतिविधियों पर व्यय 2013-14 के 48 प्रतिशत से बढकर 2020-21 में (31.08.2020 तक) 75.03 प्रतिशत हो गया है।

III. **कृषि और सहयोगी गतिविधियों पर अनिवार्य व्यय-** वित्त वर्ष 13-14 में इन गतिविधियों पर केवल 49 प्रतिशत व्यय हुआ था, वित्त वर्ष 2020-21 में (31.08.2020 तक) यह बढकर 75.48 प्रतिशत हो गया है।

IV. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीडी)-** महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत 99 प्रतिशत लाभार्थियों को उनका पारिश्रमिक सीधे उनके बैंक खाते में मिल रहा है। यह पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

V. **आधार आधारित भुगतान-** प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) में 8.46 करोड़ श्रमिक आधार से जुडे हैं। यह संख्या कुल सक्रिय श्रमिकों (11.65 करोड़) का 72.56 प्रतिशत है। 6,57 करोड़ श्रमिक आधार आधारित भुगतान प्रणाली से जुड़े हैं।

VI. **सामाजिक लेखांकन पर बल-** सामाजिक लेखांकन प्रणाली मजबूत की जा रही है। नियंत्रक और महालेखा परिक्षक कार्यालय के सहयोग से लेखा संबंधी मानक तय किए गए हैं और इन्हें लागू किया जा रहा है। अब तक 26 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ने स्वतंत्र सामाजिक लेखा इकाई स्थापित की है। इन इकाईयों में राज्य, जिला और खंड स्तर पर प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रशिक्षण पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है।

VII. जल संबंधी कार्यों के लिए **जल शक्ति अभियान** के तहत विशेष प्रयास किया जा रहा है। पानी की समस्या वाले 1220 खंडों में जल संरक्षण के लिए परियोजना स्तर पर पहली जुलाई से 15 सितंबर 2019 (पहला चरण) और 1 अक्तूबर से 30 नवंबर 2019 तक (दूसरा चरण) अभियान

चलाया गया। इस सिलसिले में तीन लाख 12 हजार कार्यों के निष्पादन में 3158. 91 करोड़ रूपए व्यय हुए।

VIII. राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन के लिए सौ दिन का कार्यक्रम शुरु किया गया। देश के सभी ग्रामीण खंडों में जल संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन बढ़ाने के लिए पांच जुलाई से 15 अक्तूबर 2019 तक अभियान चलाया गया और इस दौरान 12 लाख 47 हजार कार्य पूरे किए गए।

IX. मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में वॉटर शेड विकास के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करते हुए एकीकृत योजना शुरू की है। अब तक 16,691 ग्राम पंचायतों के लिए तीन वर्षीय योजना तय की गई है।

X. मंत्रालय ने **सरकारी या पंचायत भवनों की छत पर वर्षा जल संचयन** का नया काम आरंभ किया है। इसके तहत महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम में स्वीकृत कार्यों की सूची में निहित भूजल का स्तर बढाने के काम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

2.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2000 में किया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य 2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में पांच सौ अधिक आवादी वाले, पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों में ढाई सौ से अधिक आवादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम के लिए सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। भारत सरकार ने ग्रामीण सड़कों का मौजूदा नेटवर्क उन्नत करने और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का दायरा बढ़ाकर वर्ष 2013 में पीएमजीएसवाई-II और 2019 में पीएमजीएसवाई-III लागू किया। इसके अलावा वाम उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना भी 2016 में शुरू की गई। पीएमजीएसवाई के तहत अलग से शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य वाम उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करना है।

परियोजना की शुरूआत से लेकर 4 सितंबर 2020 तक की अवधि में 6, 30,799 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और इस पर लगभग 2,30,780 करोड़ रूपए की लागए आई। इस परियोजना की उपलब्धियां इस प्रकार है।

आबादी वाले क्षेत्रों में संपर्क

- **I.** 250,500 और 1000 से अधिक आबादी के 1,69,389 (98.6 प्रतिशत) आवास स्थलों को सभी मौसम में उपयोगी सड़कों से जोड़ा जा चुका है। इसमें 16,086 आवास स्थलों को राज्य योजना के तहत सड़क संपर्क उपलब्ध कराया गया है।
- **II.** वाम उग्रवाद ग्रस्त क्षेत्रों में एक सौ से 249 की आबादी वाले 6,653 (86.3 प्रतिशत) आवास स्थलों को सभी मौसम के लिए उपयोगी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया गया है। इनमें एक हजार 366 आवास स्थलों को राज्य योजना के तहत सड़क संपर्क सुविधा दी गई है।

पूरी हो चुकी सड़क-लंबाई

योजना चरण	**स्वीकृत लंबाई किलोमीटर में**	**पूरा हो चुका कार्य किलोमीटर में**
पीएमजीएसवाई-I	6,45,361	5,92,556
पीएमजीएसवाई-II	49,772	35,842
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	9,307	2,285
पीएमजीएसवाई-III	26,076	116
कुल	**7,30,516**	**6,30,799**

मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 5,108 आवास स्थलों को सड़क संपर्क से जोड़ने और 66,784 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लक्ष्य पर 485 आवास स्थलों को सड़क संपर्क से जोड़ा जा चुका है और 4,769 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। इन कार्यों पर 6,714 करोड़ रूपए की लागत आई है।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

इन्द्रा आवास योजना को नया स्वरूप देकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पहली अप्रैल 2016 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों को और कच्चे मकानों में रह रहे लोगों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराकर 'सबके लिए आवास' का लक्ष्य पूरा करना है। 2016-17 से लेकर 2021-22 तक की अवधि में 2 करोड़ 95 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से एक करोड़ मकान पहले चरण (2016-17 से 2018-19 तक) बनाए जाने थे और एक करोड़ 95 लाख मकान दूसरे चरण (2019-20 से 2021-22 तक) में बनाए जाने हैं।

पीएमएवाई-जी की मुख्य विशेषताएं हैं-

- स्वच्छ और स्वास्थ्यकर रसोई घर सहित न्यूनतम 25 वर्गमीटर आकार का मकान उपलब्ध कराना।
- शौचालय के लिए 12 हजार रूपए का प्रावधान और मकान के अतिरिक्त मनरेगा के तहत 90/95 दिनों का गैर कौशल पारिश्रमिक श्रम।
- इच्छुक लाभार्थियों को वित्तीय संस्थानों से 70 हजार रूपए तक की ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।
- लाभार्थियों की पहचान और चयन उनके पास मकान नहीं होने और अन्य सामाजिक सुविधाओं से वंचित होने के एसईसीसी- 2011 डेटा के मानकों और ग्रामसभा के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थियों की पहचान और चयन प्रक्रिया में ग्रामसभा द्वारा प्राथमिकता सूची के सत्यापन पर विशेष बल दिया जाएगा।

<u>कोष साझा करने का आधार</u>

- इस योजना के तहत अनुदान राशि केंद्र और राज्य द्वारा 60 : 40 के अनुपात में जारी की जाएगी। यह व्यवस्था पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र

के राज्यों को छोड़कर होगी। इन राज्यों के लिए केंद्र और राज्य अनुदान का अनुपात 90:10 होगा। केंद्रशासित प्रदेशों के लिए शत-प्रतिशत राशि केंद्र उपलब्ध कराएगा।

- पीएमएवाई-जी के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित रूपरेखा के प्रावधानों के अनुरूप राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 50-50 प्रतिशत की दो किश्तों में वित्तीय सहायता जारी की गई है।

प्रमुख पहल/सुधार और इनके परिणाम

I. **ईकाई सहायता-** मैदानी क्षेत्रों में मकानों के लिए सहायता राशि 70 हजार रूपए से बढाकर एक लाख 20 हजार और पर्वतीय क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख 30 हजार कर दी गई है।

II. **मकान का आकार**: मकान का न्यूनतम आकार 20 वर्गमीटर से बढाकर 25 वर्गमीटर किया गया है।

III. **अन्य योजनाओं से तालमेल :** पीएमएवाई-जी को शौचालयों के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) से जोड़ा गया है। लाभार्थी मनरेगा के तहत अकुशल श्रम के 90/95 दिन के रोजगार के लिए पात्र होगा। सरकारी कार्यक्रमों के तहत पाईप के जरिए पीने का पानी, बिजली कनेक्शन, रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कारने का भी विचार है।

IV. **सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एसईसीसी) 2011** : पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों का चयन एसईसीसी 2011 डेटा में मकान न होने के मानक के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा से सत्यापित कराई जाएगी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि सरकारी सहायता वास्तविक और जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराई गई है।

V. **ग्रामीण राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण और स्थानीय सामग्री का उपयोग :** मकान निर्माण की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण राज मिस्त्रियों को स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री से साथ आवश्यक

प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम पूरे देश में शुरू किया गया है।

VI. **आवास+** : पीडब्ल्यूएल में अतिरिक्त परिवारों को शामिल किए जाने के लिए आवश्यक डेटा संग्राह और संकलन के उद्देश्य से मंत्रालय ने एक प्रक्रिया पर विचार किया है और मोबाईल एप्लीकेशन आवास**+** और आवास सॉफ्ट मॉड्यूल विकसित किया है जिसमें परिवार के मौजूदा आवास स्थल और प्रस्तावित आवास निर्माण स्थल की तस्वीरें तथा अन्य जानकारियां जियो टैगिंग के जरिए उपलब्ध होंगी। इसे ग्राम पंचायत में संरक्षित रखा जाएगा। पीडब्ल्यूएल में अतिरिक्त परिवारों से संबंधित डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि 07.03 2019 या चुनाव आचार संहिता लागू होने की तिथि, जो भी पहले हो, थी। 07.03. 2019 तक आवास प्लस में पंचीकृत परिवारों की संख्या 3 करोड़ 53 लाख है।

VII. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-** लाभार्थियों का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए आवास सॉफ्ट एमआईएस में पंजीकृत बैंक/डाकघर खातों में अंतरित किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

VIII. **पीएमएवाई-जी के लिए राज्यस्तर पर एकल खाता** : राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एकल बचत खाता रखेंगे। राज्य, जिला और खंड स्तर के अधिकारी कोष अंतरण आदेश (एफटीओ) के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एसएनए को ऑपरेट कर सकेंगे।

4. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए विभिन्न प्रकार की आजीविकाओं को प्रोत्साहित करने के जरिए ग्रामीण गरीबी दूर करना है। यह कार्यक्रम 2011 में शुरू किए गए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), का पुनर्गठित रूप है, जिसका लक्ष्य

2023-24 तक 8-10 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंच कायम करना है। यह कार्यक्रम पिछले दो दशकों में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और आंध्रप्रदेश, बिहार, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु राज्यों के अनुभवों से विकसित उत्कृष्ट पद्धतियों के आधार पर तैयार किया गया है।

ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए डीएवाई-एनआरएलएम की शुरुआत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में विशेष परिवर्तन का प्रतीक है। एसजीएसवाई के विपरीत डीएवाई-एनआरएलएम सभी ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचने और सभी के सामाजिक एकीकरण के जरिए उनकी आजीविका में सुधार लाने का प्रयास करता है, जिसमें अन्य बातों के अलावा प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) में संगठित करने, उनका प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, उनकी सूक्ष्म-आजीविका योजनाओं में सहायता पहुंचाने और उनके स्वयं के संसाधनों और बैंकों से वित्तीय संसाधनों तक पहुंच के जरिए उन्हें अपनी आजीविका योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्षम बनाने जैसे उपाय किए जाते हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम का डिजाइन निम्नांकित प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित हैः

1. निर्धनों में गरीबी से दूर आने की जबर्दस्त ख्वाहिश होती है, और उनमें ऐसा करने की जन्मजात क्षमताएं होती हैं। गरीबों को समर्थ बनाने के लिए सामाजिक एकीकरण और उनके स्वयं के मजबूत संस्थानों का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है;
2. ग्रामीण परिवारों को गरीबी से बाहर लाने के लिए दीर्घकालिक और सतत वित्तीय और आजीविका सहायता आवश्यक है;
3. सामुदायिक ज्ञानवान व्यक्तियों (सीआरपीज़) के अनुसार क्षमता निर्माण और गरीब का पोषण उस समय सर्वाधिक कारगर और स्थायी रूप में किया जा सकता है, जब वे स्वयं इस काम में संलग्न होते हैं; और
4. गरीबों के स्थायी विकास के लिए विभिन्न आजीविका-परिसम्पत्तियों और कृषि तथा गैर-कृषि क्षेत्रों में कौशल आधारित आजीविकाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

महिलाओं के स्वयं-सहायता समूहों के निर्माण के जरिए सभी ग्रामीण निर्धनों के सामाजिक एकीकरण की डीएवाई-एनआरएलएम में केंद्रीय भूमिका है। सभी के सामाजिक एकीकरण के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं -

- प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूहों में शामिल करना;
- एसईसीसी डेटा के अनुसार एक या अधिक अभाव वाले सभी परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में एकजुट किया जाना है और ऐसे परिवारों की पहचान प्रतिभागी पहचान प्रक्रिया (पीआईपी) द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए और अंततः ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए;
- कमजोर और अलग-थलग पड़े परिवारों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजीज़), एकल महिला और महिला मुखिया वाले परिवारों, दिव्यांगजनों, भूमिहीन और प्रवासी मजदूरों की पहचान करने के विशेष प्रयास करना; और
- ग्राम स्तर पर, डीएवाई-एनआरएलएम का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों के प्राथमिक परिसंघ को प्रोत्साहित करना है, जिसे ग्राम संगठन (वीओज़) के रूप में जाना जाता है। किसी क्लस्टर में स्थित सभी ग्राम संगठन मिलकर क्लस्टर स्तरीय परिसंघ (सीएलएफ्स) बनाते हैं।

जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार, यह मिशन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) के 680 जिलों में 6,286 विकास खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 63.3 लाख से अधिक एसएचजीज़ के अंतर्गत 6.97 करोड़ महिलाएं एकजुट की जा रही हैं। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों ने मिलकर 3.64 लाख ग्राम स्तरीय परिसंघों और 32,275 से अधिक क्लस्टर स्तरीय परिसंघों का निर्माण किया है।

आज दिनांक तक 2.9 लाख सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षित और तैनात किया जा चुका है ताकि विभिन्न प्रकार के विषयों में सामुदायिक संस्थानों को

सहायता पहुंचाई जा सके। इनमें बुककीपिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, वित्तीय सेवाएं, आजीविका विस्तार सेवाएं आदि विषय शामिल हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत वित्तीय सहायताः डीएवाई-एनआरएलएम में एक बड़ा बदलाव करते हुए पूर्ववर्ती एसजीएसवाई की "पूंजी सब्सिडी" समाप्त कर दी गई। इसके स्थान पर डीएवाई-एनआरएलएम सामुदायिक संस्थाओं के लिए स्थायी संसाधन सृजित करने के वास्ते धन प्रदान करता है, ताकि संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता सुदृढ़ की जा सके और मुख्यधारा की बैंक वित्त व्यवस्था आकर्षित करने के लिए उनका ट्रैक रिकार्ड बनाया जा सके। इस व्यवस्था में प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के लिए 15000 रुपये तक का रिवोल्विंग कोष (आरएफ) और प्रति स्वयं सहायता समूह 2.50 लाख रुपये तक का सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) शामिल है।

सामुदायिक संस्थाओं को सूक्ष्म आयोजना प्रक्रिया के आधार पर धन प्रदान किया जाता है और इसे पृथक एसएचजी सदस्यों के लिए ऋण समझा जाता है, लेकिन सामुदायिक संस्थानों के मामले में 'सहायता अनुदान' माना जाता है। इन संस्थानों को धन अलग अलग हिस्सों में संवितरित किया जाता है, जिसका आधार उनकी कालानुक्रमिक आयु और समय अवधि मात्र को नहीं बल्कि उनके द्वारा हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों को बनाया जाता है। धन के संवितरण में निर्धनों में सबसे निर्धन को वरीयता दी जाती है अथवा संस्थाओं के सदस्यों द्वारा सामूहिक वरीयता दी जाती है। इन सामुदायिक संस्थाओं को कुल मिला कर पूंजीकरण सहायता के रूप में **11,177.7** करोड़ रुपये से अधिक राशि दी गई।

डीएवाई-एनआरएलएम वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मांग और आपूर्ति दोनों पहलुओं के लिए उपाय करता है। मांग के संदर्भ में, यह मिशन निर्धनों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देता है और स्वयं सहायता समूहों और उनके परिसंघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान करता है। आपूर्ति के संदर्भ में यह वित्तीय सेवाएं विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक असोसिएशन्स

(आईबीए) के साथ समन्वय स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त यह मिशन वित्तीय प्रौद्योगिकियों पर आधारित सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, एसएचजी सदस्य को व्यापार संवाददाता एजेंट और 'बैंक सखी'[1] जैसे सामुदायिक सुविधा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करता है। जीवन, स्वास्थ्य और परिसम्पत्तियों की हानि के मामले में मिशन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुंचाए।

एसएचजी बैंक सम्बंधः आपूर्ति और मांग दोनों पहलुओं को ध्यान में रख कर किए गए सुदृढ़ प्रयासों के फलस्वरूप एसएचजीज़ पर्याप्त मात्रा में बैंक ऋण तक पहुंच कायम करने में सक्षम रहे हैं। एसएचजीज़ की ऋण पहुंच वित्तीय वर्ष 2013-14 में 22,238 करोड़ रुपये थी जो मार्च 2020 में बढ़कर 70,284.8 करोड़ रुपये हो गई। स्वयं सहायता समूहों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से कुल मिला कर 3.05 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण उठाए गए। चालू वित्त वर्ष में 2.29 प्रतिशत एनपीए (फंसे ऋण) को देखते हुए इस पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार आया है।

एसएचजी सदस्य व्यापार संवाददाता एजेंट के रूप में : मिशन को स्वयं सहायता समूहों की एजेंसी के जरिए ऋण सेवाओं की अंतिम छोर तक डिलीवरी में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण सफलताएं मिली हैं। 11,189 एसएचजी सदस्यों को व्यापार संवाददाता एजेंट (बीसीएज़)/बीसी प्वाइंट्स के रूप में तैनात किया गया है ताकि जमा, ऋण, प्रेषण, पेंशन और स्कॉलरशिप संवितरण, एमजीएनआरईजीए मजदूरी का भुगतान और बीमा एवं पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकरण सहित वित्तीय सेवाएं अंतिम छोर तक प्रदान की जा सकें। बैंक सखी कार्यक्रम ने कोविड-19 के संकट के दौरान ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 25 मार्च, 2020 से 31 अगस्त 2020 की अवधि के दौरान 7872 बैंक सखियों ने 2329.1 करोड़ रुपये के एक करोड़ से अधिक लेनदेन को अंजाम दिया।

----

1. *गैर-नकदी लेनदेन के परिचालन के लिए बैंक शाखाओं में 21000 से अधिक प्रशिक्षित एसएचजी सदस्य तैनात किए गए हैं।*

ब्याज सब्सिडीः महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बैंक ऋण की प्रभावी लागत में कमी लाने के लिए, डीएवाई-एनआरएलएम वित्तीय वर्ष 2013-14 से स्वयं सहायता समूहों को ब्याज सब्सिडी और अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रहा है। ऐसे सभी महिला स्वयं सहायता समूह, जिनके सदस्य डीएवाई-एनआरएलएम लक्ष्य समूह से संबंधित हैं, ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र हैं, जो ऋण की दर और 7 प्रतिशत के बीच अंतर के समान राशि के रूप में दी जाती है। इस सब्सडी के लिए धन की व्यवस्था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एसआरएलएम्स के लिए की जा रही है। इसके अलावा, 250 पिछड़े जिलों से संबंधित सभी महिला स्वयं सहायता समूह सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से तीन लाख रुपये तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर घट कर 4 प्रतिशत रह जाती है। योजना की शुरुआत के बाद से ब्याज सब्सिडी के रूप में कुल मिला कर 5600 करोड़ रुपये की संचयी राशि प्रदान की गई है।

क. कृषि आजीविका को प्रोत्साहन

कृषि आजीविका कार्यक्रम 2010-11 से एनआरएलएम के उप-घटक, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के साथ शुरू किया गया था, ताकि महिला किसानों का सशक्तिकरण किया जा सके। इसके अंतर्गत खेती में महिलाओं के स्तर में सुधार, उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अवसरों में बढ़ोतरी और उनकी आजीविकाओं में व्यवस्थित परिवर्तन लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एमकेएसपी से मिले सबक बाद में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उनकी वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अंतर्गत बृहत्तर आजीविका प्रोत्साहन कार्यनीति के साथ एकीकरण के जरिए साझा किए गए।

अगस्त 2020 तक एनआरएलएम के अंतर्गत आजीविका उपायों का लाभ 2655 विकास खंडों तक पहुंचाया गया और इससे करीब एक लाख गावों में निम्नांकित सुविधाएं प्रदान की गईं :

- **कृषि पारिस्थितिकी पद्धतियां (एईपी)** : महिला किसान को बीज उपचार सहित विभिन्न कृषि पद्धतियों को सीखने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल, रसायनों का उपयोग कम करना, कीट नियंत्रण के लिए आग्नेयस्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे मिश्रणों का उपयोग और खेती की लागत एवं जोखिम कम करने के लिए विभिन्न कृषि वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल शामिल है। अगस्त 2020 तक इन उपायों के जरिए 90 लाख से अधिक महिला किसानों की सहायता की गई। इन पद्धतियों को कृषि सखी के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए 32,017 महिला सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) कृषि विस्तार सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
- **परिष्कृत पशुधन प्रबंधन पद्धतियाः** मवेशी पालन गरीब और भूमिहीन किसानों के लिए आमदनी का प्रमुख स्रोत है। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने और मवेशियों में बीमारियां और मृत्यु दर कम करने के लिए बेहतर मवेशी आवास, चारा प्रबंधन, नस्ल सुधार, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और एथनो-वेटरिनरी पद्धतियों जैसे विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। अगस्त 2020 तक पशुधन उपायों के जरिए करीब 7.8 लाख महिला किसानों को सहायता पहुंचाई गई। इन पद्धतियों को पशु सखी के रूप में प्रोत्साहित करने के लिए करीब बीस हजार महिला सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सीआरपी) कृषि विस्तार सेवाएं प्रदान कर रही हैं।
- **गैर-इमारती वन उत्पादक (एनटीएफपी)-** वन और वन सीमांत क्षेत्रों के लिए एनटीएफपी संग्रह और/या इनकी खेती एक महत्वपूर्ण आजीविका गतिविधि है। डीएवाई एनआरएलएम के अंतर्गत वैज्ञानिक और स्थायी खेती पद्धतियां अपनाने, एनटीएफपीज़ का स्थायी संग्रहण, प्राथमिक मूल्य संवर्धन और एसएचजी सदस्यों के साथ सामूहिक विपणन पर

ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। गैर-इमारती वन उत्पादों में जिन महत्वपूर्ण वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, उनमें लाख, टस्सर, औषधीय पौधे शामिल हैं। अगस्त 2020 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1.35 लाख महिला किसानों को सहायता पहुंचाई गई। 1186 से अधिक एसएचजी सदस्यों को वन सखी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे लोगों की दहलीज पर प्रशिक्षण और विपणन सेवाएं प्रदान कर सकें।

- **जैविक खेतीः** जैविक क्लस्टरों को संवर्धन की योजना 2018 की बजट घोषणा के साथ की गई थी। इसके अंतर्गत जैविक उत्पादन (कृषि और पशुधन) प्रणाली अपनाना, उसका प्रमाणन और बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए बाजार सम्पर्क जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अगस्त 2020 तक करीब 30,000 किसानों ने जैविक खेती पद्धतियां अपनाईं।
- **मूल्य श्रृंखला उपायः** मूल्य श्रृंखला विकास संबंधी उपाय किए जा रहे हैं, ताकि लघु और सीमांत उत्पादकों की पहुंच बाजार तक कायम करने और उन्हें औपचारिक उत्पादक उद्यमियों तथा अनेक अनौपचारिक उत्पादक समूहों के जरिए उनकी उपज का बेहतर लाभ दिलाया जा सके। अगस्त 2020 तक 2.7 लाख से अधिक महिला किसानों को 169 उत्पादक उद्यमों के जरिए बेहतर बाजार पहुंच उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त 89,000 उत्पादक समूहों का गठन किया गया, जिनमें से करीब 16 हजार उत्पादक समूह अग्रिम सौदों में शामिल हैं जिनसे करीब 3.9 लाख महिला किसानों को लाभ पहुंच रहा है।

डीएवाई एनआरएलएम ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एनआरईटीपी कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत मूल्य श्रृंखला विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है और यह मिशन बड़े किसान उत्पादक उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है। 7 अगस्त तक तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़) के लिए बाजरा, मक्का, दलहन, सोयाबीन, मसालों और दूध से संबंधित सात परियोजनाएं मंजूर की गईं, जिनमें 1.5 लाख किसान शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, कृषि आजीविका उपायों के तहत दो अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां शुरू की गईं। ये हैं - कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसीज़)/समुदाय

प्रबंधित उपकरण बैंक (सीएमटीबी) और कृषि-पोषण उद्यान संवर्धन। अगस्त 2020 तक विभिन्न राज्यों में करीब 15000 सीएससीज़/सीएमटीबी काम कर रहे थे और 40 लाख से अधिक कृषि-पोषण उद्यानों को प्रोत्साहित किया गया।

ख. गैर-कृषि आजीविका संवर्धन

स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) - डीएवाई एनआरएलएम एसवीईपी को प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रामीण स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित और सुदृढ़ किया जा सके। इसके अंतर्गत अपनाई गई कार्यनीति में व्यापार संभाव्यता, प्रबंधन के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देने और स्टार्ट-अप के साथ मौजूदा उद्यमियों की ऋण वित्त तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। जुलाई 2020 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 98336 से अधिक उद्यमियों को सहायता पहुंचाई जा रही है।

आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना(एजीईवाई) - एजीईवाई का शुभारंभ अगस्त 2017 में किया गया था। इसका लक्ष्य दूरदराज के गावों को सुरक्षित, सस्ती और समुदाय नियंत्रित ग्रामीण परिवहन सेवाओं के साथ जोड़ना है। जुलाई 2020 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1160 वाहन प्रचालित हैं।

2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित स्कीम है, जिसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों से संबंधित बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बीपीएल परिवार के प्रमुख कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर एकमुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मासिक पेंशन लाभ प्राप्त करने में असमर्थ बुजुर्ग व्यक्ति को हर महीने वस्तु रूप में भी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें उन्हें निःशुल्क अनाज हर महीने दिया जाता है। एनएसएपी एक सामाजिक सुरक्षा/समाज कल्याण कार्यक्रम है, जिसमें वर्तमान में निम्नांकित पांच उप-कार्यक्रम शामिल हैं -

क) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस) -** बीपीएल श्रेणी से सम्बद्ध 60-79 वर्ष की आयु समूह में आने वाले बुजुर्गों को हर महीने 200/- रुपये पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन की राशि बढ़ा कर 500/- रुपये महीना कर दी जाती है।

ख) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) -** बीपीएल परिवार से सम्बद्ध 40-79 वर्ष की आयु समूह की विधवा को 300/- रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पेंशन की राशि बढ़ा कर 500/- रुपये महीना कर दी जाती है।

ग) **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन स्कीम (आईजीएनडीपीएस) -** बीपीएल परिवार से सम्बद्ध 18-79 वर्ष की आयु समूह के ऐसे दिव्यांगजन को 300/- रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिए जाते हैं, जो गंभीर और अनेक विकलांगताओं से पीड़ित हो। 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद पेंशन की राशि बढ़ा कर 500/- रुपये महीना कर दी जाती है।

घ) **राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम (एनएफबीएस) -** बीपीएल परिवार के प्रमुख कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार के सदस्यों को एकमुश्त 20,000 रुपये की सहायता दी जाती है। यह सुविधा मृत्यु के सभी मामलों (प्राकृतिक अथवा अन्य) में प्रदान की जाती है। यह सहायता परिवार के प्रमुख कमाऊ सदस्य की मृत्यु के हरेक मामले में दी जाती है।

ङ) **अन्नपूर्णा कार्यक्रम** - बीबीएल परिवार के ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को 10 किलोग्राम अनाज (गेहूं अथवा चावल) दिया जाता है, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ से वंचित रह गए हों।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की घोषणा अगस्त 2016 में 'कोर आफ द कोर' यानी मूलभूत स्कीम के रूप में की गई थी। यह कार्यक्रम शत प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 309 लाख है। 2019-20 के दौरान एनएसएपी कार्यकर्मों के कार्यान्वयन के लिए

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 8692.38 करोड़ रुपये जारी किए गए। एनएसएपी को वर्ष 2019-20 के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत शामिल किया गया। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 21.47 करोड़ डीबीटी भुगतान किए गए।

कोविड-19 महामारी के फैलाव और लॉकडाउन से उत्पन्न स्थितियों को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाईपी) के अंतर्गत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की। उक्त पैकेज का एक महत्वपूर्ण घटक एनएसएपी कार्यक्रमों के मौजूदा वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन लाभार्थियों को 1000/- रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान है, जो दो मासिक किश्तों (500 रुपये प्रत्येक) में किया गया। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन से संबंधित एनएसएपी कार्यक्रमों के मौजूदा 2.82 करोड़ लाभार्थियों को अप्रैल से मई, 2020 के दौरान दो किश्तों में 1000 रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2814.50 करोड़ रुपये जारी किए गए।

इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में एनएसएपी के तहत वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन और राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम (एनएफबीएस) के लाभार्थियों को मासिक पेंशन के भुगतान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3812.70 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।

6. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

दिहाड़ी रोजगार से संबंधित कार्यक्रमों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बेंचमार्क बनाने के महत्वाकांक्षी एजेंडे के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 25 सितम्बर, 2014 को रोजगार से सम्बद्ध कौशल विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) से जोड़ कर नया रूप प्रदान किया। डीडीयू-जीकेवाई एक मानक परिणामोन्मुखी गुणवत्तापूर्ण कौशल कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' अभियान में योगदान करना है ताकि भारत को वैश्विक

वरीयता विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थान दिलाया जा सके और साथ ही राष्ट्र के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान के इसके प्रयासों को उजागर किया जा सके।

डीडीयू-जीकेवाई अब एक राज्य आधारित कार्यक्रम है, जो सरकारी-निजी भागीदारी मोड में लागू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मांग संचालित लक्ष्य मंजूरी प्रक्रिया पर आधारित है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण निर्धन युवाओं पर ध्यान केंद्रित किए जाने को देखते हुए अन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसका बेजोड़ स्थान है। इसमें विशिष्टता और नियुक्ति-परवर्ती ट्रैकिंग, प्रतिधारण और करियर तरक्की को प्रोत्साहन दिए जाने के जरिए स्थायी रोजगार पर बल दिया जाता है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, डीडीयू-जीकेवाई प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को एनएसडीसी की सेक्टर कौशल परिषदों के जरिए तृतीय पक्ष स्वतंत्र प्रमाणन के लिए अधिदेशित करता है ताकि प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के कौशल, ज्ञान और अभिरुचि का मूल्यांकन हो सके। डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत दो विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं - इनमें पहला रोशनी कार्यक्रम है जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों के 27 क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, यह अनिवार्य रूप से रिहायशी पाठ्यक्रम है और इसमें 40 प्रतिशत कवरेज महिला उम्मीदवारों को दिया जाता है। दूसरा कार्यक्रम हिमायत है, जो संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी युवाओं को कवर करता है। यह कार्यक्रम शत प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजितहै।

डीडीयू-जीकेवाई की प्रमुख विशेषताएं

- 15 से 35 वर्ष के आयु समूह में निर्धन परिवारों से सम्बद्ध ग्रामीण युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो क) एमजीएनआरईजीए श्रमिक परिवार से सम्बद्ध हो। इसमें परिवार का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने 15 कार्यदिवस पूरे किए हों पात्र समझा जाएगा। ख) आरएसबीवाई परिवार, ग) अंत्योदय अन्न योजना कार्ड परिवार, घ) बीपीएल पीडीएस कार्ड परिवार, ड) एनआरएलएम-एसएचजी परिवार, च) निर्धनों की पहचान के लिए प्रतिभागी प्रक्रिया, छ) एसईसीसी 2011 के मानदंडों के अनुसार

कवर होने वाले परिवार इस कार्यक्रम के लाभार्थियों में स्वतः शामिल होंगे।

- सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित समूहों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा, अर्थात् अजा/अजजा - 50 प्रतिशत, अल्पसंख्यक - 15 प्रतिशत और महिलाएं 33 प्रतिशत, और हाथ से मैला ढोने वालों, दिव्यांगजन और महिला मुखिया वाले परिवारों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- नियुक्त उम्मीदवारों को वेतन न्यूनतम दिहाड़ी अथवा उससे ऊपर दिया जाता है। उम्मीदवारों को नियुक्ति परवर्ती सहायता और व्यावसायिक तरक्की के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को सहायता दी जाती है।

डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं -

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत इसकी स्थापना के बाद से प्रगति - 55 सेक्टरों और 563 व्यवसायों में कुल 10.51 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है तथा 6.65 लाख लोगों को रोजगार दिलाया गया है। डीडीयू-जीकेवाई 736 वीआईएज़ के साथ काम कर रहा है जिनमें 1602 परियोजनाएं हैं और देशभर में 1738 प्रशिक्षण केंद्र हैं।

- कोविड-19 महामारी की वजह से 2020-21 के दौरान प्रशिक्षण नहीं दिए जा सके और 21 सितम्बर 2020 के बाद प्रशिक्षण फिर शुरू होने की संभावना है।
- चालू वित्तीय वर्ष में 1996.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे जिसमें से अगस्त 2020 तक 411.71 करोड़ रुपये व्यय किए गए।
- डीडीयू-जीकेवाई में वित्तीय निगरानी और पारदर्शिता के लिए पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) लागू किया जा रहा है। सभी राज्य पीएफएमएस पर पंजीकृत किए जा चुके हैं।
- उम्मीदवारों को कार्यक्रम में शामिल करने के लिए कौशल पंजी ऐप तैयार किया गया है। इस ऐप पर 22 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया है और दिहाड़ी रोजगार तथा स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण में रुचि जाहिर की है।

- जहाजरानी मंत्रालय के साथ प्रतिभागिता की गई है ताकि सागरमाला कार्यक्रम के जरिए तटीय और बंदरगाह क्षेत्रों में कौशल विकास की व्यवस्था की जा सके।
- ई-संचालित कार्यक्रम क) प्रतिभागी के पंजीकरण के लिए आनलाइन स्थायी पंजीकरण संख्या ख) आनलाइन प्रस्ताव मूल्यांकन प्रणाली; आनलाइन मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रिया; घ) प्रशिक्षण में हाजिरी के लिए एईबीएएस ड) डीडीयू-जीकेवाई परियोजना निगरानी-कौशल भारत ईआरपी सिस्टम; च) डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण केंद्रों की जियो टैगिंग; छ) इन्सपैक्शन ऐप के जरिए आनलाइन निरीक्षण, ज) केपीआई आधारित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी रैंकिंग, झ) डीडीयू-जीकेवाई के लिए चैटबोट, ट) प्रशिक्षण केंद्र की सीसीटीवी मानीटरिंग।

7. ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान (आरएसईटीआईज़)

आरएसईटीआई कार्यक्रम प्रायोजक बैंकों, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच तीन तरफा भागीदारी कार्यक्रम है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नियंत्रित इस कार्यक्रम का संचालन और प्रबंधन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की मदद से प्रमुख बैंकों द्वारा किया जा रहा है। प्रमुख बैंक अपने प्रमुख जिले में कम से कम एक आरएसईटीआई खोलने के लिए अधिदेशित हैं ताकि बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके और वे स्वरोजगार/उद्यमिता के जरिए अपने उद्यम शुरू कर सकें। आरएसईटीआई कार्यक्रम अल्पावधि प्रशिक्षण और उद्यमियों को दीर्घावधि ठोस सहायता को ध्यान में रख कर संचालित किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ग्रामीण निर्धन युवाओं के प्रशिक्षण की लागत वहन करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उसने इसके लिए एक करोड़ रुपये का एकबारगी सहायता अनुदान प्रदान किया है। इसके अंतर्गत राज्य सरकारें एक एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित करती है ताकि आरएसईटीआई परिसर का निर्माण किया जा सके। आरएसईटीआई केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है,

जो वर्तमान में 23 प्रमुख बैंकों (सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के और कुछ ग्रमीण बैंक) द्वारा देश के 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 566 जिलों में 585 आरएसईटीआई के जरिए लागू किया जा रहा है। एक आरएसईटीआई द्वारा औसतन एक वर्ष में करीब 4 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के जरिए 18-45 वर्ष की आयु समूह के ऐस ग्रामीण युवाओं को शामिल किया जाता है, जो निम्नांकित आधार पर ग्रामीण युवा परिवार से सम्बद्ध हों - क) एसईसीसी परिवार, ख) बीपीएल परिवार, ग) एमजीएनआरईजीए कार्ड होल्डर, घ) परस्पर प्रतिभागिता के जरिए लाभार्थियों की पहचान, ड) अंत्योदय योजना पीडीएस कार्डधारक, च) एनआरएलएम के अंतर्गत एसएचजी सदस्य, छ) पीएमएवाई जैसे सरकार के अन्य गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लाभार्थी।

ग्रामीण निर्धनों को इस कार्यक्रम के लाभ

2014-2020 के दौरान पिछले छह वर्षों में आरएमईटीआई द्वारा 25.09 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 18.91 लाख उम्मीदवारों ने स्वरोजगार अथवा दिहाड़ी रोजगार के जरिए सफलतापूर्वक रोजगार स्थापित किए हैं।

- वर्तमान वित्त वर्ष में 15 जुलाई 2020 से आरएसईटीआईज़ के फिर से खुलने के बाद से 10032 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया और 19047 उम्मीदवारों को इन संस्थानों के प्रयासों से रोजगार प्राप्त करने में मदद मिली।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए (90 करोड़ रुपये प्रशिक्षण के लिए और 10 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के लिए), अगस्त 2020 तक देश के निर्धन ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण के लिए 31.15 करोड़ रुपये जारी किए गए।

- एमएसडीई और एसओपी के सामान्य मानदंड के अनुसार मानक आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन।
- उद्योग बेंच मार्क युक्त टूल किट्स प्रशिक्षण कार्यान्वयन के लिए आपूर्ति किए जाते हैं।
- एनएसक्यूएफ से सम्बद्ध 56 पाठ्यक्रम और कुल अनुमोदित 61 पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।
- कौशल पंजी ऐप के जरिए एकीकरण सुविधा प्रदान की गई है और बेरोजगार युवाओं का मार्गदर्शन किया जाता है ताकि वे आरएसईटीआई में प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण कराएं।
- आरएसईटीआई के लिए मूल्यांकन बोर्ड का गठन किया गया है और उसने काम करना शुरू कर दिया है।
- पूर्णकालिक आवासीय प्रशिक्षण
- प्रशिक्षकों के लिए आरयूडीएसईटीआई की राष्ट्रीय अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- प्रशिक्षार्थी और प्रशिक्षकों के लिए एईबीएएस आधारित उपस्थिति प्रणाली।
- कोविड-19 महामारी के दौरान आरएसईटीआईज़ द्वारा 31 जुलाई 2020 तक 95 लाख मास्क सिले गए।

अनुलग्नक VII B

बीडीपी और डीडीपी में शामिल करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं

डीओएसइएल को स्कूली शिक्षा के लिए सभी राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों की पंचायतों के समर्थन की आवश्यकता है, निम्नलिखित पर :

1. जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर आयोजित होने वाली बैठक, जिसमें राज्य शिक्षा विभाग द्वारा एक व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। डीओएसइएल एक मानकीकृत प्रस्तुति प्रदान करेगा, जिसे स्थानीय स्कूल शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। फिर, ग्राम सभा में ग्राम शिक्षा समितियाँ एनईपी की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कर सकती हैं।

2. ग्राम पंचायत हर 5 सितंबर को स्थानीय शिक्षकों को किसी भी संभावित माध्यम से ट्वीट आदि से सम्मानित कर सकती है।

3. ग्राम शिक्षा समितियाँ विशेष रूप से पंचायत की भूमिका से संबंधित एनईपी के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा कर सकती हैं:

(i) स्कूल में बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन और स्कूल नहीं छोड़ना सुनिश्चित करना ।

(ii) स्कूल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(iii) स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना।

(iv) स्कूल परिसर की स्वच्छता गतिविधियों के लिए सफाई कर्मचारियों की मदद प्राप्त करना।

(v) निर्माण गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन की मदद प्राप्त करना। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना, जैसे पीने का पानी और स्वच्छता (फर्नीचर और फिक्स्चर, स्कूल परिसर और शौचालय की स्वच्छता के लिए कीटाणुनाशक का उपयोग), बड़ी-छोटी मरम्मत, फर्श टाइल्स, ब्लैक बोर्ड, हाथ धोने की सुविधा, सीमा की दीवार और खेल के मैदान में

4. बच्चों के स्कूल छोड़ने को कम करने और स्कूली बच्चों को स्कूल वापस लाने के लिए काउंसलिंग आयोजित करने में सहायता प्राप्त करना।

5. डीओपीआर छात्रों के बीच डिजिटल पेयरिंग की सुविधा का समर्थन कर सकता है। डिजिटल डिवाइस की कमी वाले छात्रों के बीच असाइनमेंट / वर्कशीट की हार्ड कॉपी के शिक्षण और प्रत्यक्ष वितरण के लिए स्कूल-ऑन-व्हील्स को उपलब्ध कराया जा सकता है।

6. शिक्षित बड़ों / सेवानिवृत्त शिक्षकों / स्कूल के पूर्व छात्रों की पहचान करना और छात्रों को सलाह देने के लिए उन्हें कहना ।

7. छात्रों के लिए ग्रेड-वार सीखने के परिणामों के बारे में अभिभावकों के लिए जागरूकता अभियान चलाना।

8. पंचायत भवन को लर्निंग सेंटर के रूप में उपयोग करने और टीवी / कंप्यूटर / प्रोजेक्टर और इंटरनेट कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए प्रदान करना (स्वयं , स्वयंप्रभा चैनलों को प्रसारित किया जा सकता है) ।

9. गाँव के स्कूलों को उद्यमिता प्रशिक्षण / वयस्क साक्षरता / वयस्क शिक्षा के लिए केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

10. स्कूलों में गर्म पका भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) / स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) / स्थानीय समुदाय से दूध और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खरीद की सुविधा।

11. बचे हुए कपड़े से स्कूल की वर्दी और मास्क की सिलाई में स्थानीय एसएचजी को शामिल करना।

अनुलग्नक VII C

बीडीपी और डीडीपी में शामिल करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाएं

परिचय

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करना है जो उप स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (यूपीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप-जिला/ जिला अस्पताल सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्यों द्वारा समुदाय के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है, जिसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (पुरुष और महिला) और उप-केंद्र और पीएचसी में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हैं। आशा, समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के बीच कड़ी है और सामुदायिक विकास और जागरूकता पैदा करने की दिशा में काम करती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजनाएं और कार्यक्रम

सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं / अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख योजनाएं और सेवाएँ नीचे सूचीबद्ध हैं:

1. आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एबी-एचडब्लूसी):

व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए मौजूदा सेवाओं का विस्तार करके उप-केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एबी-एचडब्लूसी के रूप में अपग्रेड किया गया है। इनमें प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) और गैर-संचारी रोग (एनसीडी), मानसिक स्वास्थ्य, कान नाक गला (ईएनटी), नेत्र विज्ञान, मौखिक स्वास्थ्य, जराचिकित्सा और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल और

आघात देखभाल के साथ-साथ स्वास्थ्य संवर्धन और कल्याण गतिविधियो से संबंधित योग भी शामिल है। ।एबी-एचडब्लूसी पहल के तहत, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एससी-एचडब्लूसी में एक या दो बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और 4-5 आशा के साथ तैनात होते हैं। एबी-एचडब्ल्यूसी का उद्देश्य प्राथमिक देखभाल सेवाओं के 12 पैकेज के लिए नि: शुल्क दवाओं और डायग्नोस्टिक्स सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुँह का कैंसर, स्तन कैंसर और गरदन का कैंसर का उपचार शामिल है। एबी-एचडब्ल्यूसी पर आयोजित नियमित योग, ज़ुम्बा, एरोबिक्स और अन्य शारीरिक गतिविधि सत्रों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों पर समान ध्यान देना, एबी-एचडब्ल्यूसी में सुनिश्चित किया जा रहा है। स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का संचालन करने के लिए, वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर (@ संलग्नक) में 39 स्वास्थ्य दिनों की पहचान की गई है। इसके अलावा, हर स्कूल में दो शिक्षकों की पहचान आयुष्मान भारत के स्वास्थ और देखभाल राजदूत रूप में की जा रही है - जो स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देकर स्कूल जाने वाले बच्चों की वृद्धि, विकास और शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाएंगे।

2. **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई):** जेएसवाई एक सुरक्षित मातृत्व योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के बीच अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है। इस योजना के तहत, पात्र गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा या एक मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा के लिए उच्च प्रदर्शन और कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार नकद सहायता प्रदान की जाती है। जेएसवाई ने आशा को सरकार और गर्भवती महिलाओं के बीच एक कड़ी के रूप में पहचाना है जिसके लिए उन्हें अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

3. **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)**: जेएसएसके का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव, प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर जटिलताओं और उपचार के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों तक 1 वर्ष तक की प्रसवकालीन जटिलताओं और खर्चों से दूर रखना है। एंटाइटेलमेंट में मुफ्त दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों, मुफ्त डायग्नोस्टिक्स, जहां भी आवश्यक हो, मुफ्त रक्त और सामान्य प्रसव के दौरान 3 दिनों के लिए और सी-सेक्शन के लिए 7 दिन मुफ्त आहार शामिल हैं। यह पहल घर और स्वास्थ्य सुविधा के बीच मुफ्त पिक अप और ड्रॉप बैक और रेफरल के मामले में बीच की सुविधाओं भी प्रदान करती है।

4. टीकाकरण: यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) वैक्सीन- निवारक अंडर -5 मृत्यु दर में कमी के लिए सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। यूआईपी के तहत, 12 वैक्सीन-निवारक रोगों के खिलाफ, 10 बीमारियों (डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बचपन के तपेदिक, हेपेटाइटिस बी और मेनिनजाइटिस और निमोनिया के कारण हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और रोटावायरस डायरिया) उप राष्ट्रीय स्तर पर 2 बीमारियों (न्यूमोकोकल न्यूमोनिया और जापानी एन्सेफलाइटिस) के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर नि: शुल्क टीके प्रदान करने के लिए आरआई सत्र और ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस (वीएचएनडी) के माध्यम से नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाते हैं। 2014 से, उन क्षेत्रों में टीकाकरण कवरेज में सुधार के लिए मिशन इन्द्रधनुष जैसे विशेष टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं, जहाँ बिना टिके वाले और आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों का अनुपात अधिक है।

5. नवजात और छोटे बच्चों की घर पर देखभाल (एचबीएनसी / एचबीवाईसी): इस कार्यक्रम के तहत, आशा बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करने और स्वस्थ बाल देखभाल पर परिवार को परामर्श देने के लिए घर जाती है-

● नवजात शिशुओं के लिए - अस्पताल में प्रसव के मामले में 6 बार 3, 7, 14, 21, 28 और 42 वे दिन और घर पर प्रसव के मामले सात बार जन्म के दिन अतिरिक्त ।

● एक छोटे बच्चे के लिए - चार बार जाना 3, 6, 9 और 12 वें महीने में।

6. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके): आरबीएसके के तहत, बच्चों के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बच्चे के जन्म के दोष, बीमारियों, कमियों, विकास देरी सहित विकलांगता (चार डी) का शीघ्र पता लगा कर बच्चे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ें । आरबीएसके के तहत बच्चो की स्वास्थ जाचं और बीमारी का जल्द पता लगाने की सेवा में जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए जाचं, जल्दी पता लगाने और मुफ्त प्रबंधन के लिए 30 चयनित स्वास्थ्य स्थितियों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। बच्चों की जाचं के लिए आरबीएसके की टीमें आंगनवाड़ी केंद्रों का साल में एक बार और स्कूलों का दो बार का दौरा करती हैं।

7. परिवार नियोजन: परिवार नियोजन उपायों को अपनाने के लिए योग्य दंपतियों को अस्थायी / अंतराल उपाय में गर्भनिरोधक गोलिया, आईयूसीडी , इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा), कंडोम और स्थायी उपाय में पुरुष और महिला नसबंदी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

8. राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा (एनएएस): नि:शुल्क एम्बुलेंस सेवाएं डायल 102 और डायल 108 नम्बरों पर प्रदान की जाती हैं। डायल 102 बुनियादी रोगी परिवहन हैं जो मूल रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं। डायल 108 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली है जो मुख्य रूप से गंभीर देखभाल, आघात, दुर्घटना पीड़ितों के लिए तैयार की गई है।

9. रोग नियंत्रण कार्यक्रम: विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के तहत, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, कालाजार, फाइलेरिया, वायरल हेपेटाइटिस के लिए नि: शुल्क उपचार और निदान सुनिश्चित किया जाता है। वेक्टर जनित रोगों से सुरक्षा के लिए लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल (एलएलआईएन) दिए जाते हैं।

10. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): जननी सुरक्षा योजना और निक्षय पोषण योजना जैसी डीबीटी योजनाओं को लागू किया जा रहा है।

● जननी सुरक्षा योजना के तहत, गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कम प्रदर्शन करने वाले राज्य (एलपीएस) में 1400 रुपये और उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों (एचपीएस) में 700 रुपये और शहरी क्षेत्र में एलपीएस के लिए 1000 रुपये और एचपीएस के लिए 600 रुपये की नकद मदद दी जा रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने के लिए पात्र जेएसवाई लाभार्थियों को बढ़ावा देने के लिए आशा को नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 600 रुपये (एएनसी के लिए 300 रुपये और संस्थागत प्रसव की सुविधा के लिए 300 रुपये) और शहरी क्षेत्रों के लिए 400 रुपये (200 रुपये एएनसी और संस्थागत प्रसव की सुविधा के लिए 200 रुपये)।

● 2025 तक भारत में तपेदिक (टीबी) उन्मूलन के लिए पोषण समर्थन आवश्यक कारकों में से एक है। इस संबंध में, निक्षयधन योजना (एनपीवाई) को लागू किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक अधिसूचित टीबी रोगी को उसके उपचार की अवधि के दौरान पोषण संबंधी सहायता के लिए 500 रुपये की वित्तीय सहायता दि जा रही है।

स्वास्थ्य में पंचायतों की भूमिका

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पंचायती राज संस्थानों को स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों सहित स्वास्थ्य प्रशासन के लिए विभिन्न स्तरों पर बढ़ी हुई भूमिका निभाने के लिए मजबूत करने पर जोर दे रहा है। यह सेवाओं की गुणवत्ता की प्रभावी निगरानी के लिए स्वास्थ्य प्रणाली और विकास प्रक्रिया के केंद्र में लोगों को रखकर, **समुदाय आधारित निगरानी और योजना** को अनिवार्य बनाने पर जोर देता है।

स्वास्थ्य बहुआयामी है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक व्यक्ति के भीतर और बाह्य रूप से उस समाज में झूठ बोलते हैं जिसमें वह रहता है। नीचे दिया गया आंकड़ा इसे सारांशित करता है।

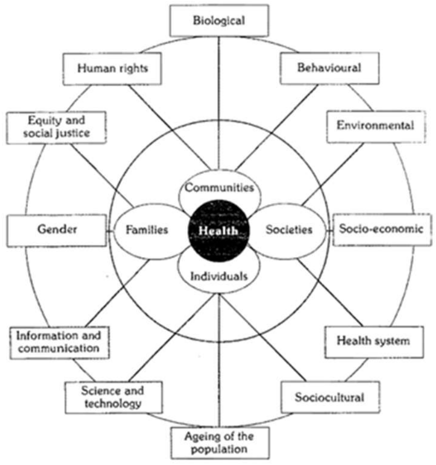

पर्यावरणीय कारक जैसे जलवायु, गुणवत्ता और पानी की मात्रा और वायु की गुणवत्ता, सामाजिक-आर्थिक कारक जैसे आवास, आय, शिक्षा, व्यवसाय, व्यवहार और सांस्कृतिक मुद्दे जैसे लिंग, भोजन, जीवन शैली सहित व्यक्तिगत आदतें सभी समुदाय की स्वास्थ्य स्थिति को प्रभावित करती हैं। । समान रूप से स्वास्थ्य प्रणाली और सेवाओं से संबंधित हैं।

समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पंचायत गाँव से संबंधित सभी 29 मुद्दों में अपने कार्यों के साथ उचित रूप से अंत:क्षेत्रीय समन्वय और अभिसरण सुनिश्चित कर सकती है।

जिला और ब्लॉक स्तर पर पंचायतों की प्रमुख भूमिकाओं को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- **योजना:** वीएचएसएनसी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर ग्रामीण स्तर पर समय-समय पर स्थिति का जायजा लेना। एनएचएम के तहत विकेंद्रीकरण ने पीआरआई को स्थानीय नियोजन में संलग्न करने, स्थानीय शासन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण में सुधार करने के लिए बेहतरीन गुंजाइश दी है।
- **कार्यान्वयन और निगरानी:** लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होना और सामाजिक-आर्थिक विकास की साझा दृष्टि होने के कारण, पंचायतें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के विकास के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहलों की अगुवा साबित हो सकती हैं।
- **जागरूक करना और समुदाय संघटन :** स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में सुधार, मांग और आपूर्ति में अंतराल, गुणवत्ता के मुद्दों को संबोधित करना, स्वस्थ जीवन शैली और सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने, प्रथाओं में सुधार को बढ़ावा देने के लिए आईईसी / एसबीसीसी अभियानों में भाग लेना। स्कूली बच्चों को व्यवहार परिवर्तन के एजेंट के रूप में विकसित करने के आधार पर संघर्ष और सामाजिक कलंक को हल करना।
- **अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण के लिए समर्थन:** आईसीडीएस, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों के साथ और मुख्य हितधारकों को शामिल करते हुए, स्वास्थ के प्रमुख सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों को संबोधित करते

हुए जीपीडीपी विकसित करते हुए और इस प्रकार, वीएचएनडी के संचालन जैसे वांछित स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र स्वास्थ्य और विभागों के बीच निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य आईसीडीएस हस्तक्षेप के लिए अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए, जैसे कि प्रसवपूर्व जाँच, टीकाकरण, बाल विकास की निगरानी, घरेलू राशन लेने का प्रावधान और विभिन्न स्वास्थ्य मुद्दों और कार्यक्रमों के लिए परामर्श।

- स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, सीबीओ / सीएसओ, सीएसआर संगठनों से समर्थन।

- एबी-एचडब्ल्यूसी, ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस (वीएचएनडी), मिशन इन्द्रधनुष के दौर, एलसीडीसी, स्वच्छ भारत मिशन जैसे स्वास्थ्य कैलेंडर दिनों में

- **अन्य संसाधनों से निधि लेना :** तीन स्तरीय पंचायत प्रणाली के तहत, और अन्य कार्यक्रम जैसे बीआरजीएफ, बॉर्डर एरिया फंड, वीएचएसएनसी / आरकेएस के लिए आदिवासी उप-योजना, 15 वीं एफसी अनुदान।
- **असमानताओं को संबोधित करते हुए:** कमजोर और नहीं पहुंच सकी आबादी को पहचाना और यह सुनिश्चित करें कि सेवाएं उन तक पहुँचें। पीआरआई को लिंग और सामाजिक असमानताओं को दूर करना चाहिए और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।

पंचायती राज मंत्रालय के साथ अभिसरण का दायरा

स्वास्थ्य विभाग के पास प्रमुख तंत्र हैं, जिनमें पंचायती राज संस्थान वांछित स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने में हमारी मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण

भूमिका निभा सकते हैं। अभिसरण के विभिन्न प्लेटफार्मों पर उनके प्रमुख इनपुट हमेशा भविष्य की रणनीतियों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

<u>स्वास्थ्य में पीआरआई की भागीदारी के लिए मौजूदा तंत्र-</u>

स्वास्थ्य कार्यक्रमों में पीआरआई भागीदारी के लिए निम्नलिखित संरचनाएं और तंत्र मौजूद हैं।

ए- ग्राम स्तर पर:

1 **<u>आशा</u>** को ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। वह पंचायत में समुदाय और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा के बीच का सेतु है।

2 **<u>ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति</u> -** प्रत्येक गांव में स्थापित बहु-हितधारक समिति है। इसकी अध्यक्षता गांव की पंचायत सदस्य करती है और इसमें 50 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। आशा सदस्य सचिव हैं। समिति स्वास्थ्य पर जीपी स्थायी समिति की एक उप-समिति भी है। समिति को प्रति वर्ष दस हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाता है और यह स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अधिकृत है। यह स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता और समुदाय की पहुंच में सुधार के लिए एक मंच प्रदान करता है, विशिष्ट स्थानीय आवश्यकताओं को संबोधित करता है और समुदाय आधारित योजना और निगरानी के लिए एक तंत्र के रूप में काम करता है। समिति को सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और उपलब्ध लाभों, योजनाओं के तहत लाभार्थियों के नाम के बारे में ग्राम सभा को अनिवार्य खुलासे करना चाहिए। यह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए पारदर्शिता और मांग की पूर्ति सुनिश्चित करना है। यह मुख्य रूप से गांव में स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे पानी, स्वच्छता, रोग प्रोफाइल, पोषण

पूरक कार्यक्रम को सक्षम करने और निगरानी करने पर केंद्रित है। समिति ग्राम स्वास्थ्य योजना को विकसित करने में शामिल है।

बी- स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर:

1. **जन आरोग्य समिति उप-स्वास्थ्य केंद्र- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में :** जिन उप-स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत - हेल्थ एंड वैलनेस केंद्रों में परिवर्तित किया गया है, उनमें ग्राम पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में जन आरोग्य समिति होगी । यह भी एक बहु-हितधारक समिति है जिसमें पंचायत सदस्य, युवा, महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य, रोगी प्रतिनिधि और आयुष्मान केंद्रों के अधिकारी शामिल हैं। आयुष्मान केंद्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सचिव है। जन आरोग्य समिति को पचास हज़ार रुपये का अनुदान प्राप्त होता है और उस पर आयुष्मान केंद्रों के समग्र प्रदर्शन की देखरेख की जिम्मेदारी होती है।

2. **जन आरोग्य समिति (जेएएस) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र: (पीएचसी-एचडब्लूसी) में** : गांव जिसमें पीएचसी-एचडब्लूसी मौजूद है, उसका पंचायत सदस्य या मुख्यालय के पंचायत का सरपंच पीएचसी-एचडब्लूसी के जेएएस का प्रमुख होता है। पीएचसी-एचडब्लूसी जन आरोग्य समिति का सदस्य सचिव चिकित्सा अधिकारी होता है।

3. **रोगी कल्याण समिति (आरकेएस):** या इसके समकक्ष पंचायत सरपंच की अध्यक्षता में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (अभी तक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में परिचालन किया जा रहा है), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ब्लॉक पीएचसी या तालुक अस्पताल, उप-जिला और जिला अस्पताल। स्वास्थ्य सुविधा का नेतृत्व करने वाला चिकित्सा अधिकारी आरकेएस का सदस्य सचिव होता है। आरकेएस देखभाल की गुणवत्ता की निगरानी, रोगी की शिकायतों को दूर करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर कामकाज

में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरकेएस को रोगी कल्याण के लिए अनटाइड फंड के रूप में अनुदान दिया जाता है: पीएचसी - प्रति वर्ष 1.75 लाख रुपये, सीएचसी और एसडीएच - प्रति वर्ष 5 लाख रुपये और डीएच - प्रति वर्ष 10 लाख रुपये। डीएम जिला स्तर पर आरकेएस के शासी निकाय के अध्यक्ष, जिला पंचायत / जिला परिषद से प्रतिनिधित्व के साथ होता है, जबकि ब्लॉक स्तर पर, आरकेएस की शासी निकाय का अध्यक्ष एसडीएम / बीडीओ, पंचायत समिति / ब्लॉक पंचायत का होता है।

सी. ग्राम पंचायत स्तर पर:

ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य उप समिति ग्राम पंचायत विकास योजना के हिस्से के रूप में ग्राम पंचायत स्वास्थ्य योजना को समेकित और अनुमोदित करती है।

डी. जिला स्तर पर:

जिला पंचायत / जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य मिशन जिले में स्वास्थ्य गतिविधियों की योजना बनाने और निगरानी करने के लिए व्यापक निकाय है। जिला चिकित्सा / स्वास्थ्य अधिकारी उसका सदस्य सचिव है। जिला स्वास्थ्य मिशन का समर्थन करने के लिए, प्रत्येक जिले में जिला चिकित्सा / स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक एकीकृत जिला स्वास्थ्य सोसायटी (डीएचएस) है। सभी मौजूदा सोसायटीइस को विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के समर्थन संरचनाओं के रूप में डीएचएस में विलय कर दिया गया है। एनएचएम के तहत सालाना तैयार की गई जिला और ब्लॉक स्वास्थ्य कार्य योजनाओं की तैयारी और निष्पादन के लिए पीआरआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जिला परिषद / जिला परिषद में स्वास्थ्य स्थायी समिति सीधे स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट और लोगों की जरूरतों के लिए योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है।

सांकेतिक प्रवाह इस प्रकार है-

- (ए) **योजना:** जिला स्वास्थ्य कार्य योजना ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) द्वारा तैयार किया जाता है और इसकी ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत में समीक्षा की जाती है।

1. गांव के स्तर पर, योजना को समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ तैयार किया जाता है, जिसमें समाज के सभी वर्ग शामिल होते है। पहला कदम स्वास्थ्य निर्धारकों जैसे कि पानी, स्वच्छता, पोषण, आवास आदि से संबंधित आकड़ों और रोग प्रोफ़ाइल और सामाजिक कारकों से संबंधित आकड़ों - लिंग, जीवन शैली या व्यवहार की समीक्षा है। आशा कार्यकर्ता एएनएम के समर्थन से ग्राम स्वास्थ्य योजना को आगे बढ़ाएगी।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर, स्वास्थ्य स्थायी समिति ग्राम स्वास्थ्य योजना के समेकन का समन्वय करेगी। इसे उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के सीएचओ और एमओ इसमें तकनीकी रूप से ग्राम पंचायत की मदद करेंगे। इस पर ध्यान केंद्रित करना हैं :
    - स्वास्थ्य से संबंधित सतत विकास लक्ष्य और संकेतक,
    - अपने लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय निर्धारकों पर समग्रता से विचार करते हुए स्वास्थ्य की जरूरतों और रोग बोझ का विश्लेषण,
    - क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का विश्लेषण
    - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की प्राथमिकताओं और रणनीतियों को समझना
    - आइपीएचएस के अनुसार टेलीकंसल्टेशन के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना

- मानव संसाधन रिक्तियों को भरना, कर्मचारियों की सुविधाओं और कर्मचारियों के निरोध की आवश्यकता
- डीवीडीएमएस के उपयोग और उचित योजना के साथ विस्तृत नैदानिक सेवाओं, आवश्यक निदान और दवाओं का आश्वासन देना
- देखभाल की निरंतरता के लिए रेफरल और पीएम-जय संपर्क।
- सड़क संपर्क और रोगी परिवहन
- देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल अधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता।

ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरसेक्टोरल समन्वय सबसे अच्छा है क्योंकि विकास के सभी 29 कार्यात्मक विषय एक समग्र एजेंसी के साथ हैं। जीपी स्वास्थ्य योजना अपने लोगों की व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों के संयोजन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

ब्लॉक स्वास्थ्य स्थायी समिति का सदस्य जीपी स्तर की योजना प्रक्रिया का समन्वय करेगा। स्वयं सहायता समूह और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को आंकड़े एकत्र करने और योजना समेकन को प्रोत्साहित करने के लिए शामिल करना ।

जिला परिषद की स्वास्थ्य स्थायी समिति सभी ब्लॉक योजनाओं की समीक्षा और अनुमोदन करेगी।

(बी) कार्यान्वयन : पीआरआई क्षेत्र के भीतर स्वास्थ्य सुविधाओं पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए हैं। उन्हें निष्पक्षता सुनिश्चित करना है (कमजोर और हाशिए वाले समूहों पर विशेष जोर देने के लिए जैसे महिलाओं, विकलांगों, ट्रांसजेंडर, आदिवासी लोगों और अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगों), समुदाय की भागीदारी और समन्वय । उन्हें जिला परिषद के साथ अपनी बातचीत में संसाधनों

की समय पर आवश्यकता को बताना चाहिए और ये सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

(सी) मॉनीटरिंग: पीआरएएस, जेएएस, आरकेएस, जीपी बैठकों, स्वास्थ्य के लिए ग्राम सभा, ब्लॉक की अपनी मौजूदा संरचनाओं के माध्यम से, स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों की योजना के अनुसार सभी आयामों में प्रगति की निगरानी करेगा-प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास । जेएएस और आरकेएस सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के कर्मियों में कर्मियों की उपस्थिति और समुदाय की प्रतिक्रिया के आधार पर उनके प्रदर्शन की निगरानी करेंगे। लक्ष्य पर नजर रखने के साथ कार्यक्रम घटकों (पिछले पृष्ठों में सूचीबद्ध) में सूचीबद्ध संकेतकों का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल वितरण और क्षेत्र में स्वास्थ्य की समीक्षा के लिए किया जाएगा। ब्लॉक स्वास्थ्य समिति अपने सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम त्रैमासिक आधार पर निगरानी गतिविधि का समन्वय करेगी। यह अपने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के सामाजिक ऑडिट की सुविधा भी प्रदान करेगा। पीआरआई वास्तविक समय के आँकड़े और परोक्ष निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी समाधान अपनाने को प्रोत्साहित करेगा।

<u>स्वास्थ्य क्षेत्र में पंचायत की सक्रिय भूमिका को सक्षम बनाने वाले कारक-</u>

कुछ राज्यों के अनुभवों से स्वास्थ्य कार्यक्रम की आयोजना और निगरानी में ग्राम पंचायतों के शामिल होने की रूचि और क्षमता उजागर हुई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में ग्राम स्वराज के लिए इन बातों की आवश्यकता है।

I. **नीति :** प्रत्येक राज्य को गांव स्तर से विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रिया अपनाते हुए जिला स्वास्थ्य कार्य योजना की रूपरेखा तय करने के लिए एक नीति अनुमोदित करने की आवश्यकता है। राज्यों द्वारा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और निगरानी के दौरान जिला

स्वास्थ्य कार्य योजना के पूरी तरह पालन से पंचायती राज संस्थाओं के क्रिया-कलाप और सामुदायिक स्वामित्व को आवश्यक गति मिलेगी।

II. **प्रशिक्षण :** पंचायती राज सदस्यों की दोहरी भूमिका है। एक तो यह कि उन्हें स्वास्थ्य प्रशासन क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभानी है तथा दूसरी ओर समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों और व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए उनका प्रशिक्षण ग्राम से जिला और राज्य स्तर तक प्रशासन की रूपरेखा और इसमें पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और दायित्व से अवगत कराने का होना चाहिए। इसके अलावा कई प्रशिक्षण सत्रों की श्रृंखला में पीआरआई सदस्यों का प्रशिक्षण समुदाय में स्वास्थ्य से संबंधित सकारात्मक आदतों और व्याहार के क्षेत्र में भी होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण रिसोर्स पर्सन, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों के साथ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की सेवाएं प्रशिक्षण कार्य के लिए ली जा सकती हैं।

III. **संसाधन :** राज्य को प्रशिक्षण, योजना प्रक्रिया और लेखांकन के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करना होगा। राज्य योजना प्रक्रिया और इसके दस्तावेजीकरण की गति और गुणवत्ता बढाने के लिए प्रौद्योगिकी सहयोग भी उपलब्ध कराएंगे। राज्य प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य योजना प्रक्रिया में सहयोग के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुभवी गैर सरकारी संगठनों को अनुबंधित कर सकते हैं।

IV. **पोर्टफोलियो हस्तांतरण-** अग्रणी राज्यों के अनुभवों से स्पष्ट है कि योजना की प्रभावकारिता पंचायती राज संस्थानों तक तीन **एफ** के हस्तांतरण से संभव है- **फंक्शन** यानि क्रियाकलाप, **फंक्शनरिज** यानि कार्यकर्ता और **फंड** यानि कोष। संविधान की 11वीं अनुसूची स्वास्थ्य को पंचायती राज संस्थान के अंतर्गत विषय के रूप में सूचीबद्ध करती है। यह अनिवार्य है कि राज्य कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य देख-भाल से जुड़े मुद्दों का हस्तांतरण पंचायती राज संस्थाओं को करें

ताकि सामुदायिक स्वामित्व, विकेन्द्रीकृत, प्रशासन, अंतरक्षेत्रीय समन्वय और सम्मिलित कार्रवाई को बढ़ावा दिया जा सके।

V. **प्रचार :** आयोजना प्रक्रिया में समुदाय की सर्वोत्तम भागीदारी के लिए समुदाय की जागरुकता महत्वपूर्ण है। समुदाय तक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टेलिविजन, सामुदायिक रेडियो सहित रेडियो के माध्यम से पहुंच बनाने की जरूरत है। इनके जरिए योजना की नई प्रक्रिया तथा अवसरों और समुदाय की भागीदारी के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

VI. **प्रोत्साहन :** लोगों और पंचायती राज संस्थान कार्यकर्ताओं को समर्पित भागीदारी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए राज्य पंचायती राज संस्थाओं के लिए नकद और गैर नकद पुरस्कार शुरू कर सकते हैं। यह पुरस्कार सर्वाधिक न्यायसंगत और विवेकपूर्ण योजना और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिए जा सकते हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा के दौरान यह आकलन किया जा सकता है।

इस प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में बांछित परिणामों के लिए पंचायती राज संस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी साबित हो सकते हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमे एकजुट होकर आपसी तालमेल और समन्वय से काम करना होगा। इस प्रकार जनसांख्यिकी आधिक्य को जनसांख्यिकी लाभांश में बदलने का माननीय प्रधानमंत्री का स्वप्न साकार होगा।

अनुलग्नक : एबी-एचडब्ल्यूसी - स्वास्थ्य कैलेंडर दिवस

क्रम संख्या	तिथि	दिवस
1.	12 जनवरी	राष्ट्रीय युवा दिवस
2.	30 जनवरी	कुष्ठ निवारण दिवस

क्रम संख्या	तिथि	दिवस
3.	4 फरवरी	विश्व कैंसर रोकथाम दिवस
4.	10 फरवरी	राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस
5.	11 फरवरी	अंतरराष्ट्रीय मिर्गी निवारण दिवस
6.	8 मार्च	अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस
7.	10 मार्च	राष्ट्रीय गर्भावस्था मधुमेह जागरूकता दिवस
8.	24 मार्च	विश्व टीबी निषेध दिवस
9.	7 अप्रैल	विश्व स्वास्थ्य दिवस
10.	11 अप्रैल	राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस
11.	14 अप्रैल	आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र दिवस
12.	अप्रैल का अंतिम सप्ताह, 24 अप्रैल से	विश्व टीकाकरण सप्ताह
13.	5 मई	अंतरराष्ट्रीय धात्री (मिडवाईफ) दिवस
14.	12 मई	अंतराष्ट्रीय नर्स दिवस
15.	28 मई	मासिक धर्म स्वच्छता दिवस
16.	28 मई से 8 जून	अतिसार नियंत्रण पखवाड़ा
17.	31 मई	विश्व तंबाकू निषेध दिवस
18.	14 जून	विश्व रक्तदान दिवस
19.	21 जून	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
20.	26 जून	अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध दिवस
21.	1 जुलाई	डॉक्टर्स डे
22.	11 जुलाई	विश्व जनसंख्या दिवस

क्रम संख्या	तिथि	दिवस
23.	28 जुलाई	विश्व हेपेटाइटिस नियंत्रण दिवस
24.	01 से 07 अगस्त	विश्व स्तनपान दिवस / सप्ताह
25.	10 अगस्त	राष्ट्रीय कृमि निवारण दिवस
26.	15 अगस्त	स्वतंत्रता दिवस
27.	01 से 07 सितंबर	राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
28.	29 सितंबर	विश्व हृदय दिवस
29.	1 अक्तूबर	विश्व वरिष्ठजन दिवस
30.	10 अक्तूबर	विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
31.	7 नवंबर	राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
32.	12 नवंबर	विश्व निमोनिया निषेध दिवस
33.	14 नवंबर	बाल दिवस और विश्व मधुमेह नियंत्रण दिवस
34.	15 से 21नवंबर	नवजात शिशु दिवस
35.	17 नवंबर	विश्व समयपूर्व प्रसवजात दिवस
36.	25 नवंबर	महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकथाम दिवस
37.	1 दिसंबर	विश्व एड्स नियंत्रण दिवस
38.	10 दिसंबर	मानवाधिकार दिवस
39.	12 दिसंबर	वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज दिवस

अनुलग्नक VII D

बीडीपी और डीडीपी में शामिल करने के लिए आयुष मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाएँ

केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम), आयुष मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसे 29-09-2014 को अनुमोदित किया गया था और इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) का शुभारंभ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। एनएएम का उद्देश्य कम लागत से आयुष सेवाओं के द्वारा आयुष चिकित्सा तंत्र को प्रोत्साहित करना, शिक्षा प्रणाली को सशक्त करना, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तथा होमियोपैथी (एएसयूएच) दवाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था लागू करना और एएसयूएच के लिए कच्चे माल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना। यह इस कार्यक्रम के उदार क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करता है जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की व्यापक सहभागिता हो।

योजना से जुड़े मुख्य प्राथमिकता वाले उद्देश्य:

- आयुष के सिद्धांतों और व्यवहारों के आधार पर समग्र स्वस्थ्य मॉडल की स्थापना ताकि "स्वतः देखभाल" से बीमारियों का बोझ कम हो, बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आए और ज़रूरतमंद जनता के पास उपलब्ध विकल्पों की जानकारी हो।
- आयुष अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को उन्नत बनाकर तथा प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्रों और ज़िला अस्पतालों में आयुष सुविधा उपलब्ध कराकर कम लागत से प्रभावी आयुष सेवाएँ सभी के लिए सुलभता से उपलब्ध करना।
- बेहतर कृषि प्रणाली को अपना कर चिकित्सकीय पौधों की खेती में मदद ताकि कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। साथ ही कृषि, उत्पाद की खरीद और संग्रहण से जुड़ी उन्नत शैली और गुणवत्ता मानक के लिए प्रमाणन तंत्र में मदद।
- खेती, भंडारण, गुण संवर्धन, विपणन और उद्यमियों के लिए बुनियादी ढांचा विकास आदि में मदद कर एक समूह का विकास करना।

एमओपीआर के साथ समाभिरूपता की संभावना

स्वास्थ्य एवं बहुनियोक्ता और बहुपक्षीय समन्वय से जुड़े मामले का सफलतापूर्वक निराकरण आवश्यक होने के क्रम में योजना के दिशा निर्देशों के अनुरूप जन स्वास्थ्य गतिविधियों को सफलतापूर्वक योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन के लिए सभी संबद्ध विभागों और मंत्रालयों में आवश्यक समन्वय दिशा निर्देशों में परिकल्पित है। इसमें राज्यों के स्वास्थ्य विभाग, आयुष के अपने अस्पताल, आवंटित सुविधा केन्द्रों, शैक्षिक संस्थानों, राष्ट्र स्तरीय संगठनों, स्कूलों, सामाजिक संगठनों, निजी संस्थानों, सामुदायिक समूहों, स्थानीय समूहों, पंचायती राज संस्थानों, अंतर क्षेत्रीय समूहों के साथ इसे पहले ही जोड़ दिया गया है। समुदाय स्तरीय संस्थाओं, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति (वीएचएसएनसी), महिला आरोग्य समिति (एमएएस), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) आदि आयुष के स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों (एचडबल्यूसी) से पहले ही जोड़े जा चुके हैं।

आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रस्तावित गतिविधियां

पंचायती राज व्यवस्था अपने त्रिस्तरीय तंत्र पर स्थानीय शासन-प्रशासन के लिए काम करता है। कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन के लिए ज़िला स्तरीय समितियों में ज़िला पंचायत और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की परिकल्पना की गई है। ग्राम पंचायत से परामर्श से पंचायत परिसर में योग सत्रों का आयोजन। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत दिशा निर्देशों के अनुसार मंत्रालय द्वारा सभी गतिविधियां पंचायतों के सम्मिलन से करनी होंगी। जनता के बीच ऐसी गतिविधियों की उपयुक्त और प्रचलित ढंग से सूचना प्रसारित कर, इनका आयोजन पंचायत भवन में या आसपास किया जा सकता है।

i. **क्लीनिकल सेवाएँ**: ग्राम पंचायत भवन परिसर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा महीने में कम से कम एक बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें हेमोग्लोबीन और शुगर सहित सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक दवाओं के वितरण की सुविधा उपलब्ध होगी।
ii. **औषधीय पौधों के प्रदर्शन हेतु पंचायत भवन परिसर में इनका विकास:** आयुष स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के अंतर्गत बीमारियों के निवारण और प्रबंधन में प्रायः इस्तेमाल होने वाले औषधीय पौधों की खेती को अनिवार्य गतिविधि के रूप में शामिल किया गया है। क्षेत्र में कुछ लोकप्रिय औषधीय पौधों की खेती पंचायत भवन में उपलब्ध जगह और

भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए की जा सकती है। राजकीय औषधीय पौधा बोर्ड और वनस्पति विभाग की मदद से राज्य आयुष विभाग हर्बल बागवानी तैयार करने में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। कुछ चिन्हित औषधीय पौधों का ब्रोशर तैयार किया गया है।

iii. **पंचायत भवन/परिसर में योग शिविर**: आयुष स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों पर तैनात योग प्रशिक्षक, आयुष स्वास्थ्य देखभाल केंद्र और पंचायती राज टीम द्वारा परस्परिक रूप से तय आधार पर पंचायत भवन परिसर में सप्ताह में कम से एक बार या इससे अधिक बार योग शिविरों का आयोजन करेंगे।

iv. **आईईएस गतिविधियां**: पंचायत भवन/परिसर में आईईसी सामग्री का प्रदर्शन और आयुष एचडबल्यूसी टीम द्वारा निर्धारित दैहिक और व्यवहारात्मक कोड सहित स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी आईईसी गतिविधियों का प्रदर्शन। स्थानीय संसाधनों पर आधारित आयुष व्यंजन विधियों को लोकप्रिय बनाना।

v. **ग्राम पंचायत कर्मियों को प्रशिक्षण**: सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के क्षेत्र स्तरीय कर्मी को आयुष की मध्यस्थता से रोग निवारक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त सभी गतिविधियों के लिए इस योजना में पैसों का प्रावधान है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज विभागों और आयुष से प्रत्येक आयुष स्वास्थ्य देखभाल केंद्र (एचडबल्यूसी) पर विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कार्ययोजना बनाने हेतु संयुक्त परामर्श के लिए निवेदन किया जाएगा।

अनुलग्नक VII E

बीडीपी एवं डीडीपी में शामिल होने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएँ

A) **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम(जी)]** का आरंभ 2 अक्तूबर, 2014 को किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को शौचालय उपलब्ध करवाकर समग्र ग्रामीण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के साथ देश में समग्र स्वच्छता स्तर को 2 अक्टूबर, 2019 तक बेहतर करना था।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़ाने के लिए राज्यों को तकनीकी और आर्थिक सहायता मुहैया कराना जाना था, ताकि राज्यों में खुले में शौच की आदत को बदलकर और तरल तथा ठोस कचरा प्रबंधन को प्रोत्साहित कर ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और गरीबी रेखा से ऊपर वाले जनजातीय, अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लोगों, छोटे और लघु किसानों, भूमिहीन कामगारों, दिव्यांग जनों और महिला प्रधान घरों के लिए शौचालय निर्माण में वित्तीय मदद मुहैया कराना।

इस कार्यक्रम के तहत स्थानीय परंपरा, तौर-तरीकों, संवेदनशीलता और मांग की स्थिति के आधार पर राज्यों की सुविधानुसार अंतर व्यक्तिक संप्रेषण समेत व्यवहार में बदलाव पर ध्यान केंद्रित करना और ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को सशक्त करना था। सामुदायिक आधार पर और कार्यक्रम प्रबंधन के आधार पर सबसे अधिक ज़ोर क्षमता निर्माण पर दिया गया है। इस कार्यक्रम को गैर सरकारी संगठनों, कारपोरेट, युवाओं आदि समेत समाज के सभी वर्गों के सहयोग से नागरिक आंदोलन के तौर पर चलाया जा रहा है।

2 अक्टूबर, 2014 को जब स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ किया गया था, उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का दायरा महज 38.7% था, जो अब 100% पहुंच गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 10.64 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। इसके परिणामस्वरूप देश के 6,03,203 गावों, 706 जिलों और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। अब इस व्यवस्था को बनाए रखने और तरल तथा ठोस कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना है।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के दूसरे चरण (फेज़-II) का आरंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत खुले में शौचमुक्त की व्यवस्था को बनाए रखना और तरल तथा ठोस कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पीछे न छूट जाए और यह हर एक नागरिक शौचालय का इस्तेमाल करे। एसबीएम (जी) का दूसरा चरण भी मिशन मोड में काम करेगा और इसका क्रियान्वयन 2020-21 से 2024-25 के बीच किया जाएगा। इसके लिए धन आवंटन की व्यवस्था को बेहतर किया गया है। 15वें वित्त आयोग और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत तथा रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पर पैसा लगाया जाएगा। विशेषतौर पर तरल और ठोस कचरा प्रबंधन में। यह पहली बार है जब 15वें वित्त आयोग में 50% राशि जल एवं स्वच्छता के लिए निश्चित की गई है।

जिलों और खंड विकास योजनाओं के एकीकरण के मुद्दे और थीम

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसी के अनुरूप पीआरआई की स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन आगे भी पीआरआई द्वारा बेहतर ढंग से किया जाएगा। पीआरआई की भूमिका अब और अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि 15वें वित्त आयोग में स्वच्छता गतिविधियों के लिए पैसा बढ़ा दिया गया है।

(i) योजना

प्रत्येक जिले और खंड की पंचायतों को जिला/खंड स्वच्छता योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में तैयार करनी होगी जिसमें सभी गांवों के लोग शामिल होंगे खासतौर पर महिलाएं और पिछड़े समुदाय के लोग। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ओडीएफ का स्तर बना रहे और तरल तथा ठोस कचरा प्रबंधन ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर हो। डीपी/बीपी की योजनाएँ निर्धारित योजना सॉफ्टवेयर में जीपीडीपी की योजना के सिद्धांतों और एसबीएम (जी) आएएमआईएस के अनुरूप तैयार करनी होंगी। जिला और खंड पंचायत अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लान में किसी तरह का बदलाव दोनों सॉफ्टवेयर में दिखाई पड़े। सभी भौतिक और वित्तीय प्रगति भी दोनों सॉफ्टवेयर में तत्काल अपडेट किए जाने चाहिए।

(ii) धन प्रबंधन

जिला और ब्लॉक पंचायतों को इस योजना के अंतर्गत पैसों का आवंटन भी किया जाएगा जो कि राज्य की व्यवस्थाओं द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करेगा। साथ ही उन्हें तरल और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए अपने श्रोतों द्वारा योगदान भी करना होगा। जिला और खंड पंचायतों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्वच्छता के लिए जारी किए गए पूरे धन का निवेश हुआ है और इस्तेमाल हुआ है और यह पेयजल तथा स्वच्छता विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।

(iii) समन्वय

जिला और खंड पंचायतें धन जुटाने और ऑपरेशन व मेंटेनेंस (ओ&एम) के लिए व्यवसायों, कॉरपोरेट, सामाजिक संगठनों और बैंक तथा बीमा कंपनियों की सहभागिता के लिए ग्राम पंचायतों की मदद करेंगी।

(iv) निगरानी

खंड और जिला स्तर की पीआरआई कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर निरंतर निगरानी रखेंगी।

(v) ज़िला और खंड पंचायतों द्वारा की जा सकते वाली गतिविधियां

- खंड/ज़िला स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों/ मैटीरियल रिकवरी सुविधा
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों के लिए ओ&एम
- ज़िला स्तर पर मल कचरा प्रबंधन इकाइयां
- गोबर-धन परियोजनाएं
- खंड स्तर पर मासिक धर्म से जुड़े कचरा प्रबंधन

B) जल जीवन मिशन (जेजेएम)

ज़िला एवं खंड विकास योजनाओं में एकीकरण के मुद्दों, थीम्स, क्षेत्रों और महत्वपूर्ण योजनाओं पर चैप्टर IV के पैरा 4.4.3 में शामिल किए जाने वाले प्रमुख बिन्दु नीचे हैं:

i. सामान्य सूचना;

ii. ज़िला जल सुरक्षा;

iii. एफ़एचटीसीएस उपलब्ध करने के लिए तिमाही एवं वार्षिक कार्य योजना;

iv. एफ़एचटीसीएस उपलब्ध करने के लिए तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय कार्य योजना:

v. जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु ज़मीन की आवश्यकता;

vi. आवश्यक मानव संसाधन;

vii. गांवों में जल श्रोतों का पता लगाना और आवश्यक कदम उठाना;

viii. क्रियान्वयन हेतु मदद एजेंसियों की आवश्यकता (टीएसएएस);

ix. आईईएस गतिविधियां;

x. जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ;

xi. सभी योजनाओं के लिए प्रचालन एवं देखरेख;

xii. शिकायत समाधान स्वीकार करने का प्रस्ताव

जल जीवन मिशन के तहत ज़िला कार्य योजना के लिए विस्तृत प्रारूप भी **अनुलग्नक** में दिया गया है।

ज़िला कार्य योजना (**डीएपी**) - **जेजेएम** मिशन के तहत ज़िला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एक योजना तैयार की जाएगी जिसमें बड़े पैमाने पर जल हस्तांतरण**,** वितरण नेटवर्क**,** प्रयोगशालाओं समेत सभी ग्रामीण कार्ययोजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा जिसका उद्देश्य ज़िले के सभी गावों/बसावटों में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें वित्तीय और घटनाक्रम भी शामिल रहेगा।

ज़िला कार्य योजना के अंतर्गत निर्धारित मुख्य कार्य (डीएपी)

ज़िला जल एवं स्वच्छता मिशन, ज़िला कार्य योजना तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने हेतु उत्तरदायी होग। इसमें निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे:

i.) सभी ग्रामीण घरों में 2024 तक हर घर नल से जल (FHTC) की कार्ययोजना तैयार करना, साथ ही तिमाही और वार्षिक योजना भी;

ii.) सभी वीएपी के समुच्चयन प्राप्त हो चुके हैं;

iii.) वीएपी से प्राप्त होने वाले विविध तत्वों का डाटाबेस तैयार करना और उसका विश्लेषण;

iv.) एफ़एचटीसी का दायरा बढ़ाने के लिए के लिए सभी गतिविधियों की समय सारणी और वित्तीय आवश्यकता का विवरण। विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन की आवश्यकता क्षमता निर्माण समेत ज़िला कार्ययोजना (डीएपी) का हिसा होगा;

v.) स्थानीय जल श्रोतों पर आधारित जलापूर्ति वाले गावों की पहचान, पूर्व स्थापित आपूर्ति तंत्र के नवीनीकरण, और सतह के जल से जलापूर्ति की आवश्यकता;

vi.) वर्षा जल संचयन के पारंपरिक विधियों और ढांचे की पहचान करना और पेय जलापूर्ति हेतु उसे पुनर्जीवित कर नवीनीकरण करना;

vii.) जल श्रोतों के प्रकार का आकलन, जल शोधन सुविधाओं की आवश्यकता, ऊपर उठे हुए जलाशय, हौदी, वॉटर पंप, सौर पैनल, आपूर्ति नेटवर्क, एफ़एचटीसी, धुलाई/ स्नान स्थल, जानवरों के पानी पीने की हौद, दूषित जल शोधन और इसके पुनः इस्तेमाल के उपाय, श्रोतों की निरंतरता के उपाय, इत्यादि की ज़िले के भीतर और इसके तटीय क्षेत्रों में आवश्यकता होगी;

viii.) सूची में शामिल आईएसए के अलावा आवश्यक आईएसए की पहचान करना, इनकी तैनाती के लिए योजना बनाना और वीएपी तैयारियों से गांवों में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना;

ix.) क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, तीसरे पक्ष से जांच, ओ&एम और आईईसी गतिविधियों के लिए योजना बनाना;

x.) वीएपी से उभर रही जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिपूरक श्रोतों का पता लगाना;

xi.) ज़िला जल गुणवत्ता परीक्षण लैब के एनएबीएल प्रमाणन और खंड/ ग्रामीण स्तर पर जल परीक्षण के मॉडल की योजना तैयार करना;

xii.) ज़िला कार्ययोजना के लिए वित्तीय जरूरतों समेत अन्य लागतों और समय सीमा का निर्धारण;

xiii.) गाँव के साथ-साथ क्षेत्रीय जलापूर्ति, वित्तीय एवं संस्थागत आवश्यकताओं के लिए ओ&एम;

xiv.) एसडबल्यूएसएम में अंतिम डीएपी प्रस्तुत;

डीएपी को अंतिम रूप देने के लिए संलग्नक के रूप में एक प्रारूप प्रस्तुत है

अनुलग्नक

ज़िला कार्य योजना (डीएपी)

ज़िला जल एवं स्वच्छता मिशन यानी डीडबल्यूएसएम जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देने और उसे तैयार करने के लिए उत्तरदाई होगा। इस योजना में जिले के लिए तैयार सभी ग्रामीण कार्य योजनाओं को सम्मिलित किया जाएगा। 2024 तक 'हर घर नल से जल' का लक्ष्य हासिल करने के लिए रोड मैप देने के अलावा योजना में जिले के लिए दीर्घावधि पेयजल सुरक्षा को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए ज़िले का एक वार्षिक बजट तैयार किया जाएगा, जो धरातल और भू-जल की उपलब्धता, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जल की उपलब्धता और जल के हस्तांतरण पर आधारित होगा। साथ ही इसमें घरेलू, कृषि एवं उद्योग इत्यादि द्वारा जल उपयोग का आकलन भी शामिल किया जाएगा। इसमें जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों का विवरण भी दिया जाएगा जो पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धरातल पर मौजूद जल स्रोतों का पता लगाने, जलाशयों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने तथा भूगर्भ जल स्रोतों को प्रभावी करने पर आधारित होगा।

इस प्लान में सभी पक्षों के क्षमता निर्माण को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशाला और सम्मेलनों का ज़िला स्तर पर आयोजन होगा तथा अन्य जिलों के अनुभव के आदान-प्रदान के लिए पड़ोसी जिलों में दौरे इत्यादि को भी शामिल किया जाएगा।

क्रम संख्या.	तत्वों के नाम	टिप्पणी
I	**सामान्य** i.) ज़िले का नाम ii.) कलेक्टर/डीएम, ज़िला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी अभियंता के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी समेत पूर्ण विवरण। ग्रामीण जलापूर्ति हेतु एक से अधिक विभागों की सहभागिता की स्थिति में इन सभी विभागों के ज़िला स्तर के अधिकारियों के संपर्क विवरण उपलब्ध कराना। iii.) खंडों की संख्या iv.) ग्राम पंचायतों की संख्या v.) जनगणना अनुसार राजस्व ग्रामों की संख्या vi.) गावों में सभी घरों की संख्या vii.) जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाये जाने वाले गांवों की संख्या viii.) ऐसे घरों की संख्या जहां पहले से नल से जल (एफ़एचटीसी) आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है ix.) बाकी घरों में मार्च 2024 से पहले नल से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी	
II	ज़िला जल सुरक्षा a. क्या ज़िले का जल बजट तैयार हो चुका है? b. जल बजट के आधार पर, क्या जल की उपलब्धता इतनी पर्याप्त है कि पूरे वर्ष के लिए पेयजल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके? c. जल सुरक्षा के लिए संरक्षण के उपाय किए जाने की आवश्यकता-जिसमें भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन, ज़िले में मौजूद जल श्रोतों को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित कर उनका संवर्धन और दोषित जल प्रबंधन	

<table>
<tr><th>क्रम संख्या.</th><th>तत्वों के नाम</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td>इत्यादि।
d. जल्द संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना और इसके लिए लागत की पहचान।
e. जो कार्य किए जाने हैं, वर्ष वार उनका विवरण और लागत के श्रोतों की पहचान</td><td></td></tr>
<tr><td>III</td><td>हर घर नल से जल (एफ़एचटीसी) उपलब्ध कराने के लिए तिमाही और वार्षिक कार्ययोजना
<table>
<tr><th></th><th colspan="6">एफ़एचटीसी का प्रावधान (संख्या)</th></tr>
<tr><td>तिमाही</td><td>2019-20</td><td>2020-21</td><td>2021-22</td><td>2022-23</td><td>2023-24</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>पहली तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>दूसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>तीसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>चौथी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>वीएपी के कुल समायोजन अनुसार</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्रम संख्या.</th><th>तत्वों के नाम</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>IV</td><td>हर घर नल से जल (एफ़एचटीसी) उपलब्ध कराने के लिए तिमाही और वार्षिक वित्तीय कार्ययोजना
<table>
<tr><th></th><th colspan="6">ग्रामीण क्षेत्रों में एफ़एचटीसी के प्रावधान (करोड़ रुपये में)</th></tr>
<tr><td>तिमाही</td><td>2019-20</td><td>2020-21</td><td>2021-22</td><td>2022-23</td><td>2023-24</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>पहली तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>दूसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>तीसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>चौथी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
जारी किए जाने वाले पैसों से दूषित जल प्रबंधन श्रोतों की निरंतरता को भी कवर किया जाएगा।</td><td>वीएपी के कुल समायोजन अनुसार</td></tr>
<tr><td>V</td><td>जल जीवन मिशन हेतु भूमि की आवश्यकता
a. जेजेएम हेतु ज़मीन की कुल आवश्यकता (हेक्टेयर में)
b. जेजेएम के इस्तेमाल हेतु उपलब्ध कुल सरकारी/ पंचायत</td><td></td></tr>
</table>

क्रम संख्या.	तत्वों के नाम	टिप्पणी
	भूमि c. कुल आवश्यक ज़मीन जिसे अधिग्रहीत किया जाना है (जनवरी-मार्च 2019 से तिमाही योजना उपलब्ध कराएं) d. योजनाओं की संख्या जिनके लिए निर्माण हेतु रिक्त ज़मीन उपलब्ध है। e. योजनाओं की संख्या जिनके लिए निर्माण हेतु ज़मीन सौंपे जाने की अवस्था में है।	
VI	**आवश्यक मानव संसाधन** 1. जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर विभागीय अधिकारियों के पदों की संख्या और 2023-24 तक कुल संख्या। सभी स्वीकृत पदों के लिए भरे गए पदों की संख्या और खाली पदों का विवरण। 2. डीपीएमयू के लिए आवश्यक बहू-विषयक अनुभवी व्यक्तियों की की संख्या 3. सरपंचों/ वीडबल्यूएससी सदस्यों/ एनजीओ/ एसएचजी की क्षमता निर्माण हेतु ज़िला स्तरों पर अनुमानित संख्या की पहचान, आवश्यक निधि, इसके श्रोतों तथा प्रस्तावित वार्षिक प्रशिक्षण इत्यादि। 4. क्षमता निर्माण हेतु उपरयुक्त 1 व 2 के लिए आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या। वार्षिक योजना दें (प्रशिक्षण	

<table>
<tr><th>क्रम संख्या.</th><th>तत्वों के नाम</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td>योजना)

5. कार्यशाला/ सम्मेलन/ संगोष्ठी/ अन्य जिलों के दौरों की वार्षिक योजना।</td><td></td></tr>
<tr><td>VII</td><td>गांवों में जल श्रोतों की पहचान और किए जाने वाले आवश्यक कार्य।

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>श्रोत का प्रकार</th><th>दायरे में आने वाले गांवों की संख्या</th><th>उपलब्ध कराये जाने वाले एफ़एचटीसी की संख्या</th></tr>
<tr><td></td><td>अ. राज्यों की पेयजल योजनाओं, वर्तमान में संचालित अन्य योजनाओं, या बंद पड़ी एफ़एचटीसी, जिनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>श्रोत पर्याप्त है। पुनर्स्थापन की आवश्यकता है।
a. भूगर्भ जल आधारित योजनाओं की संख्या
b. धरातलीय जल श्रोतों पर आधारित योजनाओं</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td>वीएपी के आधार पर तैयार किया जाएगा। घरों की परिधि में न्यूनतम सेवा स्तर 55 एलपीसीडी</td></tr>
</table>

क्रम संख्या.	तत्वों के नाम				टिप्पणी
		की संख्या c. क्षेत्रीय योजना/ बड़े पैमाने पर जल हस्तांतरण/ पहले से जारी योजनाओं के हिस्से के रूप में गाँव के बाहर के श्रोतों पर आधारित योजनाओं की संख्या			
	2	संवर्धन एवं पुनर्नवीकरण निम्न लिखित पर आधारित a. स्थानीय भूगर्भ जल श्रोतों की संख्या। b. धरातलीय जल श्रोतों की संख्या। c. बड़े पैमाने पर जल हस्तांतरण/ पहले से जारी योजनाओं के हिस्से के रूप में गाँव के बाहर के श्रोतों पर आधारित योजनाओं की संख्या।			
	3	अन्य प्रकार की योजनाएँ			
		आंशिक -योग **A**			
		B. नई योजनाएँ			

क्रम संख्या.	तत्वों के नाम				टिप्पणी
	4	बड़े पैमाने पर जल हस्तांतरण/ पहले से जारी योजनाओं के हिस्से के रूप में गाँव के बाहर के श्रोतों पर आधारित योजनाएं*(संख्या)			
	5	भूगर्भ जल आधारित योजनाओं की संख्या*			
	7	स्थानीय धरातलीय जल श्रोतों पर आधारित योजनाओं की संख्या*			
	6	धरातलीय, भूगर्भ, वर्षा जल के संयुक्त इस्तेमाल आधारित योजनाओं की संख्या			
	7	भूगर्भ आधारित योजनाओं की संख्या जिनमें स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों द्वारा जल शोधन किया जा सके और 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जला पूर्ति की जा सके।			
	8	मौजूदा सीडबल्यूपीपी योजनाओं की संख्या जिनकी क्षमता 5-8 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन है और हर घर नल			

क्रम संख्या.	तत्वों के नाम	टिप्पणी

	से जल के लिए नई योजना की आवश्यकता है।		
9	सुदूरवर्ती/ पहाड़ी/ ठंडे व गर्म रेगिस्तानी इलाकों में गांवों से दूर घरों के लिए योजनाओं की संख्या जहां हर घर नल से जल (एफ़एचटीसी) खर्चीला है और स्थानीय उपाय एवं तकनीकि उपाय की आवश्यकता है।		ऐसे घरों/ स्टैंडपोस्ट की संख्या दें जिन्हें एफ़एचटीसी में कवर नहीं किया जा सकता।
10	अन्य प्रकार की योजनाओं की संख्या (विवरण दें)		
	* इन योजनाओं में हैंड पंप आधारित जलापूर्ति की योजनाओं को भी कवर किया जाएगा।		
	आंशिक-योग **B**		
	कुल योग **(A + B)**		

$ ज़िले में मौजूद सामानों की सूची उपलब्ध करवाना, जिसका जल जीवन मिशन के अंतर्गत इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ यह उल्लेखित करना प्रासंगिक है कि उपलब्ध संसाधनों के उचित इस्तेमाल उपरांत ही निर्माण हेतु नई सामाग्री का प्रस्ताव/ लिया जाना चाहिए।

क्रम संख्या.	तत्वों के नाम	टिप्पणी
VIII	क्रियान्वयन सहयोगी एजेंसियों (आईएसए) की आवश्यकता a. ज़िले में आईएसए की आवश्यकता वाले गांवों की संख्या b. ज़िले में ऐसे गांवों की संख्या जहां सशक्त वीडबल्यूएससी है और आईएसए की आवश्यकता नहीं है c. ऐसे गांवों की संख्या जहां एक आईएसए है d. आईएसए की प्रस्तावित तैनाती की तिमाही रिपोर्ट	

	ग्रामीण क्षेत्रों में आईएसए की तैनाती					
तिमाही	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
पहली तिमाही						
दूसरी तिमाही						
तीसरी तिमाही						
चौथी तिमाही						
कुल						

क्रम संख्या.	तत्वों के नाम	टिप्पणी
IX	आईईसी गतिविधियां a. ज़िले में आईईसी की देख रेख हेतु आवश्यक एजेंसियों की संख्या। b. गांवों में आईईसी गतिविधियों के लिए प्रस्तावित तैनाती का विवरण	

	ग्रामीण क्षेत्रों में आईएसए की तैनाती					
तिमाही	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total

<table>
<tr><th>क्रम संख्या.</th><th>तत्वों के नाम</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>पहली तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>दूसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>तीसरी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>चौथी तिमाही</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
c. आईईसी की रणनीतियों को रेडियो जिंगल, नुक्कड़ नाटक, वाल पेंटिंग, पैम्फलेट इत्यादि के ज़रिए प्रचारित करना।</td><td></td></tr>
<tr><td>X</td><td>जल गुणवत्ता प्रयोगशाला
a. ज़िले में जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की संख्या।
b. एनएबीएल से प्रमाणन हेतु प्रस्तावित वार्षिक प्रयोगशालाओं की संख्या
c. सभी श्रोतों के जल गुणवत्ता की जांच कैसी की जाएगी? राजकीय व्यवस्था के आधार पर मौजूदा शिक्षण संस्थानों (अभियांत्रिकी/ विज्ञान) का इस्तेमाल पीपीपी मॉडल पर जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु कैसे किया जाएगा।
d. ज़िला स्तर पर डबल्यूक्यूएमएस के लिए योजना</td><td></td></tr>
<tr><td>XI</td><td>सभी योजनाओं के लिए ज़िला स्तर पर ऑपरेशन व मेंटेनन्स
a. ग्रामीण जलापूर्ति हेतु O&M की कुल लागत
i.) बिजली खर्च
ii.) एहतियाती रख रखाव खर्च
iii.) ख़राबी ठीक करने पर आने वाला खर्च
iv.) O&M कर्मियों को भुगतान
v.) जल गुणवत्ता परीक्षण
vi.) अन्य O&M लागत</td><td></td></tr>
</table>

क्रम संख्या.	तत्वों के नाम	टिप्पणी
	कुल b. प्रस्तावित जल शुल्क दर लागू करना c. क्या प्राप्त होने वाला प्रस्तावित जल शुल्क O&M खर्चों हेतु पर्याप्त होगा? d. यदि नहीं, तो इसे किस तरह से प्राप्त करने का प्रस्ताव है? e. मौजूदा O&M निधि आवंटन (लाख रुपये प्रति वर्ष)	
XII	लागू करने हेतु प्रस्तावित शिकायत समाधान व्यवस्था का उल्लेख करें (यह राज्य की नीतियों के अनुरूप होना चाहिए)	

अनुलग्नक VII F

बीडीपी और डीडीपी में शामिल करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाएं

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (किसान- पी एम)

- पीएमकिसान योजना किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी जिसमें देश भर - धारक किसान-के सभी भूपरिवारों को नक़द सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथसाथ घरेलू जरूरतों के लिए भी खर्च कर सकें। इस योजना के - तहत उच्च आय की स्थिति से संबंधित कुछ मानदंडों को छोड़ कर6000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से 2000 रुपये की राशि प्रत्येक चार महीने पर तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।
- लाभार्थियों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की होती है। / पोर्टल-योजना के लिए एक विशेष वेबwww.pmkisan.gov.in शुरू किया गया है। लाभार्थियों को पीएमपोर्टल पर उनके द्वारा तैयार और अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार -किसान वेब-पर वित्तीय लाभ जारी किए जाते हैं।
- कृषि जनगणना, 2015-16 के अनुसार इस योजना में 14 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किये जाने की संभावना है।
- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पंचायती राज संस्थाओंपीआरआई को शामिल - : किया जा सकता है विशेषकर*
    - *लाभार्थियों की पहचान,*
    - *किसानों के बीच विस्तार और जागरूकता सृजन,*
    - *किसानों का फीडबैक प्राप्त करना आदि।-*
    - *सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को पंचायतों में लाभार्थियों के नाम प्रदर्शित / करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।.*

2. प्रधानमंत्री किसान(केएमवाई-पीएम) मान धन योजना-

- प्रधानमंत्री किसानमान धन योजना देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक - सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इन किसानों के पास ना के बराबर या बिलकुल भी बचत नहीं है औरवृद्धावस्था तक पहुंचने पर उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। इस योजना के तहत, सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी।
- यह एक स्वैच्छिक और योगदान आधारित पेंशन योजना है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा व्यवस्थित पेंशन फंड से किसानों को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। किसानों को सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 60 वर्ष की आयु तक 5 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह

तक का अंशदान पेंशन फंड में देना होगा। केंद्र सरकार पेंशन फंड में भी समान राशि का बराबरी से योगदान करेगी।

- 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक की उम्र के किसान इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र हैं। छोटे और सीमांत किसानों के आश्रित भी अलग से योजना में शामिल होने के पात्र हैं और उन्हें भी 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर 3000 रुपये की अलग से पेंशन मिलेगी।
- जो किसान योजना में शामिल हो गए हैं और किसी भी कारण से इसे जारी नहीं रखना चाहते तो वे बाद में इस योजना को छोड़ भी सकते हैं। पेंशन फंड में उनका योगदान ब्याज सहित उन्हें वापस कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की तिथि से पहले किसान की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, मृतक किसान के आश्रित उसकी शेष आयु तक योजना में शेष योगदान का भुगतान करके योजना चालू रख सकते हैं। सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले किसान की मृत्यु के मामले में, यदि मृतक किसान के आश्रित योजना जारी नहीं रखना चाहते तो किसान द्वारा योजना में कुल योगदान का ब्याज सहित भुगतान उसके आश्रित को कर दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले किसान की मृत्यु के मामले में, यदि कोई आश्रित नहीं है, तो ब्याज के साथ कुल योगदान को नामित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा। अगर किसान की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को पेंशन का 50% यानी प्रति माह 1500 रुपये पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा।
- यदि किसान पीएमकिसान योजना का लाभार्थी है-, तो वह योगदान को उसी बैंक खाते से सीधे भुगतान कर सकता है जिसमें उसे पीएमकिसान योजना का लाभ प्राप्त होता है।-
- योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र किसान अपने आधार नंबर और बैंक पासबुक या खाता विवरण के साथ निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएँगे। योजना के तहत (सीएससी) शुल्क है और किसानों को सीएससी केंद्रों पर इस काम के लिए कोई भुगतान :नामांकन नि करने की आवश्यकता नहीं है।
- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :*
- *लाभार्थियों की पहचान,*
- *किसानों के बीच विस्तार और जागरूकता सृजन,*
- *किसानों का फीडबैक प्राप्त करना आदि।-*

3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (आशा-पीएम)

- अधिसूचित तिलहनों और दालों के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित (एमएसपी) को लागू किया (आशा-पीएम) करने के लिए प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान आशा एक -मानदंडों को पूरा करते हैं। पीएम (एफएक्यू) जाता है जो उचित औसत गुणवत्ता (पीएसएस) अंब्रेला स्कीम है जिसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिसिएंसी पेमेंट स्कीम शामिल हैं। ये (पीपीएसएस) और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम (पीडीपीएस) केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती हैं। / योजनाएँ राज्य सरकारों पीएसएस को दालों, तिलहन और नारियल की खरीद के लिए एमएसपी प्रदान करने के लिए लागू किया जाता है, जबकि पीडीपीएस तिलहन के लिए लागू किया जाता है। हालाँकि, राज्य केन्द्र शासित प्रदेश किसी भी खरीद सीजन में पूरे राज्य के लिए एक विशेष तिलहन फसल / के संबंध में पीएसएस या पीडीपीएस का चयन कर सकते हैं। हालांकि, अगर किसानों को

एमएसपी की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है, तो वे खुले बाजार में अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई को शामिल किया जा सकता है विशेषकर :*
- किसानों के बीच विस्तार और जागरूकता पैदा करना
- किसानों का फीडबैक प्राप्त करना।-

4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुनर्गठित मौसम / (पीएमएफबीवाई) (आरबीसीबीसी) आधारित फसल बीमा योजना

- विभाग खरीफ 2016 से उपज सूचकांक आधारित प्रधान मंत्री बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू कर रहा है। इस यो (डब्ल्यूबीसीआईएस)जना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट होने या फसल को नुकसान होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के लिए वित्तीय सहायता और किसानों की आय को स्थिर करने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है।
- पीएमएफबीवाई खरीफ फसलों के लिए नारोके जा सकने- वाली प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए बुवाई से पहले और कटाई के बाद के नुकसान की भरपाई के लिए व्यापक फसल बीमा प्रदान करता है। खरीफ फसल के लिए बीमा राशि के 2% तक, रबी फसल और तिलहन फसलों के लिए 1.5% तक और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के / लिए बीमा राशि का 5% तक की बेहद कम प्रीमियम दर पर फसल बीमा योजना प्रदान की जाती है। शेष बीमांकिक नीलामी प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार द्वारा/50: 50 के आधार पर साझा किया जाता है। देश भर के किसानों के लिए प्रीमियम की एक सामान दर है।
- आरडब्ल्यूबीसीआईएस का उद्देश्य मौसम के आधार पर फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारक उच्च निम्न वर्षा /, उच्च निम्न तापमान /, आर्द्रता, हवा की गति आदि के आधार पर किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत कम से कम समय में दावों का निपटान करना शामिल है। यह उन फसलों के लिए उपयुक्त है जहां पिछले उपज के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इनमें बारहमासी बागवानी फसलें, सब्जियां आदि शामिल हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम दरें भी कम (डब्ल्यूबीसीआईएस) करके पीएमएफबीवाई के बराबर कर दी गई हैं। योजना सभी खाद्य फसलों, तिलहन, बागवानी वाणिज्यिक फसलों के लिए उपलब्ध है /, जिसके लिए प्रतिकूल मौसम सूचकांकों के कारण उपज हानि के साथ सहसंबंध स्थापित किया गया है। बागवानी फसलों के उत्पादों के - इंडेक्स प्लस के तहत व्यक्तिगत खेत के आधार पर ओलावृष्टि / ऑन-लिए ऐड, बादल फटने आदि के खतरे से नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रावधान है। ।

- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई को शामिल किया जा सकता है विशेषकर :*
- फसलों और लाभार्थियों की पहचान
- किसानों के बीच विस्तार और जागरूकता पैदा करना
- किसानों का फीडबैक प्राप्त करना आदि।-

5. प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल - (पीएमकेएसवाई)

- पीएमकेएसवाईप्रति बूंद अधिक फसल मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर - पर जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने फुहार और छिड़काव सिंचा) के लिए सटीक सिंचाईई प्रणालीऔर खेत पर बेहतर जल प्रबंधन (प्रथाओं को बढ़ावा देने के अलावा, यह घटक सूक्ष्म सिंचाई को पूरक करने के लिए सूक्ष्म स्तर के जल भंडारण या जल संरक्षण प्रबंधन गतिविधियों का भी समर्थन करता है। /
- योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :
- लाभार्थियों का चयन,
- सामाजिक परीक्षण आदि का आयोजन.
- जल संरक्षण, कुशल जल अनुप्रयोग, फसल संरेखण आदि के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए विस्तार गतिविधियाँ

6. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना

- विभाग इस योजना के निम्नलिखित घटकों के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 100% सहायता प्रदान करता है।

i.फार्म मशीनरी बैंकों या फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के लिए यथास्थान आवश्यकतानुसार किराया केंद्रों की स्थापना करें

ii.यथास्थिति के अनुसार फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए किसानों को वितीय सहायता

iii.यथास्थिति के अनुसार फसल अवशेष प्रबंधन पर जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार का उपयोग

- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में PRI शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :*
- योजना में किसानों की भागीदारी।
- कृषि उपकरणों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण को सार्वजनिक करना

- प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करना।

7. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

- क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह योजना 2007-08 से लागू की गई है। इसमें मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करना; रोजगार के अवसर पैदा करना; और कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना शामिल है। एनएफएसएम के तहत 2014-15 से मोटे अनाज को भी मिशन में शामिल किया गया था।
- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में PRI शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :*
- लाभार्थियों का चयन
- चिन्हित जिलों में स्थानीय पहलों के तहत हस्तक्षेपों का चयन।
- पीआरआई के लिए धन, कार्यों और कार्यकलापों के प्रभावी संचालन के लिए एक मॉडल गतिविधि मानचित्र डीएसी और एफडब्ल्यू द्वारा तैयार किया गया है और राज्य अपनी स्थानीय स्थितियों के अनुरूप या समान गतिविधि मानचित्र तैयार करेंगे।

8. बागवानी के विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच)

- यह योजना बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए लागू की गई है जिसमें फल, सब्जियां, कंदमूल फसलें-, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, नारियल और बांस शामिल हैं। इसके निम्नलिखित घटक हैं:

i.राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)

ii.उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के (एचएमएनईएच) लिए बागवानी मिशन

iii.राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी)

iv.नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी)

v.केंद्रीय बागवानी संस्थान (सीआईएच), नागालैंड

- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :*
- जिला पंचायतों के परामर्श से फसलों प्रजातियों और लाभार /्थियों की पहचान।
- पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रशिक्षण (जीएस), विस्तार और जागरूकता सृजन।
- पंचायती राज संस्थान और जीएस की बैठकों का आयोजन और संबंधित (पीआरआई) अधिकारियों को एमआईडीएच के कार्यान्वयन के संबंध में फीड बैक देना

9. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के - (आरएएफटीएएआर-आरकेवीवाई) लिए लाभकारी दृष्टिकोण

- आरकेवीवाईआरएएफटीएएआर का उद्देश्य किसानों के प्रयासों को मजबूत करने-, जोखिम कम करने और कृषिव्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर कृषि को एक लाभकारी आर्थिक - गतिविधि बनाना है।योजना के तहत बुनियादी ढांचे और संपत्ति के विकास, मूल्य वृद्धि से जुड़ी उत्पादन परियोजनाओं और स्थानीय जरूरतों के अनुसार किसी (कृषि व्यवसाय मॉडल) केंद्र शासित प्रदेशों को धन जारी / भी परियोजना का समर्थन करने के लिए के लिए राज्यों किया जाता है । क्षेत्रीय और समस्या विशिष्ट क्षेत्रों के विकास, कौशल विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से नवाचार और कृषि-उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भी समय-केंद्र / समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय प्राथमिकता के आधार पर राज्यों शासित प्रदेशों को निधि भी प्रदान की जाती है ।
- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :*
- *किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति)2007) में परिकल्पित पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) सक्रिय रूप से*आरकेवीवाई आरएएफटीएएआर-*के कार्यान्वयन में शामिल हैं, विशेष रूप से लाभार्थियों के चयन और सामजिक परीक्षण का आयोजन आदि।*

10. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)

- पीकेवीवाई योजना हमारे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। योजना को न्यूनतम 20 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ क्लस्टर मोड में लागू किया गया है। जैविक खेती उत्पादन के विपणन की सुविधा के लिए राज्यों को मैदानी क्षेत्र में 1000 हेक्टेयर और पहाड़ी क्षेत्र में 500 हेक्टेयर के क्लस्टर क्षेत्र में लागू करने के लिए कहा गया है। सभी किसान इस योजना के पात्र हैं लेकिन एक समूह के भीतर एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ उठा सकता है। सहायता की सीमा 50, 000 रुपये प्रति हैक्टर है, जिसमें से 62% यानि 31,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में एक किसान को जैविक रूपांतरण, जैविक निवेशों, कृषि निवेशों, उत्पादन ढांचे आदि के लिए दिये जाते हैं। यह राशि 3 साल की रूपांतरण अवधि के दौरान किसान के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :*
- *किसानों की लामबंदी*
- *जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और निगरानी*

11. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर)

- एमओवीसीडीएनईआर को देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। इससे प्रमाणित जैविक उत्पादन के विकास और उत्पादकों को उपभोक्ताओं के

साथ जोड़ा जा सकेगा। योजना में निवेश, बीज, प्रमाणन और निर्माण से शुरू होने वाली संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन से लेकर संग्रह, एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण पहल के लिए सुविधाएं भी शामिल हैं।

- योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में *पीआरआई* शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :
- किसानों की लामबंदी
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण और निगरानी

12. रेनफेड क्षेत्र विकास (आरएडी)

- आरएडी उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए एकीकृत खेती प्रणाली पर केंद्रित है। इस प्रणाली के तहत (आईएफएस), फसलों फसल / प्रणाली को बागवानी, पशुधन, मत्स्य, कृषिवानिकी-, कृषि इत्यादि गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाता है ताकि किसानों को न केवल आजीविका को बनाए रखने के लिए कृषि से प्राप्त आय को अधिकतम करने में सक्षम बनाया जा सके, बल्कि सूखे, बाढ़ या अन्य चरम मौसम की घटनाओं के दौरान फसल क्षति की अवधि में संबद्ध गतिविधियों से आय के अवसर पैदा कर इसके भाव को कम किया जा सके।
- योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में *पीआरआई* शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :
- योजना के निर्माड़ और कार्यान्वयन।
- क्षेत्र या ग्राम स्तर पर, पंचायतें कार्यान्वयन की दिनप्रतिदिन की प्रक-्रिया में शामिल होंगी।
- जिला स्तर पर, संबंधित जिला पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से संयुक्त निदेशक उप / निदेशक कृषि द्वारा निगरानी की जाएगी।

13. कृषिवानिकी पर उप(एसएमएएफ)मिशन-

- "हर मेड़ पर पेड़" के उद्देश्य से, ग्रामीण घरों खासकर छोटे किसानों की आय और आजीविका के साधन बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, रोजगार के अवसरों, फसलों और पशुओं के साथ पूरक और एकीकृत तरीके से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित और विस्तार करने के लिए कृषिवानिकी पर उपमिशन लागू किया गया है।-
- योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में *पीआरआई* शामिल हो सकते हैं, विशेषकर:
- राज्य सरकार योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी में पंचायती राज संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के साथ राज्य अधिकारियों के एक बहुअनुशासनात्मक दल के माध्यम से योजना - को लागू करती है।

- **कृषिवानिकी पर उप(एसएमएएफ)मिशन-**

- एनबीएम योजना बांस उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए पूर्ण मूल्य श्रृंखला पर एक विशेष पहल है। जो कि किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों आदि से जुड़ी संस्थाओं के क्लस्टर दृष्टिकोण को वरीयता देते हुए, गुणवत्ता रोपण सामग्री, खेती, मसाला, विपणन से प्रसंस्करण पर आधारित है।

- योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में *पीआरआई* शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :

- जिला पंचायतों के परामर्श से लाभार्थियों की पहचान।

- पंचायतों और ग्राम सभाओं के माध्यम से प्रशिक्षण (जीएस), विस्तार और जागरूकता सृजन।

- पीआरआई और जीएस बैठकों का संगठन और संबंधित अधिकारियों को एनबीएम के कार्यान्वयन के संबंध में फीड बैक देना।

14. कृषि विस्तार पर उप(एसएमएई) मिशन-

- इस योजना का उद्देश्य नई संस्थागत व्यवस्थाओं के माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रसार करके विस्तार प्रणाली को संचालित करना और किसान को जवाबदेह बनाना है। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी एक भागीदारी रूप में जिला स्तर पर विशेष रूप में (एटीएमए) :विस्तार सुधारों को संचालित करती है। इसके निम्नलिखित घटक हैं

i.विस्तार सुधार के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन।

ii.कृषि विस्तार में मास मीडिया का समर्थन

iii.कृषिव्यवसाय केंद्र-कृषि / क्लिनिक-

iv.केंद्रीय संस्थान डीओई को सहायता /

v.किसान कॉल सेंटर

- योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में *पीआरआई* शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :

- योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान

- कृषियोजना के तहत सब्सिडी देने के (एसी एंड एबीसी) व्यवसाय केंद्र-क्लिनिक और कृषि- लिएकृषिप्रधानों की पात्रता का आकलन।-

15. बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन (एसएमएसपी)

- विभाग कृषि फसलों की गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और गुणन को बढ़ावा देने के लिए बीज और रोपण सामग्री मिशन को लागू कर रहा है-पर उप (एसएमएसपी), ताकि देश में किसानों को आवश्यक मात्रा में बीज उपलब्ध हो सकें। इसका उद्देश्य एक केंद्रित, समयबद्ध और एकीकृत एजेंडे के साथ प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए / मौजूदा बुनियादी ढांचा और पौधों की किस्मों, किसानों और पौधों के प्रजनकों के अधिकारों की

सुरक्षा के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करने और नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करना है।

- योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में *पीआरआई* शामिल हो सकते हैं, विशेषकर :
- क्षेत्र या गांव के स्तर पर, कार्यान्वयन एजेंसी को कार्यान्वयन की दिनप्रतिदिन की प्रक्रिया - की देखरेख में पंचायतों को शामिल करना आवश्यक है।
- पीआरआई की भागीदारी के लिए उदहारण के रूप में गतिविधि मानचित्रण तैयार किया जाता है।
- **कृषि यांत्रिकीकरण पर उप(एसएमएएम) मिशन-**
- कृषि यांत्रिकीकरण योजना पर उप:मिशन निम्नलिखित के लिए लागू किया गया है-

i. छोटे और सीमांत किसानों के लिए और उन क्षेत्रों में जहां कृषि की उपलब्धता कम है, खेत यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाएँ;

ii. छोटे भूस्वामियों और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न होने वाली - प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं की भरपाई करने के लिए'सामान्य किराया केंद्र' को बढ़ावा देना;

iii. हाईटेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाएं-;

iv. प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना;

v. पूरे देश में स्थित निर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करें।

- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई शामिल हो सकते हैं, विशेषकर:*
- इस अभियान के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी। (पीआरआई)
- कृषि उपकरणों के प्रदर्शन और प्रशिक्षण को सार्वजनिक करना।
- प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार के लिए आसपास के क्षेत्रों से किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

17. कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम)

i.इस योजना के तहत फसल की हानि, प्रशिक्षण और कौशल विकास, आभासी एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार की गुणवत्ता और क्षमता निर्माण को विकसित करने के लिए बाजार की जानकारी, बुनियादी ढांचे, मजबूत भंडारण और गैर भंडारण सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक विकसित कृषि बाजार परिदृश्य का निर्माण करना है। योजना के निम्नलिखित घटक हैं:

ii.कृषि विपणन बुनियादी ढांचा (एएमआई)

iii.विपणन अनुसंधान सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन)

iv.एगमार्क ग्रेडिंग सुविधाओं को म (एसएजीएफ)जबूत करना।

v.कृषि(वीसीए) (वेंचर कैपिटल असिस्टेंस) / (एबीडी) व्यवसाय विकास-

vi.चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (एनआईएएम)

- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई शामिल हो सकते हैं, विशेषकर:*
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्मित प्रस्तावित /बुनियादी ढांचे का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे डिज़ाइन किया गया है।
- पीआरआई को इस भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाने के लिए, जिला पंचायतों को नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुमोदित सभी परियोजनाओं और अपने क्षेत्रों में वितरित की गई सब्सिडी के बारे में सूचित किया जाता है। जिला पंचायतें संबंधित ब्लॉक / ग्राम पंचायतों से यह जानकारी साझा कर सकती हैं। जिन क्षेत्रों में संविधान का भागIX लागू नहीं होता है, यह जानकारी समकक्ष ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ साझा की जाती है।

18. राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम-ई)

- यह योजना कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना का हिस्सा है। इस योजना में कृषि वस्तुओं का ऑनलाइन व्यापार पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से किया जाता है, जिससे किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत की जानकारी हासिल करने में मदद मिलती है। देश भर के 1000 थोक विनियमित बाजारों को ईएनएएम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा किया - गया है। योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक तराजू, कंप्यूटर आईटी उपकरणों, परख करने वाले उपकरणों, सफाई ग्रेडिंग उपकरणों और जैव खाद इकाई के लिए / छंटाई /75 लाख रुपये प्रति मंडी के हिसाब से राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती / है।
- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई शामिल हो सकते हैं, विशेषकर:*
- यह योजना ईबाजार प्रणाली के सुधार से -मार्केट प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन के माध्यम से कृषि-संबंधित है। यह राज्य सरकारों (एचआरडी) एजेंसियों के लिए मानव संसाधन विकास /, जागरूकता कार्यक्रम, आदि जैसे विभिन्न गतिविधियों में संबंधित क्षेत्र के पीआरआईशहरी / को शामिल करने का निर्णय लेने के लिए है। (यूएलबी) स्थानीय निकाय

19. ग्रामीण कृषि बाज़ारों के लिए देहाती हाटों का विकास और उन्नयन (जीआरएएमएस)

- यह योजना एमओआरडी, डीएसी और एफडब्ल्यू और अन्य सरकारी विभागों द्वारा उनकी योजनाएं संयुक्त रूप से राज्य सरकार के साथ समन्वय में कार्यान्वित की गई हैं। मूल और सहायक बुनियादी ढाँचे की सहायता एमजीएनआरईजीएस के माध्यम से की जाती है और विपणन बुनियादी ढाँचे को डीएसी और एफडब्ल्यू तथा अन्य सरकारी योजनाओं से सहायता

दी जाती है। राज्य सरकारें इस उद्देश्य के लिए नाबार्ड के बनाए गए एग्री मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से रियायती ब्याज दर पर पर ऋण ले सकती हैं। (एएमआईएफ)

- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई शामिल हो सकते हैं, विशेषकर:*
- ज्यादातर ग्रामीण हाट पंचायतों के नियंत्रण में हैं, ग्रामीण कृषि बाज़ार के रूप में विकास के बाद, इनका प्रबंधन पंचायतों द्वारा किया जाना जारी रहेगा, जिसके लिए परिचालन और प्रबंधन के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

20. कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना

- योजना के तहत सहकारी समितियों की गतिविधियों जैसे कि कृषिप्रसंस्करण-, खाद्यान्न का विपणन, निवेश की आपूर्ति, कमजोर वर्ग की सहकारी समितियों का विकास, सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण आदि के लिए एनसीडीसी को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य लोगों में सहकारी जागरूकता विकसित करना और सहकारी कर्मियों तथा राज्य सरकार के अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है।
- *योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पीआरआई शामिल हो सकते हैं, विशेषकर:*
- एनसीडीसी को सलाह दी जाती है कि इन समितियों को धनराशि मंजूर करने से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली आवेदक समितियों की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए पीआरआई को शामिल करें।
- कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे डीएसी एंड एफडब्ल्यू और अन्य विभागों / संगठनोः पंचायती राज संस्थानों आदि की अन्य योजनाओं के साथ स्कीम के / एजेंसियों / अभिसरण के लिए प्रयास करें ताकि सब्सिडी से जुड़ी सहायता के अतिव्यापन और दोहराव से बचा जा सके।
- इसके अलावा, पंचायती राज संस्थानों से उनकी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन (पीआरआई) के लिएएनसीडीसी, एनसीसीटी और एनसीयूआई आदि के साथ उनके फंड स्कीमों को लागू / करने के लिए कहा जा सकता है।

अनुलग्नक VII G

बीडीपी और डीडीपी में समवेशन के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं

पशुपालन और डेयरी विभाग पशु उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, बीमारियों से रक्षा और पशुओं के जीन सुधार के लिए, स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास इत्यादि के लिए निम्नलिखित योजनाएं / कार्यक्रम लागू कर रहा है।

1. पशु और डेयरी विकास

I. राष्ट्रीय गोकुल मिशन II. राष्ट्रीय डेयरी योजना II.

II राष्ट्रीय डेयरी विकाय कार्यक्रम

III. डेयरी प्रसांस्करण और अवसंरचना विकास कोष

IV. डेयरी गतिविधियों में संलग्न डेयरी सहकारी और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता करना (SDCFPO)

2. राष्ट्रीय पशु मिशन

3. पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण) मुंह और खुर पका रोग और ब्रूसीलोसिस के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP) सहित (

4. पशु गणना और समेकित नमूना सर्वेक्षण

उक्त योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :

1. पशु और डेयरी विकास

(I) राष्ट्रीय गोकुल मिशन

राष्ट्रीय गोकुल मिशन स्वदेशी सांड की नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए दिसंबर 2014 से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 प्रतिशत से अधिक निम्न उत्पादक स्वदेशी पशु लघु और सीमांत किसानों एवं भूमिहीन श्रमिकों के पास हैं। यह योजना दूध की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए पशु और भैंस का दूध उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा देश के

ग्रामीण किसानों के लिए डेयरी पालन को ज्यादा लाभदायक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना स्वदेशी नस्ल के प्रमुख पशुओं की संख्या कई गुना बढ़ा रही है और स्वदेशी पशुओं की उपलब्धता में बढ़ोतरी कर रही है।

उद्देश्य) स्वदेशी सांड की नस्लों का विकास और संरक्षण : (

ii) स्वदेशी सांड की नस्लों के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाना ताकि उनकी जेनेटिक संरचना में सुधार हो सके और पशुओं की संख्या बढ़ सके। इस योजना के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :

2(i) कृत्रिम गर्भाधान का विस्तार (AI)

कवरेज a) मौजूदा एआई केंद्रों को सुदृढ़ बनाना b) मौजूदा एआई तकनीशियन का प्रशिक्षण c) ग्रामीण भारत में बहुद्देश्यीय एआई तकनीशियन (MAITRI) केंद्रों की स्थापना d) तरल नाइट्रोजन (LN) भंडारण एवं परिवहन और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

(ii) उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि a) संतान जांच b) वंशावली चयन (iii) आधुनिक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से नस्ल सुधार a) भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी (ETT) और इन-विट्रो यानी कृत्रम निषेचन (IVF) प्रयोगशालाओं की स्थापना b) सेक्स सॉर्टिड सीमन प्रोडक्शन c) ई-पशुहाट पोर्टल d) स्वदेशी नस्लों के लिए राष्ट्रीय सांड जीनोमिक केंद्र की स्थापना (iv) स्वदेशी नस्लों का संरक्षण a) गोकुल ग्राम या समेकित पशु विकास केंद्र की स्थापना b) राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना c) दुधारू गोजाति की पहचान और स्वास्थ्य कार्ड जारी करना (v) जागरूकता कार्यक्रम : a) किसानों) गोपाल रत्न (और प्रजनकों की सोसायटी/संगठनों) कामधेनु (को पुरस्कार इद्ध फर्टिलिटी शिविर वित्तपोषण प्रारूप का संघटन रू राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत ए पशु संजीवनी और सेक्स सॉर्टेड सीमन प्रोडक्शन के घटक को छोड़कर, उपयोजना के सभी घटकों को 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर लागू किया जा रहा हैए ये केंद्रीय और राज्य के हिस्से के रूप में 60:40 आधार पर लागू की जा रही हैं ; पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90:10) राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम : राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री ने सितंबर 2019 में शुरू किया था जो देश के 600 जिलों में से प्रत्येक में 20,000

सांड और प्रत्येक जिले के 300 गांवों के लिए लागू की जा रही है। यह इस तरह के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है।

अनुलग्नक –VII H

बीडीपी और डीडीपी में समावेशन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाएं

A. प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना (पीएमईजीपी)

योजना की रूपरेखा:

यह क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है जिसका उद्देश्य नए स्व-रोजगार उपक्रमों/सूक्ष्म उपक्रमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कृषि से भिन्न क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य देश में पारंपरिक एवं भावी दस्तकारों के व्यापक क्षेत्र और ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और टिकाऊ रोजगार उलब्ध कराना है ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकने में सहायता की जा सके। इसके लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग राष्ट्रीय स्तर की नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। राज्य/जिला स्तर पर केवीआईसी, केवीआईबी, डीआईसी और कॉयर बोर्ड के राज्य कार्यालय इस योजना को लागू कर रहे हैं।

18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति http://www.kviconline.gov.in/pmegp/pmegponlineapp/ पर उपलब्ध एक पृष्ठ के सरल फार्म के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। स्व-सहायता समूह, सहाकारी संस्थाएं और न्यास भी आवेदन कर सकते हैं। सामान्य श्रेणी के दस्तकार शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत की 15 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के लिए पात्र हैं। विशेष श्रेणियों) अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, अल्पसंख्यक, एनईआर इत्यादि (के लोग शहरी क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत सब्सिडी के लिए पात्र हैं। विनिर्माण क्षेत्र

के तहत परियोजना की अधिकतम स्वीकार्य लागत 25 लाख रुपए तथा बिजनस/सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए है। यह योजना नई इकाइयों के लिए लागू है। मौजूदा और बेहतर प्रदर्शन कर रही PMEGP/MUDRA इकाइयां उन्नयन के लिए 15 प्रतिशत)एनईआर और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 20 प्रतिशत (सब्सिडी के साथ 1 करोड़ रुपए तक की दूसरी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

इकाई की स्थापना के बाद विपणन सहायता के साथ 3 वर्ष के लिए उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

पंचायत राज संस्थाओं, विशेषरूप से इंटरमीडिएट और जिला पंचायत के लिए कार्यान्वयन में संभावित भूमिका

केवीआईसी, केवीआईबी और डीआईसी जैसी कार्यान्वयन एजेंसी इस योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित ढंग से पंचायती राज संस्थाओं के साथ सहयोग कर रही हैं :

a. लाभार्थियों की पहचान करना और ऑनलाइन आवेदन जमा कराने में उनकी सहायता करना

b. इस योजना के तहत स्थापित की जाने वाली क्षेत्र विशिष्ट वहनीय परियोजनाओं की पहचान

c. विपणन और अन्य संबंधित सहायता उपलब्ध कराना ए

d. लाभार्थियों की हैंडहोल्डिंग और निगरानी

पीएमईजीपी के एक घटक का नाम बैकवर्ड और फार्वर्ड लिंकेज (BFL) है जिसके तहत कार्यान्वयन एजेंसियां उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP), प्रदर्शनी, कार्यशालाएं,

जागरूकता शिविर, प्रचार-प्रसार जैसी गतिविधियां चला रही हैं। पंचायती राज संस्थाएं तालुक, विकास खंड और जिला स्तरों पर कार्यशालाएं, जागरूकता शिविर, प्रदर्शनियां और मेले आयोजित कर सकती हैं। पीआरआई तालुक, विकास खंड और जिला स्तरों पर पीआरआई के तहत उपलब्ध सरकार वित्त पोषित प्रशिक्षण केंद्रों में PMEGP लाभार्थियों को ईडीपी प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा सकती हैं।

B. पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए फंड की योजना (SFURTI)

योजना की रूपरेखा :

यह पारंपरिक उद्योगों और दस्तकारों की सहायता करने की योजना है ताकि पारंपरिक दस्तकारों को प्रमुख और नियमित क्लस्टरों में संघटित करके उनके उत्पादों को स्पर्धी बनाया जा सके और उन्हें टिकाऊ रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

सामान्य सुविधा केंद्रों, कच्चे माल के बैंकों, औजार और प्रौद्योगिकी उन्नयन उपलब्ध कराने के माध्यम से दस्तकारों की सहायता की जा रही है। इसके अलावा, प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास, उनके उत्पादों के लिए बाजार संपर्क बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिसके लिए पेशेवर एजेंसियां उनकी सहायता करती हैं। उन्हें सरकारी सेल्स आउटलेट और ई'-कॉमर्स पोर्टल से जोड़ने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार 500 दस्तकारों तक के लिए ढाई करोड़ रुपए तक और 500 से अधिक दस्तकारों के लिए 5 करोड़ रुपए की कुल सहायता उपलब्ध करा रही है। पीआरआई, एनजीओ जैसी कार्यान्वयन एजेंसी जमीन और दस्तकारों के एसपीवी में गठन की व्यवस्था करती हैं। कार्यान्वयन एजेंसियां क्लस्टर के प्रस्तावों को नोडल एजेंसियों में भेजती हैं जो 12-18 महीनों की अवधि के अंदर SFURTI क्लसटरों के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं। SFURTI के विस्तृत दिशानिर्देश sfurti.msme.gov.in पर उपलब्ध हैं।

पंचायत राज संस्थाओं, विशेषरूप से इंटरमीडिएट और जिला पंचायत के लिए कार्यान्वयन में संभावित भूमिका

SFURTI स्कीम में कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से क्लस्टरों के कायान्वयन की परिकल्पना की गई है।

2. कार्यान्वयन एजेंसियां (IAs) क्लस्टर विकास करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ गैर सरकारी संगठन (NGOs), केंद्रीय एवं राज्य सरकार और अर्द्ध-सरकारी संस्थाएं, राज्य एवं केंद्र सरकार के क्षेत्र पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाएं (PRIs), इत्यादि होंगे। एक IA को सामान्य रूप से केवल एक क्लस्टर सौंपा जाएगा (जब तक कि वह राज्य-व्यापी कवरेज वाली एजेंसी न हो)

3. SFURTI के तहत भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. IA परियोजना के लिए उपयुक्त जमीन की पहचान और व्यवस्था करेगी

ii. स्वीकृत क्लस्टर परियोजना में उल्लेखित विभिन्न हस्तक्षेपों का कार्यान्वयन

iii. परियोजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों के संचालन और अनुरक्षण (O&M) का प्रबंधन

4. क्लस्टर स्तर पर IA के लिए पंचायती राज संस्थाओं के इच्छुक होने के मामले में, वह यह सुनिश्चित करने के लिए SPV बना सकती है कि SPV के शासकीय निकाय में कुछ इक्विटी में अधिकतम 33 प्रतिशत क्लस्टर सूक्ष्म-उद्यमों/लाभार्थियों की हिस्सेदारी हो।

इसके अलावा, विकास खंड और जिला पंचायत भी पारंपरिक दस्तकारों को शामिल करके व्यवसायों/परियोजनाओं की पहचान कर सकती हैं जिन्हें हितधारकों में स्कीम और उसके फायदों के बारे में प्रचार-प्रसार करने के अलावा कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में PRIs या NGOs के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है।

C. नवाचार, ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिता संवर्द्धन की योजना (ASPIRE)

योजना की मुख्य बातें :

ASPIRE योजना के तहत कौशल विकास, उद्यमशीलता और नवाचार के क्षेत्र में सहायता के साथ ग्रामीण सूक्ष्म क्षेत्र की मदद की जाती है और जिला स्तर पर

आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण, बांस, कॉयर, मधुमक्खी पालन, लकड़ी के काम, परिधान आदि में कौशल विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बिजनस इनक्यूबेशन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करना है।

योजना के प्रमुख घटक a) आजीविका बिजनेस इन्क्यूबेटर्स) LBIs (की स्थापना, युवाओं को कौशल और स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए तैयार करना हैं। संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए सरकारी / निजी एजेंसियों को केंद्र सरकार 50 लाख)अधिकतम (रुपए तक देती है। b) कृषि और अन्य क्षेत्रों में नूतन विचारों के इनक्यूबेशन के लिए प्रौद्योगिकी बिजनस इनक्यूबेटर्स) TBIs(, संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए केंद्र सरकार मौजूदा TBIs को 30 लाख रुपए और नए TBIs को 100 लाख रुपए तक देती है। व्यक्तिगत इनक्यूबेट के विचारों को बढ़ावा देने के लिए 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। ASPIRE के विस्तृत दिशानिर्देश aspire.msme.gov.in पर उपलब्ध हैं।

इस योजना के तहत सरकारी और निजी तकनीकी संस्थानों को 73 आजीविका बिजनस इनक्यूबेटर्स) LBIs (और 16 टेक्नोलॉजी बिजनस इन्क्यूबेटर्स) TBIs (के रूप में अनुमोदित किया गया है और 29,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 10,000 लोगों ने स्वयं के उद्यम स्थापित किए हैं /उत्पादक के रूप में नियोजित हैं।

पंचायत राज संस्थाओं, विशेषरूप से इंटरमीडिएट और जिला पंचायत के लिए कार्यान्वयन में संभावित भूमिका

पंचायती राज संस्थाओं, विशेष रूप से विकास खंड और जिला पंचायतें i) क्षेत्र विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता की पहचान करने ii) स्थानीय उद्योगों में नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विकास खंड / जिला स्तरीय तकनीकी संस्थानों की पहचान करने जो स्थानीय उद्योगों में रोजगार के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए LBIs के रूप में स्थापित की जा सकती हैं iii) स्थापित किए जाने वाले मौजूदा LBIs/LBIS में प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों की पहचान करने तथा (iv)

विभिन्न सरकारी स्कूलों से जोड़कर प्रशिक्षित छात्रों/ इनक्यूबेट्स की सहायता करने के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में सहायता कर सकती हैं।

D. <u>राष्ट्रीय अजा अजजा केंद्र - योजना की मुख्य बातें</u>

सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश 2012 के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत कुल खरीद का न्यूनतम 4 प्रतिशत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से करने के जनादेश का लक्ष्य हासिल करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पेशेवर सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति केंद्र योजना (NSSH) कार्यान्वित कर रही है।

अजा/अजजा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए, इस केंद्र के तहत विभिन्न प्रयास किए गए हैं जिनमें क्षमता निर्माण (24 राज्यों के 116 स्थानों पर 41 संस्थाओं के जरिए 127 पाठ्यक्रमों के माध्यम से), देशभर में 15 एनएसएसएच कार्यालयों के माध्यम से हैंडहोल्डिंग सहायता उपलब्ध कराना (आगे बढ़ने में सहायता और कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए), विशेष विपणन सहायता योजना (SMAS), एकल बिंदु पंजीकरण योजना के लिए विशेष सब्सिडी (SPRS), कई तरह के शुल्क की प्रतिपूर्ति (निर्यात संवर्धन परिषद का सदस्यता शुल्क, परीक्षण शुल्क, सरकारी निविदाओं के लिए बैंक गारंटी के वास्ते बैंक शुल्क और लोन प्रोसेसिंग प्रभार, बी2बी पोर्टल का सदस्यता शुल्क (एमएसएमई मार्ट), और क्षमता निर्माण प्रबंधन पाठ्यक्रम शुल्क सहित) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जागरुकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। NSSH ने हाल ही में राष्ट्रीय अजा/अजजा केंद्र की विशेष क्रेडिट लिन्क्ड पूंजी सब्सिडी स्कीम **(SCLCSS)** के तहत किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिबंध के बिना संयंत्र और मशीनरी खरीदने के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अधिकतम 1 करोड़ की समग्र निवेश सीमा पर अजा/अजजा एमएसई को 25 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान भी शुरु किया है।

<u>पंचायत राज संस्थाओं, विशेषरूप से इंटरमीडिएट और जिला पंचायत के लिए कार्यान्वयन में संभावित भूमिका (पीआरआई और राष्ट्रीय अजा/अजजा केंद्र के लिए समामेलन अवसर)</u>

अक्टूबर 2016 में आरंभ से, इस केंद्र ने ज्यादा समावेशी और प्रतिभागी सार्वजिनक क्षेत्र में अजा अजजा के स्वामित्व वाले एमएसई की खरीद गतिविधियों में योजनाओं और हस्तक्षेपों के रुप में कई प्रयास किए हैं। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय जनसंख्या की आकांक्षाएं पूरी करने वाले स्थानीय प्रशासन, सामाजिक परिवर्तन और सार्वजिनक सेवा डिलीवरी प्रधाली के लिए प्रभावी, दक्ष और पारदर्शी माध्यम हैं।

राष्ट्रीय अजा अजजा केंद्र और पंचायती राज संस्थाएं दोनों ही लक्षित समूहों के विकास की दिशा में केंद्रित हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए हाथ मिलाने और आर्थिक विकास के लिए संयुक्त प्रयास करने की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। लक्षित समुदाय में दोनों योजनाओं की अधिकतम पहुंच के लिए तथा व्यावहारिक धरातल पर आर्थिक समृद्धि लाने के साथ-साथ अजा/अजजा की वृद्धि को और तेज करने लिए नई पहल करने के लिए दोनों को एक जगह मिलाया जा सकता है।

राष्ट्रीय अजा/अजजा केंद्र निम्नलिखित ढंग से योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं के साथ गठजोड कर सकता है :

i. अनूसुचित जाति/जनजाति एसएससी की पहचान करना **CPSEs** के साथ-साथ एमएसएमई मंत्रालय के भी प्रमुख चुनौती है। विशेषरुप से राज्यों में मौजूदगी वाली निश्चित सीपीएसई को स्थानीय व्यवसायियों से माल और सेवाओं की आवश्यकता होती है, इस बात के मद्देनजर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा **ब्लॉक/जिलों में काम कर रहे संबंधित अजा/अजजा एमएसई की पहचान अत्यधिक लाभदायक हो सकती है।** इसलिए बेहतर निवेश पोर्टफोलियो बनाने और स्कीम के फायदों को तेजी से बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के बीच अजा-अजजा उद्यमियों के डाटाबेस साझा करने के प्रभावी माध्यम स्थापित किए जा सकते हैं।

ii. देशभर में काम कर रहे 15 मौजूदा एनएसएसएचओ कार्यालयों सहित **स्कीमों और प्रासंगिक संपर्क बिंदुओं के बारे में जागरुकता बढ़ाना**

iii. विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, खरीदार-विक्रेता सम्मेलनों इत्यादि में भागीदारी और विजिट सहित विभिन्न ऑनग्राउंड विपणन गतिविधियों में प्रतिभागिता के माध्यम से एमएसएमई की विपणन क्षमताएं और स्पर्धा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए **विशेष विपणन सहायता स्कीम** (SMAS) **में प्रतिभागिता सुगम बनाना।** वर्तमान महामारी के मद्देनजर, वर्चुअल प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों की संभावना भी तलाशी गई।

iv. राष्ट्रीय अजा अजजा केंद्र के साथ पंचायती राज संस्थाएं तालुक, ब्लॉक और जिला स्तरों पर **कार्यशालाओं, जागरुकता शिविरों, प्रदर्शनियों और मेलों (लघु अवधि में वर्चुअल और मध्यम से दीर्घावधि में पारंपरिक) के आयोजन** के लिए भी मिलकर काम कर सकती हैं।

v. अजा/अजजा उद्यमियों की क्षमताएं, कौशल बढ़ाने और सार्वजनिक खरीद में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता के लिए, राष्ट्रीय अजा-अजजा केंद्र देशभर में विभिन्न कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस केंद्र के साथ सहयोग में पीआरआई भी, तालुक, ब्लॉक और जिला स्तरों पर पीआरआई के तहत उपलब्ध सरकार पोषित प्रशिक्षण केंद्रों में **अजा-अजजा लाभार्थियों को प्रशिक्षण** उपलब्ध करा सकती हैं। **पंचायती राज द्वारा पहचानी गई संस्थाओं पर भी केंद्र के तहत प्रशिक्षण** उपलब्ध कराने के लिए विचार किया जा सकता है। ग्रामीण विकास के राज्य के संस्थान के साथ तालमेल पर भी विचार किया जा सकता है जो निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण में प्रमुख महत्व रखते हैं।

vi. केस स्टडी के रुप में प्रदर्शित करने के लिए **तालुक, ब्लॉक और जिला स्तर पर सफल अजा अजजा उद्यमियों की पहचान।**

vii. सीपीएसई को बड़ी मात्रा में माल की आपूर्ति के लिए **कनसॉर्टियम बनाने में सहायता।** हालांकि इस पहल के लिए गुणवत्ता और मानकीकरण की दिशा में अनुपूरक प्रयासों की आवश्यकता होगी।

viii. **उद्यमिता का एक तत्व ग्राम पंचायत विकास योजनाओं** (GPDP) में शुरु किया जा सकता है।

ix. व्यावहारिक धरातल पर उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए '**हर पंचायत में उद्योग**' अभियान पर विचार किया जा सकता है।

.

E. कॉयर विकास योजना **(CVY)**

स्कीम की मुख्य बातें :

कॉयर विकास योजना मुख्य (अम्ब्रेला) स्कीम है जिसके तहत कॉयर बोर्ड, भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय देश में कॉयर उद्योग के विकास के लिए विविध उप-योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। मुख्य (अम्ब्रेला) स्कीम की उप-योजनाएं इस प्रकार हैं :

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी -

यह योजना अनुसंधान गतिविधियों और क्षेत्र स्तर लागू करने के लिए प्रयोगशाला स्तर पर अनुसंधान के परिणाम का विस्तार और कॉयर के संबंध में उद्योग के लिए परीक्षण और सेवा सुविधाओं के विस्तार की भी परिकल्पना करती है। उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, मशीनरी और उपकरणों का विकास, उत्पाद विकास और विविधीकरण, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इनक्यूबेशन, परीक्षण और सेवा सुविधाएं बोर्ड के अनुसंधान प्रयासों के अभिन्न अंग हैं।

(ii) कौशल विकास और महिला कॉयर योजना

इस योजना के तहत, कॉयर बोर्ड ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है और उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी, एक्सपोजर टूर जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कॉयर उद्योग में कुशल श्रमशक्ति का विकास कॉयर बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। इस उद्देश्य के साथ, बोर्ड अपने राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान केरल में अलपुझा जिले के कलावूर में राष्ट्रीय कॉयर प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र के माध्यम से

प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों अनुसंधान सह विस्तार केंद्र, तंजावुर और फील्ड प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, बोर्ड कॉयर श्रमिकों की सुविधा के अनुसार फील्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। फील्ड ट्रेनिंग सेंटर सहकारी संस्थाओं / संगठनों और कॉयर गतिविधियों में संलग्न SFURTI क्लस्टर्स और नीति अयोग के दर्पण पोर्टल के साथ पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों आदि की मदद से संचालित किए जाते हैं। बोर्ड के अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टाइपेंड सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराए जाते हैं।

महिला कॉयर योजना महिला उन्मुख, स्वरोजगार योजना है जो कॉयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में महिला कारीगरों को वजीफे के साथ संवर्धित कॉयर प्रसंस्करण मशीनरी के प्रशिक्षण और महिला कॉयर श्रमिकों के कौशल को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। प्रशिक्षित महिला कारीगर अपने फील्ड कार्यालयों के माध्यम से कॉयर बोर्ड द्वारा आवश्यक हैंडहोल्डिंग समर्थन के साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत मशीनरी / उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम होंगी। PMEGP के तहत 25 लाख रुपये की अधिकतम परियोजना लागत के साथ कॉयर इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) कॉयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (CITUS).

यह योजना उत्पादन इकाइयों को आधुनिक अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करने और अत्याधुनिक संयंत्र और मशीनरी की स्थापना करने के माध्यम से मौजूदा कॉयर इकाइयों को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत, कॉयर बोर्ड कॉयर इकाइयों द्वारा खरीदे गए संयंत्र और मशीनरी की स्वीकार्य मदों की लागत की 25% वित्तीय सब्सिडी देगा। वित्तीय सहायता की ऊपरी सीमा 2 करोड़ 50 लाख रुपए प्रति कॉयर यूनिट / परियोजना होगी। (योजना संशोधन के अधीन है)।

(iv) घरेलू बाजार संवर्धन

घरेलू बाजार संवर्धन कॉयर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत परिकल्पित प्रमुख कार्यों में से एक है। इस योजना के तहत, बोर्ड कॉयर और कॉयर उत्पादों को लोकप्रिय

बनाने और घरेलू बाजार का विस्तार करने के लिए कई उपाय कर रहा है, जिनमें जेनेरिक प्रचार, शोरूम और बिक्री डिपो की स्थापना, बाजार विकास सहायता का विस्तार आदि शामिल हैं।

(v) निर्यात बाजार संवर्धन-

कॉयर बोर्ड MSME मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के तहत परिकल्पना के अनुसार प्रतिनिधिमंडल को प्रायोजित करने, सेमिनार और सम्मेलनों में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी का आयोजन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और निर्यातकों के लिए वित्तीय सहायता के विस्तार जैसी विभिन्न निर्यात बाजार संवर्धन गतिविधियों के माध्यम से भारतीय कॉयर सेक्टर के निर्यात प्रदर्शन को सुधारने के उद्देश्य से निर्यात बाजार संवर्धन की योजना को लागू कर रहा है और कॉयर उद्योग पुरस्कार आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं।

(vi) व्यापार और उद्योग संबंधी कार्यात्मक सहायता सेवाएं

इस कार्यक्रम के तहत गतिविधियों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की जानकारी की खोज, सूचना का संग्रह और सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेखण और रिपोर्ट तैयार करना और रिपोर्ट प्रकाशित करना शामिल होगा। इसके तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं: (1) कॉयर उद्योग सर्वेक्षण (2) बाजार विश्लेषण (3) तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन (4) सूचना प्रौद्योगिकी का विकास, (5) कॉयर संबंधी सूचना का प्रलेखन (6) मजबूत डाटा बेस तैयार करना और व्यापर के लिए इसका प्रसार करना। (7) बोर्ड के कार्यालयों में ढांचागत सुविधाओं का निर्माण और (8) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम, आदि।

(VII). कल्याण उपाय

कॉयर बोर्ड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत नामांकन के लिए उनकी तरफ से प्रीमियम राशि का भुगतान करने के माध्यम से देश में कॉयर कामगारों की सहायता कर रहा है।

<u>पंचायत राज संस्थाओं, विशेषरूप से इंटरमीडिएट और जिला पंचायत के लिए कार्यान्वयन में संभावित भूमिका</u>

पंचायतें कॉयर बोर्ड की उप-योजना **"कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना"** के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। यह उपयुक्त स्थानों पर कॉयर उत्पाद निर्माण के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए प्रशिक्षुओं की पहचान से लेकर बुनियादी ढांचे तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर कॉयर बोर्ड की मदद कर सकता है। कॉयर बोर्ड इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं को स्टाइपेंड और प्रशिक्षकों को मानदेय प्रदान कर सकता है।

- पंचायतें ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए कॉयर ज्यो-टेक्सटाइल्स का उपयोग करके कॉयर उद्योग को प्रोत्साहित कर सकती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान कर सकती हैं। सड़क निर्माण के लिए कॉयर ज्यो-टेक्सटाइल्स का उपयोग सड़कों की जीवन अवधि को बढ़ाएगा और बड़ी संख्या में कॉयर श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगा। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल ही में सात राज्यों में PMGSY – III के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण में कॉयर ज्यो-टेक्सटाइल्स का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
- कॉयर ज्यो-टेक्सटाइल्स का उपयोग नदी-तट संरक्षण, ऊपरी मिट्टी स्थिरीकरण, वाटरशेड प्रबंधन / तालाब स्थिरीकरण आदि के लिए भी किया जाता है। पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए इन उत्पादों का उपयोग करके कॉयर ज्यो-टेक्सटाइल्स और अन्य कॉयर उत्पादों के निर्माताओं को प्रोत्साहित कर सकती हैं। कॉयर बोर्ड ने सभी महत्वपूर्ण नारियल उत्पादक राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं और इन सभी राज्यों में कॉयर उत्पादों की विनिर्माण तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। नारियल उत्पादक राज्यों में कॉयर ज्यो-टेक्सटाइल्स और अन्य उत्पादों के उत्पादन से ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
- कॉयर उत्पादों के विनिर्माण के लिए नारियल की भूसी के उपयोग से नारियल किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराएगा और नारियल की खेती को प्रोत्साहन देगा।
- पंचायतें प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत लाभार्थियों की पहचान और नामांकन के लिए कॉयर बोर्ड की सहायता कर सकती हैं। कॉयर श्रमिकों के संबंध में प्रीमियम कॉयर बोर्ड वहन कर सकता है।

- चूंकि कॉयर उद्योग पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ उद्योग है जो 100% प्राकृतिक नवीकरणीय कच्चे माल अर्थात 'नारियल की भूसी' का उपयोग करता है, इसलिए पंचायतें इस क्षेत्र के उद्यमियों को कच्चा माल इकट्ठा करने, स्वयं सहायता समूहों के गठन, कॉयर उत्पादों के विपणन और हैंडहोल्डिंग समर्थन के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर सकती हैं।
- **सभी महत्वपूर्ण नारियल उत्पादक राज्यों की पंचायतें कॉयर बोर्ड के साथ संबद्ध होकर राज्य में कॉयर उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।**
- **कॉयर विकास योजना के तहत उप-योजनाएं प्रौद्योगिकी विकास, कौशल उन्नयन, बुनियादी ढाँचा विकास, बाज़ार विकास इत्यादि जैसे कॉयर उद्योग के विकास के विभिन्न पहलुओं के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इसलिए कॉयर बोर्ड और पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं के अभिसरण की गुंजाइश बहुत सीमित है।**

बीडीपी और डीडीपी में निगमन के लिए जनजातीय विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाएं

जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय देश में जनजातीय आबादी के समावेशी और सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। मंत्रालय के कार्यक्रम और योजनाएँ वित्तीय सहायता के जरिए, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों के माध्यम से समर्थन और पूरक का कार्य करते हैं और अनुसूचित जनजाति की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण खाई को भरते हैं। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है जैसे जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से टीएसएस); भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान ; प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, एसटी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति, एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल (ईएमआरएस), एसटी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप और छात्रवृत्ति, उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना आदि; विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए संरक्षण-सह-विकास योजना, अधिकार आधारित कानून - वन अधिकार अधिनियम 2006 के अलावा एसटी के विकास के लिए आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान।

MoPR के साथ अभिसरण का दायरा

चूंकि बहुसंख्यक जनजातीय आबादी अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के अधिकार क्षेत्र में है; इसलिए देश भर में जनजातीय आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सभी तीन स्तरों पर MoTA योजनाओं और MoPR कार्यक्रमों का अभिसरण अपेक्षित है। मंत्रालय के प्रमुख जनादेश पंचायती राज संस्थान और पंचायती राज संस्थान से संबंधित सभी मामले हैं।

- एमओटीए वन अधिकार अधिनियम, 2006 के माध्यम से जंगल में रहने वाले एसटी, अन्य पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करके जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के लोकतांत्रिक शासन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वन को शासित करने और प्रबंधित करने के लिए ग्राम सभा को भी सशक्त बनाता है। MoPR का उद्देश्य पंचायतों की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाकर और संविधान एवं PESA अधिनियम 1996 की भावना के अनुसार शक्ति और जिम्मेदारियों के विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से पंचायतों की सफलता को बाधित करने वाली महत्वपूर्ण खाइयों को पाटना है।
- MoTA ने COVID-19 महामारी की स्थिति के दौरान जनजातीय आबादी का समर्थन करने के लिए हाल ही में न्यूनतम वन उत्पाद (MFP) की सूची 23 नई वस्तुओं को जोड़ा है और सूची को संशोधित किया है। इसके अलावा, MoPR इस योजना से संबंधित अभिसरण के लिए पहचान करने और ग्रामीण स्तर पर लाभ प्रदान करने के प्रयासों भी कर सकता है।
- MoTA अपनी कई शैक्षिक योजनाओं के माध्यम से ST बच्चों को शैक्षिक लाभ प्रदान करता है। एमओपीआर के साथ अभिसरण से आदिवासी युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और कैरियर की संभावनाओं में सुधार करने में सक्षम शैक्षिक योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रसार में मदद मिलेगी।
- वन धन योजना के तहत 1126 वन धन विकास केंद्र (VDVK) के लक्ष्य के साथ, MoTA ने वन धन जनजातीय स्टार्ट-अप को बढ़ावा देते हुए "आत्मनिर्भर भारत अभियान" को मजबूत करने की दिशा में 500 नए VDVK की स्थापना की है। MoPR के साथ अभिसरण ग्राम पंचायत / ग्राम सभा स्तर पर लाभ प्रदान करेगा।
- MoTA और MoPR के अभिसरण के साथ, विशेष रूप से जिला और ब्लॉक स्तर पर उपर्युक्त योजना के तहत जनजातीय लाभार्थियों को क्षमता निर्माण गतिविधियों, मौद्रिक सहायता और तकनीकी सहायता के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी।
- जीपी स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) की तरह, अन्य दो स्तरों पर अभिसरण से जनजातीय अधिकारों और हकों के बारे में चुनाव प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित होगा। इससे समावेशी, व्यापक और टिकाऊ बीडीपी और डीडीपी तैयार करने में मदद मिलेगी।

- पीआरआई के पदाधिकारी जिला और ब्लॉक स्तर पर MoTA द्वारा विकसित जनजातीय प्रवासी सहायता पोर्टल के अपेक्षित डेटा और नियमित उन्नयन में मदद कर सकते हैं।
- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों की योजनाओं के तहत आदिवासी कल्याण और विकास के लिए हर साल पर्याप्त धन आवंटित किया जाता है। एसटी और एसटी बहुल क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाले इन फंडों का इष्टतम उपयोग महत्वपूर्ण है जहां एमओपीआर बड़ी उत्प्रेरक भूमिका निभा सकता है। व्यापक जिला और ब्लॉक पंचायतों की योजना में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का समर्थन प्राप्त करके पेयजल, स्वच्छता, विद्युतीकरण, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को दूर किया जा सकता है।

अनुलग्नक – VII J

बीडीपी और डीडीपी में निगमन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाएं

कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से; खाद्य प्रसंस्करण मूल्य / आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों में अपव्यय / नुकसान को कम करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए कृषि-उपज के भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए ढांचागत विकास; खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के समावेश; उत्पादों और प्रक्रिया विकास के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना; मूल्य वर्धित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहल और सुविधाएं और खेत से उपभोक्ता और उससे ऊपर की खाई को भरने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा तैयार करना; श्रमशक्ति को कुशल बनाने के लिए बुनियादी ढाँचा तैयार करने की जरूरत है । इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) विभिन्न योजनाएं लागू कर रहा है

MoFPI की स्कीमें

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की फ्लैगशिप योजना है। इसके तहत 2016-2020 की अवधि के लिए 6000 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे जो चौदहवें वित्त आयोग की सह-सीमावर्ती थी और अब इसे 1041 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ 2020-21 तक बढ़ा दिया गया है। पीएमकेएसवाई योजना में बिना किसी ब्रेक के आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए खेती से जुड़ी निम्नलिखित ऊर्ध्वाधर योजनाएं हैं:

i. मेगा फूड पार्क ;

ii. समेकित शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना ;

iii. खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार ;

iv. कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना ;

v. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज्स का सृजन;

vi. ऑपरेशन ग्रीन्स (विशेषरुप से टमाटर, प्याज और आलू की फसलों के लिए)

vii. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसरंचना, और

viii. मानव संसाधन एवं संस्थान

सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान (ABY) 2020 पहल के तहत, MoFPI ने नई केंद्र प्रायोजित योजना आरंभ की। इसका नाम प्रधान मंत्री - सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिककरण (PM-FME), है। योजना पर 2020-2025 की अवधि के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन योजनाओं के तहत आधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, खाद्य विनिर्माण इकाइयों, मूल्य श्रृंखला विकास, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज और खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और कौशल अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक योजनाओं के तहत, MoFPI खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए व्यक्तियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), उद्यमियों, सहकारी संस्थाओं, स्व सहायता समूहों (एसएचजी), निजी कंपनियां और केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि को अनुदान के रूप में प्राय: क्रेडिट-लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। सब्सिडी की दर पात्र परियोजना लागत के 35% से 75% तक की सीमा के अधीन हो सकती है जो परियोजनाओं और उनके स्थान के प्रकार के आधार पर 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक हो सकती है। पात्र आवेदक को वित्तीय सहायता योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार और समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति के तहत प्रदान की जाती है।

MoFPI की स्कीमों के कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका

पीएमकेएसवाई की केंद्रीय क्षेत्र योजना सीधे मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है। योजनाओं को मांग के आधार पर संचालित किया जाता है और इक्विटी अंशदान एवं बैंक क्रेडिट के साथ ज्यादातर निजी क्षेत्र द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है। प्रस्तावों को समय-समय पर रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है, जो प्रत्येक योजना घटकों के तहत धन की उपलब्धता और परियोजनाओं के खाली स्लॉट के आधार पर होता है। वर्तमान में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में

पंचायतों की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि, जिला और ब्लॉक पंचायतें अपने क्षेत्राधिकार के भीतर योजना दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकती हैं।

MoPR के साथ अभिसरण का दायरा

प्रचार गतिविधियों के तहत MoFPI योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न जागरूकता अभियान आयोजित किए जा सकते हैं, विशेष रूप से PM-FME योजना के लिए जो ग्रामीण औद्योगीकरण / उद्यमिता के लिए उपयुक्त है। चूंकि 66% माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (MFE) ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसलिए किसानों के समूह, स्व सहायता समूह, और महिला उद्यमी पीएम-एफएमई योजना के तहत वित्तीय सहायता और अन्य सहायता प्राप्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। पीएमकेएसवाई की कौशल विकास योजना के तहत, पंचायतें जरूरत के अनुसार जिला या ब्लॉक स्तर पर कौशल केंद्र स्थापित कर सकती हैं। इसके लिए बहुत कम निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस योजना के तहत 15 लाख रुपए प्रत्येक की पाँच कार्य भूमिकाओं (75 लाख) तक सहायता प्राप्त की जा सकती है।
पीएम-एफएमई योजना के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के माइक्रो फूड प्रोसेसर उद्यमियों के लिए ऑनलाइन मुफ्त प्रशिक्षण और कौशल कार्यक्रम जल्द ही शुरू किए जा सकते हैं। इन्हें दो मंत्रालय के तत्वावधान में नियंत्रित खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों के रुप में लॉन्च किया जाना है; नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट (NIFTEM), कुंडली, हरियाणा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी (IIFPT), तंजावुर, तमिलनाडु। कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) के माध्यम से पंचायत या न्यूनतम आईटी अवसंरचना और कनेक्टिविटी के साथ समर्पित स्किलिंग केंद्र सेवा प्राप्त करने / प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए सेवा का लाभ उठा सकते हैं।
पीएम-एफएमई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, त्रि-स्तरीय पंचायतों की भागीदारी की आवश्यकता है। जिला और ब्लॉक पंचायत घटक गांवों में उत्पादित कृषि और संबद्ध क्षेत्र के अधिशेष पर डेटा बेस का विकास, प्रोसेस किए गए उत्पाद का स्तर, फार्म-गेट बुनियादी ढांचा, अपव्यय का स्तर, एसएचजी / सहकारी समितियों / एफपीओ / व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा चलाए जाने वाले सूक्ष्म उद्यमों की संख्या, पीएम एफएमई के तहत स्किलिंग इनेबलिंग टार्गेटिड आउटरीच के लिए मांग कर सकती हैं

अनुलग्नक VII K

बीडीपी और डीडीपी में शामिल करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की महत्वपूर्ण योजनाएं

कुशल भारत एजेंडे को पूरा करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की स्थापना नवंबर 2014 में की गई। इसका उद्देश्य मौजूदा कौशल प्रशिक्षण पहलों को एकजुट करना और कौशल विकास संबंधी प्रयासों की गुणवत्ता बढाना है। एमएसडीई ने प्रभावी क्रियान्वयन की रूपरेखा सृजित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (एनएसडीएम) की शुरूआत की। इसके तहत लघु और मध्यम अवधि के गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है जो रोजगार और करियर में प्रगति को बढावा दे जिससे प्रशिक्षुओं की आकांक्षाएं पूरी हो सके।

मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं।

I. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)

प्राधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ 2015 में किया गया। इसका उद्देश्य लघु अवधि के कौशल प्रशिक्षण और कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर कौशल विकास को बढावा देना है। योजना का समग्र उद्देश्य युवाओं की उद्यमिता और रोजगार सक्षमता बढाना है। 2016-20 में पीएमकेवीवाई को क्षेत्र और भौगोलिक दायरा बढाकर तथा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसे सरकार के अन्य मिशनों और कार्यक्रमों से जोड़कर फिर शुरु किया गया। इस योजना का दायरा आकांक्षी जिलों, वाम उग्रवाद से ग्रस्त जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित जिलास्तर और राज्यस्तर तक विस्तृत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण मांग प्रेरित योजना के रूप में है जिसमें विभिन्न जिले कौशल विकास क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार करेंगे। इन योजनाओं में कौशल प्रशिक्षण और वांछित रोजगार के बारे में इच्छुक युवाओं से संबंधित ब्यौरा

होगा। इस मांग के आधार पर उनके लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकेगा। संबंधित ग्राम की पंचायती राज संस्था युवाओं को कौशल योजनओं के लिए प्रोत्साहित करने में काफी उपयोगी साबित होंगी और वे अपने कार्यक्षेत्र में इच्छुक युवाओं और वांछित कौशल से संबधित सूची तैयार करेंगी।

II. राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवंर्धन योजना (एनएपीएस)

प्रशिक्षु अधिनियम 1961 प्रतिष्ठानों में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग से रोजगार के लिए प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के नियमन के लिए लागू किया गया था। एमएसडीई इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी मंत्रालय है। सरकार ने 2014 में इस अधिनियम में और 2019 में प्रशिक्षुता विनियम, 1992 में व्यापक सुधार किए। इन सुधारों से इसे नियोक्ताओं के अधिक अनुकूल बनाया गया।

III. जन शिक्षण संस्थान

यह योजना (पूर्व में श्रमिक विद्यापीठ के नाम से ज्ञात) देश में 1967 से गैर सरकारी संगठनों द्वारा लागू की जा रही है। वर्ष 2000 में इसे जन शिक्षण संस्थान नाम दिया गया था। इसे निरक्षर, हाल में साक्षर हुए लोगों, आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त लोगों और 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ देने वाले 15 से 45 वर्ष के लोगों को व्यवसायिक कौशल उपलब्ध कराने का अनिवार्य दायित्व सौंपा गया है। इसका लक्ष्य महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता देकर निर्धनों में निर्धनतम तक पहुंचने का है। जन शिक्षण संस्थान दूर-दराज के क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं और वयस्क आवादी को सशक्त और सक्षम बना रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लोगों को स्थानीय मांग के अनुरूप व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया है।

IV. आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और जानकारी बढाना (संकल्प)

संकल्प कार्यक्रम का चार प्रमुख क्षेत्रों में योगदान है- संस्थागत मजबूती लाने; कौशल विकास कार्यक्रमों में गुणवत्ता आश्वासन; कौशल विकास कार्यक्रमों में सुविधा वंचित आवादी को शामिल करना तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी से कौशल विकास को विस्तार देना।

संकल्प के द्वारा विभिन्न विभागों के बीच तालमेल के साथ-साथ लघु अवधि के कौशल विकास योजना में सुधार और क्रियान्वयन के लिए विकेन्द्रीकरण को एक रणनीति के रूप में अपनाया गया है। संकल्प पहुंच बढाने, तथा गुणवत्ता और क्षमता निर्माण में सहयोगी स्थानीय स्तर पर सर्वोत्तम नवाचार को भी बढावा देता है।

पंचायती राज मंत्रालय के साथ तालमेल की गुंजाईश-

एमएसडीई ने ग्राम पंचायत में कौशल विकास योजना को एकीकृत करने और ग्रामीण आवादी की जरुरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण के लिए पंचयती राज मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। पंचायती राज मंत्रालय के साथ साझेदारी विशिष्ट है और इससे न केवल कौशल विकास क ग्रामीण स्थानीय निकायों तक ले जाने बल्कि ग्राम पंचायतों को कुशल संसाधनों से सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। इसकी सफलता के लिए पंचायती राज मंत्रालय से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की आशा की जाती है।

- पंचायती राज प्रणाली को परियोजनाओं के लिए आवश्यक गतिविधियां शुरु करने में सहयोग करना।
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कौशल विकास संस्थानों की सहायता के लिए तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थान प्रणाली को गतिशील करना।

- साक्ष्य आधारित कार्यक्रमों के विकास के लिए, जहां आवश्यक हो, डेटा उपलब्ध कराना।
- ग्राम पंचायतों को कुशल संसाधनों के उपयोग, जन स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास से संबंधित आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए सक्षम बनाने के उद्देश्य से उप विधानों में प्रावधान करना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप (एमजीएनएफ) : एमजीएनएफ की शुरूआत जिला प्रशासन को कौशल विकास कार्यक्रम की उपलब्धता में सुधार तथा प्रतिबद्ध और सक्षम विकास कार्यकर्ताओं का काडर तैयार करने में सहयोग के लिए की गई थी। पहले वर्ष के दौरान 74 लोगों को गुजरात, कर्नाटक, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 74 जिलों में 2 वर्ष के लिए तैनात किया गया। इस फेलोशिप कार्यक्रम में आईआईएम-बेंगलौर शैक्षणिक साझेदार है। जिलों से साथ सीधे काम करने के व्यापक स्थल अनुभव से साथ इन लोगों को संस्थान द्वारा फेलोशिप कार्यक्रम पूरा हो जाने पर सार्वजनिक नीति और प्रबंधन में सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। एमजीएनएफ कार्यक्रम अपने दूसरे वर्ष में और जिलों और राज्यों को कवर करेगा।

अनुलग्नक VIII

मध्यवर्ती और जिला पंचायत स्तर पर परिवेश सृजन गतिविधियों की सूची

I. योजना प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिये खंड सभा, मध्यवर्ती पंचायत योजना समिति और कार्यसमूह सदस्यों तथा अन्य प्रमुख स्थानीय लोगों को पत्र भेजना।

II. दीवारों पर आकर्षक नारे, पर्चियां बांटना, प्रचार उद्‌घोषणाओं के अलावा बैनर और पोस्टर लगाना।

III. विद्‌यार्थियों, स्वयंसेवकों, एसएचजी/सीबीओ सदस्यों, बीएस, आईपीपीएस, एसडबल्यूजी सहित ग्रामीणों द्‌वारा रैली, अभियान।

IV. समुदाय स्तर के संगठनों जैसे वीएचएनएससी, एसइसी, आईसीडीसी द्‌वारा गठित समितियों की जागरुकता अभियान और समुदाय को शामिल करने की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी।

V. स्थानीय लोक कलाकार या लोकप्रिय मीडिया/ कलाकारों को शामिल कर नुक्कड़ नाटक।

VI. प्रदर्शनी के माध्यम से पंचायत दिवस समारोह का आयोजन और गांव के वरिष्ठ जन तथा सामुदायिक नेताओं विशेषकर महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का सम्मान।

VII. विभिन्न जागरुकता सप्ताहों का आयोजन जैसे खुले में शौच से मुक्ति/ स्तनपान सप्ताह/ एड्‌स जागरुकता/ पौधरोपण सप्ताह इत्यादि।

VIII. स्कूल और कॉलेज विद्‌यार्थियों और ग्रामवासियों के बीच, गांव को मॉडल ग्राम कैसे बनाया जाये जैसे विषय पर चित्रकला और साक्षरता प्रतियोगिता का आयोजन।

IX. गांव की अभिरुचि और ऊर्जा को दर्शाने के लिये खेलकूद और लोककला उत्सवों और विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का

आयोजन तथा विभिन्न उत्सवों और अवसरों के लिये ग्रामीण गीतों का चयन।

X. युवाओं का समूह संगठित करना यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चा, विशेषकर बालिका, स्कूल जा रहा है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

XI. सामुदायिक स्वेच्छित गतिविधियों का आयोजन जैसे गलियों, नालियों, स्कूल और पंचायत परिसर की सफाई और पौध रोपण इत्यादि।

XII. स्थानीय क्षेत्र के इतिहास और वृद्ध जनों से सुनी बातों के आधार पर प्रदर्शनियों का आयोजन।

XIII. स्कूल जा रहे बच्चों और स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों के लिए स्कूल नामांकन शिविर आयोजित करना तथा स्कूल बैग यूनिफार्म और अन्य किट वितरित करना।

XIV. रोजगार मेले का आयोजन तथा कौशल विकास के लिए बेरोजगार युवाओं की रूचि के क्षेत्र और शिक्षा संबंधी प्रोफाइल बनाना।

XV. प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे वित्तीय समावेशन शिविर का आयोजन।

XVI. किसानों के लिए कृषि मेले का संचालन ताकि उन्हें विभिन्न उन्नत कृषि प्रणालियों, कृषि में सूचना संचार प्रोद्योगिकी, कृषि विपणन, मृदा परीक्षण और नकदी फसल के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके।

अनुलग्नक IX

चिन्हित समस्याओं और विकासात्मक विकल्पों के लिए स्थिति विश्लेषण

क्र.सं.	चिन्हित समस्या	विश्लेषित स्थिति	संभावित समाधान विकल्प
1.	सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता का अभाव	• नाली की पर्याप्त व्यवस्था न होना • सार्वजनिक शौचालय के समुचित रख-रखाव का अभाव • खुले में शौच • स्वास्थ्यकर आदतों के बारे में जागरूकता का अभाव • वीएचएससी निर्मित नहीं या सक्रिय नहीं	• नई नालियों का निर्माण • बेहतर सामुद्यिक शौचालयों का निर्माण • खुले में शौच और स्वास्थ्यकर आदतों के अभाव के के दुष्परिणामों बारे में जागरूकता • ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति को सक्रिय करना
2.	कम फसल उत्पादकता	• अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में जागरूकता नहीं होना • आधुनिक कृषि प्रोद्योगिकी नहीं अपनाना • फसल सुरक्षा के अपर्याप्त प्रबंध	• उन्नत कृषि के बारे में जागरुकता सृजन • दलहन और सब्जियों की हाइब्रिड किस्मों से अवगत कराना • उन्नत कृषि उत्पाद/कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण • कृषि गत अभ्यासों के बारे में कृषि विभाग से समय-समय पर संपर्क
3.	एससी बच्चों में कुपोषण	• गर्भवती महिलाओं और बच्चों को संतुलित भोजना नहीं मिलना। • आजीविका के अभाव या कमी के कारण संतुलित	• संतुलित भोजन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाना • वीएचएससी को सुदृढ करना • किचन गार्डन को पोषक

		भोजन पर पर्याप्त व्यय न हो पाना • किचन गार्डन अभ्यास का अभाव	सब्जियों/फलों के स्रोत के रूप में बढावा देना
4.	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव	• गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण विधियों और सामग्री का अभाव • ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षकों की मॉनिटरिंग न होना	• शिक्षण गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के लिए एसएमसी को सुदृढ बनाना • शिक्षण सहयोग की आपूर्ति • विज्ञान प्रयोगशाला के लिए नए उपकरण खरीदा जाना
5.	पशुओं के लिए गुणवत्तापूर्ण चारे की अपर्याप्तता	• चारागाह भमि के अतिक्रमण के कारण चारे में कमी • चारा उगाने और पशु भोजन की समुचित तैयारी के बारे में जागरुकता का अभाव, चारा उगाने के लिए सिंचाई जल पर्याप्त न होगा	• मिनी किट वितरण के जरिए चारा उगाने के लिए बेहतर किस्मों से अवगत कराना • कृषि जोतों की बाउंड्री पर चारा रोपण • गुणवत्तापूर्ण पशु भोजन की तैयारी और चारा उगाने के बारे में किसानों को प्रशिक्षण/समुचित प्रस्तुतिकरण

अनुलग्नक X

विकास स्थिति रिपोर्ट (डीएसआर) की सांकेतिक रूपरेखा

भाग-1 स्थिति आकलन की प्रक्रिया/प्रणाली का विरवरण

भाग-2 स्थिति विश्लेषण के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति स्पष्ट करते हुए पंचायत का प्रोफाईल

भाग-3 संबंधित मानकों के संदर्भ में पिछले 3-5 वर्षों के आईपी विकास एजेंडा के अंतराल विश्लेषण सहित विकास उपायों का जानकारी। एसडब्ल्यूजी निम्नलिखित सुझावों के आधार पर मानक का चयन कर सकते हैं।

I. आर्थिक विकास और गरीबी में कमी
II. मानव विकास
III. सामाजिक विकास
IV. पारिस्थितिकीय विकास
V. सार्वजनिक सेवा आपूर्ति
VI. सुशासन
VII. सतत विकास लक्ष्य
VIII. कौशल
IX. महिला और बाल संरक्षण और विकास एक्स।
X. ईलेक्ट्रॉनिक सक्षमता
XI. अवसंरचना स्थिति।

भाग-4 जनभागादारी का विवरण और इसमें सुधार के परामर्श

भाग-5 संसाधनों की स्थिति और संसाधन आधार बढाने की गुंजाईश, ओएसआर सहित

भाग-6 पंचायत के लिए विकास परिणाम अधिकतम करने के उद्देश्य से मानव, वित्तीय और प्राकृतिक संसाधनों में तालमेल बढाने के अवसर

भाग-7 संभावित हस्तक्षेपों के बारे में क्षेत्रवार व्यापक सुझाव

भाग-8 निषकर्ष

भाग-9 अनुलग्नक (मिशन अंत्योदय और जीपीडीपी के समेकित डेटा की प्रतियां)

अनुलग्नक XI

विशेष ब्लॉकसभा और जिला सभा में संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के प्रस्तुतिकरण की मॉडल रूपरेखा

1. संबंधित विभागों के प्रतिनिधि विभाग से संबंधित योजनाओं की संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। इसमें योग्यता कसौटी, पात्रता और प्राप्त लाभों/मिलने वाले लाभों: मध्यवर्ती पंचायतों की भूमिका और खंड विकास योजना में समावेशन का उल्लेख होगा।

क्रं.सं.	**योजना का नाम**	**योजना के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियां**	**लाभार्थियों के चयन के लिए पात्रता कसौटी**	**योजना के लाभ/अधिकार**

2. मौजूदा वित्त वर्ष में संचालित गतिविधियां और समय के साथ अब तक हुई प्रगति।

#	**गतिविधि का नाम**	**ग**तिविधिवार स्थिति रिपोर्ट						
		प्रगति स्थिति			**समय सीमा**		**धनराशि उपयोग स्थिति**	
		पूरी हो चुकी गतिविधि	जारी गतिविधि	अब तक शुरु नहीं हुई	तय समयसीमा	वास्तविक समय	आवंटित कोष	उपयोग हो चुकी राशि

3. अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित गतिविधियां

क्रंसं	जारी गतिविधियों की निरंतरता	शुरू की जाने वाली नई गतिविधिया	प्रस्तावित कार्य योजना

अनुलग्नक XII

गतिविधि मापन प्रारूप

No.	Subject under Schedule 11	Responsibilities transferred under the subject	List of activities under each responsibility	Role of District Panchayat	Role of IP	Role of GP	Role of Department	Remarks
1	Agriculture, including agricultural extension	1.1	1.1.1					
			1.1.2					
			1.1.3					
		1.2	1.2.1					
			1.2.2 1.2.3					
2	Land improvement, implementation of land reforms, land consolidation and soil conservation	2.1	2.1.1					
			2.1.2					
			2.1.3					
		2.2	2.2.1					
			2.2.2					
			2.2.3					

अनुलग्नक XIII

योजना गतिविधियों की प्रस्तुति के लिए मॉडल प्रारूप

1. परिचय (पंचायत की जानकारी)
2. सेक्टर की जानकारी और समस्या की पहचान
3. परियोजना का उद्देश्य
4. लक्ष्य तथा योजना के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले प्रस्तावित निष्कर्षों का ब्यौरा
5. निर्धारित लक्ष्यों और वित्तीय प्रावधानों के साथ किए जाने वाले उपायों के घटक
6. क्रियान्वयन रणनीति (क्रियान्वयन एजेंसी, अतिरिक्त संसाधन जुटाना, स्वैच्छिक भागीदारी और निरीक्षण इत्यादि)
7. जोखिम और जोखिम कम करने के ऊपाय
8. निष्कर्ष

अनुलग्नक XIV

खंड विकास योजना की संरचना

(मध्यवर्ती पंचायत द्वारा तैयार की जाएगी)

अध्याय	**विषय**	**उप विषय**
अध्याय-1	मध्यवर्ती पंचायत क्षेत्र प्रोफाइल	<u>**सामान्य जानकारी**</u> a) ग्राम पंचायतवार जनसांख्यिकी सूचना, एससी/एसटी/बीसी सहित b) भौगोलिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी क्षेत्र स्थिति, सड़क संपर्क/रेल संपर्क, इंटरनेट पहुंच और प्रखंड की विशेषताओं का विवरण c) सामाजिक आर्थिक स्थिति (जनगणना, एसईसीसी डेटा इत्यादि के आधार पर) d) शैक्षणिक संस्थानों की संख्या और शिक्षा की स्थिति e) स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य और आयोग्य केंद्र के रूप में उन्नत ग्रामीण अस्पताल तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित संपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति f) स्वच्छता और पेयजल स्थिति g) आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या और पोषण की स्थिति h) खंड में कार्यरत संबंधित विभागीय कार्यालयों के नाम i) बैंक शाखाओं की संख्या (बैंक शाखा रहित ग्राम पंचायतों की संख्या सहित) j) कॉपरेटिव सोसायटी की संख्या k) बाजार/मंडी, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की संख्या l) पशु स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या m) सिंचाई, लघु सिंचाई की स्थिति n) फसल गहनता o) प्रमुख व्यवसाय और आजीविका की स्थिति p) पीडीएस प्रबंध q) औद्योगिक इकाईयों की संख्या r) एसएचजी और उनके परिसंघों की जानकारी s) आपदा प्रबंधन व्यवस्थाएं

अध्याय	विषय	उप विषय
		t) यदि पीईएसए खंड है तो पीईएसए क्रियान्वयन की स्थिति u) यदि क्षेत्र में जनजातीय आबादी है तो वन अधिकार अधिनियम लागू किए जाने की स्थिति v) अन्य संबंधित सामान्य जानकारी (उपरोक्त सूची दृष्टांत स्वरूप है। हालांकि प्रत्येक खंड को योजना के लिए आवश्यक सभी संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए).
		<u>2.मध्यवर्ती पंचायत जानकारी</u> (a) मध्यवर्ती पंचायत के सदस्यों की संख्या (पूर्व सदस्य सहित यदि कोई हैं) (b) मध्यवर्ती पंचायत की स्थाई समितियों का नाम तथा उनके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और कार्यात्मक स्थिति (c) मध्यवर्ती पंचायत में कर्मचारियों की कुल संख्या (श्रेणीवार) (d) ………. (e) ………. (f) ………. (g) अन्य़ संबंधित पंचायत जानकारी
		<u>(3) विजय वक्तव्य</u>
अध्याय-2	पूर्व वर्षों में संपन्न कार्य और जारी कार्य	पूर्व वित्त वर्ष की प्रगति रिपोर्ट और जिस वर्ष के लिए योजना तैयार की जा रही है उसके आरंभ होने से पहले पूरी हो जाने की संभावना संबंधी रिपोर्ट
अध्याय-3	योजना प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी	इस अध्याय में योजना प्रक्रिया का संक्षिप्त ब्यौरा, खंडसभा, मध्यवर्ती पंचायत योजना टीम और क्षेत्रीय कार्य समूह के गठन,

अध्याय	विषय	उप विषय
		संबंधित विभागों के कर्मचारियों की योजना प्रक्रिया, परिवेश सृजन, डेटा संकलन में भागीदारी सहित होगा
अध्याय-4	विकास की मौजूदा स्थिति, प्रमुख चुनौतियां और समाधान की गुंजाईश	इस अध्याय में जिले में 11वीं अनुसूचि में उल्लिखित 29 विषयों के संदर्भ में मौजूदा विकास स्थिति का संक्षिप्त विवरण, योजना के पूर्व वर्ष के दौरान लागू की गई प्रमुख गतिविधियां, स्थिति और अंतराल विश्लेषण, प्रमुख चुनौतियां, संसाधनों की उपलब्धता और चुनौतियों के निपटने के साधनों का उल्लेख होगा
अध्याय-5	एसडीजी को स्थानीय स्तर पर लागू लिए जाने सहित विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य	इस अध्याय में संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों के साथ तय किए गए लक्ष्यों के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा होगा। साथ ही इन लक्ष्यों को पांच वर्ष के दौरान और तैयार की जा रही वार्षिक योजना की सांचल अवधि के दौरान प्राप्त करने के प्रस्तावित साधनों का भी उल्लेख होगा।
अध्याय-6	संसाधन आधार और प्राथमिकताक्रम में गतिविधियों का चयन	इस अध्याय में वार्षिक योजना अवधि के लिए जिला पंचायत द्वारा योजना क्रियान्वयन के वास्ते उपलब्ध संसाधनों का विस्तृत ब्यौरा होगा। इस संसाधनों में अपने-अपने स्रोत से राजस्व अर्जन, 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, राज्य योजनाएँ, जिला स्तर पर संबंधित विभागों के पास उपलब्ध संसाधन, विकास प्राधिकरणों/बोर्डों, खनन और खनिजों से प्राप्त उपकर, बाह्य माध्यमों से समर्थित कार्यक्रमों द्वारा उपलब्ध संसाधन इत्यादि शामिल हैं।
अध्याय-7	पूर्व वर्ष और वार्षिक योजना वर्ष के लिए बजट से संचालित गतिविधियों की सूची	इस अध्याय में सामान्य प्रारूप में गतिविधियों की दो सूची सम्मिलित होगी। पूर्व वित्त वर्ष और वार्षिक योजना वर्ष के दौरान क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित बजट सहित।
अध्याय-8	कार्यान्वयन	इस अध्याय में योजना गतिविधियों की क्रियान्वयन प्रक्रिया और रणनीति, संबंधित विभागों मध्यवर्ती पंचायत संपर्क तथा राज्य के संबंधित विभागों सहित विभिन्न संगठनों और अन्य मुद्दों का उल्लेख होगा।
अध्याय-9	निगरानी और मूल्यांकन	इस अध्याय में योजना गतिविधियों की रणनीति और प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन का उल्लेख होगा। जिला स्तरीय संबंधित

अध्याय	विषय	उप विषय
		विभागों सहित विभिन्न संगठनों की भूमिका, मध्यवर्ती पंचायत, राज्य के संबंधित विभागों से संपर्क और अय मुद्दों का भी समावेश होगा।
	अनुलग्नक	जिला मैप, विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध डेटा, मिशन अंत्योदय डेटा समेकन, ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत के मौजूदा वर्ष के नियोजित कार्य, बैठकों की मुख्य बातों की प्रतियां, डीपीपीसी और एसडब्ल्यूजी की रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स सहित।

District Development Plan for previous year (e.g. 2019-20)

(To be prepared by District Panchayat)

Name of District/District Panchayat……………………………………….., State…………………………..

Table-1

List of Activities with Budget

Sector (Based on 29 Subjects as per the 11th Schedule)	**Description of Activity** (Mentioning location and other necessary details)	**Physical Target** (No./Length/ Area etc.)	**Budgeted Amount** { Total of (f) and (g)} (Rs.Lakh)	**Main Source of Fund**	**Other Source of Fund** (if in convergence with other source)	**Timeline** (Date of Start & Date of Completion)	**Outcome** (No. of people to benefit and the like)	**Remarks Which SDG be Address**
(b)	**(c)**	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**	**(h)**	**(i)**	**(j)**

strict Development Plan for year (in which the Plan is to be implemented (e.g. 2020-2

(To be prepared by District Panchayat)

Name of District/District Panchayat……………………………………….., State…………………………..

Table-2

List of Activities with Budget

Sector (Based on 29 Subjects as per the 11th Schedule)	**Description of proposed Activity** (Mentioning location and other necessary details)	**Physical Target** (No./Length/ Area etc.)	**Budget Estimated Amount** { Total of (f) and (g)} (Rs.Lakh)	**Main Source of Fund**	**Other Source of Fund** (if in convergence with other source)	**Timeline** (Date of Start & Date of Completion)	**Outcome** (No. of people to benefit and the like)	**Remarks Which SDG be Address**
(b)	**(c)**	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g)**	**(h)**	**(i)**	**(j)**

जिला पंचायत के लिए बजट आवंटन विवरणी

आयोजन ईकाई का नाम और विवरण		जिला पंचायत		
वित्त वर्ष				
A: पंचायत के खाते में जमा राशि और इसके द्वारा सीधे व्यय की गई राशि	B: समान क्षेत्र में कार्यरत अन्य योजना इकाईयों को भेजी गई राशि		C: बाहरी एजेंसियों द्वारा पंचायत का क्रार्यक्षेत्र में व्यय की गई राशि जैसे parastatals, मिशन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राज्यस्तरीय संबंधित विभाग	

आयोजन ईकाई का नाम और विवरण			जिला पंचायत		
वित्त वर्ष					
				इत्यादि	
योजना	आवंटन	योजना	आवंटन	योजना	आवंटन
15वां वित्त आयोग अनुदान					
राज्य वित्त आयोग अनुदान					
अपने स्रोत से प्राप्त राजस्व					

अनुलग्नक XV

खंड स्तर पर जन सूचना बोर्ड के डिजायन

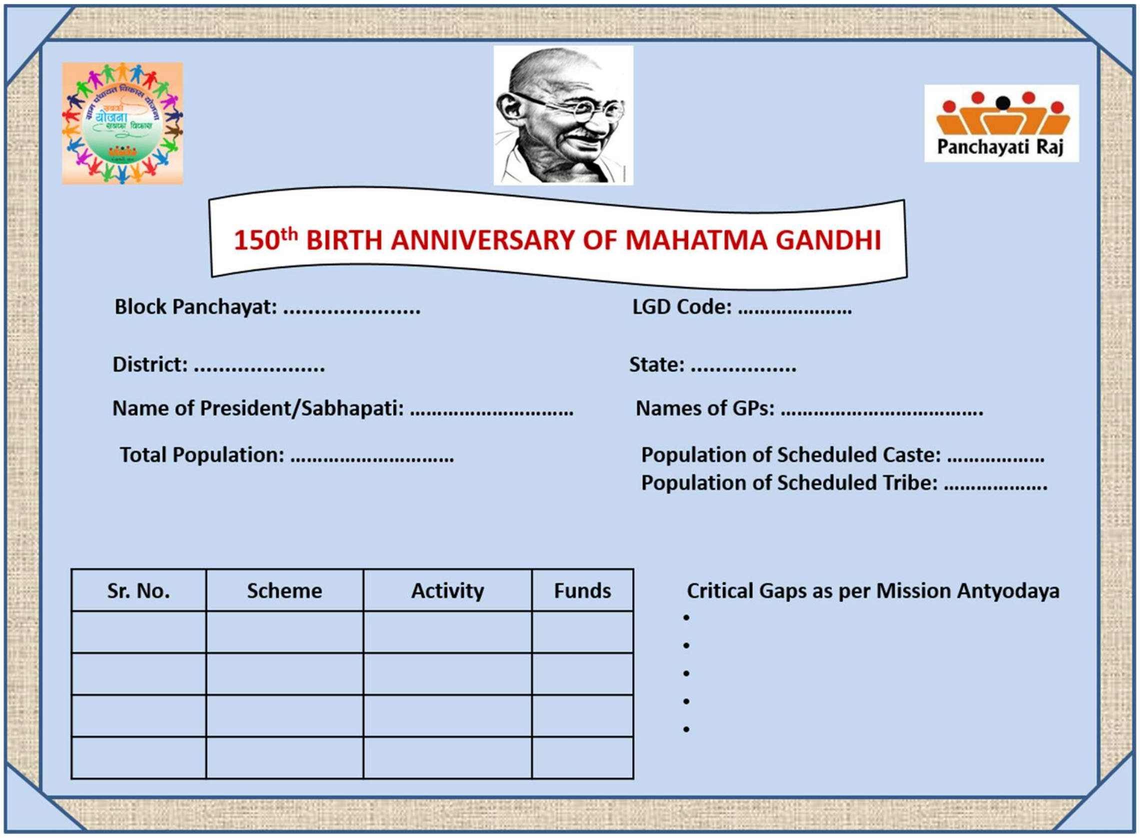

Panchayati Raj

150th BIRTH ANNIVERSARY OF MAHATMA GANDHI

Block Panchayat: ....

LGD Code: ....

District: ....

State: ....

Name of President/Sabhapati: ....

Names of GPs: ....

Total Population: ....

Population of Scheduled Caste: ....

Population of Scheduled Tribe: ....

Sr. No.	Scheme	Activity	Funds

Critical Gaps as per Mission Antyodaya

-
-
-
-
-

अनुलग्नक XVI

जिला विकास योजना की संरचना

(जिला पंचायत द्वारा तैयार की जाएगी)

अध्याय	विषय वस्तु	उप विषय वस्तु
अध्याय-1	जिला औप जिला पंचायत की प्रोफाइल	**1. <u>सामान्य जानकारी</u>** w) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति औरर पिछड़ा वर्ग सहित ग्राम पंचायतवार जनसांख्यिकी सूचना। x) भौगोलिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी क्षेत्र स्थिति, सड़क संपर्क/रेल संपर्क, इंटरनेट पहुंच और जिला की विशेषताओं का विवरण y) सामाजिक आर्थिक स्थिति (जनगणना, एसईसीसी डेटा, जिला सांख्यिकी पुस्तिका इत्यादि के आधार पर) z) शैक्षणिक संस्थानों की संख्या और शिक्षा की स्थिति aa) स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य और आयोग्य केंद्र के रूप में उन्नत ग्रामीण अस्पताल तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सहित संपूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र की स्थिति bb) स्वच्छता और पेयजल स्थिति cc) आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या और पोषण की स्थिति dd) जिला में कार्यरत संबंधित विभागीय कार्यालयों के नाम ee) बैंक शाखाओं की संख्या (बैंक शाखा रहित ग्राम पंचायतों की संख्या सहित) ff) कॉपरेटिव सोसायटी की संख्या gg) बाजार/मंडी, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की संख्या hh) पशु स्वास्थ्य केंद्र/अस्पतालों की संख्या ii) सिंचाई, लघु सिंचाई की स्थिति jj) फसल गहनता kk) प्रमुख व्यवसाय और आजीविका की स्थिति ll) पीडीएस प्रबंध mm) एमएसएमई सहित औद्योगिक इकाईयों की संख्या nn) खद्दान और खनिजों की स्थिति oo) एसएचजी और उनके परिसंघों की जानकारी

अध्याय	विषय वस्तु	उप विषय वस्तु
		pp)परिवहन व्यवस्था की स्थिति qq)आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की स्थिति rr) यदि पीईएसए जिला है तो पीईएसए क्रियान्वयन की स्थिति ss) यदि क्षेत्र में जनजातीय आबादी है तो वन अधिकार अधिनियम लागू किए जाने की स्थिति tt) .... uu)अन्य संबंधित सामान्य जानकारी (उपरोक्त सूची दृष्टांत स्वरूप है। हालांकि प्रत्येक जिले को योजना के लिए आवश्यक सभी संबंधित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए).
		<u>2.जिला पंचायत जानकारी</u> क) जिला पंचायत के सदस्यों की संख्या (पूर्व सदस्य सहित यदि कोई हैं) ख) जिला पंचायत की स्थाई समितियों के नाम तथा उनके अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और कार्यात्मक स्थिति ग) जिला पंचायत में कर्मचारियों की कुल संख्या (श्रेणीवार) घ) .... ङ) .... च) अन्य़ संबंधित पंचायत जानकारी
		<u>(3) जिला में कार्यरत विकास प्राधिकरण/बीर्ड के नाम</u>

अध्याय	विषय वस्तु	उप विषय वस्तु
		<u>और उनके कार्य संचालन की स्थिति</u> **4. <u>विजन वक्तव्य</u>**
अध्याय-2 अध्याय-3	पिछले वर्ष पूरे किए गए कार्य और जारी कार्य योजना प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी	पिछले वित्तीय वर्ष की प्रगति रिपोर्ट और उस वर्ष की शुरुआत से पहले पूरे किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य, जिस वर्ष के लिए योजना तैयार की जा रही है। इस अध्याय में योजना प्रक्रिया का संक्षिप्त ब्यौरा, जिला पंचायत, जिला पंचायत योजना समिति (डीपीपीसी) और क्षेत्रीय कार्य समूह के गठन, जिला स्तरीय संबंधित विभागों के कर्मचारियों की योजना प्रक्रिया, परिवेश सृजन, डेटा संकलन में भागीदारी सहित होगा।
अध्याय-4	विकास की मौजूदा स्थिति, प्रमुख चुनौतियां और समाधान की गुंजाईश	इस अध्याय में जिले में 11वीं अनुसूचि में उल्लिखित 29 विषयों के संदर्भ में मौजूदा विकास स्थिति का संक्षिप्त विवरण, योजना के पूर्व वर्ष के दौरान लागू की गई प्रमुख गतिविधियां, स्थिति और अंतराल विश्लेषण, प्रमुख चुनौतियां, संसाधनों की उपलब्धता और चुनौतियों के निपटने के साधनों का उल्लेख होगा।
अध्याय-5	एसडीजी को स्थानीय स्तर पर लागू लिए जाने सहित विकास के लिए निर्धारित लक्ष्य	इस अध्याय में संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों के साथ तय किए गए लक्ष्यों के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा होगा। साथ ही इन लक्ष्यों को पांच वर्ष के दौरान और तैयार की जा रही वार्षिक योजना की संचालन अवधि के दौरान प्राप्त करने के प्रस्तावित साधनों का भी उल्लेख होगा।
अध्याय-6	संसाधन आधार और प्राथमिकताक्रम में गतिविधियों का चयन	इस अध्याय में वार्षिक योजना अवधि के लिए जिला पंचायत द्वारा योजना क्रियान्वयन के वास्ते उपलब्ध संसाधनों का विस्तृत ब्यौरा होगा। इस संसाधनों में अपने-अपने स्रोत से राजस्व अर्जन, 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, राज्य योजनाएँ, जिला स्तर पर संबंधित विभागों के पास उपलब्ध संसाधन, विकास प्राधिकरणों/बोर्डों, खनन और खनिजों से प्राप्त उपकर, बाहय माध्यमों से समर्थित कार्यक्रमों द्वारा उपलब्ध संसाधन इत्यादि शामिल हैं।
अध्याय-7	पूर्व वर्ष और वार्षिक योजना वर्ष के लिए बजट से	इस अध्याय में सामान्य प्रारूप में गतिविधियों की दो सूची सम्मिलित होगी। पूर्व वित्त वर्ष और वार्षिक योजना वर्ष के दौरान क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित बजट सहित।

अध्याय	विषय वस्तु	उप विषय वस्तु
	संचालित गतिविधियों की सूची	
अध्याय-8	कार्यान्वयन	इस अध्याय में योजना गतिविधियों की क्रियान्वयन प्रक्रिया और रणनीति, संबंधित विभागों मध्यवर्ती पंचायत संपर्क तथा राज्य के संबंधित विभागों सहित विभिन्न संगठनों और अन्य मुद्दों का उल्लेख होगा।
अध्याय-9	निगरानी और मूल्यांकन	इस अध्याय में योजना गतिविधियों की रणनीति और प्रक्रिया की निगरानी और मूल्यांकन का उल्लेख होगा। जिला स्तरीय संबंधित विभागों सहित विभिन्न संगठनों की भूमिका, मध्यवर्ती पंचायत, राज्य के संबंधित विभागों से संपर्क और अन्य मुद्दों का भी समावेश होगा।
	अनुलग्नक	जिला मैप, विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध डेटा, मिशन अंत्योदय डेटा समेकन, ग्राम पंचायत और मध्यवर्ती पंचायत के मौजूदा वर्ष के नियोजित कार्य, बैठकों की मुख्य बातों की प्रतियां, डीपीपीसी और एसडब्ल्यूजी की रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स सहित।

अनुलग्नक XVII

जिला पंचायत के जन सूचना बोर्ड के लिए दृष्टांत- डिजायन

Panchayati Raj

150th BIRTH ANNIVERSARY OF MAHATMA GANDHI

District Panchayat/Zila Parishad: .... LGD Code: ....

State: ....

Name of President/Adhyaksha: .... Names of Blocks: ....

Total Population: ....

Population of Scheduled Caste: ....

Population of Scheduled Tribe: ....

Sr. No.	Scheme	Activity	Funds

Critical Gaps as per Mission Antyodaya

-
-
-
-
-

संकेताक्षर

लघुरूप	संपूर्ण शब्द रूप
ADC	स्वायत्त जिला परिषद
ATR	कार्रवाई रिपोर्ट
ANM	सहायक नर्स मिड वाइफ
ASHA	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
AWW	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
AYUSH	आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय
BDP	खंड विकास योजना
BG	मूल अनुदान
BPL	गरीबी रेखा से नीचे
BRGF	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
C&AG	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
CB-PSA	क्षमता निर्माण - पंचायत सशक्तिकरण अभियान
CB&T	क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण
CBO	समुदाय आधारित संगठन
CDO	सामुदायिक विकास अधिकारी
CEO	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
CRM	आम समीक्षा मिशन
CRP	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति

लघुरूप	संपूर्ण शब्द रूप
CSC	साझा सुविधा केंद्र
CSR	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
CSS	केंद्र प्रायोजित योजना
D/O AC&FW	कृषि और किसान कल्याण विभाग
DARE	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
DDP	जिला विकास योजना
DDUGJY	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
DoLR	भूमि संसाधन विभाग
DP	जिला पंचायत
DPO	जिला पंचायत राज अधिकारी
DPC	जिला योजना समिति
DPRC	जिला पंचायत संसाधन केंद्र
DRG	जिला संसाधन समूह
DSR	स्थिति रिपोर्ट विकास
EBR	अतिरिक्त बजटीय संसाधन
EC	अधिकार प्राप्त समिति
e-NAM	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कृषि बाजार
ERs	निर्वाचित प्रतिनिधि
ETC	विस्तार प्रशिक्षण केंद्र

लघुरूप	संपूर्ण शब्द रूप
e-FMS	इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
FHTC	कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन
X FC	दसवां वित्त आयोग
XI FC	ग्यारहवां वित्त आयोग
XII FC	बारहवां वित्त आयोग
XIII FC	तेरहवां वित्त आयोग
XIV FC	चौदहवां वित्त आयोग
XV FC	पंद्रहवां वित्त आयोग
FFC	पांचवा वित्त आयोग
FGD	विशेष ध्यान समूह विचार-विमर्श
FSA	पांचवी अनुसूची क्षेत्र
GBS	सकल बजटीय सहायता
GDP	सकल घरेलु उत्पाद
GIM	हरित भारत मिशन
GIS	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GP	ग्राम पंचायत
GPDP	ग्राम पंचायत विकास योजना
GPPFT	ग्राम पंचायत योजना सुविधा दल
GRB	स्त्री-पुरूष समानता उत्तरदायी बजट

लघुरूप	संपूर्ण शब्द रूप
GRS	ग्राम रोज़गार सेवक
GS	ग्राम सभा
GST	वस्तु एवं सेवा कर
HDI	मानव विकास सूची
ICDS	समेकित बाल विकास योजना
ICT	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
IEC	सूचना शिक्षा और संचार
IP	मध्यवर्ती पंचायत
IPAI	भारतीय सार्वजनिक लेखा परीक्षक संस्थान
ISAM	कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना
IT	सूचान प्रौद्योगिकी
JJM	जल जीवन मिशन
KVK	कृषि विज्ञान केंद्र
LED	प्रकाश उत्सर्जी डायोड
LGD	स्थानीय सरकार निर्देशिका
MA	मिशन अंत्योदय
MAS	मॉडल लेखा प्रणाली
MoC	संस्कृति मंत्रालय
M/O FPI	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लघुरूप	संपूर्ण शब्द रूप
MeitY	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
MFP	लघु वनोपज
MGNREGA	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
MGNREGS	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
MIDH	एकीकृत बागवानी विकास मिशन
MIS	प्रबंधन सूचना प्रणाली
MMAS	कृषि सूक्ष्म प्रबंधन योजना
MMP	मिशन मोड परियोजना
MoF	वित्त मत्रांलय
MoPR	पंचायती राज मंत्रालय
MoRD	ग्रामीण विकास मंत्रालय
MSP	न्यूनतम समर्थन मूल्य
MPR	मासिक प्रगति रिपोर्ट
MSME	सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय
NABARD	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
NAD	राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देशिका
NAEB	राष्ट्रीय कृषि निर्यात बोर्ड
NE	पूर्वोत्तर
NIC	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

लघुरूप	संपूर्ण शब्द रूप
NeGP	राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना
NFSM	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
NGO	गैर-सरकारी संगठन
NHM	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
NLM	राष्ट्री स्तरीय की निगरानी
NMAET	राष्ट्रीय कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर मिशन
NMPB	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड
NPDP	राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम
NSAP	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
NRI	अनिवासी भारतीय
NRLM	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
O&M	प्रचालन एवं रखरखाव
ODF	खुले में शौच मुक्त
OSR	स्वयं के स्रोत से राजस्व
PDS	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
PEAIS	पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना
PES	पंचायत उद्यम सुइट
PESA	पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार) प्रावधान अधिनियम, 1996

लघुरूप	संपूर्ण शब्द रूप
PFMS	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
PG	प्रदर्शन अनुदान
PHCs	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
PKVY	परंपरागत कृषि विकास योजना
PMAY	प्रधानमंत्री आवास योजना
PMEGP	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
PMFBY	प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना
PMGSY	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
PMJDY	प्रधानमंत्री जन धन योजना
PM-KISAN	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
PM-KMY	प्रधान मंत्री किसान-मान धन योजना
PM-AASHA	प्रधान मंत्री आय संरक्षण अभियान
PMMSY	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
PMKSY	प्रधान मंत्री कृषि सिचाई योजना
PMRDF	प्रधान मंत्री ग्रामीण विकास फेलो
PMRSSM	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन
PMU	परियोजन निगरानी ईकाई
PMUY	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
PRA	भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन

लघुरूप	संपूर्ण शब्द रूप
PRI	पंचायती राज संस्था
PRTC	पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र
PTC	पंचायत प्रशिक्षण केंद्र
PwD	दिव्यांगजन
RADPFI	ग्रामीण क्षेत्र विकास योजना, तैयारी और कार्यान्वयन
RAGAV	राष्ट्रीय ग्राम अनुदान एवं विकास
RD	ग्रामीण विकास
RGM	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
RGPSA	राजीव गाँधी पंचायत शशक्तिकरण अभियान
RGSA	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
RGSY	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना
RKVY	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
RLB	ग्रामीण स्थानीय निकाय
RMUY	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
RO	विपरीत परासरण
RSETI	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
SAGY	सासंद आदर्श ग्राम योजना
SATCOM	उपग्रह संचार
SBM	स्वच्छ भारत मिशन

लघुरूप	संपूर्ण शब्द रूप
SC	अनुसूचित जाती
SDG	सतत विकास लक्ष्य
SECC	सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना
SFC	राज्य वित्त आयोग
SHC	मृदा स्वास्थ्य कार्ड
SHG	स्व-सहायता समूह
SIRD	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान
SLMTT	राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स टीम
SLO	राज्य संपर्क अधिकारी
SMAE	कृषि विस्तार उप-मिशन
SMAF	कृषि वाणिकी उप-मिशन
SPMU	राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
SPRC	राज्य पंचायत संसाधन केंद्र
SSA	समग्र शिक्षा अभियान
ST	अनुसूचित जनजाति
TG&S	तकनीकी मार्गदर्शन और समर्थन
TPDS	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
UFC	केंद्रीय वित्त आयोग
VHND	ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस

लघुरूप	संपूर्ण शब्द रूप
VHSNCs	ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समितियाँ
UJALA	सब के लिए सुलभ एल ई डी द्‌वारा उन्नत ज्योति
UN	संयुक्त राष्ट्र
UT	केंद्र शासित प्रदेश
VAT	मूल्य वर्धित कर
VO	ग्राम संगठन
WCD	महिला बाल विकास
WPFT	वार्ड योजना सुविधा टीम

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार